अंक 53

आई॰ एस॰ एस॰ एन॰ 0970—9398

राजभाषा भारती

अप्रैल-जून 1991

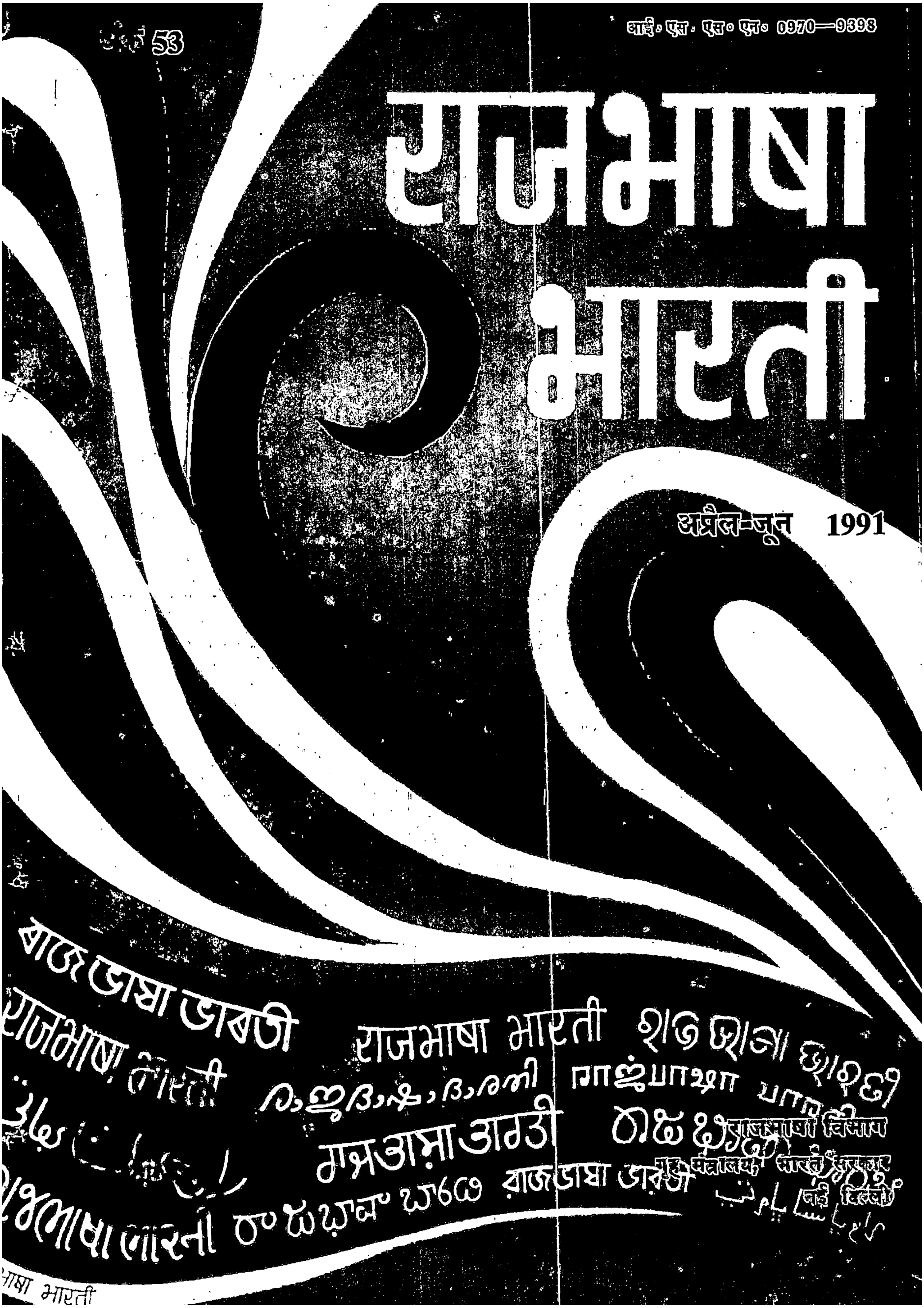

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नई दिल्ली

"खनन भारती" पत्रिका (डॉ. अम्बेडकर विशेषांक) का विमोचन करते हुए माननीय उप राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा साथ में (बाएं से) सचिव, कोयला विभाग, श्री रमेश चन्द्र जैन, श्री सत्य प्रकाश वर्मा, श्री राजेन्द्र पटोरिया (संपादक) तथा श्री गौतम राज भण्डारी (पृ० 94)

समारोह का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्री पी. उपेन्द्र (बाएं से चौथे) और संसदीय कार्य उपमंत्री श्री जगदीप धनकड़ तथा अन्य अधिकारीगण (पृ 88)

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक सुभाषिता ।
सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपधते ।। विदुर निती

हे राजन ! अच्छी बोली हुई वाणी विविध प्रकार के कल्याण को प्राप्त करती है और वही वाणी बुरे ढंग से बोलने पर अनर्थ का कारण बन जाती है ।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 13
अंक : 53

चैत्र-ज्येष्ठ 1913 शक
अप्रेल-जून 1991

संपादक

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त डी. लिट.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

☐

उप संपादक

डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं । सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11 वां तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

संपादकीय
पाठकों के पत्र

☐ **चिंतन** — पृष्ठ

1. राजभाषा हिंदी : सरलीकरण—एकविवेचन — गोवर्धन ठाकुर — 4
2. समकालीन साहित्य में साहित्यिक संस्थाओं की भूमिका — विश्वंभर प्रसाद 'गुप्तबंधु' — 9
3. अंग्रेजों के शासनकाज में हिंदी — डॉ. राम बाबू शर्मा — 13
4. सामाजिक उत्थान में परमाणु विद्युत का योगदान — दिलीप भाटिया — 15
5. हिंदी और तमिल के रिश्ते-नाते सम्बंधी शब्दावली — डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा तथा पी. रमा — 16
6. हिंदी पत्रकारिता के सबल स्तम्भ— पं. इन्द्र विधा वाचस्पति — डॉ. धर्मपाल — 20

☐ **साहित्यिकी**

7. हिंदी साहित्य में स्वाति तिरुनाल — डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर — 22

☐ **पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य**

8. अण्डमान में हिन्दी प्रचार — वीर विनायक दामोदर सावरकर — 24

☐ **विश्व हिंदी दर्शन**

विदेशों में हिंदी फिल्में और अनुवाद की समस्या — हरि बाबू कंसल — 26

☐ **समिति समाचार**

(क) **हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें** — 27
1. संसदीय कार्य मंत्रालय 2. इस्पात विभाग

(ख) **विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समितियों की बैठकें** — 28
1. शिक्षा विभाग 2. संपदा निदेशालय 3. प्रकाशन विभाग 4. दिल्ली प्रशासन में राजभाषा नीति का कार्यान्वियन

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 32

1. मंगलूर 2. गांतोक 3. मद्रास 4. तिरुचिरापल्ली 5. मदुरै 6. पाण्डिचेरी 7. विजयवाड़ा 8. मैसूर 9. वारंगल 10. तिरुपति 11. कोयम्बटूर 12. इज्जत नगर बरेली 13. पटना 14. कोच्चिन 15. गोवा 16. इलाहबाद (बैंक) 17. गुवाहाटी 18. भोपाल 19. बड़ोदरा (बैंक) 20. नासिक 21. इन्दौर 22. इन्दौर (बैंक) 23. दुर्गापुर 24. तिरुवनंतपुरम (बैंक) 25. बम्बई (बैंक) 26. मणिपुर (इम्फाल) 27. देवास 28. रतलाम 29. उदयपुर 30. पारादीप 31. नागपुर (बैंक) 32. जबलपुर (बैंक) 33. अकोला

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, तेनापेट, मद्रास-18
2. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल, मणिपुर
3. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4. लखनऊ रेल मण्डल राजभाषा कार्यान्वयन समिति
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

1. चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी 2. 8वीं योजना में हिंदी के विकास के आयाम 3. बेंगलूर में संपर्क अधिकारी सम्मेलन 4. नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी 5. बम्बई में कार्यपालकों की राजभाषा संगोष्ठी

☐ हिन्दी के बढ़ते चरण 76

1. मत्स्य शिक्षा संस्थान में हिंदी का प्रयोग
2. भारतीय वायुसेना में हिंदी के बढ़ते कदम

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 79

☐ हिंदी कार्यशालाएं 89

☐ विविधा 93

○ कम्प्यूटर और टाइप लेखन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 93

○ समाचार दर्शन 94

○ प्रेरणा पुंज 95

○ राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं 96

○ प्रशिक्षण/भर्ती परीक्षाएं और हिन्दी 97

○ पुस्तक समीक्षा 99

☐ आदेश-अनुदेश 102

संपादकीय

साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसका लेखा-जोखा साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रकाशित-प्रसारित होता है। भारतेन्दु युग हिन्दी गद्य साहित्य का बहुमुखी विकास का युग रहा है। तत्कालीन उपन्यास लेखकों में श्री देवकीनन्दन खत्री के तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों—चंद्रकान्ता (1882) 'चन्द्रकांता संतति' (24 भाग सन्, 1896) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन औपन्यासिक कृतियों ने तत्कालीन समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। फलस्वरूप तिलस्मी उपन्यासों में 'चंद्रकांता संतति' की ऐसी धूम मची कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिन्दी सीखी। 'चन्द्रकान्ता संतति' पढ़ने के लिए हिन्दी सीखने के लिए जिस तरह अनेक लोग आज से 100 वर्ष पूर्व लालायित थे, उसी प्रकार दूरदर्शन से प्रसारित 'रामायण' तथा 'महाभारत' धारावाहिक देखने के लिए हिन्दीतर भाषियों ने हिन्दी सीखी।*

यह तथ्य है कि वर्तमान युग में इलैक्ट्रानिक मीडिया का उल्लेखनीय प्रभाव है। भारत सरकार का फिल्म प्रभाग अपने स्थापना काल से ही हिन्दी भाषा में बनी वृत्तचित्रात्मक फिल्मों एवं लघु फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन करता आया है। भारत में सन् 1975 में सम्पन्न प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन पर आधारित "उदयांजलि" शीर्षक के अंतर्गत वृत्तचित्र का निर्माण किया गया। तत्पश्चात् मारीशस में सन् 1976 में तथा दिल्ली में सन् 1984 में आयोजित क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलनों पर 'एकता का पर्व' तथा 'हिन्दी सब संसार' शीर्षक से फिल्में बनीं। इन फिल्मों को जनता ने चाहा और सराहा है।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए फिल्मों के महत्त्व को स्वीकारते हुए फिल्म प्रभाग के माध्यम से 'हिन्द की वाणी' नामक फिल्म तैयार करवाई। 5 रीलों वाली 47 मिनट की अवधि वाली यह फिल्म दिनांक 14-9-1988 को रात्रि में 9 बजकर 50 मिनट पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय, चैनल पर दिखाई गई। इस फिल्म के लघु संस्करण-(2 रील) को 'देश की वाणी' शीर्षक के अंतर्गत 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों वाले भारतीय सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया।

राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाली 7 नई फिल्मों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। अब तक निर्मित निम्नलिखित 5 फिल्मों के वीडियो कैसेट बिक्री हेतु फिल्म प्रभाग में उपलब्ध हैं:—

---

*देखिए पृष्ठ 96

फिल्म का नाम	अवधि	मूल्य
उदयांजलि	20 मिनट	130.00 रुपए
एकता का पर्व	12 „	130.00 „
हिन्दी सब संसार	21 „	225.00 „
हिन्द की वाणी	47 „	225.00 „
देश की वाणी	20 „	130.00 „
उपर्युक्त पांचों फिल्मों का एक कैसेट		350.00 „

इनके अतिरिक्त "भारत की वाणी", "एकता की वाणी" तथा "14 सितम्बर, 1949" फिल्में भी तैयार हो चुकी हैं।

हिन्दी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए ये फिल्में बहुत उपयोगी हैं। अतः भारत सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ये फिल्में विभिन्न सम्मेलनों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कालेजों के लिए खरीदी जानी वांछित हैं। इन फिल्मों के वीडियो कैसेटों की खरीद के लिए प्रभारी अधिकारी, (वितरण), फिल्म प्रभाग, 24-डा. गोपाल राव देशमुख मार्ग, बम्बई-400026 से, कृपया, संपर्क करें।

राजभाषा हिन्दी के सरलीकरण के लिए प्रायः प्रश्न उछाले जाते हैं ? ऐसे सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर श्री गोबर्धन ठाकुर ने अपने निबन्ध 'राजभाषा हिन्दी : सरलीकरण—एक विवेचन' में दिए हैं। आजादी से पहले अंग्रेजों के कार्यकाल में भी हिन्दी राजकाज की भाषा रही है—इस तथ्य को डा. रामबाबू शर्मा ने अपने निबन्ध में उजागर किया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण लेख 'चिन्तन' स्तम्भ के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संदर्भ में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। ये समितियां देश के कोने-कोने में राजकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए सतत कार्य कर रही हैं। लगभग 120 में से 33 समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त संक्षिप्त रूप में 'समिति समाचार' में दिए जा रहे हैं, जिससे पाठकगण सहज ही नराकास की गतिविधियों से परिचित हो सकेंगे। अन्य स्तम्भों, 'राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां', 'हिन्दी के बढ़ते चरण', 'हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह', 'हिन्दी कार्यशालाएं' आदि में पूर्ववत सामग्री दी गई है। 'विविधा' के अंतर्गत 'समाचार दर्शन' में राजभाषा हिन्दी के बारे में विविधतापूर्ण जानकारी और 'प्रेरणा पुंज' में पूर्वांचल में हिन्दी की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त 'पुस्तक समीक्षा', 'आदेश-अनुदेश', 'कम्प्यूटर और टाइप लेखन' प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी भी 'विविधा' स्तम्भ के अंतर्गत दी गई है। विश्वास है कि राजभाषा भारती के प्रस्तुत अंक से पाठकगण अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव श्री निशिकान्त महाजन दिनांक 30 जून 1991 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके स्थान पर श्री महेन्द्रनाथ ने संयुक्त सचिव (राजभाषा) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके संरक्षण में 'राजभाषा भारती' का प्रत्येक आगामी अंक राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उपयोगी एवं सहायक सिद्ध हो इसके लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

पत्रिका के बारे में सुधी पाठकों के सुझावों की सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती अंक-50 में तिवारी जी का लेख "चलचित्रों में हिन्दी", डॉ जे. सिंह का 'मणिपुर की स्वैच्छिक संस्थाएं' आदि लेख बहुत पसंद आए। जबकि हिंदी के प्रचार-प्रसार में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग जैसे लेख इस पत्रिका की गरिमा को गौरवान्वित करते हैं। डॉ. मोटूरि सत्यनारायण का भारत के संविधान में··· जैसे लेख आज भी सामयिक है । इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के समाचार, सम्मेलन/संगोष्ठी आदि पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई और यह विश्वास बढ़ा है कि धीरे-धीरे ही सही, हिन्दी अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करके रहेगी।

—चितरंजन भारती, फ्लैट-एल ए 19,
पो. पेपर नगर, मोनोकचुंग, नागालैण्ड

☐

राजभाषा भारती का जुलाई–सितम्बर, 1990 अंक प्राप्त हुआ। जहां एक ओर पत्रिका में प्रकाशित लेख अत्यंत उच्च स्तरीय, ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय हैं; वहीं दूसरी ओर देश के कोने-कोने में सम्पन्न राजभाषा सम्बन्धी कार्यक्रमों की जानकारी प्रेरक और उपयोगी है।

"चलचित्रों में हिन्दी" (लेखक–विनोद तिवारी) लेख में सशक्त तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि फिल्मकारों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए हिन्दी को अपनाया है और यह कहना सर्वथा गलत है कि हिन्दी की सबसे ज्यादा सेवा फिल्मों ने की है। "राजकीय भाषा के रूप में हिन्दी: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य" (चन्द्रकान्त त्रिपाठी "चन्द्रेश") "राजभाषा हिन्दी को तमिल और बंगला का योगदान" (डॉ. प्रभाकर माचवे) तथा 'हिन्दी के प्रचार-प्रसार में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग' (डा. ओम विकास) आदि लेख बहुत अच्छे और उपयोगी लगे। इनके लेखकों को तथा उत्कृष्ट संपादन के लिए आपको साधुवाद ।

—मदनमोहन खंडेलवाल
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर,
5, यशवंत निवास रोड, इन्दौर-452003 (म.प्र.)

☐

राजभाषा भारती का जुलाई—सितम्बर, 1990 का अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में बहुत उपयोगी सामग्री दी है । "चिन्तन" उपशीर्षक के अंतर्गत उत्तम लेख दिए हैं, रोचक और पठनीय हैं। अनेक विभागों में कहां क्या हो रहा है और हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है, उत्साहवर्द्धक सूचनाएं हैं। आशा है कि आप राजभाषा भारती का स्तर ऐसा ही बनाए रखेंगे।

—प्रो. रामसिंह तोमर,
प्रधान सम्पादक, विश्व भारती पत्रिका,
हिन्दी भवन, शांति निकेतन-731235 (प. बंगाल)

☐

राजभाषा भारती का जुलाई-सितम्बर, 1990 का अंक प्राप्त हुआ था। चंद्रेश जी ने अपने खोजपरक लेख द्वारा राजभाषा हिंदी के समर्थन में अकाट्य ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाए हैं। किन्तु विनोद तिवारी ने अपने लेख में जो बात कही है कि हिंदी फिल्मोद्योग ने हिंदी की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए हिंदी को अपनाया है। आलोच्य लेख का यह एक पक्ष हो सकता है किन्तु उसका दूसरा पक्ष यह है कि फिल्मोद्योग ने जाने-अनजाने हिंदी के प्रचार में अहम भूमिका निभायी है। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा।

अपने परम्परागत विभिन्न स्तम्भों से पत्रिका सुसम्पन्न तो है ही, साथ ही संपादकीय बहुत ही सामयिक है क्योंकि आज विज्ञान एवं तकनीकी को मिट्टी से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि उसका संदेश सुदूर गांवों तक जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाया जा सके।

—वीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजभाषा अधिकारी,
इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय,
न्यू डाक बंगला रोड, पटना—800001

☐

राजभाषा भारती का अंक-49 प्राप्त हुआ है । बैंको में भी हिंदी का पत्राचार बढ़ रहा है। तमिलनाडु और केरल भी राजभाषा हिंदी को कार्यालयीन पत्राचार में बढ़ावा दे रहे हैं। यह पढ़कर हर्ष होता है।

हमारा संस्थान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे—मौसम विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से वायुमण्डलीय विज्ञानों के और वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अध्ययन व अनुसंधान कार्य कर रहा है। यहां प्रशासनिक पत्राचार के साथ-साथ हिंदी में वैज्ञानिक लेख लिखने, मानचित्र चार्ट आदि बनाने व संगोष्ठियां आयोजित करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आशा करती हूं कि जनसाधारण में व विद्यार्थियों में इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप विज्ञान के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी।

—वनिता मु. मुदलियार, हिंदी अधिकारी

☐

राजभाषा भारती अंक-50 मिला। यह पहले के अंकों की तरह अपनी रूपसज्जा, विषयवस्तु, भाषा-शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट है। निश्चय ही यह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक अचूक उपलब्धि है।

—सुशील कुमार शर्मा, हिंदी अधिकारी,
द मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.,
बेलागुला, कर्नाटक—571606

☐

राजभाषा के आगामी प्रयोग के सम्बन्ध में **"राजभाषा भारती"** उच्चकोटि के विद्वानों के विचार प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति का भी पर्याप्त विवेचन होता है।

—आर. पुरुषोत्तम, प्रशासन अधिकारी,
रक्षा मंत्रालय,
अनुसंधान तथा विकास संगठन, गैस टर-बाइन अनुसंधान स्थापन, सुरजन मार्ग,
सी.वी. रामन नगर, बेंगलूर

☐

राजभाषा भारती पत्रिका मुझे नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। तदर्थ धन्यवाद। मैं पत्रिका को रुचि-पूर्वक पढ़ता हूं। पत्रिका हिंदी सम्बन्धी सरकारी कार्यवाहियों, नियमों, किए जा रहे प्रयत्नों आदि की जानकारी के साथ-साथ रोचक सामग्री भी प्रस्तुत करती है। इस प्रकार यह पत्रिका मनोरंजन के साथ-साथ उपयोगी भी बन जाती है। यदि किसी अंक में जहां-जहां भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम की छूट है उन सब की समेकित सूची दी जा सके तो यह युवकों के लिए और आकर्षक हो जाएगी।

—डा. कृष्णलाल आचार्य,
विश्वनीड़, ई—937, सरस्वती विहार,
दिल्ली—110034

☐

राजभाषा भारती का 49वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। 'चिंतन' खण्ड के अंतर्गत हिंदी भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप, शब्द और अर्थ के आयाम तथा प्रयुक्ति विषयक लेख अत्यंत शोधपूर्ण तथा भाषा प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है।

"आदेश-अनुदेश" खण्ड में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों तथा उन पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के संयोजन से यह अंक राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े कर्मियों के लिए विशेष रूप से संदर्भपरक तथा संग्रहणीय बन पड़ा है।

—जे. आर. वासुदेव, मुख्य प्रबन्धक,
इलाहाबाद बैंक, उत्तर मंडलीय कार्यालय,
17, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

☐

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम की जानकारी देने के लिए आपकी **"राजभाषा भारती"** से सुंदर कोई दूसरा प्रकाशन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला।

—सूर्यनाथ चतुर्वेदी, राजभाषा अधिकारी,
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, तेजपाल स्कीम,
रोड नं. 5, एक्सटेंशन सहकार रोड,
विलेपार्ले (पूर्व), बम्बई

☐

राजभाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका अंक-49 अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामग्री से भरपूर है। सभी लेख उच्च स्तरीय हैं। यह पत्रिका राष्ट्रभाषा की सेवा करने के साथ-साथ हिंदी साहित्य में भी मूल्यवान योग दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। राजभाषा से सम्बन्धित आदेश-अनुदेश, अहिंदी स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के लिए उपयोगी हैं। मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका से राजभाषा अधिकारी हिंदी न पढ़ने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं पत्रिका के सभी अधिकारियों का आभार मानती हूं।

—बी. एस. शांताबाई, प्रधान सचिव,
कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति,
चामराजपेट, बेंगलूर—18

☐

राजभाषा भारती का (जुलाई-सितम्बर, 1990) अंक प्राप्त हुआ। प्रस्तुत अंक में राजभाषा पर कई आलेख ज्ञान-वर्द्धक और प्रेरणादायक हैं। आपके संपादकत्व में प्रकाशित राजभाषा भारती की उपयोगिता का वर्णन करने की आव-श्यकता उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इसका कोई भी अंक पढ़ा होगा।

—शिव कुमार चौधरी, सहायक प्रबन्धक,
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., प्रधान कार्यालय
3, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता—700071 ☐

राजभाषा भारती ने राजभाषा जगत में अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया है। भारत में जगह-जगह किए जा रहे राजभाषा कार्यों की जानकारी एक ही स्थान पर पत्रिका में देकर आप घर बैठे भारत दर्शन करा देते हैं। पाठकों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी अपने कार्यों का आकलन करके देखें कि वे कहां खड़े हैं और अभी कितना आगे चलना है। आपका प्रयास और मार्गदर्शन सराहनीय है।

—हरशरण गोयल, वरिष्ठ कार्यपालक,
इंजीनियर्स इंडिया लि.,
1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—66

☐

राजभाषा भारती अंक-50 में दी गई सामग्री के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से हमारे संस्थान के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भविष्य में पत्रिका नियमित रूप से प्राप्ति की आकांक्षा है।

—एस. पेरूमल, प्रभारी अधिकारी
ऐरोनेटिकल कम्युनिकेशन स्टेशन,
तिरूचि विमान क्षेत्र तिरूचि—620007

☐

राजभाषा भारती अंक-49 में 'अनुवादक का प्रशिक्षण' तथा 'हिंदीतर क्षेत्रों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन' तथा 'बंगला भाषा' की विस्तृत जानकारी मिली। भारत में हिंदी प्रयोग की प्रगति की जानकारी देने का आपका प्रयास स्तुत्य है।

—छ. ग. खरोदरा, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय
नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान,
भावनगर (गुजरात)

☐

राजभाषा भारती में अनेक उपयोगी लेख, सूचनाओं के साथ संसदीय समिति के प्रतिवेदन से कुछ अंश प्रकाशित कर आपने प्रशंसनीय कार्य किया। हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

—डा. कैलाश चन्द्र भाटिया,
नंदन, भारती नगर, मौरिस रोड,
अलीगढ़—202001

☐

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार व व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रकाशित इस त्रैमासिक पत्रिका से अवगत रहना प्रत्येक हिंदी-कर्मी हेतु अपरिहार्य है। उसके ज्ञान की वृद्धि एवं अद्यतनता हेतु यह परमावश्यक है।

—अब्दुल हमीद खान, अमूल्या अपार्टमेंट्स
एन. आई. एन. के सामने, तारनाका,
सिकन्दराबाद

☐

हिंदी की बिंदी

हिन्दी से निकली पंजाबी, ब्रज आदि भाषाओं का सुन्दर संगम है। भारतीय भाषायें ही नहीं यहां तक कि अंग्रेजी भाषा हिंदी से अलग हो कर जीवित नहीं रह सकती। अंग्रेजी भाषा के सारे अंक 0 से लेकर 9 तक हिन्दी से ही लिए गए हैं। जीरो, अनी, द्वि, त्री, चार, पांच, शात, सत, अष्ट और नौ। निम्नलिखित Prefixes (उपसर्ग) & Suffixes (प्रत्यय) भी हिन्दी से ही लिए गए हैं—amli, an, anti, epi, heni, Hypo, inter, .n. out यह सब शब्द संस्कृत के आदि, अभि, अन्, अन्ति, अपि सामि, उपा, अन्तर, ना और उत् शब्दों से लिए गए हैं। इसी प्रकार am, bond, brother, Cash आदि अंग्रेजी के शब्द हिन्दी के अस्मि, बन्धन, भ्राता, कौ और तात शब्दों से लिये गये हैं। यहां तक कि बाईबिल भी हिन्दी का ही शब्द है। बाई शब्द का अर्थ है Virgin + Ble-Power i.e. Power of Virginity or Power of Purity (पवित्रता की शक्ति) जोकि संपूर्ण क्रिश्चियन धर्म का आधार है। (= i.e. Chri करो—action + Stia/करम, सत्य = Truth + Nity/नीति = Policy, i.e. एक वर्ग जिसके कर्म का आधार सत्य और सनातन = Truth + Dharm Policy यहां तक कि इंगलिश शब्द भी हिन्दी के आंगलेस और England i.e. आंगलेस लैण्ड, लैण्ड शब्द भी हिन्दी के खण्ड शब्द से बिगड़ कर बना है।

अगर हिन्दी भाषा को समाप्त कर दिया जाए तो संसार की सभी भाषाओं का स्वयंमेव अन्त हो जायेगा। यही नहीं इंग्लैण्ड, अमेरिका, पाकिस्तान, बांगलादेश, कम्बोडिया, चीन, रोम, वेटिकन आदि देश अपना नाम भी खो बैठेंगे।

भारत संसार का प्राचीनतम देश है और हमारी संस्कृति और भाषा इस भू-मण्डल की आदि (Original) धरोहर है और हम हिन्दू इस भूमण्डल के पूर्वज हैं जिसे हर प्रकार से साबित किया जा सकता है। इस प्रकार कोई भी भाषा हिन्दी को त्याग कर जीवित नहीं रह सकती। स्रोत: Chambers Twentieth Century English Dictionary 1964 Indian edition या 1955 London adition से उद्धृत

सौजन्य: श्री एम.एल. मुखी, डी-89, कालकाजी, नई दिल्ली।

चिंतन

राजभाषा हिन्दी: सरलीकरण–एक विवेचन

□गोवर्धनठाकुर*

राज्य अथवा राज के प्रशासन की राजकाज की भाषा राजभाषा कही जाती है। एक समर्थ राजभाषा निश्चय ही केवल प्रशासन तक ही सिमटकर नहीं रह जाती अपितु अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में राज्य अथवा देश के विविध क्रियाकलापों के संवाहक के दायित्व का संवहन भी करती है। फलस्वरूप वह सरकारी कामकाज की भाषा होने के अतिरिक्त जन-समुदाय की संपर्क भाषा के दायित्व का भी वहन करती हैं; और इसके साथ ही साथ शिक्षा, न्याय, व्यवसाय, रीति, नीति, ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा बनकर समाज के व्यापक परिवेश में छा-सी जाती है। ऐसी महत्त्वपूर्ण राजभाषा के अनेक पक्षों को लेकर उठने वाली समस्याओं से बहुतेरे प्रश्नों का खड़ा होना सहज स्वाभाविक है।

हिंदी भारत के संघ सरकार की राजभाषा है। इसे संघ एवं राज्यों तथा राज्य-राज्य के बीच संपर्क भाषा बनकर एक प्रभावी संप्रेषण माध्यम की भूमिका भी निभानी है। राजभाषा और संपर्क भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का एक व्यापक एवं सर्वमान्य स्वरूप राष्ट्रभाषा का स्वरूप है। मेरे विचार से हिंदी अपने इसी राष्ट्रभाषा स्वरूप को लेकर आजादी से बहुत पहले ही देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करते हुए संपर्क भाषा की भूमिका निभाने लगी थी। फलस्वरूप राष्ट्रभाषा के विविधात्मक स्वरूप में इसे देश के राज-काज और ज्ञान-विज्ञान ही नहीं, धर्म-संस्कृति, आचार-व्यवहार एवं चिंतन-पद्धति को भी विश्व व्यापक प्रचार-प्रसार देने का दायित्व निभाना है। ऐसी स्थिति में राजकाज ज्ञान, विज्ञान-शोध और चिंतन की अनन्त परंपराओं एवं विकास की गति-विधि को प्रकाश देने के विविध आयाम के परिप्रेक्ष्य में निभायी जानेवाली भूमिका में हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में उठनेवाली अनेक समस्याओं में से तथाकथित बहुचर्चित समस्या—हिंदी के सरलीकरण की समस्या पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

इस सरलीकरण के प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा कहते हैं— "······सरलता किसके लिए? जिस तरह लेखकों का एक स्तर नहीं होता, उसी तरह पाठकों का भी एक स्तर नहीं होता। तब भाषा में किस स्तर के पाठक को ध्यान में रखकर सरलता लाई जाए? साक्षर से लेकर एम.ए. उपाधिकारी तक पाठक की सीमा में आते हैं। इनमें किसे आदर्श रखकर हम सरलता का निर्धारण करें? और क्या भाषा सरल कर देने से विषय सरल हो जाएगा? विवर्तवाद, परिणामवाद, सापेक्षवाद, रसवाद, ध्वनिवाद को चालू भाषा में लिख देने में सभी कोई समझ जाएंगे? और यह भी एक बड़ा विचित्र विरोधाभास-सा दीखता है कि हर आदमी सरलीकरण की मांग करता है अर्थात् भाषा का स्तर नीचा करने का आग्रह करता है, पर पाठक का स्तर ऊंचा करने की चिंता किसी को नहीं है।" डा. सुरेन्द्रगुप्त अपने लेख "राजभाषा— सरलीकरण की समस्या" के बारे में लिखते हैं— "·· हिंदी के सरलीकरण को कोई समस्या नहीं है।" डा. कैलाश चन्द्र भाटिया अपने लेख "सरल हिन्दी" में लिखते हैं— "हम विशुद्ध सरल भाषा चाहते हैं जिसे जनता समझती है और जो बहुसंख्यक लोगों की लिपि में लिखी जाती है। विज्ञान की पुस्तकों में अवश्य हमें प्राविधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए हमारी भाषा में समानार्थक शब्द नहीं हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूली पुस्तकों के लिए, अदालती कागजों में, समाचार पत्रों में और सार्वजनिक —भाषणों में सरल और सामान्य वार्तालाप की भाषा का प्रयोग हो" इस सम्बन्ध में हिंदी तेलगु संस्कृति भाषा के विद्वान डा. पांडरंग राव कहते हैं — "आजकल सरल हिंदी के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो रही है और इस सम्बन्ध में जनसाधारण में और शिक्षित समाज

*वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 हैदराबाद—500028

में भी काफी मतभेद है। उत्तर में जिस भाषा को सरल या आसान समझा जाता है, वह दक्षिण के पढ़े लिखे आदमी के लिए दुर्बोध बन जाती है। संस्कृतनिष्ठ भाषा समझने में किसी को सुविधा होती है तो किसी को उर्दू के रोजमर्रा की ताजगी में अधिक आनन्द आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्यावरण होता है। भाषा भी पर्यावरण का एक अंग है। अपनी मातृभाषा के जिस पर्यावरण में एक व्यक्ति पलता है उसी को लेकर वह दूसरी भाषा के क्षेत्र में भी प्रवेश करता है।" (राजभाषा भारती, अंक 27)

वस्तुतः जब से हिंदी राजभाषा के रूप में प्रशासन, विधि, शिक्षा, तकनीकी और विविध ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनी है, एक प्रश्न लगातार दुहराया जाता रहा है और वह प्रश्न है हिन्दी के सरलीकरण का प्रश्न। इस प्रश्न को उठाने वाले प्रशासन से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ-साथ राजनीति के अखाड़ों के निपुण खिलाड़ी और विविध विषयों के विशेषज्ञ वे विद्वान भी हैं जिनका किसी न किसी रूप में हिंदी के प्रयोग अथवा कार्यान्वियन से जुड़ा होने का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य प्राप्त है। अब, इससे पहले कि इस प्रश्न के औचित्य पर कुछ अपना विचार रखूं, मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ओर ले जाना चाहूंगा सबसे पहले तो यह कि सरलता शब्द यहां एक सापेक्ष शब्द है। राजभाषा हिंदी का एक रूप प्रशासनिक हिंदी अथवा यूं कहें कि पत्राचार और टिप्पण की हिन्दी का रूप है। यहां कुछ हद तक हम आम प्रचलित हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं। यहां भी "आम प्रचलित हिंदी" का अर्थ कार्यालय विशेष, जहां इनका प्रयोग किया जा रहा है, उसके आस-पास लोगों में बोली जानेवाली हिन्दी से नहीं लिया जा सकता। कारण, हर स्थान की हिन्दी उस स्थान विशेष में बोली जानेवाली स्थानीय भाषा की शब्दावली, वाक-प्रणाली से प्रभावित और कुछ हद तक मिश्रित होकर मात्र स्थान विशेष की बोलचाल के लिए ही उपयुक्त होती है, यदि उसका प्रयोग कार्यालय के पत्राचार में उसी रूप में करें तो देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जानेवाले ये पत्र अलग-अलग स्थानों की जनता की हिंदी, स्थानीय हिन्दी के अनुकूल नहीं हों सकेंगे। फलस्वरूप, उनके लिए दुरूह हो जाएंगे। अतः "आम-प्रचलित हिन्दी" का अर्थ भी आम प्रचलित मानक हिन्दी अर्थात् हिन्दी का सार्वभौमिक रूप से ही लिया जाना चाहिए। तात्पर्य यह कि पत्राचार आदि में भी इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिन प्रशासनिक अथवा तकनीकी शब्दों का इनमें प्रयोग किया जा रहा है वे मानकीकृत हों ताकि उन्हें सभी उद्दीष्ट अर्थ में ही ग्रहण करें। यथा; अंग्रेजी के officer शब्द के लिए हिन्दी में अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारी, पदाधिकारी, अफसर आदि अनेक रूप प्रचलित हैं। परन्तु एक ही सरकारी तंत्र में एक ही अर्थ के लिए ऐसे अनेक शब्दों के एक साथ प्रयोग से सरलता की जगह भ्रम और दुरुहता पैदा होने की ही सम्भावना अधिक थी। अतः इनका मानकीकरण कर एक शब्द "अधिकारी" को अपनाया गया। सम्भव है बिहार अथवा ऐसे अन्य प्रदेश में जहां Officer के लिए पदाधिकारी या अन्य कई शब्दों के प्रयोग होते हैं, वहां "अधिकारी" जैसा छोटा और सरल शब्द भी आरम्भ में वहां के लोगों को कठिन लगे, कारण उनका इसके बदले दूसरे शब्दों के प्रयोग का अभ्यास है, जो उनकी मानसिक प्रक्रिया में घुलमिल कर उनके संस्कार में आ गए हैं। परन्तु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद "अधिकारी" शब्द उन्हें सहज लगने लगेगा और प्रयोग की एकरूपता के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में किसी भी भ्रम से बचा जा सकेगा। इस प्रसंग में मैं एक और उदाहरण रखना चाहूंगा। 1971 में मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची (बिहार) में "हिन्दी प्रकोष्ठ" में कार्यरत था। कंपनी की एक रिपोर्ट के हिन्दी रूपांतर के क्रम में Plant शब्द की हिन्दी करनी थी। उस समय उस क्षेत्र में इसके लिए "कारखाना" शब्द प्रचलित था, और Bhilai Steel Plant को "भिलाई इस्पात कारखाना", Bokaro Steel Plant को "बोकारो-इस्पात कारखाना" आदि कहा जात था। परन्तु इसके साथ ही Factory के लिए भी कारखाना का ही प्रयोग होता था। ऐसी स्थिति में यदि Plant के लिए कारखाना शब्द का प्रयोग करता तो सम्भव था, किसी समय उक्त हिन्दी रूपांतर से अपेक्षा होने पर अंग्रेजी अनुवाद होते समय Bokaro Steel Plant बदल कर Bokaro Steel Factory हो जाता। इस तरह उसका नाम ही बदल जाता। अतः मैंने इसके लिए सरकार द्वारा मानकीकृत "संयन्त्र" शब्द ही लिया। इस तरह Bokaro Steel Plant के लिए "बोकारो इस्पात संयंत्र" में किसी प्रकार के भ्रम अथवा अन्तर आने की गुंजाइश नहीं रह गई। हां, संयन्त्र शब्द कुछ कठिन जरूर लग रहा था, कारखाने की जगह परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् बार-बार इसके प्रयोग से कंपनी के सारे कर्मचारी इससे इतना अधिक परिचित हो गए कि उनके लिए यह संयन्त्र शब्द सरल ही नहीं, स्वाभाविक भी बन गया।

वस्तुतः कोई शब्द सरल अथवा कठिन नहीं होता है, वह तो मात्र परिचित अथवा अपरिचित होता है। यदि वह परिचित है तो सरल है चाहे वह कितना भी दुरुह क्यों न हो, और यदि वह अपरिचित है तो कठिन है, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजभाषा विभाग के तत्कालीन निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री ने अपने लेख "राजभाषा हिन्दी सरलता का प्रश्न" में उदाहरण दिया है कि ऊबड़-खाबड़" शब्द अपने आप में कठिन है पर हमें कठिन नहीं लगता; परन्तु, उसका संस्कृत पर्याय "अनजू" छोटा होते हुए भी कठिन लगता है। कारण यह है कि ऊबड़-खाबड़ परिचित है इसलिए सरल लगता है, परन्तु 'अनजू' छोटा-सहज होने पर भी परिचित नहीं होने के कारण कठिन लगता है। प्रशासन, शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग अभी प्रारम्भिक स्थिति में है।

1738 HA/91—2.

भारत सरकार की इन क्षेत्रों से सम्बन्धित मानक शब्दावलियों में यथासम्भव अधिक से अधिक संस्कृत की प्रचलित शब्दावलियों को लेने के प्रयास हुए हैं। कारण, उनमें से अधिकांश भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में किसी न किसी रूप में प्रयोग में हैं। फिर, आंचलिक भाषाओं से भी ऐसे शब्दों को यथासम्भव ग्रहण करने का प्रयास किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में एक ही अर्थ में प्रयोग में हैं। इसके पीछे मंशा यही हो सकती है कि उनसे परिचित होने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़े। फिर भी, इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि इन शब्दावलियों के ऐसे नए-नए अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं जिनकी जगह अभी अंग्रेजी शब्दावलियों के प्रयोग होते रहे हैं। अतः जब तक हम इनका व्यवहार करना प्रारम्भ नहीं कर देते, तब तक यदि वे ये कठिन लगें तो यह तो स्वाभाविक ही है। इसमें शब्दों की कठिनता दोषी नहीं है, हमारे इनसे परिचय न होने का, हमारी इनसे अनभिज्ञता का दोष है। अतः ऐसी स्थिति में हिन्दी पर कठिन होने का आरोप लगाना, मेरी दृष्टि में मात्र कुछ अंग्रेजी-दां लोगों का फैशन सा है, जिसे आंख मूंद कर दुहराया जा रहा है।

इतना होते हुए भी मैं यह नहीं मानता कि राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में सरलीकरण का प्रश्न विचारणीय नहीं है। वस्तुतः अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को अमल देने वाले विविध क्षेत्रीय भाषा-भाषियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक सुधार विचारणीय है। यह सुधार हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के हित में ही है।

व्याकरण की समस्या

व्याकरण की समस्या में मूल रूप से हिन्दी में दो ही समस्याएं उठाई जाती हैं और वे हैं लिंग की समस्या और कारक के "ने" चिह्न के प्रयोग की समस्या। इसके अतिरिक्त वर्तनी की समस्या और वाक्य रचना की समस्या भी उठाई, जाती है। फलस्वरूप, हम जरा इन पर विचार तो करें कि इनमें कहां तक सच्चाई है और इन्हें किस हद तक राजभाषा हिन्दी के विरोधी ने हौवा बना रखा है।

लिंग

व्याकरण सम्बन्धी समस्या में सबसे बड़ी समस्या है लिंग भेद की समस्या; जहां कुर्सी, लेखनी पेटी, छिटकली आदि ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग हैं, वहीं हाथी, ज्ञानी, रागी, रोगी, भोगी आदि पुलिंग हैं। सोना, माला, बालिका, खटिया आदि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग हैं तो मेला, ठेला, करेला आदि पुलिंग। जल, वस्त्र, ग्रन्थ, कान, पत्र, पेड़, छाल आदि अकारांत शब्द पुलिंग हैं तो नाक, सरकार, पुलिस, सड़क, कलम, पुस्तक, चादर, गरदन आदि स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त सामर्थ्य, पतंग आदि कितने ही शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों ही लिंगों में किया जाता है। ये उभयलिंग हैं। यही कारण हैं कि विदेशों में हिन्दी सीखने वालों तथा देश के हिन्दीतर भाषा-भाषियों के लिए लिंग निर्णय की कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई इसलिए भी पैदा हुई कि मूलतः हिन्दी का विकास संस्कृत से हुआ है और संस्कृत में जहां तीन लिंग हैं, हिन्दी में केवल दो लिंग हैं। परन्तु, यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो हम पाएंगे कि लिंग सम्बन्धी समस्या हिन्दी से कहीं अधिक उन भाषाओं में है जिन पर हिन्दी के लिंग के सम्बन्ध में कटु आलोचक को फख्र है। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा लिखते हैं "अरबी में जिक्र पुलिंग और फिक्र स्त्रीलिंग हैं; फारसी में जहर पुलिंग और नहर स्त्रीलिंग है। जिक्र-फिक्र या जहर-नहर की शक्ल सूरत में कोई फर्क है? और जब कोई फर्क नहीं तो लिंग में भेद भी नहीं होना चाहिए। किन्तु व्याकरण तर्क का अनुगामी नहीं होता।" वस्तुतः भाष्यकार का यह कथन सिद्ध है कि लोकाश्रयत्वाल्लिंगानाम् अर्थात् अर्थात् लिंग भेद आम लोगों के प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। श्री शर्मा का कहना है कि "संस्कृत के समान मराठी और गुजराती में आज भी तीन लिंग प्रचलित हैं और वहां लिंग का निर्धारण आसान नहीं है। किन्तु, इसी के कारण किसी ने मराठी या गुजराती को हीन भाषा कहने का साहस नहीं किया।" श्री शर्मा ने अपने फ्रेंच के अध्ययन के क्रम में एक बार अपने अध्यापक से पूछा कि लिंग सम्बन्धी कठिनाई कैसे हल की जाए? तो उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, 'कुछ लैटिन पढ़ लेना अच्छा होगा।' अब हम स्वयं भी सोच सकते हैं कि "फ्रेंच का लिंग ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेटिन का अध्ययन कितना सुगम मार्ग है। "वस्तुत लिंग की समस्याएं केवल हिन्दी में ही नहीं, अनेक उन्नतः भाषाओं में हैं और उन्हें व्याकरण में लिंग निर्धारण के नियमों के अनुसार, और उससे भी अधिक अभ्यास से सहज हल कर लिया जाता है। वस्तुतः यदि "नियम की सहायता से सात समुद्र पार की भाषा सीखी जा सकती है तो हिन्दी जो इस देश की मिट्टी, हवा और पानी में उपजी, और पली है, कठिन लगे, यह बात साधारण बुद्धि की पकड़ में आने की नहीं है।" अतः इस समस्या के निदान के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि प्रारम्भ में हिन्दी के प्रयोग में लिंग को आड़े न आने दिया जाए और आम बोल-चाल की तरह लिंग पर ध्यान दिए बिना ही हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए। धीरे-धीरे प्रयोग के क्रम में स्वाध्याय से भाषा अपने आप परिष्कृत होती चली जाएगी और इस तरह परिष्कृत अभ्यास और स्वाध्याय से सभी अच्छी हिन्दी लिखने लग सकते हैं जो स्वतः व्याकरण सम्मत होगी।

2 कारक चिह्न (विभक्ति)

कारक चिह्नों (विभक्ति) के प्रयोग में मात्र कर्ता के "ने" चिन्ह के प्रयोग के सम्बन्ध में कठिनाई की बात की जाती है। परन्तु, यह धारणा भी निर्मूल और मन-गढ़न्त है। कारण, कारक के "ने" चिह्न का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं

के साथ ही होता है और वह भी केवल भूतकाल की पांच अवस्थाओं, नामतः सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमदभूत में हो।

क्रियाओं के सकर्मक और अकर्मक रूप सभी भाषाओं में होते हैं और भूत, वर्तमान, भविष्य काल के ये भेद भी सभी भाषाओं में होते हैं। इसके साथ ही, यह भी सिद्ध है कि जो एक भाषा की इन अवस्थाओं से परिचित हैं उन्हें दूसरी भाषा में इन्हें पहचानने में दिक्कत नहीं हो सकती। अतः कर्ता के "ने" चिह्न के प्रयोग में किसी प्रकार की कठिनाई रही कहां ?

यथा, सकर्मक क्रिया—खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि जहां हो और भूतकाल की उपर्युक्त अवस्थाएं हों तो हम "ने" का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, राम ने खाना खा लिया। उसने पढ़ना चाहा। परन्तु, अकर्मक क्रिया, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि के साथ इसी अवस्था में 'ने' नहीं लगेगा। उदाहरणार्थ राम उठ बैठा सही होगा। यहां राम ने उठ बैठा नहीं होगा।

ये साधारण सी बात है जो सहज ही हृदयंगम की जा सकती है। परन्तु, हिन्दी के प्रांजल प्रयोग के बृहत् हित में मैं यहां भी यही कहना चाहूंगा कि यदि फिर भी कठिनाई अनुभव हो तो "ने" चिह्न का प्रयोग कहां उचित है और कहां नहीं, इस बात का ध्यान किए बिना हम हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं और भाषा की शुद्धता के लिए अभ्यास और अध्ययन जारी रखते हुए इसमें सुधार लाने का प्रयास करें।

3. वर्तनी

अनेक अन्य समृद्ध और बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली, प्रयोग में आने वाली भाषाओं की तरह हिन्दी भाषा के सरलीकरण के संदर्भ में हिन्दी वर्तनी की समस्या भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। परन्तु, भोलानाथ तिवारी कहते हैं "....संस्कृत जैसी सुव्यवस्थित तथा पाणिनि द्वारा मानकीकृत भाषा में भी शब्दों की एक वर्तनी नहीं है। उदाहरणार्थ, कैलाश-कैलास, कर्म-कर्म्म, ओषधि-औषधि आदि बहुत से शब्दों की दो-दो वर्तनियां ठीक मानी जाती हैं।" वर्तनी की यह समस्या अंग्रेजी तथा ऐसी और भाषाओं में भी कम नहीं है।

फलस्वरूप, हिन्दी की वर्तनी में एकरूपता के अभाव से आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और देवनागरी का कम्प्यूटर तथा अन्यान्य सम्बद्ध इलेक्ट्रानिक उपकरणों की भाषा बनाने हेतु भारत सरकार ने हिन्दी वर्तनी की मानक पद्धति का निर्धारण किया है। यथा, विभक्ति चिह्न, सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में प्रतिपदिक से अलग लिखे जाएं, जैसे: सीता ने, पुरुष को, मुझको, पत्रिकाओं, पत्रों आदि प्रेस साहित्य में इस नियम की छूट हो, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग-अलग लिखी जाएं, जैसे लिखा करता है, जा सकता है, आदि। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात है कि मानकीकृत वर्तनी पद्धति का व्यापक प्रयोग से हिन्दी-भाषा में एक रूप वर्तनी पद्धति आ जाएगी और फिर, यह समस्या बराबर के लिए जाती रहेगी।

वाक्य रचना की समस्या

आज की द्विभाषिकता की स्थिति में जहां सरकारी कामकाज में नियम-पुस्तकों, आदेशों, रिपोर्टों, फार्मों आदि को द्विभाषी (हिन्दी—अंग्रेजी) रूप में साथ-साथ जारी करने के प्रावधान के अनुपालन में पहले तो परम्परानुसार इनका मूल अंग्रेजी में तैयार किया जाता है, फिर अनुवादक इनका हिन्दी रूपांतर करते हैं, वाक्य रचना की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। यह समस्या वस्तुतः पैदा की गई, यानी कृत्रिम समस्या है जो अनुवाद, मूलतः अंग्रेजी वाक्यों को उनके क्लाज़ों के साथ ज्यों के त्यों हिन्दी में उल्था करने से पैदा हुई है। ह्विच और ह्वेयर द्वारा जुड़े ऐसे वाक्यों के अनुवाद "यतः ऐसा करना अभिप्रेत है अतः एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है" जैसे ऊटपटांग वाक्य बनते हैं, जो भाषा को हास्यस्पद बना देते हैं। अतः इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अनुवादकों को उस भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में वह अनुवाद कर रहा है और उसे स्रोत भाषा अर्थात् जिस भाषा से अनुवाद की जा रही है उस भाषा की भी जानकारी चाहिए; ताकि वह स्रोतभाषा में व्यक्त भाव को लक्ष्य भाषा में उसी रूप में, परन्तु, लक्ष्यभाषा की प्रकृति (रचना प्रकृति) के अनुरूप ढाल सके।

पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग

हिन्दी के सरलीकरण के सम्बन्ध में अक्सर इस बात को लेकर भी हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों की आलोचना की जाती है कि वे अपने प्रशासनिक/तकनीकी आदि अनुवाद में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं कर, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रशासनिक अथवा तकनीकी साहित्य में सामान्य अभिव्यंजना के लिए आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए; परन्तु सम्बद्ध व्यवसाय, तकनीक में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं और जिनके लिए मानक पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध है उनके लिए आम प्रयोग के शब्दों का प्रयोग कतई नहीं किया जाना चाहिए। उनके लिए निर्धारित पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश न रहे। ऐसे मानक शब्दावली के प्रयोग से जब पाठक परिचित हो जाएंगे तो वे शब्द अनायास ही उन्हें सहज और सरल लगने लगेंगे। इस सम्बन्ध में डॉ. सुरेन्द्र गुप्त ने अपने निबन्ध "राजभाषा: सरलीकरण की समस्या" में लिखा है "... एक और बात कई जगह सुनने को मिलती है कि जो भाषा अनायास आप की जुबान पर आ जाए उसका ही प्रयोग किया जाए। पर यह बात सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को देखते हुए कतई व्यावहारिक नहीं लगती है। एक ज्ञापन की कुछ पंक्तियां नीचे दी जा रही हैं :

The seniority of the official will be determined as per instructions contained in para **3** of Appendix- 8 of P & T Manuals Volume IV.

एक और उदाहरण

It is enjoined upon all the above mentioned

पहले वाक्य में यदि आप सीनियॉरिटी, डिटरमिन्ड, इन्स्ट्रक्शन, अपेन्डिक्स, कनटेन्ड तथा दूसरे वाक्य में इनजाइन्ड, अपॉन ऐसे शब्द हैं जो आप के जबान पर अंग्रेजी में थिरकते हैं, तो भी आप को इतनी कठिनाई उनके हिंदी रूपांतर लिखने में नहीं होगी जितनी उन्हें ज्यों के त्यों हिंदी में लिप्यन्तरित करने में होगी। यदि यह आधार मान भी लिया जाए कि जो भाषा जबान पर थिरक जाए उसे ही प्रयोग में लाया जाए तो ठीक नहीं लगता। हिंदीवालों को छोड़कर अक्सर लोग अंग्रेजी-हिंदी मिश्रित रूप से बोलते हैं तथा उसी प्रकार सोचते, हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसी खिचड़ी (खिचड़ी) भाषा) को सरकारी कामकाज की भाषा में प्रयोग किया जाए। निश्चय ही कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। ········।"

द्विभाषिकता और रूपांतरण

हिन्दी के सरलीकरण की समस्या वस्तुतः बहुलांश में अनुवाद की देन है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं द्विभाषिकता की इस मोड़ पर, जहां अधिकांश केन्द्रीय सरकारी कागजातों को मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार कर उसका हिन्दी रूपांतर करवाया जाता है, स्रोत भाषा की अपेक्षा लक्ष्य भाषा की वाक्य रचना प्रणाली की भिन्नता तथा कभी-कभी संकल्पनात्मक शब्दों के अर्थ देने वाले लक्ष्य-भाषा में प्रतिशब्दों का अनुवादक द्वारा चुनाव न कर सकने अथवा किसी शब्द अथवा वाक्य को उसी ढांचे (स्रोत भाषा के ढांचे में रखने के अनुवादक द्वारा असफल प्रयास आदि के चलते अनूदित सामग्री इतनी ऊटपटांग एवं बेढंगी हो जाती है कि हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में नए प्रवेश-कर्ताओं को वह समझ में नहीं आती है और वे सहसा हिन्दी भाषा के प्रति ही अन्यथा धारणा बना लेते हैं। वस्तुतः कोई भी भाषा जब अभिव्यक्ति के लिए अनुवाद का सहारा लेती है तो वह अपना सौष्ठव ही खो बैठती है।

यथा Please see me today के लिए मुझसे आज मिलें कि जगह "कृपया मुझे आज देखें" अनुवाद से कैसी स्थिति बनेगी, आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं। परन्तु ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं आती। कोई अत्यन्त ही अयोग्य अनुवादक ऐसा करता है, जिसे भाषा का ज्ञान नहीं, अथवा अत्यल्प है, अथवा जो भाषा जैसे मार्मिक प्रश्न में भी सजगता नहीं बरतता।

आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को अनुवाद की कारागृह से मुक्ति दिलाएं और प्रशासन ही नहीं, विधि, प्रौद्योगिकी एवं अन्यान्य विविध शास्त्रों के क्षेत्र में मूल रूप से हिन्दी में लिखने को प्रोत्साहित किया जाए। मूल रूप से हिन्दी में लिखने से भाषा में सहज स्वाभाविक गति और बोधगम्यता अनायास ही आ जाएगी।

संस्कृतनिष्ठ हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी

हिन्दी की दुरुहता के प्रश्न को अक्सर संस्कृत से भी जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जो राजनीति से जुड़े हैं और अथवा भाषा विशेष के प्रति झुकाव या प्रत्यूर्जता (ALLERGY) रखते हैं, ऐसा कहते सुने जाते हैं कि अमुक अनुवादक अथवा हिन्दी अधिकारी बहुत कठिन हिन्दी का प्रयोग करता है। वह हिन्दुस्तानी में नहीं लिखता, संस्कृत का प्रयोग करता है। भला, ऐसी हालत में हिन्दी कैसे बढ़ेगी। ऐसे आलोचकों से मेरा पुनः निवेदन है कि वे इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सरल या कठिन भाषा नहीं होती, सरलता या कठिनता हमारी उस भाषा विशेष की जानकारी (भिज्ञता) या अनभिज्ञता पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों की बहुलता है और तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में 70 प्रतिशत से भी अधिक संस्कृत के शब्द विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अनुवादक, हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी के प्रयोग में लगे अन्य अधिकारी और कर्मचारी यदि परिपत्र, कार्यालय आदेश अथवा पत्राचार में प्रचलित संस्कृत शब्दों से निष्ठ हिन्दी का प्रयोग करें तो वह इन क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अधिक सरल और फलस्वरूप बोधगम्य होगी; परन्तु, उसकी जगह हिन्दुस्तानी यानी अरबी-फारसी की शब्दावली से बोझिल हिन्दी का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यन्त ही कठिन अर्थात दुर्बोध सिद्ध होगी। अब तो लखनऊ, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ जैसी जगहों में भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी दुर्बोध न होकर सुबोध रहेगी। अतः, सरलता का प्रश्न किसी भाषा की भिज्ञता-अनभिज्ञता से जुड़ा है और यह व्यक्ति और स्थान सापेक्ष है, अतः इसे उसी संदर्भ में देखा जाना उचित है।

विभिन्न भाषाओं के हिन्दी में प्रचलित शब्दों को ग्रहण करना

हिन्दी के सरलीकरण के सन्दर्भ में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि हमें विभिन्न भाषाओं से हिन्दी में आए शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्हें छांट-छांट कर उसकी जगह उनके बदले गढ़े नए शब्दों को जानबूझ कर ठूसने से भाषा दुरुह और बोझिल हो जाती है। इस सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के अखिल भारतीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के

शेष पृष्ठ 21 पर

समकालीन साहित्य में साहित्यिक संस्थानों की भूमिका

□ विश्वम्भर प्रसाद 'गुप्त बन्धु'*

प्रस्तुत निबंध में समकालीन साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित विधाओं की चर्चा की गई है। उनके अध्ययन, अध्यापन तथा उनमें साहित्य-सृजन की तात्कालिक आवश्यकता पर बल देते हुए साहित्यिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें अंगीकार करके वे अपना अस्तित्व सार्थक कर सकते हैं। —संपादक

साहित्य की सार्थकता

यह निश्चित है कि साहित्य समाज को सुधारने और मानवता का प्रचार करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। लोक-हितकारी होना साहित्य की सर्वप्रथम आवश्यकता है और इसी में उसकी सार्थकता भी है। किंतु अनेक साहित्य-मनीषियों की दृष्टि में 'साहित्य' शब्द के अर्थ बहुत संकुचित हो गए हैं। वे केवल कविता-कहानी, नाटक, उपन्यास, समीक्षा और ललित निबंध आदि को ही साहित्य मानते हैं। सामान्य निबंधनों के लिए कोई स्थान नहीं देते। विज्ञान विषयक या तकनीकी साहित्य कार्यालय उपयोगी साहित्य से तो दूर का रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। किन्तु यदि साहित्य मानव के लिए वास्तव में उपयोगी और हितकारी होना है तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन और कार्यालयों में नित्य प्रति होने वाला लेखन किसी दृष्टि से साहित्य के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता।

संस्कृत में विज्ञान-विषयक और तकनीकी साहित्य की कमी नहीं रही है भले ही उसका अधिकांश आजकल की बदली हुई परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता के बारे में प्रश्न-चिह्न के घेरे में आने लगा हो। फिर भी सच तो यह है कि अनेक इंजीनियरी और चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में इन विषयों से संबंधित वर्णन एवं उल्लेख आज भी जीवन्त हैं, विद्वानों को मुग्ध करते हैं, और प्रयोक्ताओं को परिणाम से चकित कर देते हैं। चिकित्सा-विज्ञान संबंधी साहित्य तो कालजयी और बेजोड़ ही है। ऐसी उपयोगी और जन-हितकारी रचनाओं को प्राचीन साहित्यकारों एवं विद्वानों ने कभी ऐसी अस्पृश्य और उपेक्षणीय नहीं समझा जैसी आज के हिंदी के विद्वान समझ रहे हैं।

*सेवा निवृत अधीक्षण अभियंता, बी-154, लोक विहार, दिल्ली

वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की आवश्यकता

हमारा जीवन अब कुछ ऐसे ढांचे में ढल गया है कि सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक हमें बहुत सी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। नहाने-धोने के लिए तेल, साबुन, कंघा, शीशा आदि खाने-पीने के लिए अन्न, पानी, सब्जी, मिठाई, नमक, घी और ठंडी अलमारी (फ्रिज), आदि, चलने-फिरने के लिए सड़क, साइकिल, स्कूटर, मोटर, रेल, जहाज आदि पढ़ने-लिखने के लिए पत्र-पत्रिका, पुस्तक, कागज-कलम-स्याही आदि; रहने-पहनने के लिए घर-द्वार, कपड़ा-लत्ता, हीटर-शीतक आदि; सोने के लिए चारपाई, पंखा, मसहरी आदि; प्रकाश के लिए दिया-बत्ती, लालटेन, बिजली की बत्ती आदि यानी जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते है, इन सबमें इनके उत्पादन करने, बनाने, गढ़ने और प्रयोग करने तक में, किसी न किसी रूप में विज्ञान और तकनीकी की जानकारी आवश्यक होती है। इसलिए लगभग सभी को यह जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, या विद्वान, खेतिहार हो या व्यवसायी, कर्मचारी हो या अधिकारी या कोई उद्योगपति ही हो। यानी वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन मानव समाज के लिए उतना ही या शायद उससे भी अधिक आवश्यक, उपयोगी और हितकारी है, जितना कोई कविता-कहानी या नाटक आदि। इसलिए ऐसे लेखन को साहित्य की श्रेणी में रखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सामयिक आवश्यकता पूरी करने वाले इस लेखन को सच्चे अर्थों में समकालीन साहित्य की एक विधा की मान्यता मिलनी ही चाहिए।

विज्ञान-लेखन की दुरव्यवस्था

हिंदी के वयोवृद्ध विद्वान पं. श्री नारायण चतुर्वेदी दो टूक बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक "आधुनिक हिंदी का आदिकाल' (1857-1908)" के पृष्ठ 243 पर लिखा है: "साहित्य देवता को हाथ-पैर और जीवनी शक्ति देने के लिए सर्जनात्मक साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान, नाना प्रकार के संदर्भ-ग्रंथों की आवश्यकता होती है। इन सबका बीज—वपन आदिकाल में हो गया था। किंतु दुर्भाग्य से हमारे साहित्य का एकांगी विकास हुआ। ··· हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की अच्छी पुस्तकों के अभाव के अनेक कारण हैं, किंतु उनमें एक बड़ा कारण यह है कि हमारे साहित्य-जगत में उनके लेखकों का समुचित आदर नहीं है।" आजकल यद्यपि विज्ञान विषयक और तकनीकी साहित्य की हिंदी में वैसी कमी नहीं है, किंतु हिंदी-साहित्य के धुरंधरों द्वारा इनके लेखकों को समुचित मान्यता देने के बारे में स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ हैं।

करनाल (हरियाणा) के एक उत्साही कृषि वैज्ञानिक श्री आर. डी. गोयल का कहना है कि "हमारी मातृ-भाषा हिंदी के भी दो पैर है —साहित्यिक और वैज्ञानिक। मां के एक पैर वैज्ञानिक हिंदी में असह्य पीड़ा है, और आप सभी दूसरे ठीक पैर अर्थात साहित्यिक हिंदी की सेवा में लगे हैं। फिर मां ठीक कैसे चलेगी? ···· यदि आप हिंदी मां को ठीक प्रकार से चलाना चाहते हैं तो अपने वैज्ञानिक भाइयों को भी साथ लेकर उनके सहयोग से हिंदी को वैज्ञानिक स्तर तक लाकर मां के दूसरे पैर का दर्द ठीक करें।" इस संदर्भ में निवेदन है कि आज हिंदी में विद्वान सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान के साहित्य का सृजन कर रहे हैं किंतु उनके लेखन का समुचित प्रकाशन नहीं हो रहा। इस पर आगे फिर से विचार किया जाएगा, किंतु यह सुनिश्चित है कि यदि हम विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा-दीक्षा और प्रयोग, यानी प्रकारांतर से वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के प्रति उदासीन रहेंगे, तो इक्कीसवीं सदी आने पर भी हम भारत को सोलहवीं सदी में ढकेल ने के दोषी होंगे और इसके लिए भावी पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी।

कार्यालय-उपयोगी साहित्य

स्वतंत्र भारत के मनीषियों ने एक लोक-कल्याणकारी राज्य का ढांचा अपनाया है। इसलिए शासन का सांविधानिक उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। वह उत्तरदायित्व निभाने के लिए सरकार की गतिविधियां और उन्हें संचालित करने वाला कर्मचारी वर्ग भी अब किसी पुराने ज़माने की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। सरकारी काम करना सदा से ही विशेष प्रतिष्ठाजनक भी समझा जाता रहा है। फलस्वरूप अब तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही सरकार में या किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नौकरी प्राप्त करना रह गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो लोग कार्यालयों में काम करते हों उन्हें उस विशेष प्रकार के काम की अच्छी जानकारी हो। ऐसी जानकारी देने वाला लेखन कार्यालय-उपयोगी साहित्य कहा जा सकता है और यह जनसंपर्क के लिए जनता की भाषा में ही उपलब्ध होना चाहिए। यह भी साहित्य की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि जनता के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए इसकी उपयोगिता और हितकारिता विवाद-रहित है। यद्यपि यह अपेक्षाकृत एक नई विधा है, किंतु किसी भी दृष्टि से कछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, और उपेक्षणीय तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि इस संबंध में कोई प्रयत्न नहीं हुए। केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली ने कार्यालय-उपयोगी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित की हैं किंतु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

विज्ञान-लेखन की भांति ही कार्यालय उपयोगी साहित्य पर भी एक विशेष दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। देश की अधिसंख्य जनसंख्या वाले राज्यों की भी घोषित राजभाषा हिंदी ही है। इसलिए इसके लिए भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप होना अत्यंत आवश्यक है।

सरकार का योगदान

विज्ञान-विषयक एवं तकनीकी साहित्य और कार्यालय-उपयोगी साहित्य की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने अपना दायित्व निभाने का भरसक प्रयास किया है। इन दृष्टियों से हिंदी को समृद्ध करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखवाई हैं। अनेक पुरस्कार स्थापित किए हैं। कार्यालयीन साहित्य का अनुवाद हिंदी में कराया है। भारत सरकार में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग है जिन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लाखों पारिभाषिक शब्द बनाए हैं और सैकड़ों पस्तकें प्रकाशित की हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के पूर्व अध्यक्ष एवं बहुभाषाविद् डा. एम. मलिक मुहम्मद ने 1989 में तिरुवनन्तपुरम् में हुई तिरुवनन्तपुरम् में हुई एक गोष्ठी में घोषणा की है कि "भारत की भाषाएं आज इतनी समृद्ध हो गई हैं कि नई पीढ़ी को वैज्ञानिक और तकनीकी विषय की शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर तक भारतीय भाषाओं में दी जा सकती हैं।

साहित्यिक संस्थाओं का कर्त्तव्य

हिंदी जनता की भाषा है और जनता के प्रयासों से ही फली-फूली हैं। यह कभी भी सरकारी पयासों की मोह-

ताज नहीं रही। अब तक सरकार के अधिकतर प्रयास इसी दिशा में होते रहे हैं कि सारे देश में भाषायी एकता और भाषा का एक ही रूपता संपन्न हो सके। सरकार तो अपना सांविधानिक दायित्व निभा रही हैं, किंतु किसी भी भाषा को समृद्ध करना विद्वानों का और स्वतंत्र चिंतकों का काम होता है। इसी उद्देश्य से हिंदी के अनेक साहित्यिक संस्थान चल रहे हैं। उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त साहित्य का सृजन करें और अपनी भाषा समृद्ध करें। यह भी सामान्य अनुभव की बात है कि अनेक परिस्थितियों में अ--सरकारी प्रयास ही अधिक असरकारी सिद्ध होते हैं। समकालीन साहित्य के उन्नयन, प्रचार और प्रसार में साहित्यिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसमें नई-नई जनोपयोगी विधाओं का समावेश करके और उनका प्रचार-प्रसार भी उन्हीं के प्रयासों से ही भली-भांति हो सकता है। सरकारी सहायता निस्संदेह ली जा सकती है। इस दृष्टि से साहित्यिक संस्थानों के लिए कुछेक कार्यक्रम यहां सुझाए जा रहे हैं।

(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी और कार्यालय-उपयोगी साहित्य का प्रकाशन

ऊपर चर्चा हो चुकी है कि सरकार अनेक पुरस्कार योजनाएं चला रही है। इनके अंतर्गत अच्छी पांडुलिपियों पर भी पुरस्कार दिए जाते हैं, किंतु उनके प्रकाशन की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं होती। बेचारे लेखक ही, पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से, पुस्तक की दो-चार सौ प्रतियां छपवाकर प्रस्तुत कर देते हैं। अधिक छपवाना न उनकी सामर्थ्य में होता है न उनके पास उनकी बिक्री की ही कोई व्यवस्था होती है। इस प्रकार साहित्य-सृजन का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। साहित्यिक संस्थानों को अच्छी-अच्छी वैज्ञानिक एवं तकनीकी और कार्यालय उपयोगी रचनाएं प्रकाशित करने का काम भी अपने हाथ में लेकर अच्छे लेखकों की सहायता करनी चाहिए।

(ख) संगोष्ठियां

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के और कार्यालय-उपयोगी साहित्य पर समय-समय पर संगोष्ठियां की जाएं और विद्वानों से उत्तम निबंध-पत्र लिखवाए जाएं। फिर उनके प्रकाशन की व्यवस्था भी की जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 1989 में ऐसी एक संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें प्रस्तुत निबंध विज्ञान परिषद् प्रयाग की अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान परिषद् स्वयं भी ऐसी गोष्ठियां आयोजित करती रहती है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है। कार्यालय उपयोगी साहित्य पर केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने बहुत काम किया है। परिषद् द्वारा समय-समय पर इस विषय पर गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। अन्य संस्थानों को भी इनका अनुकरण करना चाहिए।

(ग) शिक्षा परीक्षा का माध्यम

शिक्षा के माध्यम के रूप में सरकार के प्रयत्न अभी पर्याप्त प्रभावशाली नहीं हुए। शिक्षा से संबंधित सभी संस्थानों को इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए और माध्यम के रूप में हिन्दी अपनाकर वास्तविक राष्ट्र-सेवा का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जो संस्थान केवल परीक्षा लेते हैं, उनका इस संबंध में विशेष दायित्व है। वे परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाएं घोषित करके शिक्षा के माध्यम-परिवर्तन के संकल्प को बल प्रदान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों ने 1967 में सर्व-सम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी ली जाया करें। जनवरी 1968 में यह राजपत्र में प्रकाशित भी हो चुका है। किंतु विगत दो दशकों में इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। यदि परीक्षा लेने वाले संस्थान इस दिशा में पहल करें तो लोक-सेवा आयोगों को मार्गदर्शन हो सकेगा और अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता समाप्त करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का कल्पित भय उन्हें न सताएगा।

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी परीक्षाएं लेने वाली संस्था है और हिंदी माध्यम से परीक्षाएं संचालित करती है। आयुर्वेद की मध्यमा और उत्तमा परीक्षाएं हिंदी माध्यम से ली जाती हैं। विज्ञान संबंधी अन्य परीक्षाओं की भी व्यवस्था उसे करनी चाहिये।

इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) इंजीनियरी की बहुत पुरानी चार्टर-प्राप्त संस्था है जिसे अखिल भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। इस समय इसके पचास-साठ हजार अंतरंग सदस्य और लगभग इतने ही छात्र-सदस्य देश भर में सर्वत्र फैले हैं। यह इंस्टिट्यूशन इंजीनियरी की स्नातक-स्तरीय परीक्षा लेता है जिसके तीन भाग, 'ए', 'बी' और 'सी' हैं। 'ए' और 'बी' भागों के लिये हिंदी के वैकल्पिक माध्यम की छूट कुछ शर्तों के अधीन दी जा चुकी है। भाग 'सी' के लिये भी यह छूट शीघ्र दी जानी चाहिए।

परीक्षा लेने वाले अन्य संस्थान भी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम की छूट दें और विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की परीक्षाएं भी आयोजित करने की व्यवस्था करें।

(घ) पुरस्कार

हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत-भारती पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और भी अनेक पुरस्कार और सम्मान तथा मानद उपाधियां विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं किन्तु विज्ञान-विषयक और तकनीकी साहित्य पर ये पुरस्कार कभी दिए जाते नहीं सुनें। पुरस्कर्ता संस्थानों के विद्वान पारखी खुले दिल से

विज्ञान-विषयक एवं तकनीकी साहित्य की उपयोगिता, आवश्यकता और सामयिकता स्वीकार करने की उदारता दिखाएं और अन्य किसी विधा के समान इसे भी विचारणीय कृतियों में स्थान दें।

प्रयोजन-मूलक हिंदी

समकालीन साहित्य पर इतना कुछ कहने के पश्चात् भाषा के बारे में भी कुछ निवेदन करना असंगत न होगा। समकालीन साहित्य की भाषा की यह अपेक्षा है कि उसका स्वरूप अखिल भारतीय हो, अर्थात् उसका प्रयोग भारत में सुविधापूर्वक सर्वत्र हो सके, और सभी उसे अपनी ही भाषा कहने में गौरव अनुभव करें। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य और कार्यालय-उपयोगी साहित्य के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक है। ऐसी भाषा प्रयोजन-मूलक भाषा कही जाती है।

हिंदी सदियों से राष्ट्रभाषा रही है। सभी राज्यों के विद्वानों ने, संतों-साधुओं ने, विचारकों-दार्शनिकों ने इसे अंगीकार किया और समृद्ध किया है। इसकी सरलता, सुबोधता और वैधानिकता पर संसार मुग्ध है। हिंदी में गंभीर भाव और सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भली-भांति व्यक्त हो सकते हैं और हो रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में इसका तीसरा (और कुछ विद्वानों के अनुसार दूसरा) स्थान है। इसमें विश्व-भाषा बनने की क्षमता है।

यह संक्रांति-काल है। इसलिए हमें अपनी राष्ट्र-भाषा को ऐसा स्वरूप देना चाहिए जिससे वह सच्चे अर्थों में अखिल राष्ट्र की अपनी भाषा कही जा सके और राष्ट्रीय एकता संपन्न करने में सार्थक योग दे सके। इस कसौटी पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोग के लिए संस्कृत आधार के तत्सम और तद्भव शब्दों वाली हिंदी ही खरी उतरती है, क्योंकि पूर्वांचल और दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। भाषा के ऐसे ही स्वरूप की भारतीय संविधान में भी व्यवस्था है, जैसा आगे स्पष्ट किया जाएगा।

हिन्दी अपेक्षित स्वरूप

प्रयोजन-मूलक हिंदी हम उसे ही कहेंगे, जो देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र प्रयोग की जा सके। मुसलमानी शासनकाल में अरबी-फारसी के और अंग्रेजी-शासन काल में अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के बहुत से शब्द आत्मसात् हो गए हैं। ऐसे विदेशी शब्द, जो भाषा में घुल-मिल गए हैं, निकाल बाहर करने की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु धर्म-निरपेक्षता या जातीय-एकता का बहाना बनाकर न तो विदेशी भाषाओं के अप्रचलित शब्द ठूंस-ठूंसकर कोई कृत्रिम भाषा गढ़ना आवश्यक है, और न शुद्धीकरण का अत्युत्साह दिखा-कर भाषा को अनावश्यक रूप से क्लिष्ट और बोझिल बनाना ही उचित है। भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए संविधान में दी हुई व्यवस्था के अनुसार यह मार्ग-दर्शक सिद्धांत निश्चित किया है कि जो भाव प्रकट करने के लिए हिंदी में शब्द नहीं हैं, उसके लिए यदि अन्य किसी भारतीय भाषा में कोई शब्द प्रचलित है तो वही अंगीकार कर लिया जाए और यदि किसी भारतीय भाषा में उपयुक्त सरल शब्द है ही नहीं तो संस्कृत आधार पर नया शब्द गढ़ लिया जाए। यह अत्यन्त व्यावहारिक और उदार पद्धति है जिसका आश्रय लेते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने सालों परिश्रम करके सभी भारतीय भाषाओं के विद्वानों के सहयोग से लगभग आठ लाख पारिभाषिक शब्द बनाए हैं। इस नियम के पीछे भावना यही है कि जो भी नए शब्द हिंदी में आएं, वे सारे भारत में सभी भाषा-भाषियों द्वारा समान रूप से समादृत और अंगीकृत हों, और हिंदी के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं में भी सरलता से प्रयोग किए जा सकें।

विदेशी भाषाओं के शब्द, जो हिंदी से रच-पच गए हैं, स्वीकारने ही होंगे, किंतु उनके प्रयोग में सावधानी अवश्य रखनी होगी। संधियां और समास भाषा में लालित्य उत्पन्न करते हैं और रस-सृष्टि करने में सहायक होते हैं, किंतु हम 'अक्लमंद' की जगह 'बुद्धिमंद' नहीं कह सकते। अंग्रेजी का 'कार' शब्द भी मोटर के बजाय बोल-चाल में अधिक आने लगा है, किंतु दवाखाना, मवेशीखाना और 'पागलखाना' आदि का अनुकरण कर 'मोटरखाना' (मोटर-घर या गैरेज) के अर्थ में 'कारखाना' का प्रयोग करना उचित न होगा। इस प्रकार हमें अपनी भाषा को भ्रामक या भूल-भुलैया बनने में से बचाना चाहिए। शब्दों के प्रयोग में और वाक्य-विन्यास आदि में भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो भाषा कृत्रिम, दुरुह या अर्थहीन हो जाएगी और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।

अंग्रेजी में व्याकरण हम केवल दसवीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं। उसी की देखा-देखी हिंदी में भी व्याकरण को तिलांजलि देने में हम गर्व अनुभव करने लगे हैं। फलस्वरूप हमारी भाषा में अराजकता घर करती जा रही है। कहीं 'दही खट्टा है' तो कहीं वही 'दही खट्टी हो जाती है'। 'राम' को 'रामा', 'कृष्ण' को 'कृष्णा', 'गुप्त' को 'गुप्ता' और 'मिश्र' को 'मिश्रा' लिखने वाले सज्जन यह भूल जाते हैं कि थोड़ी असावधानी के कारण वे पुंलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। हिंदी संस्कृत की पुत्री है। संस्कृत में व्याकरण एक शास्त्र माना जाता है जिसका अध्ययन करके ऊंची से ऊंची उपाधि भी प्राप्त की जा

. . . शेष पृष्ठ 48 पर

अंग्रेजों के शासनकाल में हिन्दी

□डॉ. रामबाबू शर्मा*

जिस प्रकार राजपूत, मुगल और मराठों के राजकाज की भाषा हिंदी थी उसी प्रकार अंग्रेजों ने अपना राजकाज हिंदी भाषा के माध्यम से प्रारम्भ किया । जब कम्पनी के अधिकारियों ने भारत की राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया तो उनके सामने सामान्य रूप से कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न थे जिनका उचित समाधान प्रस्तुत करने पर ही उन्हें प्रशासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो सकती थी । इन प्रश्नों में से कम्पनी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के कामकाज की भाषा का था । कम्पनी के अधिकारी यह भली-भांति जानते थे कि भाषा का प्रश्न किसी भी प्रशासन के सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न होता है । फिर एक ऐसे देश में जहां पहले से ही एक समृद्ध भाषा के रूप में व्यवहृत होती हो तथा जिस भाषा के माध्यम से वहां की जनता सदियों से अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक अभिव्यक्ति करती आ रही हो वहां अकस्मात ही एक विदेशी भाषा का प्रशासन में प्रयोग कर देना अपने लिए एक नई परिस्थिति उत्पन्न करना तथा अपने कार्य में अवरोध उपस्थित कर देना था । अतएव प्रारम्भ में कम्पनी सरकार ने अपनी राजभाषा संबंधी नीति यथावत रखी और अपना राजकाज हिंदी भाषा के माध्यम से संचालित किया । परिणामस्वरूप वे तत्कालीन देशी राजाओं, किसानों व्यापारियों आदि के मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करा सकें । यह बात नितान्त सत्य है कि यदि कम्पनी सरकार अपनी भाषा नीति में उदारता न बरतती तो जो क्रान्ति उनके विरोध में 1857 में हुई, वही क्रान्ति बहुत पहले हो जाती, और संभवतः अंग्रेजों के पैर तभी भारत से उखड़ जाते । यद्यपि अंग्रेजों के प्रशासन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होने लगा था तथापि वे अन्दर ही अन्दर हिन्दी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते रहे थे । उन्होंने "होम" विभाग के अन्तर्गत एक 'तर्जुमा महकमा' की स्थापना की थी जो जन साधारण संबंधी सूचना तथा सरकारी आदेशों का हिन्दी भाषा में अनुवाद करता था । देशी नरेशों द्वारा गवर्नर जनरल को लिखे जाने वाले हिन्दी पत्रों तथा गवर्नर जनरल द्वारा देशी नरेशों को भेजे जाने वाले अंग्रेजी पत्रों के अनुवाद अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में करने की व्यवस्था थी । इस प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था, सुपरिन्टेंडेन्टों, पोलीटीकल, एजेंटो, गवर्नर जनरल तथा रेसीडेंटों के कार्यालयों में थी।

अंग्रेज शासकों की मान्यता थी भारत में प्रशासन को अधिक लोकप्रिय, सफल और सरल बनाने के लिए यहां की अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय भाषा हिंदी के व्यवहार की आवश्यकता है । जब तक प्रशासन वर्ग प्रशासित जनता के धर्म, संस्कृति, समाज व्यवस्था, इतिहास आदि की भाषा से परिचित नहीं होता वह सम्बद्ध जनता पर अपना प्रशासन स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता। कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार ने इन पक्षों पर विचार किया और इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखकर उन्होंने सिविल अधिकारियों के लिए हिंदी बंगला आदि भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था इंग्लैंड तथा भारत (फोर्ट विलियम कालिज) में की। बाद में अंग्रेजों की राजभाषा संबंधी नीति में जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसका मुख्य कारण अंग्रेजी के पक्षधर कतिपय भारतीय नेता भी थे। यद्यपि जिस प्रकार के सरकारी हिंदी पत्रों का प्रयोग मुगल और मराठों के प्रशासन में होता था और वे पत्र यथावत अंग्रेजी प्रशासन में भी व्यवहृत होते रहे, तथापि उन्होंने कुछ इस प्रकार के पत्रों का भी प्रयोग हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रारम्भ किया जो प्रकृति, परम्परा और पद्धति की दृष्टि से अंग्रेजी पूरक थे। शनैः शनैः ऐसे पत्रों का भारतीयकरण होता गया और वे भारतीय प्रशासन के अंग बन गये । इस प्रकार उनके राजकाज में प्रयुक्त होने वाले पत्रों में अर्जी, जमानत पत्र, अदालती कार्यवाही, शर्तनामा, कबूलनामा, सनद, दस्तक, कोलनामा, अहदनामा, मुख्तारनामा, हुक्मनामा नोट (फाइल) डेमी ओफिशियल (डी.ओ.) राजीनामा, पैमाइश नक्शा, याददास्त, फेहरिस्त, कैफियत, दरख्वास्त हिसाब, खसरा एवं फरद आदि पत्र उल्लेखनीय हैं।

कम्पनी प्रशासन के कचहरी की कार्यवाही में हिंदी

मोहर

नाम तुम्हार केआ है.	आत्मा राम
कहां रहता है या केआ काम करता है।	बोरनुम मां रहते हैं वो कलकतर उश जोले के है।

*सी-2/136, श्री रामा निकेतन, जनकपुरी, नई दिल्ली

जीले वीहार मो कोश वाशते आए हव	तीन्ह के हम चपराशी हैं सरकार के काम वाशते आए हैं।
कवन सरकार कोशि वाशते आए थे।	तलव चीठी बनाम राजा राम के जीला वीर भूम के कलक्तर के दशखत शे लाए थे।

(1) प्राचीन हिन्दी पत्र संग्रह से (डा. धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी

अंग्रेज शासक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्बद्ध राष्ट्रों के साथ हिन्दी में ही पत्र व्यवहार करते थे। नेपाल के साथ उनका पत्र-व्यवहार हिन्दी भाषा के ही माध्यम से होता था। कम्पनी सरकार द्वारा 20 मई 1814 को एक घोषणा-पत्र नेपाल के राजा के नाम जारी किया गया था जिसमें न्यायिक जांच के आधार पर विवादास्पद क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार के अधिकार की सूचना दी गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार वहां सेनाएं तैनात करने के लिए बाध्य थी।

यह पत्र हुकम इश्तहार के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसमें हिन्दी की खड़ी बोली का व्यवहार किया गया है। भाषा उर्दू तथा फारसी की ओर अधिक झुकी हुई है। दस्त, अन्दाजी आइन, इन्साफ, अजमतदारी, तेहकिकात, दलील सरफत आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

नेपाली से प्रभावित हिन्दी भाषा का एक अन्य पत्र देखिए इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि नेपाली सेना के सेनापति को बन्दी बनाया गया था तथा अत्यन्त कठिनाई के साथ मेजर की अनुमति से यह परवाना भेजा गया था। इसमें नेपाली की सहायक क्रियायें छ: छेन आदि का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तद्भव शब्दों का बाहुल्य भी पाया जाता है।

"सदरिप्रभृति षेते मा आ मचक्री[1] कैद मा परया"। फोज दीन प्रदीन थपीन लाग्यों रहे छ:।

सीमा विवाद के सम्बन्धों में गवर्नर जनरल को लिखे हुए एक अन्य पत्र के अंश की भाषा देखिए।

"इस वास्ते माफीक हुकूम जूनों आव गोरनर जनरल बहादुर दाम एकवाल हुके तमाम तएह मीलों हुआ सरहद सरकार चंपारन के जो कब्जे राजे, नेपाल के था सो वीच कब्जे सरकार कम्पनी अंगरेज बहादुर के दरवाजा।"

राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा प्रशासन सम्बन्धी हिन्दी सामग्री

अंग्रेजों के राजकाल से सम्बद्ध हिन्दी सामग्री भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इस प्रकार के ऐसे हजारों दस्तावेज इस अभिलेखागार में सुरक्षित हैं जिनका सम्बन्ध देशी राज्यों की सीमाओं के परस्पर झगड़े और उनके समझौते, गवर्नर जनरल के राजाओं को आदेश तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल के एजेंट पोलिटीकल सुपरिटेण्डेंट आदि से है। इन पत्रों के माध्यम से तत्कालीन राजकाज सम्बन्धी हिन्दी वाक्य, शब्द, पत्र, लेखन पद्धति एवं अभिव्यक्ति का पता लगता है। अंग्रेज तथा देशी राजाओं और नवाबों के बीच प्रायः हिन्दी भाषा के माध्यम से ही पत्राचार होता था। इन पत्रों की लेखन पद्धति में भारतीय परम्पराओं के पालन के साथ-साथ तत्कालीन अंग्रेजी परम्पराओं के प्रभाव की झलक भी दिखाई पड़ती है।

भाषा

जहां एक ओर भारत की राजनीति तथा प्रशासनिक परिस्थितियों में परिवर्तन तथा संघर्ष चल रहे थे, वहां दूसरी ओर भाषा क्षेत्र में आन्तरिक क्रान्ति हो रही थी। अकबर से लेकर औरंगजेब के समय तक ब्रजभाषा की जो मान्यता राजदरबार एवं राजकाज के कार्यों में रही वह बाद में धीरे-धीरे घटती गई। दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली प्रशासन और साहित्य के अधिक निकट आने लगी। तत्कालीन प्रशासन में प्रचलित फारसी अरबी के शब्द खड़ी बोली में अधिक उदारता-पूर्वक आत्मसात होने लगे। इस कालखंड की राजभाषा में सद्भावात्मक शब्दों की बहुलता, यत्र तत्र संस्कृत के तत्सम शब्दों का छींटा, राजस्थानी, व्रज आदि बोलियों का प्रभाव अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग पाया जाता है:

उदाहरणार्थ

"लषमीचन्द्र घोड़ा कुछ षोफ सरकार का नाही रफता है इरादा फीसाद का सरकार सोरपते है उनको कुछ षोफ नहीं है।"[3]

राजस्थानी

"इसमें घड़ा दंगा होने का वष्त है"।

देशी रियायतों में स्थित गवर्नर जनरल के एजेंटों के कार्यालयों में हिन्दी अनुवाद की पूर्ण व्यवस्था थी। यह कार्यालय देशी नरेशों द्वारा गवर्नर जनरल को हिन्दी में लिखे हुए खरीतों के साथ उनके अनुवाद की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर भेजता था तथा इसी प्रकार गवर्नर जनरल द्वारा राजाओं की अंग्रेजी में भेजे हुए पत्रों का हिन्दी अनुवाद भी भेजता था।

......शेष पृष्ठ 23 पर

1–3. हिंदी भाषा का राजभाषा में प्रयोग (शोधग्रंथ)

सामाजिक उत्थान म परमाणु विद्युत् का योगदान

☐दिलीप भाटिया*

रोटी, कपड़ा व मकान हमारे समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समाज के उत्थान व अनवरत उन्नति के लिए कई अन्य स्रोत, शक्तियों व आधारों की आवश्यकता होती है। इन सबके लिए प्राथमिक आवश्यकता बिजली की होती है। आज के समाज के लिए विद्युत् विलासिता नहीं रह गई है। आज बिजली हमारे दैनिक जीवन का अंग व मूल आवश्यकता हो गई है। हमारे घरों के अधिकांश उपकरणों के लिए आज बिजली की आधारभूत आवश्यकता है। सामाजिक उत्थान, प्रगति व विकास के लिए जिन पदार्थों का अनुसन्धान व निर्माण होता है, उन कल-कारखानों में इनके उत्पादन के लिए जो उपकरण काम में आते हैं, इन सब को चलाने के लिए विद्युत-शक्ति तो परम आवश्यक है। कृषि में भी आज विद्युत् शक्ति प्रवेश कर चुकी है। गांव में छोटे घर में भी आज टेबल-फेन व कहीं-कहीं पर छोटा श्वेत-श्याम दूरदर्शन सेट देखा जा सकता है। विकास की राह पर चलते हुए आज हम अविकसित युग से इतना अधिक आगे आ चुके हैं कि जहां हम बिजली के बिना जी नहीं सकते। हो चुके विकास को कायम रखने व आगे भी विकास की ओर अग्रसर होने के लिए, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के लिए व बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता के लिए, निश्चय ही हमें अतिरिक्त विद्युत् की आवश्यकता है।

हमारे देश में विद्युत्-शक्ति की आवश्यकता प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ती जा रही है, जो हमारे अनवरत विकास व प्रगति का प्रमाण है। सन् 1950 में 2300 मेगावाट बिजली बनती थी, जो बढ़कर 1985 में 43543 मेगावाट हो गई थी। इसमें ताप बिजली घरों का योगदान 63 प्रतिशत, पन बिजलीघरों का 34 प्रतिशत व शेष 3 प्रतिशत परमाणु बिजलीघरों का रहा है। आज सन् 1990 में हमारा विद्युत् उत्पादन 60000 मेगावाट है। अगले 10 से 15 वर्षों में इतनी ही बिजली की आवश्यकता होगी। सन् 2005 तक हमें 1,40,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, हमारी अतिरिक्त आबादी, प्रगति व विकास के लिए।

विद्युत् उत्पादन के व्यावसायिक परम्परागत साधनों की कुछ कठिनाईयां व सीमाएँ हैं। हालांकि हमारे देश में 15800 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं, पर इनका 75 प्रतिशत भाग बिहार, उड़ीसा, व पश्चिमी बंगाल में छोटे से क्षेत्र में ही केन्द्रित है। यह भी अगर योजनाबद्ध व नियंत्रित तरीकों से सदुपयोग नहीं किया गया, तो अगले 150 वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा।

पनबिजलीघर-भंडार की क्षमता 84000 मेगावाट आंकी गई है, पर अभी तक इसका 12 प्रतिशत ही विकसित होकर प्रयोग में आ रहा है व अगले 6 प्रतिशत का उपयोग शीघ्र हो सकेगा, ऐसा दूसरा चरण का कार्य चल रहा है। विशाल धन-राशि व जनसंख्या को पुर्नवासित करना इस क्षेत्र की मूल समस्याएं हैं।

इस प्रकार, उन्नति व विकास के लिए हमें एक ऐसे तीसरे साधन की आवश्यकता है, जो शक्तिशाली, सक्षम, सुरक्षित व प्रदूषण-रहित ऐसा हो, जिसके उपयोग में हम आत्मनिर्भर व तकनीकी रूप में समर्थ हों व इस विशाल अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। इन सब कसौटियों पर परमाणु-शक्ति पूर्ण रूप से खरी उतरती है। यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हमारे देश में 70,000 टन यूरेनियम व 3,60,000 टन थोरियम के भण्डार हैं। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस परमाणु शक्ति का योजनाबद्ध नियंत्रित, सुरक्षित व प्रदूषण-रहित तरीकों से सदुपयोग करके इससे विद्युत्-उत्पादन कर सकते हैं। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ने सन् 2000 तक के लिए 10,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह हमारा राष्ट्र को दिया हुआ एक वचन है, जो हमारा अंशदान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर देगा। परमाणु ईंधन का योगदान ताप व पन बिजलीघरों को सहारा देगा व उन का भार कम करने में सहायक होगा। तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान), कल्पक्कम् (तमिलनाडु) व नरोरा (उत्तर-प्रदेश) के परमाणु बिजलीघरों से विद्युत उत्पादन हो रहा है। आने वाले वर्षों में नरोरा की दूसरी इकाई, कांकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), रावतभाटा विस्तार, तारापुर विस्तार व कुन्दनकुलम की अतिरिक्त इकाईयां इनमें अपना योगदान देकर लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी। हमारे बिजलीघरों की उत्तम क्षमता, विशेषकर राजस्थान परमाणु बिजलीघर की दूसरी इकाई के कीर्तिमान, जिसने कई देशी व विश्व-रिकार्ड स्थापित किए हैं, हमारी सक्षमता का परिचायक हैं व राजस्थान व उत्तर भारत में बिजली की कमी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली योगदान

...पृष्ठ 46 पर जारी

*राजस्थान परमाणु बिजलीघर, अणुशक्ति-323303 (कोटा-राज)

हिंदी और तमिल की रिश्ते-नाते संबंधी शब्दावली

—डा. नरेन्द्र कुमार शर्मा (हिन्दी)*
तथा
पी. रमा. (तमिल)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाज में रहने के नाते उसे विचार-विनिमय भी करना पड़ता है। यह विचार-विनिमय दो प्रकार का हो सकता है मौखिक और लिखित यानि बोलकर और लिखकर विचार-विनियम से ही मनुष्य समाज का सभ्य प्राणी कहलाता है। सभ्य-असभ्य का पता उसके व्यवहार से चलता है । चूंकि मनुष्य समाज में रहता है इसलिए 'रिश्तेदार' बनना स्वाभाविक-सा है । रिश्तेदार को अंग्रेजी में 'रिलैशन' और तमिल में अविनिर कहा जाता है। इस लेख में हिन्दी व तमिल की शब्दावली की तुलना चार्ट पद्धति से की गई है ।

हिंदी	तमिल		अर्थ
पिता	तन्दै/अप्पा	—	जन्म देने वाला
माता	ताय	—	जन्म देने वाली
अम्मा	अम्मा	—	जन्म देने वाली
भाई (सहोदर)	सगोदरन	—	पिता की संतान पुत्र होने पर
बहन (सहोदरा)	सगोदरि	—	पिता की संतान पुत्री होने पर
बड़ा भाई	अण्णन्	—	पिता का बड़ा पुत्र। भाई से बड़ा
बड़ी बहन	अक्काक्	—	पिता की बड़ी पुत्री। बहन से बड़ी
छोटा भाई	तंबि	—	पिता का छोटा पुत्र। भाई से छोटा
छोटी बहन	तंगै	—	पिता की छोटी पुत्री। बहन से छोटी
चाचा	शित्तप्पा	—	पिता का छोटा भाई
चाची	शित्ति	—	पिता के छोटे भाई की पत्नी
ताया	पॅरियप्पा	—	पिता का बड़ा भाई
ताई	पॅरियम्मा	—	पिता के बड़े भाई की पत्नी
बड़ा ताया	पॅरियपॅरियप्पा	—	पिता का बड़े से बड़ा भाई
बड़ी ताई	पॅरियपरियम्मा	—	पिता के बड़े से बड़े भाई की पत्नी
फूफा	अत्तिम्बैर	—	पिता की बहन का पति
फूफी	अत्तै	—	पिता की बहन
छोटा ताया	चिन्न पॅरियप्पा	—	पिता का बड़े से छोटा भाई
छोटी ताई	चिन्न पॅरियम्मा	—	पिता के बड़े से छोटे भाई की पत्नी
मामा	मामा	—	माता का भाई
मामी	मामि	—	माता के भाई की पत्नी
साला	मैंलुनन/मच्चनन्	—	पत्नी का भाई

*हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास

साली	मैत्कनि/मच्चनि	—	पत्नी की बहन।
मौसा	चित्तप्पा (शिरियतायारिन कणवन्)	—	माता की बहन का पति।
मौसी	चित्ति	—	माता की बहन जिसे उस के बच्चे मौसी कहते है।
नाना	तात्ता	—	माता के पिता।
नानी	पाट्टि	—	माता की मां।
दादा	तात्ता	—	पिता के पिता।
दादी	पाट्टि	—	पिता की मां।
भाई	सगोदरन्	—	पिता की संतान पुत्र होने पर।
भाभी	अण्णि/मदनि/मन्नि	—	भाई की पत्नी।
वर	कणवन्	—	लड़का जिसकी शादी हुई हो। नया शादी शुदा।
वधु	मनमकेक्	—	लड़की जिसकी शादी हुई हो। नई शादी शुदा।
पत्नि	मनैवि/इल्लाक्	—	लड़के की वहू।
पति	कणवन्	—	लड़की के घरवाला /पति।
दुल्हा	मनमगन्	—	नया शादी शुदा लड़का।
दुल्हिन	मणप्पेण्	—	नई शादी शुदा लड़की।
ज्येष्ठ	मैत्तुनर	—	पिता का बड़ा भाई। जिसे उसके छोटे भाई की पत्नी ज्येष्ठ कहती है।
जेठानी	ओर्प्पड़ि	—	पिता के बड़े भाई की पत्नी।
देवर	काकुंदन/मैत्तुनन्	—	पिता का छोटा भाई। जिसे उसकी पत्नी देवर कहती है।
देवरानी	ओर्प्पडि	—	पिता के छोटे भाई की पत्नी। जिसे उसकी पत्नी देवरानी कहती हैं।
बड़ा भांन्जा	पॅरियमरुमगन्	—	पिता की वहन का बड़ा लड़का। जिसे पिता बड़ा भान्जा कहते हैं।
बड़ी भान्जी	पॅरिय मरुमगक्	—	पिता की बहन की बड़ी लड़की। जिनसे पिता बड़ी भान्जी कहते हैं।
छोटा भान्जा	चिन्न मरुमगन्	—	पिता की बहन का छोटा लड़का। जिसे पिता छोटा भान्जा कहते हैं।
छोटी भान्जी	चिन्न मरुमगक्	—	पिता की बहन की छोटी लड़की। जिसे पिता छोटी भान्जी कहते हैं।
दामाद	माप्पिक्कै	—	पिता की लड़की का पति।

श्वसुर	मामिनार्	—	लड़की के पति के पिता/लड़के की पत्नी के पिता।
सास	मामियार्	—	लड़की के पति की माता। लड़के की पत्नी की माता।
समधी	संबंधी	—	लड़के के पिता और लड़की के पिता आपस में समधी लगते हैं।
समधिन	संबंधीमां	—	लड़के की माता और लड़की की माता आपस में समधिन लगते हैं।
दोता/नाती	पेरन्	—	पत्नी का लड़का जिसे पत्नी की मां या पिता दोता या नाती कहते हैं।
दोती/नातिन	पेत्ति	—	पत्नी की लड़की जिसे पत्नी की मां या पिता दोती या नातिन कहते हैं।
पोता/नाती	पेरन्	—	पति का लड़का जिसे पति मां या पिता पोता या नाती कहते हैं।
पोती/नातिन	पेत्ति	—	पति की लड़की जिसे पति की मां या पिता पोती या नातिन कहते हैं।
जीजा	अत्तान्/अत्तिम्बेर्	—	बहन का पति।
जीजी	अक्काक्	—	बहन।
बच्चा	कुकन्दै	—	छोटा बच्चा।
बच्ची	पेन कुकन्दै	—	छोटी बच्ची।
लड़का	पैयन्	—	पिता की संतान (लड़का) पुल्लिग होने पर।
लड़की	पेंण्	—	पिता की संतान (लड़की) स्त्रीलिंग होने पर।
पुत्र/बेटा	मगन्/पिक्क	—	पिता की संतान (लड़का) पुल्लिग होने पर।
पुत्री/बेटी	मगक्/पेंण	—	पिता की संतान (लड़की) स्त्रीलिंग होने पर।
मर्द/पुरुष	आका/आण्	—	पुरुष।
औरत/स्त्री	मककीर /मगलीर	—	स्त्री।
सौतन	शक्कलत्ति	—	पिता के दो पत्नियां होने पर। एक पत्नी दूसरी को सौतन कहती है।
कुंबारा	कार्कै/कुमरन	—	लड़का/पुरुष जिसकी शादी न हुई हो।
कुंवारी	कन्नि	—	लड़की/स्त्री जिसकी शादी न हुई हो।
ननद	नात्तनार्	—	पिता की बहन। जिसे उसकी पत्नी ननद कहती है।

ननदोई	नात्तनार कणवन	—	पिता की बहन का पति। जिसे उसकी पत्नी ननदोई कहती है।
पतोहू	मरुमहक्	—	नाती/पोते की पत्नी। जिसे दादा/दादी पतोहू कहते हैं।
बड़ीपतोहू	पॅरयमरुमेहक्	—	बड़े पोते। नाती की पत्नी। जिसे दादा/दादी बड़ी पतोहू कहते हैं।
छोटी पतोहू	चिन्नमरुमहक	—	छोटे पोते। नाती की पत्नी। जिसे दादा/दादी छोटी पतोहू कहते हैं।
दतोहू	मरुमहक्	—	दोते/नाती की पत्नी। जिसे नाना/नानी दतोहू कहते हैं।
बड़ी दतोहू	पॅरिय मरुमहक	—	बड़े दोते। बड़े नाती की पत्नी। जिसे नाना बड़ी दतोहू कहते हैं।
छोटी दतोहू	चिन्न मरुमहक्	—	छोटे दोते/नाती की पत्नी। जिसे नाना/नानी छोटी दतोहू कहते हैं।
बालक	इकैलन	—	लड़का,
बालिका	पॅण	—	लड़की।
विधुर	मनैवियै इलंत/कुक्कामटैनृत्	—	जिसकी पत्नी मर गई हो।
विधवा	कैम्पॅण	—	जिसका पति मर गया हो।

इसी प्रकार पड़मामा, पड़मामी, पड़मौसी, पड़मौसा, पड़फूफा, पड़फूफी/पड़बुग्रा ग्रादि रिश्ते नाते की शब्दावली में प्रचलित संबंधित शब्द हैं। इसी प्रकार छोटा और बड़ा भाई/बहन ग्रादि के बीच मंझला और छोटी/बड़ी बहन ग्रादि के बीच प्रयुक्त मंझली के लिए तमिल में 'नडु' जोड़ कर शब्दावली का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार छोटा मामा/मामी के तमिल में चिन्न मामा/मामि के ग्रतिरिक्त शिरिय मामा/मामि ग्रादि प्रयोग भी चलते हैं। इसी प्रकार तमिल में पराया बाप की सकल्पना प्रायः नहीं के बराबर है। अंग्रेजी के ग्राधार पर इसमें ग्रप्पा का प्रयोग किया जाता है।

व्यतिरेकी ग्रध्ययन —व्यतिरेक शब्द अंग्रेजी के 'कन्ट्रा सटिव' का हिन्दी पर्याय है और व्यतिरैकी ग्रध्ययन या विश्लेषण का ग्रर्थ है कन्ट्रास्टिव स्टडी। एनलसिस/व्यतिरेकी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है—वि + ग्रतिरेक। जिसका ग्रर्थ है विरोध प्रकट करना। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—"दो या दो से ग्रधिक भाषाओं की तुलना (तुलनात्मक ग्रध्ययन) करने के पश्चात् समानताओं-ग्रसमानताओं को उजागर करना या बताना ही व्यतिरेकी विश्लेषण या ग्रध्ययन है।"

हिन्दी और ग्रन्य भाषाओं की शब्दावली में दो व्यक्तियों के साथ रहने पर किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है जिसे रिश्ते नाते की शब्दावली का रूप दिया जाता है।

व्यतिरेकी ग्रध्ययन करने पर यह देखने को मिलता है कि हिन्दी व तमिल में मामा व मामी समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। शेष शब्दावली ग्रसमान रूप से देखने को मिलती है। इसी प्रकार बड़ा-बड़ी/छोटा-छोटी हिन्दी में पुल्लिंग/स्त्रीलिंग होने पर विभिन्न रूप से प्रयुक्त होते से जबकि तमिल में पुल्लिग हो या स्त्रीलिंग बड़ा के लिए पॅरिया' तथा छोटा या छोटी के लिए शिरिय (चिन्न) का प्रयोग मिलता है। □

हिंदी पत्रकारिता के सबल स्तंभ पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति

□डा धर्मपाल*

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। उनके जीवन में अनेक बड़े-बड़े तूफान भी आए और उन्हें अनेक सफलताएं भी मिली। इन सफलताओं पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। विनम्रता उनका सहज स्वभाव ही रहा। गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक संसारी मोहमाया से विरक्त ही रहते हैं। यह विरक्ति उन्हें आचार्य स्वामी श्रद्धानंद से विरासत में मिली है। अनेक लोग जीवन के संध्याकाल में अध्यात्मा का सहारा लेते हैं परन्तु ये लोग संसारी जीवन व्यतीत करते हुए भी सदा आध्यात्मिक ही रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष थे पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति, जो गुरुकुल कांगड़ी के पहले स्नातक थे तथा इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वितीय पुत्र थे। वे ऐसे नागरिक थे जो मानसिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रेत चरित्रवान तथा वैदिक धर्म, आर्य संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता के रंग में रहे थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार एवं लोकसेवा की तड़प थी।

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति को राष्ट्रप्रेम की भावना अपने पिता स्वामी श्रद्धानंद से विरासत में मिली थी। बालावस्था से ही उनके जीवन में राष्ट्रीय विचारों का सूत्रपात हो गया था। मन ही मन उन्होंने लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक गुरू मान लिया था। उनके जीवन का ध्येय था समाज व राष्ट्र की सेवा। उनमें भारतीयता व राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने 'विजय' एवं 'अर्जुन' के माध्यम से अपनी ओजस्वी लेखनी द्वारा सत्याग्रह एवं राष्ट्रीयता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रथम प्रयास किया। वे राजद्रोही के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी परन्तु वे अपने ध्येय पर अडिग रहे। वे जीवन पर्यन्त देश, धर्म, व जाति की सेवा में लगे रहे। सन् 1952 में उन्हें राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने सच्चे राष्ट्रसेवक और विद्वान के रूप में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके सम्मानित किया था।

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति आर्यसमाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे वर्षों तक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाव और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मन्त्री व प्रधान आदि पदों पर बड़ी योग्यता से कार्य करते रहे। उन्होंने समय समय पर आर्य जगत का सही नेतृत्व व मार्गदर्शन किया। वर्षों तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में कार्य करते हुए संस्था को प्रगति पथ पर अग्रसर करके उन्होंने आर्यसमाज की अभूतपूर्व सेवा की। उन्होंने आर्य महासम्मेलनों, आर्य रक्षा समिति, सत्यार्थ प्रकाश रक्षा समिति आदि का संचालन बड़ी सफलता के साथ किया।

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने वैदिक साहित्य का अनुशीलन एवं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य तत्परता पूर्वक किया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक, राजनैतिक कार्यकर्ता एवं कुलपति पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जहां उच्च कोटि की साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है वहां उन्होने वैदिक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया। उनकी पुस्तकें उपनिषदों की भूमिका और ईशोपनिषद भाष्य अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका संस्कृत के प्रति भी अत्यधिक अनुराग था। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 25 पुस्तकें लिखी हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। अपराधी कौन, सरला की भाभी, सरला, जमींदार, आदि उपन्यास; महर्षि दयानन्द, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिन्स बिस्मार्क, गेरीबाल्डी, एवं मेरे पिता आदि जीवन चरित्र; जीवन संग्राम, भारतीय संस्कृति का प्रवाह, आर्यसमाज का इतिहास, स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा, मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, आधुनिक भारत में वक्तृत्वकला की प्रगति आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों ने काफी ख्याति प्राप्त की है। 'मेरे पिता' पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें दिल्ली में हिन्दी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। बाल्यावस्था से ही पत्रकारिता की ओर उनका झुकाव था। 7-8 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्यप्रकाशक नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालकर एक अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने सद्धर्म प्रचारक के साप्ताहिक संस्करण के संपादन का दायित्व सम्भाला। उसे काफी समय तक सफलता पूर्वक निभाया। आपके मन में दैनिक पत्र निकालने की इच्छा बहुत प्रबल थी। जो आगे चलकर विजय के रूप में फलवती हुई। इस पत्र के माध्यम से वे दिल्ली के यशस्वी पत्रकार एवं साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने साप्ताहिक सत्यवादी तथा दैनिक वैभव और भविष्य का सम्पादन भी किया। अर्जुन

*वरिष्ठ प्राध्यापक, जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दिल्ली

ने अपने जीवन काल में आर्यसमाज और सारे देश की जो सेवा की वह सर्वविदित है। उन्होंने अर्जुन का प्रथम अंक सत्यवादी अर्जुन के साप्ताहिक के रूप में निकाला था। आगे चलकर उन्होंने अर्जुन का नाम बदलकर वीर अर्जुन कर दिया। उन्होंने कुछ समय बम्बई के नवराष्ट्र का भी सम्पादन किया था। इन पत्रों के माध्यम से उनकी स्वतन्त्र विचार-धारा एवं राष्ट्रीय भावना खुलकर सामने आई। उनके सम्पादकीय व अग्रलेख भारतीयों के मन में राष्ट्रप्रेम व देश पर मर मिटने की भावना उत्पन्न करते थे। वे विरोधियों के हृदयों पर विष बुझे वाणों की तरह प्रहार करते थे। तत्कालीन शासक और उनके समर्थक पं. इन्द्र जी को अपना प्रबल शत्रु समझते थे। उन्हीं के प्रयत्नों से हिन्दी पत्रकार सम्मेलन भी प्रारम्भ हुआ और वे इसके दो बार प्रधान भी चुने गये।

पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म 9 नवम्बर, 1889 को जालन्धर में महात्मा मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानंद) के घर में हुआ था और उनका निधन 23 अगस्त, 1960 को दिल्ली में हुआ। वे गुरुकुल कांगड़ी में संस्कृत साहित्य, तुलनात्मक आर्य सिद्धान्त व इतिहास के अध्यापक के रूप में 1914 में नियुक्त किए गए। उसके बाद उनकी जीवन यात्रा बढ़ चली। वे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी के सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी के मुख्या-धिष्ठाता एवं कुलपति बने। उनका कार्यक्षेत्र अधिक समय दिल्ली में ही रहा। उन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सफलता पूर्वक संपादन किया। उन्होंने अनेक संस्थाओं का गठन भी किया। कांगड़ी गांव में एक पाठशाला की स्थापना की और दिल्ली में हिन्दू पब्लीसिटी ट्रस्ट स्थापित किया। वे दिल्ली स्वदेशी संघ के प्रधान अस्पृश्यता निवारक लीग के महामन्त्री, दलितोद्धार सभा के मन्त्री, जिला व प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली के प्रधान, दिल्ली कांग्रेस कनवेंशन के स्वागताध्यक्ष, राष्ट्रभाषा सुरक्षा परिषद् के स्वागताध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार संघ के प्रधान, अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शदाता, भारत के शिक्षा मन्त्रालय की विश्व कोष परामर्शदाता समिति के सदस्य नियुक्त किये गये। 1952 से 1958 तक वे राज्य सभा के भी मनोनीत सदस्य रहे। राज्य सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय जनता को एक नई राष्ट्रीय चेतना प्रदान की। उनके हृदय में भारतीय वैदिक संस्कृति कूट-कूट कर भरी थी और अपने देशवासियों को वे आत्मबलिदानी एवं नैतिक बनने की प्रेरणा देते रहे। उनकी पुस्तकें भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन, आत्मबलिदान, महर्षि दयानन्द, जीवन की झांकियां, पं. जवाहर लाल नेहरू, सम्राट रघु, हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति, मेरे पिता, मैं इनका ऋणी हूं, लोकमान्य तिलक आदि सभी पाठकों को सच्चा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। भारतीय संस्कृति व राजनीति, भारतीय संस्कृति का प्रवाह, राष्ट्रीयता का मूल मंत्र, राजधर्म आदि पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता सहयोग सद्भाव एवं एकता की भावना जगाने का सफल प्रयास किया। स्वाधीनता संग्राम के सिलसिले में उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी कीं और अपने अखबार भी उन्हें बन्द करने पड़े परन्तु उन्होंने भयभीत होकर कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। वे आजीवन भारतीय संस्कृति एवं आर्यसमाज के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहे। राष्ट्रीय एवं आर्यनेता के रूप में प्रख्यात पं. इन्द्र जी को साहित्य-वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उस उद्भट विद्वान को उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। □

पृष्ठ 8 का शेष

राजभाषा हिंदी : सरलीकरण—एक विवेचन

अवसर पर तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री एच. एम. पटेल ने भी कहा था—"जो लोग किताबी या मुश्किल हिन्दी इस्तेमाल करते हैं वे इस भाषा को नुकसान पहुंचाते हैं। सरल भाषा का इस्तेमाल करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। बढ़ती हुई जिन्दा भाषाएं दूसरी भाषाओं के आम शब्दों को हमेशा अपनाती हैं। हिन्दी भाषा भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर ले, तो इससे उसको बढ़ावा मिलेगा।' श्री पटेल के कथन—किताबी या मुश्किल हिन्दी" के प्रति परहेज बरतने से हिन्दी सरल लगेगी, इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं। परन्तु, जहां प्रशासन, राजनीति, व्यवसाय, तकनीकी अथवा ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों के विषय को हिन्दी में लाने के लिए भाषा के प्रयोग की बात होगी, वहां उन विषयों से सम्बद्ध मानक पारिभाषिक शब्दों को अपनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। ऐसा नहीं करने से व्यक्त विचार मनमाने शब्दों के प्रयोग से अस्पष्ट और भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं और एक ही वस्तु या भाव अलग-अलग व्यक्तियों, लेखकों द्वारा अपनी-अपनी रुचि के अलग-अलग शब्दों के प्रयोग से अनूदित होकर भिन्न-भिन्न अर्थ दे सकते हैं। यथा, हिन्दी में "उपन्यास" का प्रयोग अंग्रेजी के Novel की जगह किया जाता है। परन्तु, यदि तेलुगु की तरह इसका प्रयोग कोई "भाषण" के अर्थ में करना शुरु करे तो क्या स्थिति होगी, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अतः अलग-अलग विषयों के संदर्भ में हिन्दी में मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग ही उक्त विषय को समझने के लिए सरल और उचित है। □

साहित्यिकी

हिन्दी साहित्य में स्वाति तिरुनाल

□ डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर*

हिन्दी साहित्य की चर्चा में सबसे पहले प्राचीन और नवीन की बात उठती है। प्राचीन साहित्य के अग्रणी साधकों में सूर, तुलसी आदि अमर हो गये हैं। आधुनिक साहित्य के लेखकों में प्रेमचन्द, यशपाल आदि बड़े लोकप्रिय हैं। 'हिन्दी साहित्य, का अर्थ सामान्यतः हिन्दी प्रदेश में रचा साहित्य माना जाता है। परन्तु यह निष्कर्ष अधूरा है। हिन्दी पहले भी हिन्दी-प्रदेश से हिन्दीतर प्रदेश में फैली थी। हिन्दीतर प्रदेश में हिन्दी साहित्य का सृजन भी होता था। आधुनिक विचारक जिस दक्षिण भारत को शुद्ध हिन्दीतर प्रदेश मानते हैं उसमें भी हिन्दी साहित्य की रचना कुछ न कुछ होती आई है।

यह सुखद आश्चर्य की बात है कि सत्रहवीं सदी में आंध्रभोज नाम से प्रसिद्ध महाराजा शाहजी ने हिन्दी में भी यक्षगान लिखे थे। आंध्र प्रदेश में ही उन्नीसवीं सदी में नारेल्ल पुरुषोत्तम कवि हुए जिन्होंने हिन्दी में भी नाटक लिखे। यों कर्नाटक राज्य में उन्नीसवीं सदी में शिशुनाल शरीफ थे जिनके हिन्दी साहित्य में संगीत और साहित्य का अपूर्व संगम पाया जाता है। इस परम्परा में केरल भी अपने एक प्रतिभाशाली महाराजा का नाम गर्व सहित प्रस्तुत कर सका है।

केरल के—खासकर ट्रांवकोर के महाराजाओं का सामान्य नाम रामवर्मा या बाल राम वर्मा होता था। उनका उल्लेख उनके जन्म-नक्षत्रों के आधार पर विशाख तिरुनाल, चित्रा तिरुनाल आदि नामों से किया जाता है। 'तिरुनाल' का मतलब है पवित्र दिन या नक्षत्र। स्वाति तिरुनाल इसी परम्परा के यशस्वी शासक थे। उनका नाम रामवर्मा था।

सन 1813 ई. में भूजात स्वाति तिरुनाल ने केरल की परम्परागत शिक्षा प्रणाली से संस्कृत का अध्ययन किया। उन पर वाणी देवी की बड़ी कृपा थी। तभी तो उन्होंने मलयालम और संस्कृत में समान अधिकार से काव्य लिखे। काव्य रूप में उपाख्यानों की भी रचना की। वे जिस युग में रहे उसी युग में तमिलनाडु में संत त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित, श्याम शास्त्री आदि वाग्गेयकार थे। स्वाति तिरुनाल ने उन वाग्गेयकारों के पसंद किए ढांचे में अनेक स्तोत्र गीत एवं अन्य गीत रचे। उन्होंने अपने गीतों के लिए "श्री पद्मनाभ" शब्द या उसका पर्यायवाची शब्द "मुद्रा" स्वीकार किया।

स्वाति तिरुनाल रामवर्मा निराली प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने अल्पकालीन शासनकाल में बड़ी दूरदर्शिता से राज्य के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कई भाषाएं सीख लीं। यह केरल वार्तालाप के शिक्षण तक सीमित नहीं था। गीत रचना का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इन अतिरिक्त भाषाओं में हिन्दी भी शामिल थी। हम उनके हिन्दी साहित्य की ही चर्चा आज कर रहे हैं।

स्वाति तिरुनाल का हिन्दी साहित्य उनके गीतों के रूप में ही प्राप्त है। उन्होंने लगभग चालीस हिन्दी गीत विविध राग-रागिनियों में रचे हैं। इन गीतों के गेय तत्व के विषय में संगीतकला के समीक्षक ही साधिकार बता सकते हैं। फिर भी सामान्य श्रोता के रूप में हम उनकी मिठास का आनन्द पाते हैं। कुशल गायक मंत्रमुग्ध हो कर उन गीतों को प्रस्तुत करते हैं।

विधा की दृष्टि से हम स्वाति तिरुनाल के गीतों की कविता को भक्तिकाव्य कह सकते हैं। उसे सूर, तुलसी, मीरा आदि की परम्परा का कविता माना जा सकता है। स्वाति तिरुनाल ने अधिकतर भक्तिकाव्य ही सभी भाषाओं में लिखा है। उसी के अनुसार उन्होंने पद्मनाभजी के चरणों पर अपने हिन्दी गीत कमल भी चढ़ाये हैं।

सौजन्य : संग्रथन — अंक सितम्बर-अक्तूबर 1987

[संग्रथनः—हिंदी विद्यापीठ अंबुजविलासम रोड, तिरुअनंतपुरम द्वारा प्रकाशित पत्रिका है।]

इन गीतों में उनकी साहित्यकला झलकती है। ललित पदावली इनकी सब से आकर्षक विशेषता है। उनके गीतों के कुछ शब्द सुनिये—

देव वृन्द पद मुकुंद मोहनो आनन्द वंद
तान मान सरसवान बीच बीच मधुर गान।
श्रीहरी कृपानिधान दनुज मान हारे॥
बाजत मुरली मुरार सुन्दर जमुना किनारे॥

इन गीतों का मुख्य भाव भक्ति है। इनमें सब से अधिक गीत कृष्ण की लीला गाते हैं। शेष अन्य देवताओं की भक्ति से संबंधित हैं। कृष्णलीला के गीतों में कई विरहिणी राधा के उदगार कृष्ण-यशोदा या कृष्ण-राधा संवाद आदि से संबंधित हैं। हमारे देश के कृष्ण भक्त कवियों की परम्परागत प्रवृत्ति ही ऐसे प्रसंगों का वर्णन करने की रही है।

एक गीत में कवि कृष्ण की रास—लीला का वर्णन करता है—

आजु आए श्याम मोहन रासमंडल खेलने। दूसरे गीत में गोपिका विरह का दुःख प्रकट करती है—

जैसे जल बिन तरसत पंछी
तरस रही मेरो पिय बिन छाती।
सोवत हनी लगे गोरि निद्रा
बीच बीच पिया कू बुलाती॥

किसी गीत में कवि ने गोपाल की बांसुरी की महिमा गाई है —

करूणानिधान कुंजा के बिहारी
तुम्हारी बंसी लाला मेरो मन हारी।
इस बंसी से सुर नर मुनि मोहे
मोह गई सारी ब्रज की नारी॥

विप्रलब्धा गोपिका का उपालंभ भी किसी किसी गीत का विषय है —

आये गिरिधर द्वारे मेरे गोरी
अंजन अधर ललाट महावर नयन उनींदे चल आये।
रचन समय प्रभु छहल बल करिकैं कौन तिया कू बिरमाये।

तुलसीदास की तरह स्वाति तिरुनाल भी रामचन्द्र प्रभु से शरण मांगते हैं। किसी किसी गीत में वे काशीवासी श्रीशंकर का यश गाते हैं।

स्वाति तिरुनाल की हिन्दी रचनाओं के भाषा पक्ष पर भी दो शब्द बताना उचित है। उनके गीतों में ब्रजभाषा के शब्द मुख्यतः मिलते हैं। दक्खिनी के भी।

उन दिनों दक्षिण के राज्यों में दक्खिनी हिन्दी ही मुख्यतः चलती थी। स्वाति तिरुनाल ने अपने युग की भाषा का ख्याल रखते हुए सूर आदि की ब्रजभाषा के शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग किया है।

उन्नीसवीं सदी के हिन्दी साहित्य के इतिहास में केरल के इस हिन्दी कवि का भी नाम सुनहले शब्दों में लिखा जाएगा। केरल के इस वाणी-साधक ने यह सिद्ध किया कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की तरह केरल प्रदेश में भी लहलहा सकती है। दुर्भाग्य से स्वाति तिरुनाल पैंतिस साल ही जीवित रहीं। उनकी साहित्यिक देन की तुलना भारतेन्दुजी की देन से की जा सकती है। अगर वे दीर्घायु रहते तो साहित्य को और भी गरिमा देते।

उस मनीषी की नाद-साधना और काव्य साधना की पवित्र स्मृति पर हम कृतज्ञता और श्रद्धा के कुसुम चढ़ावें।

□

पृष्ठ 14 का शेषांश

तत्कालीन भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट में अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की पूर्ण व्यवस्था थी। इन अनुदित पत्रों को "तर्जुमा" कहा जाता था। ये पत्र प्रायः सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं घोषणा से सम्बद्ध होते थे। इन पत्रों की भाषा-शैली हिन्दुस्तानी थी जिसे अंग्रेज बहुत पसंद करते थे।

उदाहरणार्थ

तर्जुमा नम्बर 55
3773/3764
सींगे होम डिपार्टमेंट

मुकाम शिमलातारीख21अगस्त सन् 1857 हाल के इम्तिहान से बात दखूबी जाहर हुईहै सख्त बीमारी वांकी भीड़ां में आदमियों पैदा होती है जो हिन्दुस्तान के अंदर अलग-अलग मुकामों से जत्रा (यात्रा के वास्ते) वक्त-वक्त पर जमा होते ये।

(राष्ट्रीय अभिलेखागार)

नाना साहब के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार द्वारा जारी हुए 28 फरवरी 1958 के एक इशतिहार की कतिपय पंक्तियां देखिए।

कोई न्हाना डौड पंथ को जीता गिरफ्तार करके हाजर करेगा या अपनी तदवीर पर पैरवी से गिरफ्तार करायेगा एक लाख रुपीइया इनाम पागा 32.........(B)

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि राजकाजा में अंग्रेजों द्वारा भी हिन्दी को स्थान प्रदान किया गय था।

3. "बाहरवीं सदी से राजकाज में हिन्दी" पृष्ठ—153

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

अण्डमान में हिंदी प्रचार

□ वीर विनायक दामोदर सावरकर

मैंने सन् 1906 में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित कराने में योगदान का संकल्प ले लिया था। इंग्लैड में प्रवास के दौरान हम अभिनव भारत के सदस्य प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व एकत्र होकर एक स्वर से हिन्दुस्तान को स्वाधीन वनाए जाने, हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र की मान्यता दिए जाने, उसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाए जाने और हिंदी को "राष्ट्रभाषा" तथा नागरी को लिपि बनाए जाने के कार्य में योगदान करने का संकल्प लेते थे। अपने इस संकल्प के अनुसार ही अण्डमान में संगठन तथा प्रचार करने का अवसर मिलते ही सन् 1911 में मैंने अपने कार्यक्रम में हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रमुख विषय बनाया।

वह ऐसा जमाना था, जब हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की कल्पना भी मूर्खता समझी जाती थी। बड़े-बड़े नेता भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को "बचकाना" कहते थे। इस आंदोलन का लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी ने आगे चलकर तब समर्थन किया जब वह जनता का आंदोलन बन चुका था। उस समय केवल नागरी प्रचारिणी सभा (बाराणसी) और आर्य समाज ही इस मांग को उठा रहे थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती को सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का तथा सर्वप्रथम उसमें ग्रंथ लिखने का श्रेय अवश्य है।

अण्डमान में जब राजबंदियों तथा अन्य बंदियों से मैंने पहले-पहल हिंदी सीखने का अनुरोध शुरू किया तो हिंदी के भाषा होने या न होने के विवाद का मुझे सामना करना पड़ा। महाराष्ट्रीय तथा दक्षिण भारत के अन्य लोगों के लिए हिंदी शब्द ही नवीन था। उसे वे मुसलमानी भाषा कहते थे क्योंकि दक्षिण भारत के मुसलमान हिंदी भी बोलते हैं, उत्तर भारत के बन्दी मानते थे कि हिंदी भाषा है तथा उसे बोलने वाले हिंदू मुसलमानों की संख्या लगभग आठ करोड़ है। फिर भी वे उसे राष्ट्रभाषा होने के योग्य नहीं समझते थे। कोई कहता कि हिंदी का कोई व्याकरण नहीं है, कोई कहता कि इसका साहित्य नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा अमान्य करने वालों में मद्रासी अधिक थे किन्तु अब बंगाली भी हिंदी की जगह बंगला को राष्ट्रभाषा के लिए अधिक उपयुक्त बताते थे। यह बात सत्य भी है कि हिंदी के बाद बंगला भाषियों की संख्या सर्वाधिक, लगभग चार करोड़ है। तथापि बंगाल के एक नेता श्री मित्र ने वर्षों पहले हिंदी ही में राष्ट्रभाषा की योग्यता होने का मत व्यक्त किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल से एक हिंदी मासिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया था।

हिंदी के समर्थन में तर्क

मैं हिंदी के बारे में तमाम आक्षेपों और आशंकाओं का बार-बार समाधान करने का प्रयास किया करता था। हिंदी का व्याकरण इस प्रकार पूर्ण वैज्ञानिक है, इसका साहित्य कितना समृद्ध है, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कितनी सशक्त है, समय-समय पर मैं बंदियों को समझाया करता था। मैं उन्हें यह भी समझाता था कि देश में हिंदी भाषियों की संख्या सर्वाधिक होने से भी वही राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारी है। मैंने हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संग्रह किया ही हुआ था। मैं उन्हें दिखाकर बंदियों से कहता कि क्या ये ग्रंथ महत्त्व के नहीं हैं। हिंदी के राष्ट्रभाषा बन जाने के बाद और नए-नए ग्रंथों की रचना हो सकेगी।

मैंने एक दिन उन्हें बताया—**हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बातही बेमानी है यह स्वतः भारत की राष्ट्रभाषा ही है।** रामेश्वरम (दक्षिण भारत) का वैरागी संत तथा व्यापारी पृथ्वीराज के काल से भी पहले से तीर्थयात्रा के दौरान हरिद्वार और बद्रीनाथ आने पर हिंदी के माध्यम से ही कार्य चलाता आया है। चारों धामों की तीर्थ यात्रा करने वाले हिंदुओं के बीच बातचीत का माध्यम हिंदी ही तो होती है। मैंने अपनी इन युक्तियों से राजबंदियों को हिंदी सीखने के लिए प्रवृत्त किया। साधारण बंदी भी हिंदी के महत्त्व को समझने लगे।

मेरा सुझाव होता था कि प्रत्येक राजबंदी अपनी-अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों की ज्यादा से ज्यादा बोलियां सीखें। अण्डमान में इसकी अच्छी संभावनाएं भी थीं। मैं स्वयं बंगालियों को हिंदी तथा मराठी, मराठा को हिंदी और बंगाली, पंजाबी को हिंदी और मराठी सिखाने लगा। गुजराती राजबंदी अण्डमान में बाद में आए थे। उन्हें भी हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का अभ्यास कराया गया। इस प्रकार कारागार में दस वर्ष तक हिंदी का प्रचार और प्रसार निर्बाध रूप से होता रहा।

हिंदी के प्रचार के उद्देश्य से ही कारागार में ग्रंथालय-वाचनालय की स्थापना की गई थी। बाद में तो अधिकारी भी पुस्तकालय की सहायता करने लगे थे। हम उनसे कहते थे कि धन की जगह हमें आप स्वयं हिंदी पुस्तकें मंगाकर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अण्डमान में पुस्तकें मंगाना भी अपराध माना जाता था। अपने पते पर बाहर के पुस्तकों का पार्सल मंगवाना तो अत्यन्त सांसत का कार्य माना जाता था। यदि सरकार तक यह बात पहुंच जाए कि बाहर से पुस्तकें मंगाई गई हैं, तो बंदी को यह सुविधा देने के आरोप में अधिकारी को भी पदच्युत तक किए जाने का खतरा बन जाता था।

हिंदी में बातचीत का संकल्प

हम लोग अण्डमान के बंदियों को ही नहीं अधिकारियों को भी हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे थे। मद्रासी अधिकारी भी हिंदी सीखने को तैयार थे। एक राष्ट्राभिमानी डाक्टर ने अपने परिवार के तमाम सदस्यों को हिंदी बोलने की आदत डालने के लिए यह कह कर प्रेरित किया था कि आखिर हिंदी ही अपने देश की राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी। उन्होंने अपनी पत्नी से संकल्प कराया था कि वह बच्चों के साथ हिंदी में ही बातचीत किया करे। वे हिंदी के प्रचार के लिए समय-समय पर हमारी आर्थिक सहायता भी करते रहते थे। अन्य बंदी भी हमें किसी न किसी उपलक्ष्य में हिंदी प्रचारार्थ सहायता देते रहते थे।

दीवान नामक एक किसान डकैती के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाकर अण्डमान आया था। वे आर्य समाजी विचारों का था। मेरे सम्पर्क में आया तो मेरा हार्दिक भक्त बन गया। उसने हमारे प्रचार अभियान में सक्रिय योगदान किया। दुर्दैव से वह अण्डमान की दूषित जलवायु तथा कष्टकारक बंदीवास का शिकार बन परलोक सिधार गया। उसके मित्रों ने उसका श्राद्ध करना चाहा किन्तु बाद में उन्होंने उस पर किए जाने वाले खर्चे से हिंदी पुस्तकें मंगवा दीं। बिहारी नामक बंदी को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने मनौती की कि यदि फांसी रद्द हो गई तो वह इतनी राशि दान में देगा। उसकी सजा रद्द हो गई। उसने उस द्रव्य को दान देने के लिए हमसे विचार विनिमय किया। मेरी प्रेरणा से उसने उस राशि से ग्रंथ मंगवाना स्वीकार कर लिया। जब हम इस प्रकार मिलने वाली राशि से पुस्तकें मंगवाने का विचार करते तो सिक्ख उर्दू की, तो कुछ अन्य अंग्रेजी की पुस्तकें मंगवाने को कहते। कुछ अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं की पुस्तकें मंगाने का आग्रह करते। मैं हिंदी पुस्तकों का आग्रह करता तो वे आरोप लगाने लगते "ये राष्ट्रभाषा" के नाम पर बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं की उपेक्षा कर, उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं।" मैं उन्हें समझाता कि मेरी मातृभाषा तो मराठी है। मैं उसके लिए तो दान नहीं मांग रहा हूं यदि ऐसा होता तो आपका भाषाई पक्षपात का आरोप सही हो सकता था। मैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए ही आग्रह कर रहा हूं।

मैं उन्हें समझाता कि मैं सदैव गुरुमुखी, बंगला आदि प्रांतीय भाषाएं सीख चुका हूं। अन्य को भी प्रांतीय भाषाएं सीखाता रहा हूं। तब आप मुझ पर इन भाषाओं की उपेक्षा का आरोप कैसे लगा सकते हैं। हमें राष्ट्र के सामने प्रांतीय अभिमान को बलि देना ही होगा। अन्त में बंदियों का समाधान हो गया। वे हिंदी पुस्तकें खरीदने के लिए सहमत हो गए। हमने आल्हा उदल के लेकर काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें मंगवा ली। मुझे आल्हा उदल पुस्तक बहुत पसंद थी। क्योंकि पढ़कर वीरता के भाव पैदा होते थे।

प्रस्तुति : शिव कुमार गोयल

कुछ बंगालियों का मत था कि हिंदी न विकसित भाषा है, न उसका साहित्य ही समृद्ध है। मैं उनके पूर्वाग्रहों को गलत सिद्ध करने के लिए गुरूकुल पर अन्य प्रकाशनों के अच्छे ग्रंथों के प्रकाशित होते ही मंगवाकर उन्हें दिखलाता। सिक्खों के गुरु गोविंदसिंह द्वारा लिखित विचित्र नाटक तथा इतिहास "सूर्य प्रकाश", जो ब्रज भाषा या पुरानी हिंदी भाषा में थे दिखाकर उन्हें समझाता। गुरु गोविंद सिंह जी हिंदी के कितने प्रबल सेवक थे। मैं उन्हें यह समझाने में सफल रहा कि हिंदी उनकी धर्मभाषा है तथा गुरुमुखी तो लिपि मात्र वे राष्ट्रीय तथा पंथ की दृष्टि से हिंदी का महत्व जानने लगे।

उर्दू का बोलबाला

अण्डमान में विभिन्न प्रांतों के लोगों के एकत्र हो जाने से उनकी परस्पर बातचीत और व्यवहार की भाषा हिंदी बन गई थी। उन्होंने बंदियों की संगति में भी परस्पर प्रांतों के लोगों में ही विवाहबद्ध होने की परम्परा बन गई थी, जिसमें परम्परागत भाषा हिंदी ही रहती थी। वहां के अधिकांश लोगों के हिंदीभाषी हो जाने से उनके लिए हिंदी माध्यम से ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। परन्तु पहले से ही हिंदुस्तान से जो "मुंशी" वहां भेजे गए थे, वे सब पंजाब, दिल्ली आदि स्थानों के होने से, उन्होंने वहां के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू सीखने की परम्परा डाल दी थी। सच बात तो यह है कि हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं है। हिंदी को पारसीयन लिपि में लिखने से उर्दू बन जाती है। अत: भेद केवल लिपि का है।

अण्डमान में बंदी तथा उपनिवेशीय संख्या में अधिकांश हिंदी ही थे, वे ही शिक्षा में अग्रसर थे अत: उपयुक्त तो यही होता कि शिक्षा का माध्यम हिंदी को रखा जाता जो धार्मिक तथा राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक होता परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि हिंदुओं के धन से प्रचलित

...पृष्ठ 26 पर जारी

विदेशों में हिन्दी फिल्में और अनुवाद की समस्या

□ हरिबाबू कंसल

ई–9/23, वंसत विहार, नई दिल्ली—57

अरब देशों में भारतीय फिल्में वर्षों से लोकप्रिय रही हैं। "आन" फिल्म वर्षों चली। इस फिल्म के हिन्दी गाने अनेक अरबों की जबान पर रहते थे, वे उनका अर्थ न जानते हुए भी उन्हें गुनगुना कर उनका आनन्द लेते थे। और भी कई हिन्दी फिल्में अरब देशों में काफी पसन्द की जाती रहीं।

सन् 1955 में मिश्र के एक फिल्म वितरक ने भारत से "बैजू बावरा" हिन्दी फिल्म मंगवाई। जैसा कि अन्य विदेशी फिल्मों के संबंध में बहुधा किया जाता है, वह वितरक भी इस फिल्म के संवादों तथा गानों के उपशीर्षक (सब टाइटिल) अरबी तथा फ्रांसीसी भाषाओं में लगवाना चाहता था ताकि स्थानीय दर्शक उस फिल्म का भली भांति आनन्द ले सकें। उसके सामने अनुवाद की समस्या आई और वह यह समझ कर भारतीय (हिन्दी) राजदूतावास के पास सहायता के लिए आया कि हिन्दी फिल्म के संवादों आदि का अनुवाद वहां के अधिकारी तो करा ही सकेंगे। अरब देशों में भारतीय को "हिन्दी" (अर्थात"हिन्दी" का) कहा जाता है, तथा हमारे राजदूतावास को वे "सफारतुल-हिन्दीया" कहते हैं। संयोग से वह वितरक राजदूतावास में आकर मुझसे मिला। मैंने उसे नम्रतापूर्वक कहा कि मैं फ्रेंच पढ़ लेता हूं तथा मामूली काम चलाने लायक अरबी बोल लेता हूं किन्तु मुझे उन भाषाओं का इतना ज्ञान नहीं कि हिन्दी से उनमें अनुवाद कर सकूं। तब उसने कहा "आप हिन्दी से अंग्रेजी में ही अनुवाद कर दें, मैं अंग्रेजी से अरबी तथा फ्रेंच में अनुवाद करा लूंगा"। कार्यालय में मेरे पास काम का भार काफी अधिक था अतः एक बार तो मैंने उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। किन्तु तभी मुझे चिन्ता हुई कि यदि यह व्यक्ति हमारे किसी भी अन्य सहयोगी के पास गया तो वहां से उत्तर मिलेगा कि उन्हें हिन्दी नहीं आती तथा वह उत्तर उस मिश्रवासी को स्तम्भित कर देगा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी हिन्दी-वासी को हिन्दी न आती हो। सभी अरब अरबी जानते हैं, चीनवासी चीनी, जापान के नागरिक जापानी, रूसी नागरिक रूसी भाषा। किन्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजदूतावासों में यह स्थिति बनी हुई थी कि वहां के अधिकांश अधिकारी तथा कर्मचारी या तो हिन्दी अच्छी प्रकार जानते नहीं थे, या जानते हुए भी उस तथ्य को स्वीकार करने में संकोच अनुभव करते थे। उससे विदेशी नागरिकों के सामने हमारे राष्ट्र की छवि को जो धक्का लगता था उसका ध्यान करते हुए मैंने उस वितरक को कहा कि मैं उनका वह काम कर दूंगा, कार्यालय में तो समय नहीं मिल पाएगा, घर पर कर दूंगा।

मुझे उनका काम करने में कुछ दिन लगे। इस कार्य के संबंध में वह सज्जन मेरे घर पर तीन-चार बार आए। उनका मैंने यथोचित सत्कार किया। काम हो जाने पर उन्होंने मुझे पारिश्रमिक स्वरूप कुछ धन राशि देनी चाही। मैंने उसे लेने से इंकार कर दिया। यद्यपि उसके लिए यह व्यापारिक कार्य था, परन्तु मेरे दृष्टिकोण से यह अपने देश तथा राष्ट्रभाषा के सम्मान का प्रश्न था। यदि अपना थोड़ा समय देकर देश की कुछ सेवा हो सकी तो वह अपने लिए समुचित पारिश्रमिक था। □

पृष्ठ 25 का शेष

विद्यालयों में आज भी हिंदी का अध्ययन आवश्यक नहीं है, जिसका कुपरिणाम यह हुआ है कि हिंदू न "अ" "आ" जानते हैं, न तुलसी कृत रामायण और भागवत गीता पढ़ सकते हैं। कालिदास की रचनाएं तो दूर रहीं, वे न सूरदास को जानते हैं, न "प्रेम सागर" को किन्तु उर्दू के समाचार पत्र को वे पढ़कर सुनाते हैं, उर्दू का साहित्य पढ़ने के कारण वे अरब की वीरों की कहानियां तो जान गए हैं, किन्तु पाण्डव महाभारत तथा रामायण के पात्रों के बारे में अनभिज्ञ हैं। अत: मेरा यह दृढ़ मत है कि यदि अण्डमान में हिन्दु संस्कृति को जीवित रखना है, हिदुस्तान के प्रति राष्ट्रीय भावनाएं बनाए रखना है तो वहां हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि की शिक्षा प्रत्येक हिंदू बच्चे को देने की व्यवस्था करनी ही होगी। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी रखा जाए तथा जो मुसलमान उर्दू सीखना चाहे उसकी अलग से व्यवस्था हो सकती है।

अण्डमान की हिंदू जनता में सामाजिक तथा राष्ट्रीय ऐक्य की भावना अत्यल्प थी। हिंदुत्व का अभिमान केवल रूढ़ियों के रूप में था। उन्हें इस बात की चिंता न थी कि हिंदी अपनी भाषा है। अपने धर्मग्रंथ जिस लिपि में हैं, वह नागरी लिपि तथा भाषा सीखना अपना एक कर्त्तव्य है। मैंने उनके हृदय में अपनी भाषा के प्रति स्नेह पैदा करना शुरू किया।

(दैनिक पंजाब केसरी से साभार)

समिति समाचार

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

संसदीय कार्य मंत्रालय

दिनांक 2-4-91 को संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक श्री सत्य प्रकाश मालवीय, संसदीय कार्य तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

अध्यादेशों का द्विभाषी रूप में जारी करने के बारे में श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने अब तक हुए पत्राचार का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि विधि मंत्रालय की राय में इसके लिए राजभाषा अधिनियम अथवा राजभाषा नियम में उपयुक्त प्रावधान करना होगा।

श्री महाजन ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा विभाग इस संबंध में विधि मंत्रालय से पत्राचार कर रहा है। निर्णय लिए जाने पर समिति को सूचित किया जाएगा।

डा. लक्ष्मी नारायण दुबे ने डा. हरिसिंह गौड़ पर डाक्यूमेंन्टरी फिल्म बनाने पर सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग पर अपनी ओर से तथा विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट किया।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने क्षेत्रीय फिल्मों के हिन्दी में सब-टाईटल को पुनः उठाए जाने पर जोर दिया। इस पर श्री महाजन ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने भी इस विषय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उठाया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यह राय है कि ऐसा करना इस समय उपयुक्त नहीं होगा।

श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को सूचित किया कि इस समिति की सिफारिश के अनुसरण में सहायक और अनुवादक के वेतनमान में समानता के मामले को कार्मिक विभाग के साथ उठा रहे हैं। इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने पर समिति को सूचित कर दिया जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया कि संविधान सभा के वाद-विवाद (डिबेट) के हिन्दी रूपान्तर की प्रतियां उपलब्ध नहीं है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में अध्यक्ष लोक सभा को पत्र लिखेंगे।

श्री देवराज तिवारी, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि मंत्रालय प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित करता है। लेख का विषय संसदीय लोकतन्त्र से संबंधित होता है। माननीय सदस्यगण यदि किसी उपयुक्त विषय का सुझाव द तो उसे सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। इस पर सदस्यों ने निम्नलिखित विषयों का सुझाव दिया :—

(1) संसद और राष्ट्रीय एकता

(2) संसदीय लोकतन्त्र के प्रगतिशील चरण।

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि विषय निर्धारित करते समय इन विषयों को भी विचाराधीन रखा जाएगा।

इस्पात विभाग

विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 15-2-91 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री अशोक कुमार सेन इस्पात और खान मंत्री ने की।

समिति के माननीय सदस्य श्री पन्नालाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर को "राजभाषा चल वैजयन्ती" से, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., हैदराबाद को प्रथम पुरस्कार के रूप में शील्ड, भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो को द्वितीय पुरस्कार के रूप में बड़ी ट्राफी, और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि., को तृतीय पुरस्कार के रूप में छोटी ट्राफी से पुरस्कृत किया।

विभाग में हिन्दी में सर्वाधिक काम करने के लिये श्री सुरेश चन्द गुलाटी, अनुभाग अधिकारी को पदक से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार वितरित किए गए।

इस्पात विभाग से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को भी माननीय मंत्री महोदय ने नकद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया ।

सदस्यों ने भारत रिफैक्ट्रीज लि. में कम्प्यूटर को द्विभाषी करने में असफलता पर एतराज किया ।

संयुक्त सचिव, श्री आदर्श किशोर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत रिफैक्ट्रीज लि. के पास अमरीकी कम्प्यूटर है और वह काफी पुराना है । अतः वह कम्प्यूटर आधुनिक साफ्टवेयर को स्वीकार नहीं कर रहा है। श्रीमती सरला माहेश्वरी ने कहा कि जहां-जहां द्विभाषी उपकरण हैं उनका उपयोग होना चाहिए। "सेल" के अध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने बताया कि इस दिशा में हमें शुरू में कुछ दिक्कतें आईं थीं, परन्तु अब "सेल" में इन उपकरणों का उपयोग आरम्भ हो गया है। "सेल" में 8 द्विभाषी कम्प्यूटर लगवाए जा चुके हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है।

हिन्दी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव स्वीकार किया कि यदि 4 महीने तक पद नहीं भरे जाते हैं तो रोजगार कार्यालय के अतिरिक्त दूसरे अन्य माध्यमों पर भी विचार किया जाए ।

हिन्दी में एम. ए. पास करने पर वेतनवृद्धि दिए जाने के संबंध में समिति को बताया गया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । परन्तु भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, स्पंज आयरन इंडिया लि. तथा विशाखापटणम इस्पात परियोजना में हिन्दी में एम. ए. पास करने पर दो वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। अन्य उपक्रमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । समिति के कई सदस्यों ने इस विषय में एक सामान्य नीति पर विचार करने का सुझाव दिया।

डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि इस्पात और खान मंत्रालय ने हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जो कार्य किए हैं, वे किसी भी दूसरे मंत्रालय के कार्यों की तुलना में कम नहीं हैं । तथापि, उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी के कार्य में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने "मॉयल" की पत्रिका के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रामस्वरूप प्रसाद संसद सदस्य ने भी कहा कि उन्हें विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं देखने का मौका मिला है। इसमें उपक्रमों में हिन्दी के कार्य की झलक दिखाई जानी चाहिए तथा उनके प्रकाशन के स्तर में भी सुधार किया जाना चाहिये।

श्री द्वारकादास वेद ने कहा कि रांची में संगोष्ठी आयोजित की गई थी जो काफी सफल रही । इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी संगोष्ठी आयोजित की जा सकती है। श्रीमती सरला माहेश्वरी तथा श्री योगेन्द्र रीगावाल का मत था कि विभाग के उपक्रमों में वर्ष में कम से कम एक बार हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाए । तकनीकी सेमिनार का भी आयोजन अवश्य किया जाए।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त सचिव (भाषा) श्री प्रियदर्शी ठाकुर की अध्यक्षता में 26 मार्च, 1991 को हुई ।

दिसंबर 1990 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संदर्भ में विशेष रूप से धारा 3 (3) के अनुपालन के अंतर्गत स्थापना-3, हिन्दी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाने की अपेक्षा के अंतर्गत एन.एफ.टी.डब्ल्यू. "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा वहां स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्र-व्यवहार के अंतर्गत यू.टी. प्रभाग, संस्कृत प्रभाग, टी.डी. 2 तथा टी.डी. 7 तथा स्कूल 5 और एन.एस. 1 की कमियों का उल्लेख किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेज हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने चाहिएं ।

श्री नरेन्द्र प्रताप सिन्हा, अवर सचिव (स्थापना-3) ने इस बारे में यह स्पष्ट किया कि विवरण में उल्लिखित स्थापना अनुभाग की अन्य कमी का कारण यह भी है कि कई पत्र सांविधिक संगठनों (स्टेचुटरी आर्गेनाइज़ेशन्स) को भेजे गये हैं जिन्हें अंग्रेजी में ही भेजा जाना होता है। इस पर निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि सरकारी और सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी कार्यालयों/संगठनों पर राजभाषा नियम लागू होते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सहमति प्रकट करते हुए निदेश दिया कि राजभाषा नियमों का समुचित पालन किया जाना चाहिए और "क" और "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले सभी पत्र भी हिंदी में भेजे जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी निदेश दिया कि उन सभी अनुभागों/प्रभागों को जिनकी कमियां पाई गई हैं, स्थिति में सुधार लाना चाहिए ।

समिति को यह भी बताया गया कि हिंदी सलाहकार समिति की 20 फरवरी, 1991 की बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए शिक्षा सचिव और मानव

संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदनार्थ भेजा हुआ है तथापि बैठक में जो महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गये थे उनका संबंध जांच-बिन्दुओं को सुदृढ़ करने, मूल रूप से पूरा अथवा अधिकांश कार्य हिंदी में करने वाले अनुभागों की संख्या को बढ़ाने, अनुदान संबंधी स्वीकृतियां हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में जारी करने से है।

इस बारे में शंका व्यक्त की गई कि यदि जांच-बिन्दुओं को सख्ती से लागू किया गया, खासकर इस दौरान जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और बजट संबंधी कई कागज तत्काल निपटाने होते हैं, तो विभाग में सरकारी कामकाज रुक जाएगा।

हिंदी/हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण पर चर्चा के दौरान सदस्यों को बताया गया कि नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए न छोड़े जाने के कारण हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की दिशा में विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है और इस कारण से हिंदी सलाहकार समिति समेत विभिन्न समितियों द्वारा विभाग की काफी आलोचना होती है।

इसी क्रम में सहायक निदेशक, राजभाषा एकक ने समिति को अवगत कराया कि 20-2-91 को हुई विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में समिति को इस निर्णय की सूचना दी गई थी कि भविष्य में हिंदी/हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिए जाने से छूट केवल संयुक्त सचिव (भाषा) के स्तर पर ही दी जा सकेगी।

संपदा निदेशालय, नई दिल्ली

बैठक दिनांक 26-3-91 को प्रातः संपदा निदेशक की अध्यक्षता में संपदा निदेशालय में हुई।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समिति ने अपनी संतुष्टि व्यक्त और निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की :—

(क) किसी भी अनुभाग का "क" और "ख" क्षेत्रों में होने वाला हिंदी पत्राचार 50% से कम न हो। यद्यपि लक्ष्य 100% है और इस पत्राचार को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं। जिन अनुभागों का हिन्दी पत्राचार 50% से कम है उन्हें विशेष रूप से निदेश दिए जाएं।

(ख) हिन्दी टाइपिस्टों की सेवाओं का सदुपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिकांश कार्य हिन्दी में ही करें।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति पर रिपोर्ट पर समिति ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की एवं निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(क) हिन्दी अनुभाग में टेलीफोन के डायरेक्ट कनेक्शन हेतु फाइल प्रस्तुत कर दी जाए।

(ख) प्रादेशिक अनुभाग जब भी प्रादेशिक कार्यालयों के अधिकारियों को किसी बैठक में दिल्ली बुलाएं तो उन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी चर्चा भी की जानी चाहिए। तदनुसार, ऐसी बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त हिन्दी अनुभाग को यथासमय भेजा जाए।

प्रकाशन विभाग

(शहरी विकास मंत्रालय)

प्रकाशन विभाग की कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15-3-1991 को प्रकाशन नियंत्रक श्री शिवनाथ चक्रबर्ती की अध्यक्षता में बैठक हुई।

सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री दर्शन लाल मेहता ने बताया कि 12-90 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान विभाग से 82.42% मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए थे। पिछली तिमाही में 75.82% मूल पत्र हिन्दी में जारी हुए। इस तिमाही में हिन्दी पत्राचार में वृद्धि हुई है। अनुभागवार स्थिति का जायजा लेने पर देखने में आया कि कुछेक अनुभागों से हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत काफी कम था। इस स्थिति पर प्रकाशन नियंत्रक महोदय ने असंतोष व्यक्त किया और आदेश दिया कि विभाग के प्रत्येक अनुभाग से 80% मूल पत्र अनिवार्यतः हिन्दी में भेजे जाने चाहिए। उन्होंने सहायक नियंत्रक (प्रशासन) और सहायक नियंत्रक (बिक्री) को सलाह दी कि वे अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों को ओर विशेष ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि वहां से 80% से अधिक मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिएं। बिक्री खण्ड से हिन्दी में पत्र भेजने की पूरी-पूरी गुंजाइश है।

विभागाध्यक्ष ने निदेश दिए कि "क" व "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले वाउचर और बिल शत-प्रतिशत हिन्दी में तैयार किए जाएं।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया गया कि "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित भारत सरकार के मुद्रणालयों को प्रकाशनों, पत्रिकाओं और राजपत्रों के मुद्रण आदेश हिन्दी में भेजे जाएं। नाम परिवर्तन संबंधी सामग्री भेजने के अग्रेषण पत्र भी हिन्दी में भेजे जाएं। विज्ञापन बिल और ए.सी.सी. अनुभागों से सभी प्रकार के मूल पत्र/अग्रेषण पत्र व राशि की वसूली के स्मरण पत्र भी हिन्दी में जारी किए जाएं।

इस निर्णय को दोहराया गया कि सभी शाखा अधिकारी अर्थात् वित्तीय अधिकारी और सहायक नियंत्रक प्रतिमाह अपने नियंत्रणाधीन अपने अनुभागों का अवश्य निरीक्षण

करें और देखे कि वहां आदेशानुसार हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। निरीक्षण के समय वे अपने साथ सहायक निदेशक (रा.भा.) को भी साथ रखें ताकि स्टाफ की शंकाओं का समाधान हो जाए और उन्हें उचित मार्ग निदेशन भी प्राप्त हो सके।

प्रकाशन नियंत्रक ने आदेश दिए कि इस विभाग के लेखा-2 अनुभाग की एक सीट जिसके बारे में वित्तीय अधिकारी सिफारिश करें, को राजभाषा नियम 8 (4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने वाली सीट विनिर्दिष्ट कर दिया जाए। कार्यालय आदेश जारी किया जाए कि 1-5-1991 से उस सीट पर सारा काम हिन्दी में किया जाएगा।

बताया गया कि हिन्दी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग के सी.आर.टी अनुभाग को चैक प्वाइंट घोषित किया गया हुआ है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर विभागाध्यक्ष ने अप्रसन्नता व्यक्त की ओर आदेश दिए कि सहायक नियंत्रक (प्रशासन) इस ओर ध्यान दें और देखें कि अनुभाग प्रधान द्वारा आदेशों का अनुपालन होना चाहिए। यदि सी.आर.टी. अनुभाग प्रधान आदेशों की ओर ध्यान नहीं देते तो उसे सरकारी आदेशों की अवहेलना माना जाए।

प्रकाशन नियंत्रक ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कि सामान्य आदेश एक साथ द्विभाषी जारी नहीं किए जा रहे हैं। पहले आदेश जारी कर देना और बाद में उसका हिन्दी रुपान्तर जारी करना ठीक नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी आदेश/दस्तावेज एक साथ हिन्दी और अंग्रेजी में जारी होने चाहिएं। केवल इस विभाग से संबंधित आदेश केवल हिन्दी में ही जारी किए जाने चाहिएं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई हिन्दी में ही की जाएं और स्टॉफ को दिए जाने वाले ज्ञापन आदि भी हिन्दी में ही जारी किए जाएं।

इस निर्णय को दोहराया गया कि मांग अनुसार खरीदी जाने वाली एम्बॉसिंग मशीनें/टाइपिंग मशीनें देवनागरी की ही खरीदी जाएं।

बताया गया कि 12/90 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान 886 पता प्लेटें हिन्दी में एम्बॉस की गई थीं। तय किया गया कि भविष्य में भी इस गति को बनाये रखा जाए और "क" व "ख" क्षेत्र के ग्राहकों की पता प्लेटें जल्दी हिन्दी में पूरी की जाएं। प्रकाशन नियंत्रक ने आदेश दिए कि शेष बचे पांच आपरेटरों को भी हिन्दी एम्बॉसिंग का दो माह का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण 1-4-91 से 31-5-91 तक दिया जाए।

– सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक विभाग में दो नकद पुरस्कार योजनाएं चलाई गई हैं। प्रकाशन नियंत्रक ने चाहा कि संबंधित अधिकारियों से हिन्दी में किए गए काम का ब्यौरा लेकर पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राशि का निर्णय लिया जाए।

सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार इस कार्यालय में 60% टाइपराइटर देवनागरी के होने चाहिएं। इस पर निर्णय लिया गया कि भविष्य में नए खरीदे जाने वाले अथवा पुराने टाइपराइटरों के बदले में खरीदे जाने वाले टाइपराइटर देवनागरी के खरीदे जाएं।

प्रकाशन नियंत्रक ने जानकारी देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रकाशन विभाग के एक कर्मचारी श्री सुशील कुमार चटर्जी जो भारत सरकार, बुक डिपो, कलकत्ता में कार्यरत है को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा 1-8-90 से 30-9-90 तक 25 वीं अखिल भारतीय हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में भाग लेने के फलस्वरूप उन्हें विशेष राज्य पुरस्कार दिया गया है। यह बड़े गौरव की बात है कि इस विभाग के अहिन्दीभाषी अधिकारी ने हिन्दी में काम करके विभाग की छवि को बढ़ाया है।

दिल्ली प्रशासन में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

दिल्ली प्रशासन में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन विषय पर सोमवार दिनांक 18-3-91 को श्री कौशल कुमार माथुर, सचिव (राजभाषा) गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें दिल्ली प्रशासन के श्री आर. के. टक्कर, मुख्य सचिव, श्री नरेन्द्र प्रसाद, सचिव (भाषा), श्री निशि कांत महाजन, संयुक्त सचिव (राजभाषा) तथा गृह मंत्रालय के डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान), तथा श्री नेत्र सिंह रावत, अनुसंधान अधिकारी भी उपस्थित थे।

सचिव (राजभाषा) ने कहा कि दिल्ली प्रशासन में कुछ वर्ष पहले तक बहुत-सा काम हिंदी में होता था। अब क्या स्थिति है, इस बारे में और आगे हिंदी में कामकाज बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए बैठक रखी गई है। दिल्ली प्रशासन में हिंदी में कामकाज कराने का दायित्व राजभाषा विभाग का है।

हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत के बारे में चर्चा के दौरान संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने जानना चाहा कि अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं/अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान दिल्ली प्रशासन में उसी तरह जरूरी किया गया होगा जैसे हिंदी भाषी राज्यों में है। प्रशासन के सचिव (भाषा) ने कहा कि स्थिति की जांच करा ली जाएगी और कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत भी राजभाषा नियमों में दी गई परिभाषा को ध्यान में रख कर मालूम करके सूचित किया जाएगा।

हिंदी टंकण व आशुलिपि के प्रशिक्षण के संबंध में निदेशक (अनुसंधान) ने कहा कि "क" क्षेत्र के कार्यालयों में 31 मार्च, 1991 तक कुल टाइपिस्टों/आशुलिपिकों में से 60 प्रतिशत हिंदी टाइपिस्ट/आशुलिपिक होने चाहिएं। यह लक्ष्य नई भर्ती करके और प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इस बारे में प्रशासन के सचिव (भाषा) ने कहा कि वे सभी अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में शीघ्र मंगवाएंगे।

प्रशासन में राजभाषा नीति के अनुपालन की वर्तमान स्थिति के संबंध में सचिव (भाषा) ने स्वीकारा कि राजभाषा नीति के पालन के लिए अनेक ठोस उपाय शीघ्र करने होंगे ताकि हर कार्यालय में तिमाही बैठकें हों और कहा कि वर्तमान प्रोफार्मा को अधिक युक्ति-संगत बनाकर मॉनिटरिंग में गति लाई जाएगी।

राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के बारे में चर्चा के दौरान संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने कहा कि प्रशासन की राजभाषा हिंदी होने के फलस्वरूप तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और सारा कामकाज हिंदी में ही होना है। प्रशासन के सचिव (भाषा) ने स्थिति की जांच करने के लिए कहा। राजभाषा नियमों के प्रावधान लागू करने पर कार्यालयों को अधिसूचित करने का काम दिल्ली प्रशासन सचिवालय द्वारा तत्परतापूर्वक किया जाएगा और नियम 8 (4) के अधीन विनिर्दिष्ट करने का कार्य भी शुरु किया जाएगा।

प्रशासकीय स्तर पर राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का अनुपालन कराने के लिए निदेशक (अनुसंधान) ने जानना चाहा कि किन-किन कार्यालयों में हिंदी अनुभाग और हिंदी अधिकारी हैं और क्या उनका कोई संवर्ग है। प्रशासन के सचिव (भाषा) ने बताया कि हिंदी अधिकारी केवल भाषा विभाग में हैं और कहीं नहीं हैं। उनको ही पूरे प्रशासन में हिंदी में कामकाज करने का दायित्व सौंपा गया है। सचिव (राजभाषा) महोदय ने उन अधिकारियों की वरिष्ठता को तत्काल अंतिम रूप से निर्धारित कर देने के लिए कहा।

देवनागरी अथवा द्विभाषिक इलैक्ट्रोनिक उपकरणों आदि की खरीद के बारे में प्रशासन के सचिव (भाषा) ने बताया कि ये द्विभाषी ही खरीदे जाते हैं। यदि कहीं केवल अंग्रेजी में काम दे सकने वाले होंगे तो उनको तुरन्त हिंदी में काम दे सकने की क्षमता वाला बनवाया जाएगा।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के निरीक्षण के लिए सचिव (राजभाषा) ने कहा कि प्रशासन में एक संयुक्त कार्यान्वियन समिति बनाई जाए जिससे कि राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) भी सदस्य होंगे क्योंकि फिलहाल जो समिति बनी है वह काम नहीं कर रही है। प्रस्तावित समिति शीघ्र गठित की जाएगी और बैठक भी तत्काल बुलाई जाएगी। फार्मों/लाइसेंसों आदि के हिंदी में होने के संबंध में सचिव (भाषा) ने बताया कि सभी फार्म आदि हिंदी में भी होते हैं। इस पर राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) ने कार का एक नया रजिस्ट्रेशन दिखाया जो केवल अंग्रेजी में था और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया जो केवल अंग्रेजी में था। संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने मोटर गाड़ी अधिनियम (Motor Vehicle Act के प्रावधानों को देख लेने के लिए कहा जो दिल्ली प्रशासन के सचिव (भाषा) देखेंगे और इनको हिंदी में भी कराने की कार्रवाई करेंगे।

दिल्ली प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण संयुक्त समिति के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और छोटे कार्यालयों के निरीक्षण के लिए राजभाषा विभाग के अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी भी शामिल कर लिए जाएंगे।

जिन कार्यालयों में 25 और अधिक (समूह घ को छोड़कर) कार्मिक हैं वहां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाएंगी और उनकी तिमाही बैठकें भी की जाएंगी जैसा कि अन्य केन्द्रीय कार्यालयों में होता है।

अंत में निदेशक (अनुसंधान) ने सचिव (राजभाषा), मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, सचिव (भाषा), दिल्ली प्रशासन और संयुक्त सचिव (राजभाषा) को धन्यवाद दिया और तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

□

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. मंगलूर

मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10वीं बैठक कारपोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर के सभा गृह में 4 अप्रैल, 1991 को 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न सदस्य कार्यालयों के एक सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समिति के अध्यक्ष श्री के. आर. राममूर्ति ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, बेंगलूर के सहायक निदेशक श्री जे. आर. पाण्डेय तथा उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सदस्य सचिव श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रेषित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की तत्पश्चात् शील्ड वितरण समारोह हुआ। इसका विवरण निम्नलिखित है :—

1. उत्तम बैंक	सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय, मंगलूर।
2. केन्द्र सरकार का उत्तम कार्यालय :	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, मंगलूर।
3. उत्तम सरकारी उपक्रम का कार्यालय :	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एलपीजी संयंत्र, मंगलूर

निम्नलिखित बैंकों की तीन शाखाओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये :

1. आन्ध्रा बैंक, मंगलूर शाखा
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मंगलूर शाखा।
3. कार्पोरेशन बैंक, बंदर, मंगलूर शाखा।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये :—

1. श्री किशोर एम. काकडे	कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि., मंगलूर।
2. श्री अनिल आहूजा	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मंगलूर।
3. श्री प्रकाश पई	नव मंगलूर पत्तन न्यास, मंगलूर।
4. श्री एम. गणेश राव	इंडियन एयरलाईन्स
5. श्री पी. एम. जोशी	विजया बैंक, आंचलिक कार्यालय, मंगलूर।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., के उप प्रबंधक श्री अनिल आहूजा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

2. गांतोक

सिक्किम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, की वर्ष 1990-91 की दूसरी बैठक (महालेखाकार सिक्किम) श्री अ. कु. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में दिनांक 14 मार्च, 1991 को हुई। बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग में निदेशक (अनुसंधान) श्री महेशचन्द्र गुप्त तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरि ओम् श्रीवास्तव भी सम्मिलित हुए।

सदस्य सचिव श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक इंजीनियर (के. लो. नि. वि.) ने सबका स्वागत किया।

अध्यक्ष श्री अ. कु. चटटोपाध्याय ने कहा कि "गान्तोक में राजभाषा हिन्दी में कामकाज करने का उत्साह है और विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी अपने-अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे हैं। फलस्वरूप लगभग सभी कार्यालयों में कुछ काम हिन्दी में होने लगा है। उन्होंने बताया कि गान्तोक में केन्द्रीय कार्यालय बहुत दूरी में फैले हुए हैं। किसी कार्यालय से हिन्दी पढ़ने के लिए आने वाले कर्मचारियों को कक्षा में पहुंचने का एकमात्र साधन टैक्सी जो बहुत ही महंगा वाहन है। एक ही प्राध्यापक होने से दो या तीन स्थानों पर कक्षाएं चलाना भी कठिन है। एक ही कार्यालय डाक सेवा निदेशालय में कक्षाएं चलाए जाने से प्रशिक्षुओं के नाम कम मिलते हैं और उपस्थिति भी कम होती है। तो भी नगर के सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षु भेजने चाहिएं जिससे हिन्दी पढ़ाई को काम में तेजी आए।

विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने प्रगति का विवरण भी दिया जो इस प्रकार है :—

1. विशेष सुरक्षा ब्यूरो श्री किशोरी लाल ने हिन्दी में कामकाज कराने के प्रयत्नों का विवरण दिया, किंतु लक्ष्यों तक न पहुंच पाने के कारण बताए।

2. उप महालेखाकार श्री महेन्द्र सिंह ने प्रगति का निम्नलिखित विवरण दिया :—

तिमाही	हिन्दी में जारी पत्रादि का % जो क,ख,ग क्षेत्र में भेजे गये	'क' 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों को हिन्दी में भेजे गए पत्रादि
सितम्बर 1990	17%	65%
दिसम्बर 1990	21%	87%

राजभाषा कानून की धारा 3 (3) में उल्लिखित काम हिन्दी में भी अंग्रेजी के साथ साथ हो रहे हैं। आडिट प्रभाग में रोमन के 8 और देवनागरी के 2 टाइपराइटर हैं। यह भी बताया कि फाइलों पर अनेक टिप्पणियां भी हिन्दी में लिखी जाती हैं।

3. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के उप निदेशक श्री दा. चि. सु. राजू ने बताया कि हिन्दी टाइपराइटर और कम्प्यूटर से भी हिन्दी में काम लिया जा सकता है और कुछ कार्य हिन्दी में कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। वैज्ञानिक लेखन हिन्दी में किया जा रहा है हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसमें वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। एक हिन्दी पत्रिका "वनस्पति वाणी" के नाम से प्रकाशित की जा रही है।

4. केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय इंजीनियर श्री एस. बी. पांड्या ने विभिन्न नियमावलियां जैसे भविष्य निधि, यात्रा भत्ता आदि के हिन्दी में न मिलने का उल्लेख किया।

निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि अब अधिकांश नियमावलियां हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ छपी हुई उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकारी पुस्तक विक्रेताओं से मंगाई जाएं।

5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त निदेशक श्री रा. प. अवस्थी ने बताया कि लगभग सभी वैज्ञानिक/कार्मिक हिन्दी जानते हैं। दो कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग जानते हैं और रोमन के 8 की तुलना में देवनागरी का एक टाइपराइटर भी है। पर वैज्ञानिक लेखन और प्रशासनिक काम अभी तक हिन्दी में करने का काम शिथिल है और भरपूर प्रयत्न किए जाएंगे।

6. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 80 वीं बटालियन के कमांडेंट श्री एम. पी. चिटनिस ने बताया 90% कार्य हिन्दी में होता है। सभी प्रकार की इंक्वारियां हिन्दी में होती हैं। उन्होंने द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर को डी. जी. एस. डी. के दर ठेके पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की जिससे खरीदने में कठिनाई न हो। निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग ने इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एंड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन, अकबर भवन एनेक्सी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का नवीनतम पर्सनल कम्प्यूटर खरीदने का सुझाव दिया जो सरकारी कम्पनी का सस्ता तथा बड़ी स्मृतिकोश (मेमोरी) वाला है।

7. श्री अ. कु. सिन्हा, कार्यपालक इंजीनियर के. लो. नि. वि. ने अपने कार्यालय के हिन्दी सम्बंधी कार्य का ब्यौरा देते हुए कहा कि सभी फाइल कवरों, नामपट्ट, रबर की मोहर आदि द्विभाषी कर ली गई हैं। पत्राचार का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश जारी है। हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या 6 हैं। जबकि कुल टाइपराइटर 14 थे। कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य काफी हद तक किया जा चुका है। हिन्दी सप्ताह तथा दिवस मनाया गया।

श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यालयों के निरीक्षण में देखा है कि जो हिन्दी भाषी नहीं हैं वे हिन्दी में ज्यादा कार्य करते हैं। हिन्दी का कार्य मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम स्थित कार्यालयों में संतोषजनक है, अतः सिक्किम में तो इसे और सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

निदेशक राजभाषा विभाग डा. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि किसी भाषा से हिन्दी के टकराव का प्रश्न ही नहीं उठता। हिन्दी सदियों से राजकाज में हमारे यहां प्रयोग होती रही है। उन्होंने मद्रास के कार्यालयों, आन्ध्र बैंक, बंबई के कपास निगम, सर्वेक्षण विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां हिन्दी में अत्यधिक संतोषजनक कार्य हुए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक तथा वास्तुकीय नक्शों में तथा रोकड़ बहियों में हिन्दी के प्रयोग की बात कही। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक शब्दों के एक होने की बात की। पांच हिन्दी फिल्मों के कसेट मंगाकर तथा कर्मचारियों को दिखा कर हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार करने का अनुरोध किया।

3. मद्रास

मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 14-3-91 को समिति के अध्यक्ष श्री टी. सी. ए. रामानुजम-मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक का शुभारम्भ समिति के सदस्य सचिव श्री ए. सी. चन्द्रा, आयकर आयुक्त (अ) के स्वागत वचन के साथ हुआ। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों द्वारा समिति की गतिविधियों को संपन्न कराने में दिये गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस संदर्भ में दक्षिण रेलवे, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट व भारी वाहन निर्माणी द्वारा दिये गए विशेष सुविधाओं का जिक्र किया। तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने भारत पेट्रोलियम के श्री के. नीलकंठन, म. प्र. (क्षे. वि.), मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बालराजु और भारी वाहन निर्माणी के महाप्रबंधक श्री पट्टाभिरामन को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस संदर्भ में श्री नीलकंठन ने बताया कि यह उनका अपना लक्ष्य है कि दक्षिणी राज्यों के राजभाषा के प्रगामी प्रयोग बढ़ाने में यथा संभव सहयोग दें। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

सदस्यों ने अपने प्रशिक्षण व कार्यान्वियन संबंधी कुछ समस्याएं उठाई जिनका निराकरण राजभाषा विभाग के तत्संबंधी अधिकारियों द्वारा किया गया। सहायक निदेशक

(राजभाषा) श्री शंकर कृष्ण के धन्यवाद समर्पण के साथ बैठक समाप्त हुई ।

4. तिरुचिरापल्ली

तिरुचिरापल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 11-3-1991 को आयोजित चौथी बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री आर. सुब्रमणियन, मंडल रेल प्रबंधक ने की। बैठक में अपर रेल मंडल प्रबन्धक, आदि कई कार्यपालक गण के साथ करीब 30-35 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ.आर.के. मूर्ति ने भाग लिया ।

5. मदुरै

मदुरै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक श्री एस. बापू, आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 13-3-91 को संपन्न हुई। इसमें करीब 20-25 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ.आर.के. मूर्ति सहायक निदेशक (का) ने भाग लिया ।

समिति की पिछली बैठक के निर्णयों के अनुसरण में गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शहर में चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सर्वकार्यभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए परिपत्र का जिक्र करते हुए सदस्यों से पूछा कि विभिन्न सदस्य कार्यालयों द्वारा नामित कर्मचारियों के बारे में पता लगाया। उन्होंने सदस्य कार्यालयों से यह भी अनुरोध किया कि अपनी प्रगामी रिपोर्ट अपने कार्यालय को समय पर भिजवाएं ताकि उन पर मदवार समीक्षा हो सके तथा साथ ही समिति द्वारा आवश्यक सहयोग भी दिया जा सके ।

6. पांडिचेरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जिपमेर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डा. श्री बालिया की अध्यक्षता में दिनांक 6-3-91 को संपन्न हुई। इस में सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, आकाशवाणी केन्द्र के अभियन्ता और अन्य कार्यपालक तथा कार्यालय प्रमुखों ने भाग लिया। करीब 20-25 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट की मदवार समीक्षा की गयी। कमियों को दूर करने का अनुरोध किया गया। आवश्यक सुझाव भी दिये गये। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ.आर. के मूर्ति द्वारा बैठक के अवसर पर नगर स्थित 7 कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। सदस्यों ने फिर एक बार टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग की। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग का ध्यान आकर्षित करने का आश्वासन दिया।

7. विजयवाड़ा

दिनांक 25-3-91 को विजयवाड़ा नराकास की दूसरी बैठक हुई। नराकास विजयवाड़ा के अध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे श्री एम.एस. फारुकी ने बैठक की अध्यक्षता की। कुल 52 सदस्यों में से 32 सदस्य उपस्थित थे।

प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षात्मक विवेचना की गयी। विभाग की ओर से आग्रह किया गया कि हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों से कार्यालय का काम हिन्दी में लिया जाय जो हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही धारा 3(3), हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना, मूल पत्राचार आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

8. मैसूर

दिनांक 14-3-91 को मैसूर नराकास की बैठक, श्री श्रीवास्तव अध्यक्ष, नराकास एवं निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान की अध्यक्षता में हुई। कुल 37 सदस्य है उनमें से 25 सदस्य उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया है कि सरकार के आदेश के मुताबिक कार्यालय के अध्यक्षों को बैठक में अवश्य उपस्थित होना चाहिए तथा बैठक में समीक्षा के लिए रिपोर्ट कम से कम 15 दिन पहले भेजी जानी चाहिए।

सहायक निदेशक (का.), श्री जे.आर. पाण्डेय ने यह भी अनुरोध किया कि हिन्दी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों, टंककों और आशुलिपिकों को, यथाशीघ्र प्रशिक्षित करवाया जाय। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना से संबंधित प्रश्नों के जवाब भी दिये। साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि हिन्दी, हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों से कार्यालयों का काम हिन्दी में लिया जाये जो हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में सहायक होगा। विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई अवश्य की जाए और कार्यालय कार्यान्वयन समिति की बैठकों में प्रगति की समीक्षा हो।

9. वरंगल

दिनांक 21-3-91 को वरंगल नराकास की बैठक, श्री एस. प्रसाद राव, अध्यक्ष नराकास एवं अंचल प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री बृज

मोहन सिंह नेगी निदेशक (तकनीकी), भारत सरकार, राजभाषा विभाग श्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया कि सरकार के आदेश के मुताबिक कार्यालय के अध्यक्षों को बैठक में अवश्य उपस्थित होना चाहिए तथा बैठक में समीक्षा के लिए रिपोर्ट कम से कम 15 दिन पहले भेजी जानी चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिए।

निदेशक (तकनीकी) श्री नेगी ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय को राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए तो अपना कार्य करना ही है किंतु इस पर कार्यालय अध्यक्षों की व्यक्तिगत निगरानी आवश्यक है। नियुक्ति पर पाबन्दी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक प्रतिशत की छूट दी है और उसी में यह नियुक्ति की जानी चाहिए। हालांकि राजभाषा विभाग हिंदी अधिकारियों के नियुक्ति के लिए अलग से प्रावधान करवाने का प्रयास कर रहा है।

सहायक निदेशक (का.), श्री जे. आर. पाण्डेय ने विभाग की ओर से यह अनुरोध किया कि हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों, टंककों और आशुलिपिकों को यथाशीघ्र प्रशिक्षित करवाया जाए। उन्होंने हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित प्रश्नों का जवाब भी दिया।

10. तिरूपति

दिनांक 18-3-91 को तिरूपति, नराकास की बैठक, अध्यक्ष, नराकास, तिरूपति एवं उप महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक श्री के. एम. के. स्वामी की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया है कि सरकार के आदेश के मुताबिक कार्यालय के अध्यक्षों को बैठक में अवश्य उपस्थित होना चाहिए तथा बैठक में समीक्षा के लिए रिपोर्ट कम से कम 15 दिन पहले भेजी जानी चाहिए।

विभाग की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि हिंदी अप्रशिक्षित कर्मचारियों, टंककों और आशुलिपिकों को यथाशीघ्र प्रशिक्षित करवाया जाए और हिंदी शिक्षण योजना के संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए। सहायक निदेशक (का.), श्री जे. आर. पाण्डेय ने यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देना चाहिए और हिंदी, हिंदी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों से कार्यालय का काम हिंदी लिया जाना चाहिए।

11. कोयम्बतूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28-2-91 को आयोजित की गयी। इस की अध्यक्षता श्री बी. एस. रामस्वामी आयकर आयुक्त ने की। अन्य अधिकारी वर्ग के साथ-साथ श्री के. सीताराम उपमहा-प्रबन्धक (द. वि) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन मद्रास, श्री के. पी. चांडी प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, कोयम्बत्तूर, और राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के श्री ओ. आर. के. मूर्ति ने भी भाग लिया।

श्री के. पी. चाण्डी, ने बैठक के मुख्य अतिथि श्री के. सीताराम उ.म.प्र. (क्षे. वि) और प्रतिभागियों का स्वागत किया। अध्यक्ष श्री रामस्वामी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा की आवश्यकता और उस के प्रयोग पर जोर दिया। श्री श्याम सुन्दर शर्मा व. हि. अ., भारत पेट्रोलियम का. मद्रास ने निगम द्वारा दक्षिण में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उन के कार्पोरेशन और विशेष रूप से उन के महाप्रबन्धक (विपणन) श्री नीलकंठन जी की नीति है कि दक्षिणी राज्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का हर संभव कदम उठाया जाए। इसी सिलसिले में उनका निगम मद्रास, हैदराबाद, बेंगलर व मंगलूर जैसे 6 नगर समितियों को रोलिंग शील्ड दे रहा है।

सदस्यों द्वारा उठायी गयी शंकाओं का निराकरण श्री ओ. आर. के. मूर्ति सहायक निदेशक (का.) द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया।

12. इज्जत नगर—बरेली

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इज्जतनगर—बरेली की वर्ष 1990-91 की द्वितीय बैठक दिनांक 25-2-91 को श्री राजेन्द्र नाथ सोनी, मण्डल रेल प्रबन्धक, इज्जतनगर की अध्यक्षता में भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, बरेली के सभाकक्ष में हुई।

भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय के मण्डल प्रबन्धक श्री अजीत सिंह ने समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र नाथ सोनी, गृह मंत्रालय गाजियाबाद के सहायक निदेशक (कार्या.) श्री डी. पी. बन्दूनी एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल कार्यालय बरेली का अधिकांश कार्य हिन्दी में होने लगा है। कार्यालय 31-12-90 को समाप्त तिमाही में हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

(1) मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जत नगर

इज्जतनगर के राजभाषा अधिकारी श्री जगदीश नाथ श्रीवास्तव ने बताया कि मण्डल रेल प्रबन्धक का कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है और नियम 8(4) के अन्तर्गत प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी का ही प्रयोग करने के लिए विषय भी विनिर्दिष्ट हो चुका है। इन विषयों की फाइलों पर प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में ही कार्रवाई की जाती है।

मूल पत्राचार

मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत 99.5 है। 31-12-90 को समाप्त तिमाही में कार्यालय द्वारा कुल 43143 पत्र हिन्दी में तथा 216 पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए थे।

(2) मुख्य कारखाना प्रबन्धक का कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

मू प चार के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में कुल 2632 पत्र हिन्दी में तथा 136 पत्र अंग्रेजी में जारी हुए। इस प्रकार 94% मूल पत्राचार हिन्दी में हो रहा है।

(3) जिला भण्डार नियंत्रक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर: 31-12-91को समाप्त तिमाही में कार्यालय द्वारा 2197 पत्र हिन्दी तथा 1000 पत्र अंग्रेजो में भेजे गए। इस प्रकार हिन्दी मूल पत्राचार का प्रतिशत 98.7 है। इसी अवधि में कहीं से प्राप्त कुल 980 हिन्दी पत्रों में से 860 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। पत्राचार में हिन्दी प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, बरेली: इस अवधि में कार्यालय द्वारा किए गए मूल पत्राचार के अन्तर्गत 18789 पत्र हिन्दी तथा 609 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार मूल पत्राचार में हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 97 है। निगम के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा "सर्वतोन्मुखी प्रगति प्रतियोगिता" चलाई गई है इसके अन्तर्गत 1-12-90 से 31-3-91 की निर्धारित अवधि में हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले अनुभाग को पुरस्कृत करने की योजना है। हिन्दी प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिन्दी कथन के आकर्षक स्टिकर छपवाये गए हैं जिसे सभी शाखा तथा मण्डल कार्यालय के विभागों और अनुभागों में प्रदर्शित किया गया है। टिकट आकार के हिन्दी कथन और राजभाषा नियमों के अनुपालन संबंधी स्टिकर भी छपवाये गए हैं जिसे कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों पर लगाया जाता है। इन स्टिकरों की व्यापक स्तर पर सराहना हुई है।

(5) यूको बैंक मण्डल कार्यालय, बरेली 31-12-90 को समाप्त तिमाही में मूल पत्राचार के अन्तर्गत 2303 पत्र हिन्दी में तथा 1228 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 65 रहा। इसके अतिरिक्त जमा रसीदों में 75% पास बुक भरने में 40, लेजर बहियों में प्रविष्टियां तथा वाउचर तैयार करने में 20% तथा ड्राफ्ट तैयार करने में 75% कार्य हिन्दी में किए जाते हैं। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मण्डल कार्यालय में एक पत्राचार पुरस्कार योजना चलाई गई है जिसके अन्तर्गत साल भर में 300 पत्र हिन्दी में लिखने वाले अधिकारी को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बैंक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र तथा रु 25/- की हिन्दी पुस्तकें दी जाती हैं।

(6) इफको इकाई कार्यालय (आंवला) :- मूल पत्राचार के अन्तर्गत इस अवधि में 3270 पत्र हिन्दी में तथा 2248 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 59.2 रहा।

(7) सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली:—
अलोच्य अवधि में कार्यालय द्वारा 10388 पत्र हिन्दी में तथा 846 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार 92 पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है। कार्यालय से 164 तार हिन्दी में तथा 108 तार अंग्रेजी में जारी किए गए तारों में हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 60 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त बैंक कार्यालय में पासबुक भरने में 94% लेजर व बहियों में प्रविष्टियां 93% वाउचर तैयार करने में 67% जारी किए जाते वाले चैकों में 78% पर्ची जमा रसीदों में 95% तथा विवरणियों में 97% कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है।

(8) भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, बरेली
कार्यालय द्वारा किए गए मूल पत्राचार के अन्तर्गत इसी अवधि में कुल 26419 पत्र हिन्दी में तथा 18029 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए जिनमें हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 59.4% रहा। आलोच्य अवधि में 1482 तार हिन्दी में तथा 1102 तार अंग्रेजी में भेजे गए जिनमें हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 57.3% रहा। इसी अवधि में 1230 विवरणियां हिन्दी में तथा 730 अंग्रेजी में भेजी गई। अन्य रजिस्टरों, चैकों, तथा बिलों कार्यों में 80% से अधिक कार्य हिन्दी में ही किए जाते हैं।

(9) इन्डियन ओवरसीज बैंक कार्यालय, बरेली:— कार्यालय द्वारा किए गए मूल पत्राचार के अन्तर्गत इसी अवधि में कुल 150 पत्र हिन्दी में तथा 200 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार मूल पत्राचार का प्रतिशत 43 रहा। इसके अतिरिक्त पास बुक हिन्दी में भरना 90% लेजर व रजिस्टर हिन्दी में लिखना 10% तथा चैक एवं वाउचर के कार्यों में 05% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है।

(10) केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
पत्राचार के अन्तर्गत इस अवधि में कुल 154 पत्र हिन्दी में तथा 512 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए जिनमें हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 23 रहा। इसी अवधि में कार्यालय द्वारा 02 तार हिन्दी में तथा 04 तार अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार हिन्दी तारों का प्रतिशत 34 रहा। कार्यालय में हिन्दी में मूलरूप से काम की प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

(11) **भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कार्यालय, इज्जतनगर:—** मूल पत्राचार के अन्तर्गत इस अवधि में कुल 72 पत्र हिन्दी में तथा 785 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए जिनमें हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 9 रहा। कार्यालय द्वारा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रयास जारी हैं।

(12) **मुख्य डाकघर कार्यालय, बरेली**

मूल पत्राचार के अन्तर्गत इस अवधि में कुल 275 पत्र हिन्दी में तथा तथा 69 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए जिसमें हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 80 रहा।

(13) **छावनी परिषद कार्यालय, बरेली छावनी**
मूल पत्राचार के अन्तर्गत 335 पत्र हिन्दी में तथा 300 पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए। हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 52 रहा।

(14) **दि न्यू इन्डिया एश्योरेन्स कं. लि. कार्यालय, बरेली**

मूल पत्राचार 72% रहा।

(15) **नेशनल एश्योरेन्स कं. लि. कार्यालय, बरेली** में हिन्दी में मूल पत्राचार 86% है।

(16) **केन्द्रीय लोक निर्माण** कार्यालय बरेली में पत्राचार 82.4% रहा।

(17) **भारतीय खाद्य निगम कार्यालय, बरेली** में हिन्दी में 68% पत्राचार हुआ।

(18) **क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी कार्यालय बरेली में हिन्दी** में 86% पत्राचार हुआ।

(19) **लोकल आडिट आफिस कार्यालय वायुसेना, इज्जतनगर** में 44% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

धारा 3 (3) के अन्तर्गत केवल 02 कागजात द्विभाषी में तथा एक कागज केवल अंग्रेजी में जारी किया गया। इसी अवधि में कहीं से भी प्राप्त कुल 90 हिन्दी पत्रों में से 37 पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया तथा शेष 53 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। आलोच्य अवधि में मूल पत्राचार के अन्तर्गत 221 पत्र हिन्दी में तथा 273 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 44 है।

(20) पंजाब **नेशनल बैंक क्षेत्रीय** कार्यालय **बरेली** में हिन्दी पत्राचार 89% रहा है।

(21) **स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बरेली—** इसी अवधि में कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार के अन्तर्गत 900 पत्र हिन्दी में तथा 300 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार मूल पत्राचार में हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 75 है। इसी अवधि में कार्यालय द्वारा कुल 125 तार हिन्दी में तथा 125 तार अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार हिन्दी तारों का प्रतिशत 50 रहा। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा हिन्दी में 90 प्रतिशत कार्य पास बुक भरने, टिप्पणियों में शत-प्रतिशत लाग बुक में प्रविष्टियों 90% तथा लिफाफों पर पता शत-प्रतिशत हिन्दी में ही लिखा जाता है। कार्यालय में कुल 125 रबर मोहरें, 20 नाम पटट तथा 02 पीतल की सीलें है जो सभी हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में हैं। कार्यालय में हिन्दी प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिन्दी समारोह, हिन्दी दिवस आदि में आयोजित किए जाते हैं।

(22) **सिन्डीकेट बैंक कार्यालय बरेली, —** आलोच्य अवधि में कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार के अन्तर्गत कुल 480 पत्र हिन्दी में तथा 360 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। इस प्रकार हिन्दी प्रयोग का प्रतिशत 60 है। इसी अवधि में कार्यालय द्वारा 22 तार हिन्दी में तथा 26 तार अंग्रेजी में भेजे गए। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा हिन्दी में पास बुक शत-प्रतिशत भरना, लेजर व बहियों में प्रविष्टियों 85% वाउचर तैयार करने में 60 ड्राफ्ट तैयार करने में 80% चैक भुगतान पर्ची आदि में 80% तथा जमा रसीदों में 80% कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

सहायक निदेशक (राजभाषा) गृह मंत्रालय, गाजियाबाद श्री डी. पी. बन्दूनी ने समिति के अध्यक्ष श्री सोनी तथा समिति के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि श्री सोनी की अध्यक्षता में बरेली नगर की बैठक सुचारू रूप से आयोजित होती है।

उन्होंने आह्वान किया और कहा कि जो कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय कार्य भी करती हैं उन्हें देश के अन्दर निष्पादित होने वाले कार्यों को तो हिन्दी में ही करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य कार्यालय अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

13. पटना

पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.02.91 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रशिक्षण केन्द्र में, मिटको निगम के अध्यक्ष-सहप्रबंध निदेशक डॉ. बी.सी. मल्लिक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कलकत्ता के उप निदेशक, कार्यान्वयन श्री सिद्धिनाथ झा उपस्थित थे।

अध्यक्ष डॉ. मल्लिक ने कहा कि "मैं चाहता हूं कि देश के पूर्वी प्रान्तों में कम-से-कम पटना की इस नगर समिति की उपलब्धियां इस प्रकार हों कि यह दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। यह तभी संभव हो सकेगा जब पटना नगर के सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों आदि में राजभाषा विभाग के आदेशों को लागू करने के लिए हर स्तर से प्रयास किया जाय। इसके लिए, सभी कार्यालय अध्यक्षों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

हिंदी कार्यान्वयन समीक्षा

सचिव ने रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बताया कि केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्त्तालय में 1020 कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं और 146 अधिकारी अप्रशिक्षित हैं जबकि जनवरी माह 1990 की रिपोर्ट में इस कार्यालय द्वारा यह आंकड़ा दिया गया था कि उनके यह 897 कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं और 197 अधिकारी अप्रशिक्षित हैं। इस कार्यालय में अप्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या कम तो हुई है किन्तु अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है। इस पर राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े देने में कोई कमी रह गई है। इस संबंध में उनसे अलग से जानकारी ले ली जाए। त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा के अनुक्रम में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि आकाशवाणी, विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा हिन्दी में प्राप्त 30 पत्रों में से 12 का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है और इसी प्रकार, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी 5882 प्राप्त हिन्दी के कुल पत्रों में 695 का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है।

आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारण सेवा के सहायक निदेशक श्री राजलीन लकड़ा ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा विभिन्न प्राइवेट पार्टियों से भी पत्राचार करना होता है और वाणिज्यिक कार्य की प्राथमिकताओं को देखते हुए उनसे अंग्रेजी में ही पत्राचार करना पड़ता है। सचिव ने स्पष्ट किया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर तो अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाना है। अतः प्राइवेट पार्टियों को भी हिन्दी में पत्र लिखा जाए। नियमतः इस संबंध में कार्रवाई की छूट नहीं है। जिन प्राइवेट पार्टियों से हिन्दी में पत्र "प्राप्त होंगे" उनका उत्तर तो अवश्य उन्हें हिन्दी में दिया जाए। इससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

सदस्यों के द्वारा पूछे जाने पर श्री सिद्धिनाथ झा उपनिदेशक कार्यान्वयन ने स्पष्ट किया इस धारा (3) के अंतर्गत कौन-कौन से कागजात आते हैं, जिनका द्विभाषी अनुपालन किया जाना है, जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन), संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, टेन्डर नोटिसेज, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक प्रतिवेदन आदि।

सदस्यों के सुझाव पर बैठक में ही पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें तीन उपक्रमों के प्रतिनिधि एवं तीन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधि रखे गए और इस उप समिति में सचिव पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयोजक के रूप में अध्यक्ष कार्यालय द्वारा नामित किए गए उपक्रमों में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एवं इण्डियन आयल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि रखने के प्रस्ताव पर सर्वसम्पत्ति से सहमति व्यक्त की गई एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से एक प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार महाराज, दानापुर रेल मण्डल कार्यालय से नामित किए गए। अन्य दो केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधियों को रखने के लिए सर्वसम्मति से सदस्य कार्यालयों ने अध्यक्ष पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अपनी सहमति दी। निर्णय लिया गया कि यह उप समिति, पटना नगर स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों उपक्रमों आदि में जाकर हिन्दी के प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अपेक्षित जानकारी व सूचनाएं प्राप्त करेगी, और उनकी प्रगति की रिपोर्ट भी अध्यक्ष महोदय, को प्रस्तुत करेगी।

सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र पटना द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े व उसकी वर्तमान स्थिति को नोट किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित कर्मचारियों को निर्धारित प्रतिशत में समय, पर नामित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

14. कोच्चिन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन (बैंकर) समिति, कोच्चिन की पांचवीं बैठक, 21 फरवरी, 1991 को श्री के.के. सत्यनाथन, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एर्णाकुलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु की गयी कार्रवाई सहित निम्नलिखित जानकारी दी गई :—

(1) दिनांक 10 एवं 11 दिसंबर, 1990 को अधिकारियों के लिए दो दिवसीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न बैंकों के 26 अधिकारियों ने भाग लिया।

(2) एक उप समिति की बैठक दिनांक 12 दिसंबर, 1990 को हुई, जिसमें नगर राजभाषा शील्ड योजना तथा केरल राज्य के लिए प्रस्तावित राजभाषा सेमिनार को अंतिम रूप दिया गया।

(3) नगर राजभाषा शील्ड योजना की रुप रेखा, छमाही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट फार्मेट परिशिष्ट सहित सभी सदस्यों को भेजे गये।

रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बैंकों ने राजभाषा नियमों का अनुपालन किया है। बैंकों का पत्राचार निम्नानुसार रहा।

— आई.डी.बी.आई	26.28 प्र.श.
— इंडियन ओवरसीज बैंक	0.0 प्र.श.
— सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,	39.1 प्र.श.
— भारतीय स्टेट बैंक	16.00 प्र.श.
— सिंडिकेट बैंक	23.45 प्र.श.
— केनरा बैंक	32.91 प्र.श.
— कारपोरेशन बैंक	24 प्र.श.
— स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	26 प्र.श.
— यूनियन बैंक आफ इंडिया	23.05 प्र.श.

केवल यूनियन बैंक आफ इंडिया के पास एक द्विभाषिक टेलेक्स है। सेन्ट्रल बैंक, केनरा बैंक, कोरपोरेशन बैंक एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया प्रत्येक के पास एक-एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर है। जो कि सीमित है। श्री क्षीर सागर (उप महाप्रबंधक) आई.डी.बी.आई ने समिति को बताया कि टेलेक्स के द्विभाषिकरण के लिए दूर संचार विभाग से संपर्क किया है और उनके स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष श्री के.के. सत्नाथन ने श्री ओ.आर. के मूर्ति (सहायक निदेशक कार्यान्वयन) से संबंधित बैंकों की रिपोर्ट की समीक्षा पर अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध किया। श्री मूर्ति ने विभिन्न बैंकों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की तथा बैठक में नियमित प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। श्री मूर्ति ने यह भी सूचित किया कि गृह मंत्रालय द्वारा कोचिन केन्द्र पर हिन्दी टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए एक सहायक निदेशक की नियुक्त की गई है। उन्होंने इस अवसर पर पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया।

श्री मूर्ति ने यह भी सुझाव दिया कि "प्रतिदिन एक शब्द सीखें" योजना में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द भी जोड़ दिया जाए। यह गैर मलयाली स्टाफ के लिए लाभदायक होगा।

15. गोवा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 18-2-91 को श्री आर. सुन्दर रामन, समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गोवा की अध्यक्षता में हुई।

श्री आदित्य प्रसाद त्रिपाठी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, सेन्ट जेवियर कालेज सापसा : गोवा तथा श्री माधव पंडित संचालक, राष्टभाषा प्रचार सभा:गोवा ने बैठक में अतिथि के रूप में भाग लिया।

गोवा में हिन्दी टाईपिंग एवं हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में समिति को सूचित किया गया कि यह कार्य बहुत दिनों से समिति के समक्ष आता रहा है लेकिन अब इसे पूरा किया जा चुका है। वास्को में हिन्दी शिक्षण योजना के **अन्तर्गत हिन्दी टाईपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है। केवल पंजिम में यह व्यवस्था नहीं थी जिसे पिछले सत्र से हिन्दी शिक्षण योजना पणजी केन्द्र के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा चुका है जो राष्ट्रीय** समुद्र विज्ञान संस्थान दोना पावला, गोवा के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

माडगांव में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में समिति को बताया गया कि श्री के. जी. एस. रामन, प्रभारी उपनिदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान मड़गाव एवं सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी हिंन्दी शिक्षण योजना वास्को के प्रयत्न से मडगांव में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्राज्ञ कक्षा प्रारम्भ की जा चुकी है। इस विषय पर अपना विचार प्रकट करते हुए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री कों रोशैयया ने कक्षाओं के आयोजन पर विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि हिन्दी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सर्व कार्य प्रभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अत : गोवा में स्थित किसी भी कार्यालय के अधिकारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

हिन्दी पत्राचार

समिति को बताया गया कि वर्ष 90-91 के लिये क्षेत्र "ग" में स्थित कार्यालयों के लिए हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत "20" रखा गया है। जिन कार्यालयों ने 20 या 20 से अधिक हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर लिया है उनका विवरण समिति के समक्ष निम्न रूप में रखा गया

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत
1	2	3
1.	भारतीय खान ब्यूरो, मडगांव	25.3
2.	कमान्डेन्ट का कार्यालय के.औ. सु.ब. ईकाई मुरगांव पत्तन न्यास हारबर	28.2
3.	केनरा बैंक, पणजी : गोवा	28
4.	यूनिग्रन बैंक आफ इन्डिया, पणजी गोवा	45.6

1	2	3
5.	भारतीय स्टेट बैंक, पणजी गोवा	20
6.	जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय पणजी: गोवा	26.7
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, पणजी गोवा	20.5
8.	मुरगांव पत्तन न्यास, मुरगांव हारबर गोवा,	21.4
9.	यूको बैंक पणजी, गोवा	34
10.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड : वास्को	37.1
11.	पत्र सूचना कार्यालय पणजी : गोवा	58.1

जिन कार्यालयों के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 10 से 20 के बीच रहा उनका नाम समिति के समक्ष निम्न रूप में रखा गया :—

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत
1.	केन्द्रीय वनस्पति रक्षा केन्द्र मडगांव गोवा	12.8
2.	कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय पणजी गोवा	18
3.	बैंक आफ बड़ोदा, पणजी : गोवा	13.2
4.	दि. एम. एम. टी. सी. वास्को गोवा	15
5.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, मडगाव	10.4
6.	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गोवा	14.2
7.	स्थानीय लेखा परीक्षा का कार्यालय पणजी : गोवा	15.5

हिन्दी पत्राचार के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए यूनियन बैंक आफ इन्डिया के हिन्दी अधिकारी श्री सरवैया ने बताया कि छोटे मोटे पत्रों, स्थाई प्रकार के पत्रों को आवश्यक तौर पर हिन्दी में भेजने से हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत में सुधार लाया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें कम से कम इस दिशा में इतना प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

धारा 3(3) का अनुपालन

धारा 3 (3) के अनुपालन के सम्बन्ध में समिति के समक्ष उन कार्यालयों की सूची निम्न रूप में रखी गयी जिन्होंने धारा 3(3) के शत प्रतिशत अनुपालन किया था, यथा

1. भारतीय खान ब्यूरो, मडगांव
2. यूनियन बैंक आफ इन्डिया, पणजी
3. भारतीय स्टेट बैंक, पणजी
4. दि.एम.एम.टी.सी.वास्को
5. बेतार अनुश्रवण केन्द्र, पर्वरी
6. जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, पणजी
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया पणजी
8. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को

जिन कार्यालयों का प्रतिशत 75 से 100 के बीच रहा उनका नाम निम्न रूप में समिति के समक्ष रखा गया

1.	कमान्डेन्ट का कार्यालय वास्को	81.1 प्रतिशत
2.	रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, पणजी	80 प्रतिशत
3.	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गोवा	91.5
4.	पत्र सूचना कार्यालय पणजी,	91

उपरोक्त समीक्षा के बाद समग्र रूप से हिन्दी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए **कम्पनी रजिस्ट्रार श्री एस. पी. काला ने कहा कि शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्होंने अपने कार्यालय में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए पुरस्कार के अलावा राष्ट्र के प्रति उनके कर्त्तव्य को उनका प्रेरणा स्रोत बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप उनके कर्मचारियों ने एकमत से स्वीकार किया है कि वे बिना किसी पुरस्कार के हिन्दी में काम करेंगे। जिसका परिणाम यह है कि उनके कार्यालय की फाइलों में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है, हालांकि उनका कार्यालय छोटा है, फिर भी बिना प्रयत्न करने से कुछ नहीं होता।**

राजभाषा हिन्दी पर फिल्म का प्रदर्शन

अतिथियों द्वारा अपने विचार प्रकट किये जाने के बाद फिल्म प्रभाग बम्बई द्वारा राजभाषा हिन्दी पर तैयार की गयी "हिन्द की वाणी" फिल्म दिखाई गयी जो सभी को बहुत पसन्द आयी।

16. इलाहाबाद (बैंक)

इलाहाबाद नगर स्थित समस्त बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की 11वीं बैठक 16 फरवरी 1991 को श्री प्रेम सागर मिढा, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद की अध्यक्षता में हुई।

स्थानीय बैंकों द्वारा राजभाषा में किये गये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष एक शील्ड दिये जाने का सुझाव श्री सक्सेना ने दिया। उत्कृष्ट कार्य का निर्धारण बैंकों की

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पर आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट में दर्शाये गये आंकड़ों की जांच हेतु एक समिति गठित की जाए। समिति में सदस्य बैंकों के अलावा अन्य लोग रखे जाएं ऐसा सुझाव श्री मिढ़ा ने दिया जिस को सभी ने स्वीकार किया।

श्री सक्सेना ने कहा कि प्रत्येक बैंक समय-समय पर राजभाषा पर कार्यशालाओं का आयोजन करें। इससे अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां दूर की जा सकेंगी। श्री विद्याधर पांडेय का विचार था कि कार्यशालाओं के आयोजन से हिंदी के प्रयोग के प्रति जागृति तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ अंग्रेजी का कार्य हिंदी में करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी।

श्री चटर्जी, राजभाषा विभाग, बैंकिंग प्रभाग वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया कि जहां भी बैंकों की बड़ी शाखायें हैं वहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जानी चाहियें। छोटे आकार की शाखाओं की स्थिति में 4-5 शाखायें मिलकर इन बैठकों का आयोजन कर सकते हैं।

डा. महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक, अनुसंधान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने बैंकों के प्रतिनिधियों से उनकी शाखाओं में राजभाषा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की स्थिति की जानकारी ली। डा. गुप्त ने कहा कि "क" क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होता है अतः वहां निश्चित ही 90 प्रतिशत से कम कार्य हिंदी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि "ख" क्षेत्र में भी शनैः शनैः इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह खुशी की बात है कि "ग" क्षेत्र के निवासियों में हिंदी भाषा सीखने की अभिरुचि काफी बढ़ी है। यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होने लगेगा।

टंकण यंत्रों के बारे में डा. गुप्ता ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी के टंकण यंत्र के बदले में कम कीमत पर हिंदी के टंकण यंत्र खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी टंककों को हिंदी टंकक का प्रशिक्षण अनिवार्यतः दिलाया जाना चाहिए।

डा. गुप्त ने बताया कि अब मात्र रु 29,000- में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पी.सी. कंप्यूटर उपलब्ध हैं जिन्हें इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, अकबर भवन एनेक्सी चाणक्यपुरी नई दिल्ली से मंगाया जा सकता है।

हिंदी सम्बन्धी फिल्मों के कैसेट मात्र रु. 350 में श्री चन्द्र शेखर नायर, निर्माता फिल्म प्रभाग, 24, गोपाल राव देशमुख मार्ग, बंबई से मंगवाया जा सकता है।

आदेशों का प्रयोग संबंधी संकलन 1986 की कीमत रु. 20.35 पै. है। 1986 के बाद का संकलन बिना मूल्य के मिल सकता है।

अंत में डा. गुप्त ने राजभाषा की नियमित आयोजित किये जाने पर जोर दिया जिससे हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बल मिल सके।

17. गुवाहाटी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुवाहाटी की वर्ष 1991 की पहली बैठक नामबाड़ी में दिनांक 14-2-91 को अपर महाप्रबंधक श्री एच. के. एल. जग्गी की अध्यक्षता में हुई।

सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से वार्षिक कार्यक्रम में 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में करने तथा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का आह्वान किया।

बैठक में विचार-विमर्श के दौरान हिंदी भाषा, टंकण तथा आशुलिपि के प्रशिक्षण संबंधी असुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री हरजीत सिंह, हिंदी अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक ने मांग की कि प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाए बढ़ायी जायें।

भारत मौसम विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह मनराल ने सुझाव दिया कि एयरपोर्ट के समीपस्थ कार्यालयों के लिए यह सुविधाएं कम-से कम सप्ताह में एक या दो दिन के लिए उपलब्ध करायी जायें।

आकाशवाणी, गुवाहाटी के क्षेत्रीय निदेशक श्री पी. के. सिसन ने दूर-दर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्र में हिंदी टंककों की कमी के कारण राजभाषा के कार्य को आगे बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि यदि कर्मचारी चयन समिति (स्टाफ सलेक्शन बोर्ड) हमें हिंदी टंककों की सीधी भर्ती की अनुमति दे दें, तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। जहां तक हिंदी प्रशिक्षण का प्रश्न है हिंदी प्रशिक्षक आकाशवाणी दूरदर्शन विभाग में ही पदस्थापित होना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए छोड़ना संभव नहीं हो पाता है।

सरकारी कामकाज हिंदी में करके संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए हम राष्ट्र और राजभाषा के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं।

——डा० चक्रवर्ती

मुख्य अतिथि डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान), गृह-मंत्रालय ने बैठक में सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि——

(1) प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी को राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किये गये पत्राचार पाठ्यक्रम सुविधा का लाभ उठाकर पूरा किया जाए। अंशकालिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी फिलहाल एक लाभप्रद कदम सिद्ध होगी।

(2) गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत 20/25 दिन की अवधि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। ऐसा ही एक केन्द्र गुवाहाटी में भी चलाने की योजना है और आशा है कि इससे प्रशिक्षण समस्या का कुछ हद तक निदान हो जायेगा।

(3) हिंदी टंकण के लिए भी चलाये जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम योजना से लाभ उठाया जाए।

(4) पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रकाशकों को आदेश देकर पाठ्यपुस्तकें मंगवाई जा सकती हैं :—

(क) अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002।

(ख) सुधांशु बंधु, ई-9/23, बसंत बिहार, नई दिल्ली-110057।

(5) अनुवाद कार्य में प्रगति लाने की दिशा में सुविधा के लिए मानदेय के आधार पर अनुवाद सुविधा का लाभ उठाया जाय।

डा. गुप्त ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी की प्रगति के लिए किये गये प्रयत्नों पर एक फिल्म बनाने की योजना है।

डा. गुप्त ने निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष रूप से बल देते हुए यह ध्यान दिलाया कि—

(1) गुवाहाटी के अनेक कार्यालयों में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वियन समितियां गठित नहीं की गयी हैं, अतः इनका गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(2) वार्षिक कार्यक्रमों में लक्ष्यों का निर्धारण न्यूनतम है और कार्य इन लक्ष्यों से अधिक किया जाए।

(3) विभागीय पदोन्नति की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र द्विभाषी दिये जाएं और प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए।

(4) कंप्यूटर के लिए जिस्ट कार्ड में हिंदी में डाटा प्रोसेसिंग की जाए ताकि उसे इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर के बदले भी प्रयोग किया जा सके।

विशेष वक्ता के रूप में मानव संसाधन विभाग के डा. चक्रवर्ती ने अपने बहुत ही संक्षिप्त किंतु सारगर्भित वक्तव्य में बताया कि हिंदी में सरकारी कामकाज करना बहुत ही सरल है। अतः सरकारी कामकाज हिंदी में करके संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए हम राष्ट्र और राजभाषा के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकते हैं।

18. भोपाल

5 फरवरी 1991 को "केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल के सभा-भवन में श्री एस. आर. वधवा, मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भोपाल की बैठक हुई।

कंप्यूटर के बाबत आयकर विभाग, क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, मंडल प्रबंधक, निदेशक अनुसूचित जाति, जनजाति कार्यालयों से मिली जानकारी के आधार पर स्थिति यह है कि आयकर विभाग का कंम्यूटर द्विभाषी कराने के बाबत बोर्ड के स्तर पर कार्रवाई विचाराधीन है। चूंकि देश में आय-कर विभाग के सभी कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत "राजभाषा" के प्रयोग की कार्रवाई की जानी है इसलिये नीतिगत मामले पर बोर्ड में शीघ्र निर्णय होने वाला है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में केवल अंग्रेजी में कंप्यूटर है, जिसको हिंदी में भी कराने बावत कार्रवाई करने हेतु नगर समिति ने लिखा है। भेल में कंप्यूटर द्विभाषी है ही जिसका नगर समिति की गत बैठक में प्रदर्शन किया गया था।

आयकर विभाग, मुख्य डाकमहाध्यक्ष भोपाल के कार्यालय में अभी भी हिंदी का कामकाज करने वालों के पद रिक्त हैं। यद्यपि प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु इस बावत विभागीय कर्मचारियों से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, इस विषय में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग उच्च स्तर पर कार्रवाई कर कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग को लिखे तो ही हिंदी के पद भरने हेतु प्रगति की आशा की जा सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि नगर में केन्द्रीय सरकार के 74 कार्यालय (छोटे बड़े) व 32 उपक्रम हैं। हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या को देखते हुए 2 वर्गों में रख 16 कार्यालयों को पुरस्कृत करने का निर्णय किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के बड़े कार्यालय 1988-89

1.	महालेखाकार (आडिट) II, भोपाल	प्रथम
2.	निदेशक, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल	द्वितीय

छोटे उपक्रम वर्ष 1989-90

1.	प्रादेशिक प्रबन्धक, न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी, भोपाल	प्रथम
2.	प्रादेशिक प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी, भोपाल	द्वितीय

संयोजक होने के कारण "आयकर विभाग" तथा चयन सीमति में "भेल" के प्रबन्धक के होने के कारण इन दोनों कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा नहीं की गई तथापि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. के श्री हाण्डा कार्यपालक निदेशक, आयकर विभाग के आयकर उपायुक्त श्री अशोक कुमार जैन, के कार्यों की समिति ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

चयन समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम भोपाल के अहिन्दी-भाषी वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक श्री म.र. सुन्दरम द्वारा भोपाल मंडल में, राजभाषा के प्रयोग हेतु (कम्पनी के) कार्यालयों में 55 हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध करवाने, हिंदी की पुस्तकों पर पर्याप्त राशि स्वीकृत करने, धारा 3(3) का पूर्ण पालन करने, राज्य सरकार से शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करने और "व्यक्तिगत दुर्घटना पास योजना" कि अंतर्गत शत-प्रतिशत कार्य "हिन्दी" में करने के लिये समिति ने न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी" भोपाल के प्रादेशिक प्रबंधक के अथक प्रयासों को सराहते हुये श्री वेद गुप्ता को भी विशिष्ट पुरस्कार/शील्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

19. बड़ोदरा (बैंक)

नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 6ठी बैठक बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), श्री एस.वाय. ठाकुर की अध्यक्षता में दिनांक 4 फरवरी, 1991 को हुई।

उपनिदेशक (बैंकिंग प्रभाग): श्री दर्शन सिंह ने कहा कि 20 बड़े नगरों में बैंकों की इस प्रकार की नगर समितियां कार्य कर रही हैं। नगर समितियां सरकार के लिये "आंख व कान" का कार्य करती हैं जो उन्हें बैंकों की सही स्थिति से अवगत कराती हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति को वचन दिया गया था कि सभी प्रकार का हिन्दी प्रशिक्षण दिसंबर, 1990 तक पूरा हो जाएगा. और इसीलिये सन् 1988 से योजनाबद्ध कार्य आरम्भ कर देने के निदेश जारी कर दिये गये थे। हालांकि काफी हद तक काम किया गया है। बैंकों/बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ा पाने नगर समितियों पर निर्भर करता है। मैं मानता हूं कि हिन्दी के पदों को भरने पर लगे हुए प्रतिबन्ध और कर्मचारियों की मानसिकता को बदलना ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण हम हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं परन्तु फिर भी हमें इस क्षेत्र में जो अन्य सुविधायें मिली हुई ये उनका भरसक लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के पूरे प्रयास करने चाहिये।

श्रीमती इंदिरा पंडया, उपनिदेशक (प्रशिक्षण), हिन्दी शिक्षण योजना, ने हिन्दी के प्रशिक्षणों के संबंध में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

सदस्य बैंकों से प्राप्त रपोर्टों की समीक्षा

बैठक के लिए सदस्य बैंकों के 29 कार्यालयों से रिपोर्ट मंगाई गई थी जिनमें से 24 कार्यालयों से रिपोर्टें प्राप्त हुईं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेज द्विभाषी जारी करना:

समिति की सभी बैठकों में इस ओर सभी सदस्य बैंकों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि धारा 3 (3) के दस्तावेज जिनमें सभी प्रकार के सामान्य आदेश, कार्यवृत्त, संकल्प, रिपोर्टें, अधिसूचनाएं, संविदा एवं करार का समावेश होता है, अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किये जाने आवश्यक हैं इसके बावजूद यूको बैंक की रिपोर्ट में 33 में से 25, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स में 14 में से 3 तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की रिपोर्ट में 204 में से 1 सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी किये गये दर्शाये हैं। पिछली बार भी यूको बैंक और ओरिएन्टल बैंक में इस प्रकार की चूक पायी गयी थी और उनका ध्यान आकर्षित किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के आंकड़ों में विसंगति भी लक्षित है। अन्य सभी बैंकों में इसका पूर्णतः अनुपालन हुआ है।

हिन्दी में पत्राचार

राजभाषा नियम 1976 की बाध्यता के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य होता है और लगभग सभी बैंकों ने इस आवश्यकता का अनुपालन किया है।

किन्तु भारतीय स्टेट बैंक (अंचल कार्यालय) ने 20 में से 2 पत्रों का, और कार्पोरेशन बैंक ने 22 में से 2 पत्रों का, न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया ने 252 में से 6 पत्रों का तथा **स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने 300 में से 80 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया है।**

इस चूक के संबंध में भी पिछली बैठक में ध्यान आकर्षित किया गया था। पिछली बैठक में भी न्यू बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों में यह विसंगति लक्षित थी।

हिन्दी में पत्राचार एवं तार

वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 के लक्ष्यों के अनुसार हमें 60 प्रतिशत पत्राचार और "क" क्षेत्र को भेजे जाने 26 प्रतिशत तार हिंदी में भिजवाने हैं।

यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर ने हिन्दी में पत्राचार के 60 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर लिया है। देना बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर और बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) ने पिछली छःमाही की तुलना में इस छःमाही में प्रगामी प्रगति की है। परन्तु स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर का प्रतिशत पहले ही अपेक्षा कम हो गया है।

आन्ध्र बैंक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया जैसे बैंकों में 10 प्रतिशत से भी कम पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है।

"क" क्षेत्र को हिन्दी में तार भेजने के 25 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर लेने वाले बैंकों में केवल यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर

आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने तो 70.0 प्रतिशत और स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर ने 100 प्रतिशत तार हिन्दी में भिजवाये हैं जो अत्यधिक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

छःमाही के दौरान किए गए निरीक्षण: देना बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अंचल कार्यालय) द्वारा शाखाओं के निरीक्षण संतोषप्रद रूप से किए गए।

हिन्दी प्रशिक्षण: जिन बैंकों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनके आधार पर अधिकांश बैंकों में या तो हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है अथवा चल रहा है। केवल इलाहाबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, कार्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण कार्य काफी बाकी है।

कार्यशालाओं द्वारा प्रशिक्षण: इस मद के अंतर्गत लगभग सभी बैंकों द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किये गये सभी स्टाफ सदस्य हिन्दी में काम भी कर रहे हैं. केवल भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य कार्यालय) में कार्यशाला में प्रशिक्षित 8 अधिकारियों में से मात्र 1 अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

हिंदी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण: इस संबंध में बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्र बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि सभी बैंकों में बड़ी संख्या में ऐसे टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर है जिन्हें हिन्दी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण दिलवाना बाकी है।

भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण कार्य वर्ष 1991 तक पूरा कर लेने की अनिवार्यता है और यह तभी संभव है जब हम हिन्दी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण में तेजी लायें।

हिन्दी टाइपराइटर एवं अन्य यांत्रिक सुविधाएं

वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार हमारे कार्यालय में 25 प्रतिशत टाइपराइटर हिन्दी अथवा द्विभाषी उपलब्ध होने चाहिए और नयी खरीदी जाने वाली सभी प्रकार की यांत्रिक मशीनें द्विभाषी होनी चाहिए।

टाइपराइटरों के संबंध में केवल यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) ने अपने 30 प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। नयी खरीदी जाने वाली मशीनों में भी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) द्वारा द्विभाषी हिन्दी की मशीनें खरीदने के संबंध में पर्याप्त जागरूकता बरती जा रही है।

बैंकिंग संबंधी कार्य हिन्दी में करना

इस संबंध में प्रशंसनीय कार्य करने वाले बैंकों में सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अंचल कार्यालय) का नाम उल्लेखनीय है।

यूनियन बैंक द्वारा एक द्विभाषिक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान-कार्यालय) द्वारा त्रिमासिक पत्रिका हिन्दी में निकाली जाती है।

बैंक आफ इंडिया (क्षेत्रीय कार्यालय)

"क्षेत्र की कुल 46 शाखाओं में से लगभग 20 स्टाफ क्लर्क-कम-टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्षेत्र की 10 शाखाओं में हिन्दी का टाइपराइटर दिया गया है। हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए बैंक ने अपनी व्यवस्था शुरू की है जिसके अंतर्गत शाखा में ही हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है"।

पंजाब नेशनल बैंक:

हमारे यहां से एक कर्मचारी टाइपिंग में प्रशिक्षित हो गया है तथा एक लिपिक प्रशिक्षण ले रहा है। अगले सत्र में भी हम एक कर्मचारी को हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण में भेजने का कार्यक्रम बना रहे हैं।

बैंक आफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय):

कुल टाइपिस्ट	61
हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित	18
प्रशिक्षण पा रहे हैं	03
कुल आशुलिपिक	18
प्रशिक्षण पा रहे हैं	01

विभिन्न बैंकों में हिन्दी दिवस समारोह

समिति के सभी सदस्यों को आपस में एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी मिल सके इस उद्देश्य से सभी बैंकों से हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं मंगायी गयी थी।

सदस्य बैंकों के उल्लेखनीय कार्य

जून 1990 से दिसंबर 1990 की छःमाही के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये जो विशिष्ट कार्य किये गये हों उनका ब्यौरा समिति द्वारा मंगाया गया था। इस संबंध में केवल चार बैंकों से समिति को सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिन्हे सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों के समक्ष रखा।

बैंक आफ इंडिया

1. बैंक की प्रत्येक शाखा में एक विभाग का चयन शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए कहा गया है। ऐसे विभाग अपना शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहे हैं।

2. बैंक के गुजरात अंचल का राजभाषा अवार्ड वर्ष 1989-90 वड़ौदा क्षेत्र को दिया गया है।

3. राजभाषा प्रयोग वृद्धि पुरस्कार योजना 1 जनवरी 1990 से चलाई गई है जिसके अंतर्गत क्षेत्र में 3 लिपिकों व 3 अधिकारियों को हिन्दी में किये गये सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु राजभाषा अवार्ड प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक

1 शाखा स्तर पर हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र दिये गये हैं।

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

1. शाखा में प्रतिदिन एक शब्द हिंदी सीखें योजना को हिंदी दिवस से प्रारम्भ किया गया है।
2. प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित "राजभाषा शील्ड" प्रतियोगिता में शाखा को लगातार तीसरी बार प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है।

बैंक आफ बड़ौदा

बैंक को गुजरात राज्य बैंकर्स समिति, अहमदाबाद द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार गुजरात राज्य में बैंक ऑफ वड़ौदा सर्वप्रथम रहा है।

समिति ने इन बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और अध्यक्ष महोदय ने अन्य बैंकों से भी अनुरोध किया कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये वे इस प्रकार के विशिष्ट कार्य करते रहे।

व्यावहारिक बैंकिंग के कार्यों में हिन्दी की स्थिति की समीक्षा

इस विषय में समिति के कार्यालय को बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्न सुझाव चर्चा हेतु प्राप्त हुए थे :

1. समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाऊस) का सभी कार्य हिंदी में किया जाये। इसमें सभी बैंक भाग लेते हैं इसलिए सभी बैंकों के लिए समिति के मंच से यह निर्णय व्यावहारिक रहेगा।
2. वड़ोदरा शहर के सभी बैंक जो भी नये खाते खोलें—पास बुक में ग्राहकों का नाम/पता हिंदी में लिखें। लेजर में भी नाम/पते हिंदी में लिखें जायें।
3. आयकर विभाग, जीवन बीमा निगम को सभी बैंकों द्वारा आवश्यक जानकारी स्टैंडर्ड फॉरमेट में समय-समय पर सभी बैंकों द्वारा दी जाती है इस लिए यह सब कार्य हिंदी में आसानी से हो सकता है।
4. वड़ोदरा शहर के सभी बैंक जिनके कार्यालय/आंचलिक कार्यालय वड़ोदरा शहर में है सभी बैंकों के लिए बैं.न.स. के मंच से वर्ष 1990 की प्रत्येक तिमाही में एक-एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करें।

बैंक ऑफ इंडिया ने उपरोक्त सुझावों पर राय प्रकट करते हुए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के श्री भोजक ने कहा कि समाशोधन का कार्य बैंक के आंतरिक कामकाज से जुड़ा है जिसका ग्राहकों से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। अतः इसके बजाय ग्राहक के साथ जो कार्य सीधे जुड़े हों उन्हें हिंदी में कराने से अधिक लाभ होगा।

बैंक ऑफ वड़ौदा के मुख्य प्रबंधक, श्री के. आर. देसाई का मत था कि हिंदी में कार्य केवल जनता को प्रदर्शित करने के लिये नहीं करना है वरन् बैंक का समस्त हाउस कीपिंग का कार्य जो किसी संगठन या व्यवसाय की आधारशिला होता है उसे भी पूर्णतः हिंदी में करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये।

बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के लिए बैंकों के वर्ष 1990-91 के कार्य के मूल्यांकन हेतु एक उप समिति गठित करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक के श्री जी. के. शाह का विचार था कि इस उप समिति में बैंकों से बाहर के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिये। उप-निदेशक (बैंकिंग प्रभाग) ने राय दी कि बड़ौदा स्थित रिफाइनरी, आई.पी.सी.एल., पेट्रोफिल्स, ओ.एन.जी.सी., केन्द्रीय उत्पाद, आयकर तथा पश्चिमी रेलवे इत्यादि संगठनों से वरिष्ठ अधिकारियों का चुनाव करके तीन सदस्यों की एक उप समिति बनायी जाए जिसमें बैंक ऑफ वड़ौदा के अधिकारी उप समिति की सहायता हेतु उपलब्ध रहें।

समिति के सभी सदस्यों की यह राय थी कि सदस्यों का चुनाव समिति के सचिवालय द्वारा अध्यक्ष महोदय की सहमति से कर लिया जाये। श्री के.सी. पटेल, उप महाप्रबंधक ने इस संबंध में अपना विचार रखा कि इस प्रतियोगिता हेतु जो भी उप समिति गठित की जाए उसे शील्ड प्रतियोगिता के लिये निर्धारित मानदंडों की जानकारी पहले अवश्य दे दी जाए ताकि बाद में उप समिति के निर्णय और समिति द्वारा निर्धारित नियमों में कोई विसंगति न हों।

कार्यसूची की मदों पर विस्तार से चर्चा के पश्चात् गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पधारे उपनिदेशक (कार्यान्वियन) ने बैठक के दौरान चल रही गतिविधियों के प्रकाश में अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गयी तुलनात्मक समीक्षा के संदर्भ में धारा 3(3) के दस्तावेजों के द्विभाषीकरण और हिंदी पत्र का जवाब हिंदी में देने की अनिवार्यताओं के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए चूककर्ता बैंकों से अनुरोध किया कि वे इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर अपना कार्य निष्पादन सुधारें।

1738 HA/91—7.

20. नासिक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नासिक की वर्ष 1990-91 की दूसरी बैठक दिनांक 31 जनवरी, 1991 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के समिति कक्ष में श्री सु.द. इडगुंजी महाप्रबंधक की अध्यक्षता में हुई।

सदस्य-सचिव श्री शेखर वि. मुहैकर ने समिति को बताया कि पिछली बैठक में दिए गए आश्वासन के अनुसार आयकर कार्यालय, राजस्व भवन नासिक में दिनांक 1 अगस्त, 1990 से हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ हो गया है और उक्त अंशकालिक प्रशि. केन्द्र में प्रशिक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट श्री विश्वकर्मा टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण द्वारा प्रस्तुत की गई।

इसी दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सहयोग प्रदान करने एवं उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए निम्न कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए गए--

सु. सरस्वती वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक म.प्र. भा. प्र. मु. को भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के अन्तर्गत संयुक्त राजभाषा कार्यान्वियन समिति (टकसाल एवं मुद्रणालय) द्वारा प्रदत्त "पदक" को भी इसी बैठक में महाप्रबंधक भा.प्र.मु. एवं अध्यक्ष न.रा. का समिति के करकमलों से प्रदत्त किया गया।

भा.प्र.मु. के वर्ग "घ" के चार कर्मचारियों को भी समय-समय पर नगर राजभाषा कर्यान्वियन समिति की बैठकों के आयोजन में सहयोग के लिए पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी टंकण परीक्षा-जुलाई 1990 में नासिक केन्द्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय की श्रीमती अनिता उदय काले को भी प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया गया।

हिन्दी कक्षाओं के गठन पर चर्चा के दौरान इंदिरा पंड्या उपनिदेशक हिन्दी शिक्षण योजना बम्बई ने हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और स्टैनोग्राफी के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को नासिक में भी प्रारम्भ करने कर विचार करने का आग्रह किया। उपसमिति द्वारा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 1990 के उपलक्ष्य में एक शील्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में निम्न कार्यालयों ने क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए :—

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

1. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड--प्रथम
2. चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड --द्वितीय

बैंक उपक्रम

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक रोड --प्रथम
2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक —द्वितीय

पृष्ठ 15 का शेषांश

स्थापित करते हैं। कोटा व उसके आस-पास के क्षेत्र में बहुते हुए कल-कारखाने जनता-जनार्दन द्वारा हममें आत्म-विश्वास का प्रमाण है व निःसदेह हमारी सक्षमता व समर्थनों को दिया हुआ प्रमाण-पत्र है। हम कठिनाई व चुनौतियों में विश्वास रखते हैं व हमें यह गर्व है कि हम पहली इकाई की समस्या को हल कर सके, जो विश्व में प्रथम बार संभव हो सका है। हमारे कर्मचारियों की दक्षता का ताजा उदाहरण हमारे तकनीशियन श्री ओमदत्तशर्मा को हाल में ही दिया गया भारत सरकार का "श्रमभूषण" पुरस्कार है। हमें पता है कि समाज को हमसे कई अपेक्षाएं हैं। हम विश्राम नहीं कर रहे हैं। हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पर हमारे सामने कई कठिनाइयां भी हैं व इनको सरल करने, हल करने व सुलझाने के लिए हमारे पास कई साधन हैं द लगन, मेहनत व आत्म-विश्वास भी, जिनके सहारे हम अपनी छवि को और अधिक निखारने का पूरा प्रयास करेंगे।

सामाजिक उत्थान व विकास के लिए हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्णरूप से जागरूक हैं। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के पास कई प्रोग्राम हैं। हम समाज को वचनबद्ध हैं व समाज को हम से प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार है। हम संकल्प करते हैं कि इस राष्ट्र व मातृभूमि की सेवा के लिए हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे व अपने अनवरत व अथक प्रयत्नों से अधिकाधिक विद्युत्-उत्पादन करके राष्ट्र की व समाज की पूर्ण समर्पित सेवा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि परमाणु-शक्ति का योगदान हमारे उत्पादन, विकास व प्रगति में सहायक होगा व परमाणु बिजलीघर अपनी सेवा से आप सभी को अधिक सुरक्षित व प्रदूषण रहित सिद्ध करके आपका विश्वास अर्जित करेंगे व विश्व में भारत की छवि निखारने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे। इति!

भारत सरकार

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति नासिक के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन की स्थिति (30-9-90) को समाप्त तिमाही के आधार पर

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम केन्द्रीय सरकार के कार्यालय	हिन्दी टाइपिस्ट हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण				टाईपराइटर				सामान्य आदेश		हिन्दी पत्राचार					
		हिन्दी टाइपिस्ट		हिन्दी आशुलिपि		साधारण		इलैक्ट्रोनिक्स		अंग्रेजी	द्विभाषी	क/ख केन्द्रीय सरकार		क/ख राज्य सरकार		'ग' केन्द्रीय सरकार	
		कुल	प्रशिक्षित	कुल	प्रशिक्षित	हिन्दी	अंग्रेजी	द्विभाषी	अंग्रेजी			कुल	हिन्दी में	कुल	हिन्दी में	कुल	हिन्दी में
1	2	3				4				5		6					
1.	चलार्थ पत्र मुद्रणालय	55	22	5	--	9	37	1	2	--	92	1343	582	5296	3192	88	25
2.	वेतन लेखा कार्यालय रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक	2	2	1	--	1	4	--	--	--	33	118	118	--	--	837	837
3.	भारत सरकार मुद्रणालय गांधीनगर	101	7	2	--	4	13	--	--	23	70	2200	960	897	372	128	89
4.	प्रवर अधीक्षक डाक घर	1	1	--	--	1	1	--	--	9	5	--जानकारी नहीं दी गई					
5.	डाक वस्तु भंडार	2	1	1	--	1	2	--	--	जानकारी नहीं दी गई		1080	220	जानकारी नहीं दी गई		--	--
6.	मुख्यालय तोपखाना केन्द्र	1250	25	--	--	15	302	--	--	776	67	जानकारी नहीं दी गई					
7.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	118	79	7	1	20	46	6	--	--	278	4602	1668	3254	1290	510	019
8.	आयकर आयुक्त कार्यालय	30	03	3	5	5	45	1	--	65	28	31210	532	--	--	--	--
9.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय	--	--	--	--	2	7	--	--	20	--	2005	130	36	6	--	--
10.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय	6	6	2	--	5	5	--	1			8423	6967(83 प्र.)	--	--	--	--
11.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय	17	15	1	--	5	419	--	--			9538	6393(67 प्र.)	--	--	--	--
12.	कार्पोरेशन बैंक शाखा कार्यालय	2	--	--	--	--	1	--	--			758	95	731	65	कुछ नहीं	
13.	दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. मंडल कार्यालय-2	11	5	--	--	3	8	--	--			3013	2024	1046	594	--	--
14.	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि. मंडल कार्यालय	5	2	--	--	1	5	--	--			3	3	723	176	--	--
15.	आई बी. पी. कं. लि. उपक्रम	--	--	2	--	1	7	--	2			--	--	1809	252	--	--
16.	इंडियन बैंक शाखा कार्यालय	3	--	--	--	1	1	--	--			25	15	12	6	--	--
17.	दि न्यू इंडिया इंश्योरेंश लि. मंडल कार्यालय	11	6	1	--	3	19	--	--			1037	676	7415	6419	9	--
18.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि. नाविक प्रभाग	111	5	36	--	8	312	1	1			11593	122	4469	1136	5901	269

संतुलित आहार द्वारा रोग-कीट नियंत्रण

संतुलित आहार का रोग तथा कीटों से क्या संबंध है ?

उत्तर—संतुलित आहार से वनस्पति तथा प्राणि में प्रतिकार शक्ति आती है। इससे वह रोग तथा कीटों से बचाव कर पाता है।

रोग तो जीवाणु तथा विषाणु के कारण होते हैं।

उत्तर— अगर इसी एकमात्र कारण से रोग होते तो सभी डॉक्टर, नर्स आदि हमेशा बीमार ही रहते, क्योंकि वे हमेशा इन जीवाणु तथा विषाणुओं के संपर्क में होते हैं। वास्तव में जब उनकी प्रतिकार शक्ति किसी कारण से कम होती है, तभी वे बीमार हो जाते हैं।

क्या निसर्ग में रोग कीटों का भी कुछ महत्त्व है ?

उत्तर— हर एक जीव के लिए कुछ रोग तथा कीट (भक्षक) होना जरूरी है। इनसे दुबले जीव नष्ट किये जाते हैं और सक्षम जीव अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी कर पाते हैं।

वनस्पति को संतलित आहार किस तरह दिया जाए

उत्तर— जमीन में पर्याप्त तादाद में (प्रति एकड़ एक लक्ष) केंचुए हों तो सभी वनस्पति संतुलित आहार पाते हैं तथा उन्हें भक्षक कम खाते हैं।

क्या यह बड़े पैमाने पर सिद्ध हुआ है ?

उत्तर— महाराष्ट्र तथा गुजरात, मध्य-प्रदेश तथा तमिलनाडु के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर गन्ना तथा केला-अनार-अंगूर आदि फसलों पर यह दस साल से वास्तव में हो रहा है।

केंचुओं की वजह से किसान को क्या लाभ होते हैं ?

उत्तर— केंचुए जमीन की 3 मीटर गहराई तक जुताई करते हैं। प्रतिसाल हर एकड़ में 30 टन संतुलित खाद का निर्माण करते हैं। पानी की बचत करवाते हैं। डिझेल, रासायनिक खाद, रोग-कीट नाशक दवाएं—जो दिन-ब-दिन सरकारी खजाने पर अधिकाधिक बोझ डाल रही हैं—कम लगती हैं। उत्पाद ज्यादा और बढ़िया आता है। किसान ज्यादा कीमत भी पाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से यह कृषि-पद्धति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुनिया भर को कृषि-अनुसंधान संस्थाओं में इसपर खोज कार्य जारी है।

सौजन्य : भावालकर अर्थ वर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, सतारा रोड, पुणे-411037

(पृष्ठ 12 का शेष)

सकती है। वहां पिता पुत्र को सलाह देता है कि 'यद्यपि बहुनाधीते, पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्' अर्थात् चाहे बहुत न पढ़ो, पर हे बेटे, व्याकरण अवश्य पढ़ो। किंतु हिंदी की सम्मानित पत्र-पत्रिकाओं में और परम प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं तक में 'उपर्युक्त' की जगह 'उपरोक्त', सांविधानिक की जगह 'संवैधानिक', 'स्थायी' की जगह 'स्थाई' (या अस्थाई) भी और 'गई' की जगह 'गयी' आदि जैसी व्याकरण की भूलों की प्रचुरता पाठकों के मन में हिंदी का सही चित्र' नहीं बनता। व्याकरण का उद्देश्य भाषा को जकड़ना या क्लिष्ट बनाना नहीं, बल्कि उसे नियम पर और वैज्ञानिक अतः एकरूप बनाना है। यह व्याकरण-सिद्ध भाषा की एकरूपता ही है जिसके कारण वह सभी को सीखने में सरल, समझने में सुबोध, बोलने में सुमधुर और सुनने में श्रुतिप्रिय लगती है। इसके फलस्वरूप वह दूर-दूर तक अनायास ही फैलती-पसरती रहती है, जबकि व्याकरण-विरुद्ध भाषा अंग्रेजी की भांति स्वच्छंद और बहुरूपिया बन कर रह जाती है, उसमें इन गुणों का विकास ही नहीं हो पाता। हिंदी तर भाषी क्षेत्रों में और विदेशों में भी व्याकरण-सम्मत हिंदी ही मान्य और समादृत है।

सरलता अच्छी हिंदी की आत्मा है किंतु हमें ध्यान रखना होगा कि 'कलम' एक सरल शब्द होते हुए भी उत्तर भारत में जितनी सरलता से समझ लिया जाता है, उतनी सरलता से दक्षिण में नहीं, जबकि 'लेखनी-' उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सर्वत्र ही एक जैसी सरलता से बोधगम्य है, क्योंकि यह 'लेख', 'लेखा' और 'लेखन' से निष्पन्न और संबंधित है, तथाविशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया का उत्पाद है। प्रयोजन-मूलक हिंदी में सरलता की यही परिभाषा मान्य होनी चाहिए।

विस्तार-भय से यहां बहुत थोड़े से सुझाव दिए गए हैं और वे भी सर्वांग संपूर्ण नहीं, बल्कि इंगित मात्र हैं। हमारे साहित्यिक संस्थान विद्वानों की गोष्ठियों में भली-भांति विचार करके प्रयोजन-मूलक हिंदी का स्वरूप निश्चित करें और समकालीन साहित्य की आवश्यक और अपेक्षित विधाओं का साहित्य तैयार कर-कराकर उसका प्रचार प्रसार करें। यही इस समय की आवश्यकता है, यही निवेदन है।

□

21. इंदौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 जनवरी, 1991 को आयोजित पांचवीं बैठक की अध्यक्षता, श्री अ. रा. सरदेसाई, क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर ने की। बैठक में श्री चन्द्र गोपाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल एवं श्री दर्शन सिंह जग्गी, उप निदेशक (राजभाषा) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।

सदस्य सचिव श्री तारादत्त जोशी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन्दौर शहर में 85 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हो रहा है एवं 73 प्रतिशत तार हिन्दी में प्रेषित किये जा रहे हैं।

श्री चन्द्र गोपाल शर्मा ने प्रत्येक सदस्य बैंक द्वारा हिन्दी कार्यान्वयन में की जा रही प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य बैंक को हिन्दी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों/सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया गया। बैठक में द्विभाषी टेलेक्स मशीनों की अनुपलब्धता, बैंकों में लग रहे एएलपीएम कंप्यूटरों का द्विभाषीकरण, राजभाषा अधिकारियों की कमी, भर्ती, पदोन्नति पर रोक, अनुवादकों की नियुक्ति, बैंकों की संरचना के अनुसार हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यालयों का पर्याप्त विस्तार न होना, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में वर्णित अधिकांश दस्तावेजों का बैंकिंग की कार्य प्रणाली पर प्रत्यक्षतः लागू न होना आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

समिति के तत्वावधान में इलाहाबाद बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्रमशः हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता एवं बैंकिंग प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इन प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे :—

हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

(1) श्री यशवंत भापटकर
भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य) शाखा इंदौर — प्रथम

(2) श्री हरिनारायण वर्मा
स्टेट बैंक आफ इंदौर
प्रधान कार्यालय, इन्दौर — द्वितीय

(3) श्री महेश श्रीवास्तव
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय
इंदौर — तृतीय

बैंकिंग प्रश्न मंच प्रतियोगिता

(1) श्री प्रभाकर शेंडे
बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्या. इंदौर — प्रथम

(2) श्री एस. के. जैन — द्वितीय
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर
श्री लक्ष्मण बोरकर — द्वितीय
बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. इंदौर

(3) श्री जयंत बापट — तृतीय
देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर
श्री रविन्द्र सत्संगी — तृतीय
स्टेट बैंक ऑफ इंन्दौर

(4) श्री अशोक करकरे — चतुर्थ
इंडियन ओवरसीज बैंक

(5) श्री दिलीप कुमार सोगानी, बैंक आफ बड़ोदा, सियागंज शाखा — पंचम

इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किये गये। अंत में श्री नरेन्द्र धारकर, क्षेत्रीय प्रबंधक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आभार प्रदर्शित करते हुए कहा कि इन्दौर में सभी सदस्य बैंक मिलकर एकता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार की राजभाषा नीति का पूर्ण रूप से अनुपालन का आश्वासन दिया। बैठक का संचालन, श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, भोपाल ने किया।

22. इंदौर (बैंक)

समिति की 5 वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी, 1991 को श्री अ. रा. सरदेसाई, क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक की अध्यक्षता में हुई।

अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर सदस्य सचिव श्री तारा दत्त जोशी ने सूचित किया कि इन्दौर शहर में सदस्य बैंकों में अप्रशिक्षित टंककों की संख्या पर्याप्त है। देवनागरी टाइपराइटर भी लक्ष्यानुसार नहीं है। कुछ सदस्य बैंकों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का भी उल्लंघन हुआ है। कुछ सदस्य बैंकों द्वारा राजभाषा नियम 5 की भी अवहेलना की गई। समेकित हिन्दी पत्राचार 85 प्रतिशत है। 73 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे गये हैं।

समिति का विगत बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार हिन्दी टाइपिंग एवं बैंकिंग प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रमशः इलाहाबाद बैंक एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा संपन्न कर लिया है और स्थान अर्जित करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार इसी बैठक में प्रदान किये जायेंगे।

सभी उपस्थित बैंकों की प्रगति/समस्याओं के बाद श्री चन्द्र गोपाल शर्मा, उपनिदेशक ने सदस्य बैंकों द्वारा प्रेषित विवरणी के आधार पर समीक्षा की राजभाषा विभाग

(1) बैंक ग्राफ महाराष्ट्र ग्रप्रशिक्षित ग्रधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान देने हेतु ग्रावश्यक कार्यवाही करें।

(2) इंदौर में ग्रब ग्रंशकालिक हिन्दी टाइपिंग केन्द्र खुल गया है। जिन बैंकों में ग्रप्रशिक्षित टंकक एवं ग्राशुलिपिक हैं, वे उनका नाम केन्द्र को प्रेषित करें।

(3) 60 प्रतिशत देवनागरी टाइपराइटर ग्रवश्य हों। दो/तीन बैंकों को छोड़कर शेष इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त करें।

(4) धारा-3 (3) के ग्रनुपालन में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ग्रॉफ हैदराबाद, नाबार्ड, बैंक ग्रॉफ महाराष्ट्र द्वारा उल्लंघन हुग्रा है, इन्हें शीघ्र हिन्दी में जारी करें ग्रौर संशोधित रिपोर्ट भेजें।

(5) राजभाषा नियम की धारा 5 का उल्लंघन भारतीय स्टेट बैंक; बैंक ग्राफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर में हुग्रा है। इन पत्रों का उत्तर शीघ्र ही हिन्दी में भी देवें, तत्पश्चात संशोधित विवरणी बंबई कार्यालय को प्रेषित करें।

(6) बहुत से बैंकों में हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, शेष बैंक लक्ष्यानुसार पत्राचार हिन्दी में करें।

(7) हिन्दी तारों का लक्ष्य भी प्राप्त करने हेतु प्रयास करें।

(8) कुछ बैंकों में ग्रभी तक रबड़ की मोहरें एवं साइन बोर्ड व नामपट्ट ग्रंग्रेजी में हैं, वे उनका पुनरावलोकन करें ग्रौर वस्तु स्थिति से ग्रवगत करायें।

(9) ग्रांतरिक कामकाज के लिए राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम 1990-91 में बैंकों के लिए विशेष कार्यक्रम दिया गया है, उसका कार्यान्वयन करें।

मार्गदर्शी दल गठित हुग्रा है, उत्तम प्रयास है। यह दल समिति के निर्णयों एवं सरकार की राजभाषा नीति को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा करेंगी ग्रौर व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करेंगी। कम्प्यूटरों में एक छोटी से फ्लोपी लगाने पर उसे द्विभाषिक किया जा सकता है। बैंकों में लग रहे एल पी एम को द्विभाषी करने के लिए मैसर्स सोफटेक प्रा. लि. नई दिल्ली एवं मै. वीरमती बैंकिंग कम्प्यूटर सर्विसेज ग्रहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं।

टेलेक्स द्विभाषी प्रदाय करने हेतु उच्च स्तर पर कार्यवाही चल रही है। जिन बैंकों ने इस संबंध में कार्यवाही की है वे उसकी जानकारी संयोजक बैंक को प्रदान करें।

बैंकिंग प्रभाग के उप निदेशक श्री दर्शन सिंह जग्गी ने कहा कि हिन्दी ग्रधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति एवं भर्ती पर कोई बंदिश नहीं है। प्रत्येक बैंक को निर्धारित मापदण्डों के ग्राधार पर हिन्दी ग्रधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। हिन्दी ग्रनुवादकों के बारे में भी कोई रोक नहीं है। कुछ बैंकों ने ग्रपने प्रधान कार्यालय ग्रन्य कार्यालयों में ग्रनुवादकों की नियुक्ति की है।

23. दुर्गापुर

दुर्गापुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1990 की दूसरी बैठक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री देवव्रत मुखर्जी की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी, 1991 को संपन्न हुई।

बैठक की शुरुआत मिश्र इस्पात संयंत्र के कार्यकारी निदेशक, श्री ग्रार. श्री निवासन के स्वागत भाषण से हुई जिसमें उन्होंने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से ग्रध्यक्ष तथा सदस्यों के प्रति ग्राभार व्यक्त किया।

सचिव ने प्रस्ताव दिया कि हिन्दी में प्रशिक्षित तथा प्रवीणता रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम काज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग केन्द्रीय ग्रनुवाद ब्यूरो के सहयोग से "पांच" द्विवसीय ग्रनुवाद कार्यशाला ग्रायोजित की जाए। इस प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श हुग्रा। इस संदर्भ में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने विस्तृत रूप से ग्रनुवाद प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला तथा हर प्रकार का सहयोग देने का ग्राश्वासन दिया। ग्रध्यक्ष महोदय ने सभी राजभाषा ग्रधिकारियों को ग्रापस में विचार विमर्श करके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की सलाह दी ताकि प्रशिक्षण की सुविधा का उपयोग किया जा सके।

श्री सिद्धिनाथ झा ने निम्नांकित सरकारी ग्रादेशों का पालन करने पर विशेष बल दिया।

(1) धारा 3(3) में वर्णित ग्रादेशों का ग्रनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) केवल द्विभाषी (हिन्दी एवं ग्रंग्रेजी) इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की खरीद करने की ग्रनुमति सरकार की तरफ से है। सदस्यों के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने बतलाया कि द्विभाषी उपकरण प्रचुर संख्या में उपलब्ध है।

(3) हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी ग्राशुलिपि प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया।

24 तिरुअनन्तपुरम् (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), तिरुग्रनंतपुरम् की 12वीं बैठक 28 जनवरी, 1991 को केनरा बैंक ग्रंचल कार्यालय, तिरुग्रनंतपुरम् में हुई। इसकी ग्रध्यक्षता श्री ए.एम. प्रभु, उपमहाप्रबंधक, केनरा बैंक ने की।

श्री ब्रज मोहन सिंह नेगी, निदेशक (तकनीकी) तथा श्री जी. ग्रार. कृष्णमूर्ति, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एल. डिसूजा, उपमुख्य अधिकारी; श्री डी. ग्रार. रंगनाथन सहायक मुख्य अधिकारी तथा श्री काजी मुहम्मद ईसा, राजभाषा अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

श्री बी. गणपति, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक ने अध्यक्ष एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों समेत सभी सदस्य बैंकों के कार्यपालकों/अधिकारियों का स्वागत किया।

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 22 से 26 अक्तूबर 90 तक उक्त प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में 17 बैंकों के कुल 33 कर्मचारियों ने भाग लिया। कक्षाओं का संचालन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली एवं क्षे.का. बेंगलूर के अधिकारियों ने किया।

बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालयों को इस आशय के पत्र भेजे गए थे कि तिरुअनंतपुरम स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा संबंधी स्टाफ नियुक्त किया जाए ताकि राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

सदस्य बैंकों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की समेकित शीट समिति को प्रस्तुत की गई।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक तथा यूको बैंक लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। उक्त बैंकों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में यथासंभव स्थिति में सुधार किया जाएगा।

न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने रा.भा. नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए हिंदी में प्राप्त कुछ पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिए हैं। उक्त बैंकों के प्रतिनिधियों ने समिति को आश्वासन दिया कि भविष्य में बिना चूक नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।

हिंदी में पत्राचार

आंध्र बैंक तथा विजया बैंक ने 60% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। समिति ने इनके प्रयासों की प्रशंसा की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अन्य बैंक हैं—इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा सिंडिकेट बैंक 20% के निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब हैं और शेष बैंक काफी पीछे चल रहे हैं।

केनरा बैंक के पत्राचार को देखते हुए पाया गया कि अन्य बैंकों के मुकाबले में केनरा बैंक का कुल पत्राचार काफी अधिक है। श्री एल. डिसूजा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक ने बताया कि ये आंकड़े नगर स्थित 6 शाखाओं, एक मंडल कार्यालय तथा अचल कार्यालय से संबंधित हैं। आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें मुद्रित व चक्रलिखित सहित हर तरह का द्विभाषी पत्राचार शामिल है।

भारत सरकार एवं भारत रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जो बैंक हिंदी पत्राचार के लक्ष्य के पीछे हैं वे छोटे-छोटे नेमी पत्रों, जैसे प्राप्ति-सूचना, प्रावरण पत्र, अनुस्मारक तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रारूप द्विभाषी रूप में तैयार करके इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदी टंकण/टंकण यंत्र

यह पाया गया कि इस मद के अंतर्गत प्रायः सभी बैंक निर्धारित लक्ष्य से पीछे हैं। श्री बृजमोहन सिंह नेगी ने अनुरोध किया कि सभी बैंक हिंदी टंकण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें तथा अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिन्दी टंकण यंत्रों की खरीद करें।

श्री प्रभु ने कहा कि क्योंकि कई कार्यालयों में राजभाषा संबंधी कार्य देखने के लिए हिंदी स्टाफ उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्यों को कठिनाई आती है। स्टाफ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी कर्मचारी को केवल राजभाषा का काम देखने के लिए मुक्त कर पाना भी संभव नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय के स्तर पर वित्त मंत्रालय से मामला उठाया जाए तथा स्टाफ भर्ती की वर्तमान सीमा (जो कुल स्टाफ का 1% है) से अलग हिंदी स्टाफ भर्ती करने की अनुमति मांगी जाए।

श्री बृजमोहन सिंह नेगी ने कहा कि समिति की ओर से मामला राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

श्री बृजमोहन सिंह नेगी ने सुझाव दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन की गति तेज करने की दृष्टि से यह उपयोगी होगा कि बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे वे राजभाषा नीति से अच्छी तरह परिचित होकर स्वयं हिंदी में काम करने में सक्षम हो सकेंगे तथा अपने अधीन कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकेंगे। समिति ने यह सुझाव स्वीकार किया। सदस्य सचिव ने कहा कि सुझाव को कार्यरूप देने के लिए उप समिति की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अध्यक्षीय भाषण में श्री ए.एम. प्रभु ने सदस्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दिया।

25. बम्बई (बैंक)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंबई की 10वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 1991 को बंबई में संपन्न हुई। इस की अध्यक्षता समिति के नये अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंबई महानगरीय अंचल के उप-महाप्रबंधक श्री चन्द्रकांत कुलकर्णी ने की। इस अवसर पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप-निदेशक (कार्या.) श्री कृष्ण ना. मेहता, हिन्दी शिक्षण योजना की उप-निदेशक श्रीमती इन्दिरा पंड्या, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक डॉ. नागेंद्रनाथ पांडेय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन व विकास प्रभाग के उप-मुख्य अधिकारी श्री राजेश्वर गंगवार एवं बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बंबई के प्रबंधक श्री पीटर कोता विशेष रूप से उपस्थित थे।

26. मणिपुर (इंफाल)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मणिपुर, इम्फाल की वर्ष 1991 की प्रथम बैठक 22 जनवरी 1991 को श्री शी.सू. राव महालेखाकार, मणिपुर की अध्यक्षता में हुई।

श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (कार्या) गुवाहाटी ने नगर स्तर की हिन्दी की ऐसी बैठक को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वताते हुए कहा कि इसके द्वारा हमें परस्पर एक दूजे के करीब जाने, हिन्दी के कार्यों में तेजी लाने के लिए एक दूसरे की समस्या व सुझाव जानने का तथा परस्पर सुविधाओं को बांटने का मौका मिलता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि तिमाही रिपोर्ट को नियमित भेजा जाए।

उप निदेशक ने राजभाषा नियमों की चर्चा करते हुए कहा कि धारा 3(3) का अनुपालन निश्चित किया जाए। उनका आग्रह था कि सभी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर द्विभाषी ही खरीदे जाएं। एवं 12 प्रतिशत हिन्दी टंकण यंत्रों का लक्ष्य भी प्राप्त करें। उन्होंने क व ख क्षेत्रों में तथा ग क्षेत्र में 20 प्रतिशत पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी बात कही।

हिंदी कार्यान्वयन समीक्षा

अध्यक्ष की अनुमति से सभी उपस्थित कार्यालय विभाग अध्यक्षों ने पिछली छमाही के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया व कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं से भी निपटने हेतु निवेदन किया। जिनके समाधानार्थ निदेशक (अनु) राजभाषा विभाग ने डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने अपने सुझाव दिए।

1. **के. रि. पु. बल:**—इम्फाल में स्थित के. रि. पु. बल की सभी बटालियन कम्पनियों का हिन्दी में कार्यान्वयन लगभग समान स्तर पर तथा सराहनीय रहा। कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक व ग्रुप केन्द्र, के. रि. पु. बल का कार्य लगभग 70 प्र.श. रहा। उन्होंने एक हिन्दी टंकण व टंकक के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का जिक्र किया। मगर उनका मानना था कि हिन्दी में लिखे गए पत्रों का जवाब उन्हें शीघ्र मिलता है।

22 बटालियन के. रि. पु. बल के द्वितीय कमान श्री डी. एस. सिसोदिया ने बताया कि उनके कार्यालय में 85 प्र. श. कार्य हिन्दी में किया जाता है। प्रार्थनापत्र रोकड़ बही, मसौदे व रजिस्टर सभी हिन्दी में लिखे जाते हैं। उनके यहां किसी भी भाषा का सांकेतोड़िया उपलब्ध नहीं है। टंकण यंत्र कुल 10 हैं जिनमें से 9 रोमन व एक देवनागरी का है। तीन देवनागरी टंकण यंत्रों की मांग की जा चुकी है। सभी फार्म्स प्रधान कार्यालय से द्विभाषी ही प्राप्त होते हैं। 15-अधिकारियों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है

31 बटालियन के. रि. पु. बल कार्यालय के पत्रांक एच चार-1/90-91-31 केरिपुब-हिन्दी दिनांक 22-1-91 के अनुसार कार्यालय रा. भा. अधि. के नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। यहां कुल 9 अधिकारी व 7 मंत्रा. कर्मचारियों में से 8 अधिकारी व 4 कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण है। तथा शेष को कार्यसाधक ज्ञान है।

2. **बी. एस. एफ.:**—हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान 14 कर्मचारी प्रशिक्षित करवाए जा चुके हैं। जवान लोगों का 40 प्र.श. काम हिन्दी में ही किया जाता है। हिन्दी टंकण यंत्र व टंकक भी उपलब्ध है।

3. **विभागीय तारघर:**—विभागीय तारघर के अधीक्षक श्री राव के अनुसार डी टी ओ में देवनागरी तार की व्यवस्था भी उपलब्ध है। द्विभाषी टी पी की भी मांग की गई है। निदेशक (अनु) ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से हिन्दी में तार भेजने की सुविधा का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। अधीक्षक तार घर ने बताया कि हिन्दी टंकण यंत्र तो कार्यालय में उपलब्ध है मगर टंकक सर्वथा का अभाव है।

4. **निदेशक डाक सेवाओं का कार्यालय:**—डाक सेवाओं के निदेशक श्री के रामचन्द्रन ने अपनी हिन्दी में न बोल पाने की असमर्थता व्यक्त की तथा कहा कि उनके यहां भी हिन्दी प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है। मोहरें आदि द्विभाषी बनाई गई हैं तथा नाम पट्ट भी द्विभाषी बनवा लिए गए हैं।

5. **आकाशवाणी केन्द्र:**—केन्द्र में सभी आदेश व परिपत्रादि द्विभाषी जारी किए जाते हैं। 10 प्राज्ञ पास कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया गया है। फिलहाल दो कर्मचारी पत्राचार द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तथा अन्य 30 कर्मचारी नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यालय में एक हिन्दी टंकण यंत्र तो है मगर हिन्दी टंकक का अभाव है।

6. **हस्त शिल्प आफिस**--कार्यालय में कुल 7 कर्मचारियों में से एक निम्न श्रेणी लिपिक प्रवीण उत्तीर्ण है। कार्यालय में हिन्दी टंकण यंत्र का अभाव है। हस्तशिल्प अधिकारी ने यह आपत्ति उठाई कि उनके यहां हिन्दी में लिखे गए पत्र वापस एच ओ से लौटा दिए जाते हैं या लौट आते हैं।

7. **क्षेत्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यालय**-- डा. श्री कर्मकार ने बताया कि यह कार्यालय काफी छोटा है। कुल 14 कर्मचारियों में से 2 राजपत्रित व बाकी अराजपत्रित कर्मचारी हैं। उनका कार्यालय केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को देखता है। उनका संचालन भी करता है। यहां प्रशासनिक कार्य थोड़ा-थोड़ा हिन्दी में किया जाता है। हिन्दी टंकण यंत्र के अभाव में उन्हें हाथ से ही लिखना पड़ता है। प्रशिक्षण हेतु भी कर्मचारियों को बराबर भेजा जाता है वैज्ञानिक व तकनीकी कार्यप्रणाली के कारण भी हिन्दी के प्रयोग में दिक्कत आती है।

8. **पत्र सूचना कार्यालय**--सूचनाओं व प्रेस से संबंधित काम करने के कारण स्थानीय भाषा मणिपुरी का ही अधिकतर प्रयोग करना पड़ता है। मगर पत्र सूचना अधिकारी (सहा) ने बताया कि हिन्दी अनुवादक के अभाव के कारण पत्राचार व अनुवाद कार्य में भी काफी परेशानी आती है।

9. **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद**--कार्यालय में हिन्दी टंकण यंत्र का अभाव है। हिन्दी टंकक भी नहीं है। कार्यालय द्वारा कुल 11 साइंटिफिक पैपर्स लैटर्स मे से 4 इस प्रकार के पत्र हिन्दी में अनुदित करवाए जा चुके हैं। इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए निदेशक महोदय ने इस प्रकार के मौलिक कार्य का अनुसरण करने को कहा।

10. **दूरदर्शन केन्द्र**--यह कार्यालय अभी - अभी स्थापित हुआ है। पूरा स्टाफ भी नहीं है। केन्द्र अभियन्ता ने मणिपुरी, हिन्दी, अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावलि के बिना तकलीफ की बात कही। निदेशक (अनु) ने श्रीमती वेदान्ती, हिन्दी अनु. आकाशवाणी से आग्रह किया कि वो हिन्दी व मणिपुरी की प्रशासनिक शब्दावली यहां तैयार करके केन्द्र अभियन्ता दूरदर्शन को दे देवें।

11. महालेखाकार (ले. व ह.)--कार्यालय में 9 टंकण यंत्रों में से 8 रोमन व 1 देवनागरी का है। हिन्दी का टंकक का पद ही नहीं है। हिन्दी अनुवादक के पद के बिना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में 5 शब्द कोष व अन्य सहायक साहित्य भी है। हिन्दी सप्ताह व तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

12. लघु उद्योग सेवा संस्थान--कार्यालय उद्योग मंत्रालय के अधीन ग क्षेत्र में आता है। पत्राचार क व ख क्षेत्र से 28 प्र. श. व ग क्षेत्र से 20 प्र.शत किया गया है। हिन्दी सप्ताह के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। हिन्दी निबंध प्रति. का विषय था "बेरोजगारी व लघु उद्योग"। हिन्दी वाद विवाद का विषय था "क्या हिन्दी ही राजभाषा बन सकती है"। निदेशक महोदय ने इस प्रकार के टापिक न रखने को कहा। कार्यालय में 2000 रु./- की हिन्दी पुस्तकें मंगवाने का विचार है। चार हिन्दी पत्रिकाएं मंगवाई जा रही हैं। प्रशिक्षणार्थ 7 कर्मचारियों को नामित किए जाने का विचार बताया। विभागीय प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी किए जाने के कारण निदेशक (अनु) ने इस कदम को अनुकरणीय व सराहनीय बताया।

13. **क्षेत्रीय तसर अनु. केन्द्र**:--कार्यालय से हिन्दी के कार्यान्वियन की समीक्षा हेतु भेजी गई तिमाही रिपोर्ट आदि का रिट्न वेक प्राप्त होने के कारण उप निदेशक, तसर कार्यालय ने अपनी खुशी जाहिर की। निदेशक (अनु) के पूछे जाने पर बताया कि उनके कार्यालय का कोई अभी तक विभागीय निरीक्षण नहीं हुआ है। पिछले छमाही में क व ख क्षेत्र में 22 प्र.श. रहा तथा धारा 3 (3) का अनुपालन किया गया जिसके तहत कुल 375 परिपत्र आदेशादि जारी किए गए। हिन्दी अनुवादक का पद भरे जाने के कारण अब हिन्दी के कार्य में तेजी व आसान हो जाएगा। 40 हिन्दी पुस्तकों को खरीदने का आदेश दिया जा चुका है। कार्यालय में 4 अंग्रेजी व 2 हिन्दी के टंकण के यंत्र हैं। कम्प्यूटर रोमन है तथा टेलीप्रिंटर द्विभाषी मंगवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय को एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव भेजा गया है।

हिन्दी के कार्यान्वियन में तेजी लाने हेतु मार्गदर्शन

हिन्दी प्राध्यापक श्री बेंकट लाल शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों से अर्द्धवार्षिक व तिमाही रिपोर्ट नियमित व ससमय भेजने तथा प्रशिक्षण में नामित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही यह भी बताया कि हिन्दी टंकक के अभाव में काम न रुके इस हेतु हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ उठाएं तथा हिन्दी टंकण प्रशिक्षण हेतु भी अपने संबंद्ध कर्मचारियों को नामित किया करें।

निदेशक, अनुसंधान, राजभाषा विभाग द्वारा मार्ग दर्शन

डा. महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक ने कहा कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में मणिपुर का योगदान बहुत है। संस्कृति व भाषा का परस्पर मेल है। हम स्टेट लेबल पर असमी, मणिपुरी में काम कर सकते हैं। किन्तु जब हम केन्द्रीय स्तर पर काम करते हैं तो हमें केन्द्र की राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने पर्सनल कम्प्यूटर का महत्व बताते हुए उसे मणिपुर के ठण्डे मौसम के लिए अत्यंत उपयुक्त बताया। उन्होंने राजभाषा पर फिल्माई गई 5 कैसेटों के सैटों को अपने अपने कार्यालयों हेतु मंगवाने के लिए सभी से अपील भी की। इनका कुल खर्च 350रु./-

तथा पता—फिल्म डिवीजन 24 डा. गोपाल राव देशमुख मार्ग बम्बई, बताया । अन्त में उन्होंने अगले वर्ष के 30 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभी से जुट जाने का सुझाव दिया ।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया तथा हिन्दी प्रशिक्षण व देवनागरी टंकण प्रशिक्षण की सुविधा जो कि इम्फाल में राजभाषा विभाग द्वारा हम सबको मुहैय्या की गई है का दिल खोलकर लाभ उठाने का आग्रह किया तथा राजभाषा नीति को सफल बनाकर राजभाषा की सेवा करें ।

27. देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की छठी बैठक दिनांक 9-1-91 को ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी, देवास के कार्यालय में सम्पन्न हुई। इसकी अध्यक्षता श्री जे.सी. गुलाटी, उपमहाप्रबन्धक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास ने की।

बैठक से पूर्व 18 कार्यालयों के तथा बैठक के दौरान दो कार्यालयों के प्रगति विषयक विवरण प्राप्त हुए। अत: कुल 20 कार्यालयों के प्रगति विवरण के आधार पर देवास का प्रगति विवरण निम्नानुसार है ।

इस अवधि के दौरान किसी भी कार्यालय से हिन्दी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया। इस तिमाही में प्रगति के आंकड़े इस प्रकार है :—

पत्र दर

कुल जारी पत्र	हिन्दी में पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में पत्रों की सं.	हिन्दी पत्रों का प्रतिशत
17,601	15,351	2,250	87

तार	हिन्दी तार	अंग्रेजी तार	प्रतिशत
296	144	152	48

तारों के सम्बन्ध में पुन: यह स्पष्ट किया गया कि बैंकों में मुद्रा संबंधी कोड तारों की संख्या इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

निर्णय किया गया कि पिछले दो वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिता चलायी जाये। इस बारे में यह निर्णय लिया गया कि नगर के कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि को दो वर्गों में बांट लिया जाए। एक वर्ग में केन्द्रीय कार्यालय और उपक्रम तथा दूसरे वर्ग में बैंक तथा बीमा कार्यालय शामिल किए जाए। इसके साथ यह सुझाव भी सर्वसम्मति से मान्य किया गया कि शील्ड के स्थान पर पुरस्कार में पुस्तकें और प्रमाणपत्र दिए जाएं।

देवनागरी तार प्रतियोगिता

पिछले वर्ष चौथी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार देवनागरी तार प्रतियोगिता की अवधि वर्ष 1990 तक बढ़ा दी गई क्योंकि पिछली पांचवीं बैठक के दौरान तक सभी कार्यालयों की ओर से पूरी जानकारी नहीं मिल पायी। दूर संचार विभाग के श्री मण्डलोई ने कहा कि 'क' क्षेत्र में केवल एक भाषा में काम होना चाहिए और यह भाषा अनिवार्य रूप से हिन्दी ही होनी चाहिए। **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी के श्री गंगवानी ने कहा कि हमें मन लगाकर बिना कोई शंका कुशंका किए हिन्दी में काम करना चाहिए ।**

राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (का) श्री चंद्रगोपाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिन्दी को बढ़ावा देने की है ।

देवास "क" क्षेत्र में स्थित है और "क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालय, विभाग और यहां की जनता से हमें सारा पत्र व्यवहार हिन्दी में करना है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका अनुवाद साथ भेजना जरूरी है । "ग" क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालय को कम से कम 20 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे जाने चाहिए।

अध्यक्षीय उदबोधन (श्री जे.सी. गुलाटी, उपमहाप्रबंधक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास) ने कहा—

कि समिति की तीन वर्षों की अल्पावधि में जो प्रगति हुई उसमें सबका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र है। पिछली बैठक के दौरान देवास स्थित केन्द्रीय कार्यालयों का हिन्दी पत्राचार 86 प्रतिशत था जो इस बैठक तक 87 प्रतिशत हो गया, यह एक सार्थक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, देवास

क्र. सं.	सदस्य कार्यालय का नाम	"क" "ख" क्षेत्र क मूल पत्राचार			तार		
		हिन्दी	अंग्रेजी	प्रतिशत	हिन्दी	अंग्रेजी	%
1.	बैंक नोट मुद्रणालय	2319	304	89%	19	23	45%
2.	केन्द्रीय औ. सु. बल	3778	754	83%	7	2	77%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आयकर विभाग	500		100			
4.	दूर संचार विभाग	1131	252	73	3	3	50%
5.	के.लो.नि.वि. (सि)-I	177	90	66	अपूर्ण विवरण		
6.	के.लो.नि.वि. (सि)-II	53	16	79	अपूर्ण विवरण		
7.	के.लो.नि.वि. (वि)	199	65	65	1	1	50%
8	केन्द्रीय विद्यालय	292		100			
9.	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी	43		100			
10.	पंजाब नेशनल बैंक	85	30	68			
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	164	47	78			
12.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर (बी एन पी शाखा)	375		100	1	47	
13.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1350	50	90	50		
14.	बैंक ऑफ इण्डिया	886		100	4		100%
15.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	278	34	89			
16.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	386	55	84	18	7	70%
17.	रेल विभाग	200		100	25		100%
18.	डाक विभाग	643	40	92		64	
19.	ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कं.	72	13	85			
20.	भारतीय जीवन बीमा निगम	2500	500	83	16	5	80%

28. रतलाम

न.रा.का. की बैठक दिनांक 31-12-90 को मण्डल रेल प्रबंधक श्री आर.के. गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री शमशेर अहमद खान भोपाल से पधारे—

इसके पश्चात् संयोजक एवं अमरेप्र श्री शिव कुमार माथुर ने उपस्थित सदस्यों से अपने अपने कार्यालय से संबंधित हिन्दी कार्य पर प्रकाश डालने तथा कठिनाइयां बताने के लिए कहा। अधिकतम कार्यालयों ने अपने यहां का कार्य संतोषजनक बताया।

1. श्री एस.आर. शुक्ल क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उनके कार्यालय में 90 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। उनके कार्यालय में पिछली बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें 42 सदस्य कार्यालयों में से केवल 20 सदस्य कार्यालयों के अधिकारी ही लाभ उठा पाए।

2. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि, श्री प्रदीप राठी ने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी टंकण की आवश्यकता के बारे में अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि वे अपने क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय स्तर पर इस मामले को उठाकर आवश्यक पद का सृजन करवाएं।

3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रतिनिधि श्री एच. के. मेहता ने बताया कि उनके शाखा प्रबंधक दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिन्दी में पत्राचार करते हैं।

4. सिण्डीकेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि 30-6-90 की समाप्त छः माही में उनके कार्यालय से 25 हिन्दी पत्रों के ऊपर अंग्रेजी में दिये गये थे, किन्तु आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपने सभी अधीनस्थों को इस सम्बंध में जागरूक रहने के लिए निदेश दे दिए हैं और साथ ही उन्होंने अन्य सभी कार्य हिन्दी में करने का भी आश्वासन दिया।

5. केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य, श्री सुमेरलाल ने बताया कि उनके विद्यालय के आफिस कार्य में हिन्दी में

किये जाने वाले कार्य का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और वे आपस में बातचीत हिन्दी में ही करते हैं।

6. भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक, श्री ओ.पी. दुबे ने बताया कि पिछले 1--2 वर्ष में उनके कार्यालय में हिन्दी में किये जा रहे कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। कुछ यांत्रिक समस्याओं को छोड़कर शेष कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय को लिखने पर, यहां से तोल कार्ड द्विभाषी रूप में प्राप्त हो गए हैं।

7. श्री वि.ग्रा. कोहद ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा सारा कामकाज हिन्दी में करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। उनके कार्यालय द्वारा हिन्दी दिवस मनाया गया था और 200 रुपये के पारितोषिक भी वितरित किये गये थे। उन्होंने बताया कि वे दिनांक 24-12-90 को छुट्टी पर थे अतः उस दिन कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो सके थे।

8. अधीक्षक, डाकघर के प्रतिनिधि श्री र.च. चौहान ने बताया कि उनके 1000 डाकघर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्य करते हैं और उनके साथ पत्राचार हिन्दी में ही करना पड़ता है। उनका कार्यालय एक प्रकार से हिन्दी में प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। उच्च कार्यालय के कई पत्रों का उनके कार्यालय स्तर पर अनुवाद करवाकर प्रसारित करना पड़ता है। दोनों पुरुष डाकघरों में हिन्दी पुस्तकालय/वाचनालय हैं और कर्मचारी उसका पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं।

मण्डल लेखा परीक्षा अधिकारी, प. रे. के प्रतिनिधि, श्री एस. आर. देशमुख ने बताया उनके द्वारा निरीक्षण रपट हिंदी में तैयार की गई है।

29. उदयपुर

न.रा.का.स. की दिनांक 28 दिसम्बर, 1990 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री बी.एन. सिंह ने की। इस बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल के अनुसंधान अधिकारी श्री शमशेर अहमद खान भी उपस्थित थे।

(1) हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

बैठक में समिति के सदस्य कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने पिछली तिमाही में हुई हिन्दी के प्रयोग की प्रगति प्रस्तुत की।

यूनाइटेड इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के मण्डल कार्यालय में हिन्दी का अच्छा कार्य हो रहा है। माही कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान है। अधिकांश कार्य हिन्दी में ही सम्पन्न किया जाता है। प्रतिनिधि ने हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की मांग की। इस पर अनुसंधान अधिकारी श्री खान ने कहा कि यदि उदयपुर में हिन्दी टंकण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होंगे तो हिन्दी टंकण का अंशकालिक केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल लक्ष्मी विलास पैलेस में हिन्दी और अंग्रेजी टंकण मशीनों का अनुपात बराबर है। इस पर अनुसंधान अधिकारी ने कहा कि हिन्दी टंकण मशीनों का प्रतिशत 60 होना चाहिए। अतः तदनुसार हिन्दी टंकण मशीनों की खरीद की जाये। कार्यालय में टेलेक्स द्विभाषिक है। लगभग 85 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिन्दी के प्रयोग की स्थिति अच्छी है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी का टंकक नहीं है। इस कारण हिन्दी के प्रयोग में कुछ कठिनाइयां रहती हैं। फिर भी, अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने का प्रयास किया जाता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण वर्ग लगाये जाते हैं। हिन्दी में पत्राचार तिमाही की तुलना में इस तिमाही में बढ़ा है। परन्तु, लक्ष्य से कम है। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं।

पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है। इसके अलावा लगभग 90-95 प्रतिशत ड्राफ्ट व चैक हिन्दी में तैयार किये जाते हैं।

उदयपुर काटन मिल्स में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति सराहनीय है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन होता है। अभी कुछ फार्म केवल अंग्रेजी में हैं। इन्हें शीघ्र द्विभाषिक करवाकर मुद्रित कराया जाये।

पुरातत्व विभाग में लगभग सारा कार्य हिन्दी में ही किया जाता है। रजिस्टर आदि में इंदराज भी हिन्दी में ही किया जाता है। परन्तु, विवरणियां भेजने के कई प्रपत्र अंग्रेजी में हैं। इन्हें हिन्दी में शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाये।

मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बहुत कम है। सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि केवल अंग्रेजी में ही तैयार की जाती है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन भी पूर्णतया नहीं हो पाता है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा नियमों आदि का सतर्कता से अनुपालन करना जरूरी है। इसके अलावा कर्मचारियों/अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण आदि दिलाया जाये। सचिव ने कहा कि जनवरी में आयोजित की जाने वाली हिन्दी कार्यशाला में किसी अधिकारी को अवश्य मनोनीत किया जाये। कार्यालय के प्रतिनिधि ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का आश्वासन दिया।

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के मण्डल कार्यालय में लगभग 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है जिसकी नियमित बैठकें हुआ करती हैं।

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) में लगभग सारा कामकाज हिन्दी में ही सम्पन्न होता है।

आय कर विभाग के उपायुक्त कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। कर निर्धारण आदेश केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जाते हैं, क्योंकि हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। इस पर अनुसंधान अधिकारी श्री खान ने कहा कि अंग्रेजी के आशुलिपिकों तथा टंककों को हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जाए। मूल पत्राचार में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जाए।

केन्द्रीय आसूचना कार्यालय में अधिकांश पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। समय-समय पर हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाती हैं।

इलाहाबाद बैंक की स्थानीय शाखा में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जाता है और हिन्दी के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई भी नहीं हैं।

ग्राहकों के दावे भी हिन्दी में ही निपटाये जाते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सभी को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है। लगभग 96 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति है और उसकी नियमित बैठकें की जाती हैं। हिन्दी कार्यशालाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इंडियन एयर लाइन्स में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है। कतिपय फार्म आदि केवल अंग्रेजी में हैं। इन्हें शीघ्र ही द्विभाषिक बनाया जायेगा। कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें केवल अंग्रेजी में ही करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे कार्यों को द्विभाषिक रूप में किया जा सकता है।

भारतीय खान ब्यूरो में हिन्दी की प्रगति प्रशंसनीय है। कार्यालय में पर्याप्त संख्या में हिन्दी टंकक/आशुलिपिक हैं हिन्दी में मूल पत्राचार 90 प्रतिशत से भी अधिक है। तकनीकी रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार की जाती है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिन्दी की प्रगति निरंतर बढ़ रही है। ग्राहकों से पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। मूल पत्राचार में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।

नगर स्तर पर पुरस्कार

अध्यक्ष ने समिति की बैठक में बताया कि हिन्दी में अच्छा कार्य करने वाले कार्यालयों को नगर स्तर पर समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाना चाहिए और श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र दिये जाने चाहिए। इस पर सचिव ने कहा कि प्रमाण-पत्र मुद्रित करा लिये गये है। परंतु, पुरस्कारों के लिये कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में विशेष चर्चा की गई। सदस्यों की राय थी कि जो उपक्रम आदि पुरस्कारों के लिये शील्ड आदि प्रदान करने की इच्छा रखते हैं तो उनका सहयोग लिया जाये। कुछ पुरस्कार समिति की ओर से भी दिये जाने चाहिए। प्रथम पुरस्कार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से रहे। इसके लिये उनसे अनुरोध किया जा सकता है। दूसरे पुरस्कार की शील्ड के लिये न्यू इंडिया एंश्योरेन्स कम्पनी लि. के मण्डल कार्यालय की ओर से प्रस्ताव आया जिसे स्वीकार किया गया। उदयपुर काटन मिल्स ने तृतीय पुरस्कार की शील्ड देने की पेशकश की।

30. पारादीप

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक डा. एच.वी. प्रधान, सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क विभाग की अध्यक्षता में हुई। बैठक का प्रायोजन युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया की ओर से किया गया।

सदस्यों को बताया गया कि पिछली बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समिति के द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन आज ही किया जा रहा है और महामहिम राज्यपाल (उड़ीसा) श्री यज्ञ दत्त शर्मा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे।

सदस्य सचिव ने सदस्यों को बताया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष पारादीप केन्द्र पर पत्तन न्यास, सेन्ट्रल बैंक, केन्द्रीय विद्यालय, युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया और युनाइटेड बैंक के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया है। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर शेष कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाने के लिए पूरा प्रयास करें।

श्री भगवान दास पटैरिया, उप सचिव (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम व नियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पारादीप पत्तन न्यास तथा नगर राजभाषा के द्वारा हिन्दी में की गई प्रगति की प्रशंसा की तथा यह सूचना दी कि पूर्व क्षेत्र के उपक्रमों में पारादीप पत्तन न्यास एवं पारादीप नगर समिति को राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में श्रेष्ठ काय के लिए द्वितीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सभी सदस्यों ने इस घोषणा पर हार्दिक प्रसन्नता जाहिर की। उप सचिव ने इस बात पर बल देकर कहा कि कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के लिए कार्यालयों के प्रमुखों को विशेष रुचि लेनी चाहिए और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

निम्नलिखित कार्य सूची पर चर्चा की गई :

1. कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण :—

उप सचिव, राजभाषा विभाग ने सभी सदस्यों से हिन्दी प्रशिक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति को जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

उप सचिव ने सदस्यों को सुझाव दिया कि जिन कार्यालयों में अभी तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं

किया गया है वे तुरन्त इस पर कार्रवाई करें। कुछ सदस्यों ने कहा कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण समिति का गठन करना संभव नहीं है। उप सचिव ने सुझाव दिया कि ऐसे कार्यालयों में जहां कर्मचारियों की संख्या कम है हिन्दी की प्रगति के बारे में मासिक स्टाफ बैठकों में भी चर्चा की जा सकती है।

प्रोत्साहन योजना लागू करन के संबंध में

केवल पत्तन न्यास को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय में प्रोत्साहन योजना लागू नहीं की गई है। कुछ सदस्यों ने समिति को बताया कि उनके प्रोत्साहन योजना की प्रति उपलब्ध न होने के कारण इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। उप सचिव ने सुझाव दिया कि प्रोत्साहन योजना की प्रति पत्तन न्यास से लेकर तत्काल लागू करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन

उप सचिव ने सुझाव दिया कि सभी कार्यालयों में हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को हिन्दी के प्रति रूचि पैदा हो। इस संबंध में जानकारी लेने पर यह मालूम हुआ कि केवल पत्तन न्यास, केन्द्रीय विद्यालय और स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. में ही हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

हिन्दी कर्मशाला

सचिव, पारादीप पत्तन न्यास ने समिति को बताया कि पत्तन न्यास में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जून 1990 में नगर समिति के द्वारा भी कार्यशाला का आयोजन किया गया था; जिसमें पत्तन न्यास, केन्द्रीय विद्यालय डाक व तार विभाग, केनारा बैंक के कर्मचारियों ने भाग लिया।

कर्मचारियों के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं की व्यवस्था

सदस्यों ने बताया कि पारादीप में हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। उप सचिव ने सदस्य सचिव को सुझाव दिया कि यदि समिति की ओर से समाचार पत्र और पत्रिकाओं की व्यवस्था के लिए कदम उठाये जाएं तो सभी के लिए सुविधा होगी। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से एक विशेष पत्रिका निकालने के संबंध में

हिन्दी अधिकारी पारादीप पत्तन न्यास ने सुझाव दिया कि नगर समिति की ओर से एक विशेष पत्रिका निकाली जा सकती है जिसमें पारादीप में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लेख आदि प्रकाशित किये जा सकते हैं। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

डा. एच. बी. प्रधान, सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क विभाग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पारादीप पत्तहन न्यास और नगर समिति को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के प्रति आभार प्रकट किया।

31. नागपुर (बैंक)

समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 4-12-1990 को बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री जयशील यो. दीवानजी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। मुख्य अतिथि, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), बम्बई के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण ना. मेहता उपस्थित थे। बैठक में नगर स्थित सभी सदस्य बैंकों के कार्यपालक तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

1. अंग्रेजी टाइपिस्ट/आशुलिपिक को अपने-अपने बैंकों द्वारा निजी व्यवस्था से हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण।

2. हिन्दी टाइपराइटर का लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद की जाए।

3. सदस्य बैंकों की संयुक्त गतिविधि/सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु संयुक्त कोष की स्थापना।

गतिविधियां

उप-समिति

1. बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत उप-समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बैठक हेतु कार्यसूची तैयार करना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत रहना, आवश्यकतानुसार उप-समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर अंचल के उप-आंचलिक प्रबंधक श्री एस.सी. सान्याल है।

2. **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :—** वर्ष के दौरान दो बार भारतीय बैंकर्स संस्थान द्वारा आयोजित बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। सदस्य बैंकों की ओर से इस प्रयास को विशेष उल्लास प्रदर्शित किया गया।

अन्तर बैंक प्रतियोगिता :—समिति के निर्णय के अन्तर्गत नगर के निम्नलिखित बैंकों में अन्तर बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं :—

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	—अन्तर बैंक गीत-भजन प्रतियोगिता
यूको बैंक	—अन्तर बैंक कथालेखन प्रतियोगिता।
सिंडीकेट बैंक	—अन्तर बैंक महाभारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।
बैंक ऑफ इंडिया	—अन्तर बैंक अर्द्धशास्त्रीय फिल्मी गीत प्रतियोगिता एवं अन्तर बैंक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

समिति ने इस वर्ष के दौरान परिणामजनक सक्रियता दर्शायी है। श्री जयशील यो. दीवानजी तथा अन्य बैंकों के कार्यपालकों के सहयोग के कारण अपने स्थापना के दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही समिति ने अपनी पहचान, अपनी अनिवार्यता तथा अपनी महत्ता को बखूबी प्रदर्शित करने में सफल रही है। क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) बम्बई के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण ना. मेहता वर्ष में आयोजित दोनों बैठकों में उपस्थित होना, बैठक में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, सही मार्गदर्शन तथा बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन निरीक्षण के कारण समिति को अपने कार्य को करने में विशेष सुविधा हुई है।

32. जबलपुर (बैंक)

जबलपुर नगर स्थित "बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की 10वीं बैठक दिनांक 19-11-90 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक डा. एस.वी. वायसे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

श्री शर्मा ने बैंक काउन्टर पर अधिकाधिक हिन्दी प्रयोग एवं ग्राहकों से हिन्दी के प्रयोग के लिये अनुरोध पर बल दिया।

प्रारंभ में अंतर बैंक प्रतियोगिता में सर्वाधिक प्रविष्टियों के लिये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक को संयुक्त रूप से समिति की ओर से छः छः माह के लिये चल-शील्ड प्रदान की गयी। इसके बाद वर्ष 1990 में हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह के दौरान अंतर बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं के 25 विजेताओं को अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा जिन बैंकों ने अंतर बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित कीं उन बैंकों को प्रशस्ति पत्र दिये गये। ये बैंक क्रमशः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद, बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनाइटेड बैंक हैं।

सदस्य सचिव द्वारा नगर के सभी बैंकों की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट का समेकित विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभा के मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रतिनिधि उपनिदेशक श्री चंद्रगोपाल शर्मा ने समीक्षा की।

धारा 3(3) का अनुपालन

समेकित रिपोर्ट के अनुसार नगर के बैंकों में से केवल 7 बैंकों ने ही धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया, जबकि 3 बैंकों ने इस विषय का पालन नहीं किया, ये बैंक हैं स्टेट बैंक आफ इंदौर, यूको बैंक और कारपोरेशन बैंक। शेष 13 बैंकों ने इस मद में सूचना प्रस्तुत नहीं की।

पत्राचार

यह प्रसन्नता की बात है कि महाकौशल क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक को छोड़कर सभी बैंकों द्वारा नियम 5 का पूर्णतः पालन करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये। नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने अनिवार्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 68320 हिन्दी में प्राप्त-पत्रों में से 47155 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया, जबकि चूककर्ता बैंक द्वारा 217 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। शेष 20948 पत्र फाइल किये गये।

कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र

कुल 95786 पत्रों में से 88537 पत्र हिन्दी में तथा 7249 पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए। इस प्रकार हिन्दी में जारी हुए पत्रों का प्रतिशत 92.43 हो गया। पूर्व की अपेक्षा इसमें 4.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नगर के 7 बैंक—सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहबाद बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एवं महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा हिन्दी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी गई और उनसे उपेक्षा की गई कि वे शीघ्र ही शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में करेंगे। जिन बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, उन्होंने अनुरोध किया कि वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस योजना बनाएं।

तारों की स्थिति

हिन्दी में तारों की स्थिति की समीक्षा करत हुए उन्होंने सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हिन्दी में तार के लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्रसन्नता जाहिर की तथा उन्होंने अपेक्षा की कि जिन बैंकों द्वारा हिन्दी तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, वे इस क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करें।

आंतरिक कार्य में हिंदी

श्री शर्मा ने संतोष व्यक्त किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, महाकौशल ग्रामीण बैंक व स्टेट

बैंक में औसत 90 प्रतिशत आंतरिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । उन्होंने पासबुक, वहियों में प्रविष्टियां, वाउचर, ड्राफ्ट, जमा रसीदें, विवरणी एवं ग्राहकों से हिन्दी में प्रयोग करने पर विशेष जोर दिया । श्री शर्मा ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया, उन्होंने सदस्यों से बैठक की सार्थकता पर बल दिया और बैठक के सफल आयोजन के लिये समिति को बधाई दी ।

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए :

यूनियन बैंक के अनुसार शाखा स्तरीय कार्यशाला एवं डेस्क प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने में सहायता मिलती हो, इस पर सेंट्रल बैंक केन्द्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि श्री एम. पी. वैद ने बताया कि सेंट्रल बैंक पहले से ही डेस्क प्रशिक्षण देता है ।

कैनरा बैंक के अनुसार कई बैंकों के पास पर्याप्त साधन न होने के कारण वे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में समर्थ नहीं हैं । अतः एक सर्व बैंक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाए ।

सदस्यों ने टेलीप्रिंटर/टेलेक्स मशीन आदि को द्विभाषिक रूप में लगवाने के लिए समिति द्वारा प्रयास किये जाने का सुझाव दिया । इस पर अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि सभी बैंक इस विषय में पूर्ण जानकारी समिति को भेजें, जिससे हम श्री चन्द्रगोपाल शर्मा को पत्र लिख सकें। श्री चंद्र गोपाल शर्मा ने सुझाव दिया कि जबलपुर नगर में इलाहबाद बैंक का प्रशिक्षण महाविद्यालय है, अतः उनके संकाय प्रमुख को समिति का सदस्य बनाया जाए ।

33. अकोला

दिनांक 5-12-90 को श्री जी. एम. देशपाल, आयकर उप आयुक्त, अकोला की रेंज की अध्यक्षता में नराकास की छठी बैठक आयोजित की गई ।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी श्री 'कमल किशोर तिवारी ने बताया कि बैंक द्वारा लक्ष्य निर्धारित 60% से अधिक कार्य किया गया है । उसी तरह तार भी 40% हिन्दी में भेजे गए हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक के श्री राजेन्द्र पंढरपुरकर ने बताया कि उनके बैंक में हिन्दी में पत्राचार 60% से 70% होता है । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अंतर बैंक टंकण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई ।

कैनरा बैंक के श्री ललितकुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 1989-90 में अंचल कार्यालय बम्बई द्वारा उनके बैंक को हिन्दी के श्रेष्ठ कार्य के लिए शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके यहां सभी कार्य हिन्दी में ही किए जाते हैं ।

स्टेट बैंक के श्री निर्मलकुमार माखीजानी ने बताया कि उनके यहां 70% कार्य हिन्दी में होता है । दक्षिण भारत को छोड़कर सभी प्रदेशों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होता है ।

भारतीय स्टेट बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र के संकाय सदस्य, प्रशिक्षण, श्री कंवर कोटेचा ने बताया कि उनके यहां कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण की अवधि 3 माह की है । इस प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी में कार्य कैसे किया जाए, तार कैसे भेजे जाएं आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है । उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को दी जानेवाली पाठ्य सामग्री भी हिन्दी में ही उपलब्ध कराई जाती है।

बैंक ऑफ इंडिया के श्री के. के. खंडसे ने बताया कि उनके यहां हिन्दी टंकण जानने वाले 2 टाइपिस्ट हैं तथा बैंक का अधिकतर कार्य हिन्दी में ही किया जाता है ।

बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री आर० बी. अंधारे ने बताया कि पत्राचार हिन्दी में करने हेतु सभी कर्मचारियों से कहा गया है । 40% पत्राचार हिन्दी में होता है । प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

युनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री टी. एन. निमजे ने बताया कि उनके बैंक में सभी कार्य हिन्दी में ही होता है ।

ओरिएण्टल इंश्युरेन्स कंपनी लिमि. के अरविन्द रविकर ने बताया कि खामगांव शाखा द्वारा सभी पत्र हिन्दी में ही भेजे जाते हैं ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राजभाषा अधिकारी श्री सुनिल दत्त ने बताया कि बैंक में 60% कार्य हिन्दी में किया जाता है । उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष बैंक ने राजभाषा ट्राफी भी प्राप्त की है । बैंक में लेजर, पास बुक, चेक, ड्राफ्ट आदि हिन्दी में कैसे बनाए जाएं इसकी जानकारी स्वयं टेबल पर जाकर बैंक कर्मचारियों को दी जाती है ।

न्यू इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी के श्री ज्ञानेश पचोरी ने बताया कि कंपनी में हिन्दी में काम करने वाले सहायकों को मंडल स्तर पर वर्ष में 3 पुरस्कार दिए जाने की योजना भी लागू की गई है । अकोला मंडल कार्यालय एवं अधीनस्थ सभी शाखाओं में देवनागरी टाइपराइटर खरीदे गए हैं ।

अंत में समिति के अध्यक्ष श्री जी. एम. देशपांडे ने कहा की हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत के आंकड़ों की बजाए अपने बोल चाल से ही हिन्दी की प्रगति कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने श्री कमल किशोर तिवारी, राजभाषा अधिकारी से अनुरोध किया कि शील्ड देने संबंधी विचार-विमर्श करके कुछ मानदण्ड बनाये जाएं ताकि उसके आधार पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों को शील्ड दी जा सके ।

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, तेनांपेट, मद्रास—18

दिनांक 10-1-1991 को कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री वे. नागराजन, भा. र. ले. से. रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में हुई ।

(क) हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अनुदेश दिया गया कि यथा-संभव हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने में अगर कुछ कठिनाईयां हों तो हिन्दी कक्ष की सेवाओं का लाभ उठाया जाए ।

(ख) सामान्य आदेशों का द्विभाषी जारी करना

सदस्य सचिव द्वारा यह बताया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुसार सभी सामान्य आदेशों को एक ही समय हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदेश दिया गया कि सभी सामान्य आदेश, परिपत्र आदि की प्रतियां हिन्दी कक्ष को भेजी जायें ताकि हिन्दी अनुवाद के पश्चात् उन्हें द्विभाषी रूप में एक ही साथ जारी कर सकें।

सितम्बर 1990 महीने के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया और हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करके निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रमाणपत्र सहित नकद पुरस्कार रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय द्वारा दिए गए :—

(क) हिंदी निबंध प्रतियोगिता

प्रथम — श्री सी. मोहनदास, स.ले.अ.
द्वितीय — श्रीमती विजयलक्ष्मी मेनन, व. के. प.
तृतीय — श्री एम. सी. चेरियन, ले. प.
सांत्वना — श्री पी. एन. नारायणन, ले. प.

(ख) हिन्दी पत्र लेखन प्रतियोगिता

प्रथम — श्रीमती वी. रेवती, व.ले. प.
द्वितीय — श्रीमती रूपा वेंकटरामन, अ. अ.
तृतीय — श्रीमती माला चारी, लिपिक
सांत्वना — श्री बी. चन्द्रवाबू व. ले. प.

(ग) हिन्दी कविता/गीत स्वर पाठ प्रतियोगिता

प्रथम — श्री वी. वैद्यनाथन, अ. अ.
द्वितीय — श्री पी. कण्णन, ले. प.
तृतीय — श्रीमती ललिता राजन, व. ले. प.
सांत्वना — श्रीमती पद्मा व. ले. प.

हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अधिक कर्मचारियों को नामित करना

समिति को बताया गया कि अपने कार्यालय में हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए शेष कर्मचारी अधिक संख्या में हैं। नियमानुसार हर एक सत्र में उनमें कम से कम 20 प्रतिशत व्यक्तियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना है। लेकिन कई अनुभाग/उप-कार्यालय इस नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अनुदेश दिया गया कि हिन्दी प्रशिक्षण के लिए सभी कार्यालय अधिक संख्या में कर्मचारियों को नामित करें ताकि सभी अप्रशिक्षित कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षित कर दिया जाए ।

हिन्दी पत्राचार में वृद्धि

सदस्य सचिव द्वारा यह बताया गया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी पत्राचार के लिए 20 प्रतिशत का लक्ष्य निश्चित किया गया है । अध्यक्ष ने कहा कि अपने कार्यालय में हिन्दी पत्राचार में प्रतिशत बढ़ाने के लिए विषय-क्षेत्र बहुत है । इस दिशा में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पावती, अनुस्मारक आदि छोटे-छोटे पत्र हिन्दी में भेज सकते हैं ।

उपलब्धियां

(क) हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और 12 व्यक्तियों को प्रमाणपत्र सहित नकद पुरस्कार दिए गए ।

(ख) 5 मानक फार्मों को हिन्दी में अनुवाद करके उप-कार्यालयों में परिचालित किया गया ताकि वे उन्हें द्विभाषी रूप में उपयोग करें ।

(ग) 5780 शब्दों का अनुवाद किया गया ।

(घ) चालू सत्र के लिए 11 कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया ।

(ङ) "प्रतिदिन हिन्दी का एक शब्द सीखो" कार्यक्रम को पुनः शुरू किया गया ।

2. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, इम्फाल (मणिपुर)

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र इम्फाल (मणिपुर) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक केन्द्र के उप निदेशक श्री पी. के. दास की अध्यक्षता में दिनांक 3-1-1991 को की गई ।

हिन्दी अनुभाग में पिछले तिमाही में किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्री तिवारी, व. अ. अ. ने

बताया कि उक्त अवधि के दौरान कुल 142 पत्र प्राप्त किए गए थे, तथा जिनमें से 35 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा शेष पत्रों का उत्तर देना आपेक्षित नहीं था । इसी अवधि के दौरान जारी किए पत्रों की संख्या 202 थी। धारा 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयास जारी है ।

सभी अनुभागीय प्रधानों ने अपने अनुभाग में हुए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जो निम्नवत् है :—

(1) ओक तसर बीजागार

श्री केशव राम मौर्या, व. अ. स. ने विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि गत अवधि के दौरान कुल जारी 64 पत्रों में से केवल 12 पत्र हिन्दी में जारी किए गए हैं । जो कि पिछले समय से काफी कम रहा अतः व.अ. अ. का ध्यान पत्र लिखकर दिलाए जाने को अध्यक्ष महोदय ने कहा ।

(2) परपोषी पादप

व. अ. अ. परपोषी पादप ने सूचित किया कि अक्तूबर–दिसम्बर 1990 के मध्य कुल 75 पत्र भेजे गए जिसमें से हिन्दी पत्रों की संख्या 23 थी । अतः अध्यक्ष ने इसे 50 प्रतिशत किए जाने हेतु प्रयास किए जाने को कहा तथा इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया जा सकता है ।

(3) शरीर क्रिया विज्ञान

डा. आर. के. पाण्डेय, व.अ.अ. ने बताया कि उनके अनुभाग से एक भी पत्र हिन्दी में जारी नहीं किया जा सका । जिस पर अध्यक्ष ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अनुभाग अधिकारी हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र से है अतः यह उनका प्रथम दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में स्वयं करें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करें । इस ओर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर-बल दिया ।

(4) जीव रसायन प्रयोगशाला

जीव रसायन अनुभाग में भी कोई भी कार्य हिन्दी में नहीं किया जा सका। उन्हें याद दिलाया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ग्यारहवीं बैठक में हिन्दी में पत्राचार शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया था । अतएव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित किए जाने के लिए यह अधिकारी का परम कर्त्तव्य है।

(5) प्रजनन व आनुवंशिकी

व. अ. अ. ने बताया कि पिछले तीन माह में कुल 75 पत्र लिखे गए जिन में से 42 पत्र हिन्दी में लिखे गए।

(6) धागाकरण व कताई

व. अ. अ. (धागाकरण व कताई) ने विस्तार से अपने अनुभाग का हिन्दी में किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया, कुल 75 पत्र जारी किए गए पत्रों में 27% पत्र हिन्दी में लिखे गए थे।

सरकारी कार्य में हिन्दी प्रयोग बढ़ाए जाने हेतु यह निर्णय लिया गया था कि उपस्थिति रजिस्टरों में नाम द्विभाषी रूप से लिखे जाएं जिसके लिए हिन्दी टंकक को प्रत्येक माह के प्रथम दिन सभी अनुभागीय रजिस्टरों में नाम लिखने हेतु कहा गया था। श्री जय सिंह हिन्दी टंकक प्रत्येक माह यह कार्य नियमित रूप से कर रहा है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु यह सुझाव दिया गया कि सभी साइक्लोस्टाइल फार्म तथा धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात दोनों भाषाओं में जारी किए जाने हेतु एक जांच बिन्दु निश्चित किया जाये जिस पर अध्यक्ष ने सहायक अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे ऐसे सभी प्रपत्र व पत्रों को न अग्रेषित करें तथापि उन्हें हिन्दी अनुभाग को रूपान्तरण हेतु हिन्दी अनुभाग को शीघ्र भेजकर अनुवाद करा लिया जाये।

वार्षिक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा

अक्तूबर – दिसम्बर, 90 के दौरान वार्षिक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में 25% पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्र स्थित राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को पत्र भेजे गये। 18% पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के पत्र भेजे जा सके और लगभग 18% "ग" क्षेत्र स्थित केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे पत्रों की संख्या रही। अध्यक्ष महोदय ने मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण

श्री तिवारी, व. अ. अ. ने सूचित किया कि नवम्बर में आयोजित राजभाषा हिन्दी परीक्षा में इस केन्द्र से प्रशिक्षण हेतु भेजे गए सात कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी ही परीक्षा में भाग ले सका जिसे अध्यक्ष महोदय ने काफी गंभीरता से लिया तथा इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु श्री तिवारी, व. अ. अ. को शीघ्र ही पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा। समिति को यह सूचित किया गया कि अगले सत्र के लिए यहां से हिन्दी टंकण हेतु हिन्दी अनुवादक तथा 6 प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ विषय में प्रशिक्षण हेतु नामों की सूची भेजी जा चुकी है आशुलिपिक का पद भरा जा चुका है अतएवं अगले सत्र जुलाई से भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

सी.एस आई आर मुख्यालय की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5वीं बैठक दिनांक 1-2-1991 को श्री उमेश सैंगल, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई।

पीआईडी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वैज्ञानिक व तकनीकी पुस्तकों की सूची/निर्देशिका

पीआईडी के प्रतिनिधि श्री एस. एस. सक्सैना को समिति की सहमति से अध्यक्ष ने यह निदेश दिया कि वे निर्देशिका के प्रकाशन का समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और उसे राजभाषा विभाग तथा सीएसआईआर को सूचित करें ताकि इस संबंध में जिन सांसदों के पत्र आए हैं उन्हें उत्तर दिया जा सके। इसके लिए पीआईडी एवं सीएसआईआर के सेवानिवृत्त 5 अधिकारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लें और उनको पारिश्रमिक दें जो कि अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकता है। इसके लिए योजना प्रभाग के प्रधान श्री भार्गव ने भी तत्काल सहमति प्रदान की।

पी आईडी अपने यहां से प्रकाशित होने वाले सभी वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाओं में यह सूचना निरंतर हर अंक में प्रकाशित करेगा कि हिन्दी में प्राप्त वैज्ञानिक/तकनीकी लेखों को जनरलों/पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा।

समिति की सहमति से अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि हिन्दी में अनुसंधान (शोध) पत्रों की नई प्रस्तावित पत्रिका में लेख भेजने के लिए जो सूचना पीआईडी द्वारा प्रकाशित की गई है, उसे सुधारा जाए और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि वैज्ञानिक अपने लेख हिन्दी में भी भेज सकते हैं, उनके प्रकाशन के बारे में निर्णय करने के लिए उनका यथावश्यक अंग्रेजी अनुवाद पीआईडी द्वारा कराया जाएगा और अनुवाद का व्यय वहन किया जाएगा किन्तु लेखक यदि उचित समझे तो अपने आप भी अंग्रेजी अनुवाद भेज सकता है।

विज्ञापित 10 हिन्दी आशुलिपिकों के पदों पर व्यक्तियों की भर्ती शीघ्र कर ली जाए और उन्हें तैनात करके उनमें से आशुलिपिकों का एक पूल बना दिया जाए ताकि उनकी सेवा का जो अधिकारी लाभ उठाना चाहें, वह उठा सके।

भर्ती तथा विभागीय परीक्षाओं में हिंदी का प्रयोग

इस संबंध में श्री लखबीर सिंह, वरिष्ठ उप सचिव ने बताया कि अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती के नियमों में यह संशोधन कर दिया गया है कि परीक्षा का माध्यम हिन्दी भी होगा और हिन्दी टाईपिंग की परीक्षा देने की छूट रहेगी। डा. महेशचन्द्र गुप्त निदेशक, राजभाषा विभाग की मांग पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भविष्य में सरकार के आदेशानुसार विज्ञापनों में और साक्षात्कार पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि साक्षात्कार के उत्तर हिन्दी में भी दिए जा सकेंगे।

अनुभाग अधिकारियों आदि के चयन की परीक्षा में भी हिन्दी में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने की भी छूट होगी और कुछ समय बाद प्रश्न-पत्र भी हिन्दी में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

(क) स्थापना अनुभाग-3 के हिन्दी के काम के बारे में अवर सचिव (केन्द्रीय कार्यालय) ने बताया कि स्थापना अनुभाग-3 में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। किन्तु आंकड़े रखवाने की व्यवस्था भी शीघ्र कर दी जाएगी।

(ख) श्री लखबीर सिंह, वरिष्ठ उप सचिव ने बताया कि सामान्य अनुभाग व भंडार तथा सत्यापन अनुभाग में हिन्दी में काफी काम होने लगा है तथापि इन दोनों अनुभागों में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने की कोशिश की जा रही है।

डा. गुप्त, निदेशक राजभाषा ने उल्लेख किया कि सामान्य आदेश अभी भी केवल अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं, स्थानान्तरण व तैनाती के आदेश भी इसी श्रेणी में आते हैं और वे साथ-साथ हिन्दी में भी जारी होने चाहिए व हिन्दी रूप पहले अथवा ऊपर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कानून के तत्काल पालन करने का निदेश दिया।

कनिष्ठ फैलोशिप परीक्षा के तीसरे प्रश्न-पत्र में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिए जाने के बारे में यह बताया गया कि विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे गए हैं और उत्तरों की प्रतीक्षा है। अध्यक्ष महोदय ने त्वरित कार्रवाई करने और उत्तरों की शीघ्र समीक्षा करने का निदेश दिया।

सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण।

वरिष्ठ उप सचिव (राभा) ने बताया कि सीएसआईआर की 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण कर लिया गया है और उनको कमियां बता दी गई हैं और सुधार कराने के लिए प्रबोधन कराया जा रहा है। निदेशक, राजभाषा ने अनुरोध किया है कि यह क्रम जारी रखा जाए और इसमें गति लाई जाए जिस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति जताई।

सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की राजभाषा प्रगति संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, सरोजनी नगर, नई दिल्ली को भेजा जाना।

सीएसग्राईग्रार की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में वरिष्ठ उप सचिव (राभा) ने बताया कि 9 प्रयोगशालाओं को छोड़कर शेष की तिमाही प्रगति रिपोर्टें आ चुकी हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। निदेशक, (राजभाषा) ने कहा कि उनकी प्रतियां राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ग्रादि को भेज दी जाएं जिस पर अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उप सचिव (राभा) ने त्वरित कार्रवाई किए जाने को कहा।

दीवार समाचार पत्र "ग्रन्वेषण संदेश" के नियमित प्रकाशन न निकलने पर भारी ग्रसंतोष व्यक्त किया गया और अध्यक्ष महोदय ने सदस्य-सचिव को निदेश दिया कि वे इसका निरन्तर ग्रनुसरण करते हुए डा. सुशील कुमार, प्रधान एचग्रारडीजी को याद दिलाते रहें और राजभाषा विभाग को उसकी पर्याप्त संख्या में प्रतियां भिजवाएं।

हिंदी में खरीदी गई पुस्तकों पर व्यय हुई राशि बहुत कम है। इसलिए सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों से हिंदी में उपलब्ध, पुस्तकों की सूचियां मंगाने और सीएसग्रारग्राई, मद्रास की तरह ही मुख्यालय में भी कम से कम 15 प्रतिशत मूल्य की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के स्तर तक पहुंचने का प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर चर्चा

संसदीय राजभाषा समिति को दिनांक 29-6-90 को दिए गए ग्राश्वासनों पर ब्यौरेवार चर्चा हुई जिसमें निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय किया गया :—

(क) हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का ग्रायोजन नियमित रूप से किया जाए और इसे केवल औपचारिकता मात्र न रहने दिया जाए।

(ख) हिंदी पदों की समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट राजभाषा समिति को भेजी जाए और ग्रगली बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सामने भी प्रस्तुत की जाए।

कंम्यूटरों को हिंदी में काम करने योग्य बनाने के लिए प्रयोगशालाओं में सोफ्टवेयर और जिस्ट कार्डों ग्रादि का ग्रविलम्ब ग्रगले दो महीनों में प्रबंध कर लिए जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी बताया गया कि मुख्यालय में टेलीप्रिंटर/टेलेक्स द्विभाषिक है इसलिए नियमानुसार हिंदी में संदेश भेजनें के लिए प्रयोगशालाओं/संस्थानों में भी यथाशीघ्र टेलीप्रिंटर/टेलेक्स द्विभाषिक कर लिए जाएं।

सीएसग्राईग्रार मुख्यालय व उसकी सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वैज्ञानिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिता का ग्रायोजन

प्रोत्साहन योजना के संबंध में बताया गया कि कुछ प्रयोगशालाओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं किंतु अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि पहले से ही तैयार की गई योजना को अविलंब लागू किया जाए और इसमें कोई विचार/सुझाव मांगने की ग्रावश्यकता नहीं है। योजना पहले से ही स्वतः पूर्ण है।

सीएसग्राईग्रार मुख्यालय सहित उसकी सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के विषयों पर हिंदी में मौलिक वैज्ञानिक लेखन के लिए पुरस्कार योजना

मौलिक वैज्ञानिक लेखन संबंधी योजना पर विचार हुग्रा और उप वित्त सलाहकार ने योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय ग्रर्थात 15000 + 10000 + 5000 के तीन वार्षिक पुरस्कारों के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय ने पहले से ग्रनुमोदित इस योजना को तत्काल लागू करने का निदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के वीडियो कैसेट शीघ्र तैयार होने जरूरी है। इसके लिए राजभाषा विभाग को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने डीएसग्राइग्रार में हुए निर्णय के ग्रनुसार सी एस ग्राई ग्रार में भी महीने में ऐसा एक दिन निर्धारित करने के लिए कहा जिस दिन हिंदी में बातचीत और हिंदी में ही काम किया जाए और इस ग्राशय के बड़े व सुन्दर पोस्टर बनवाकर सभी ग्रनुभागों/प्रभागों/यूनिटों में उस दिन सुबह लगाए जाएं व शाम को उन्हें उतार लिया जाए ताकि ग्रगली बार पुनः उसी प्रकार उनका उपयोग किया जाए और यह जिम्मेदारी ग्रवर सचिव (केन्द्रीय कार्यालय) को सौंपी गई।

निदेशक, राजभाषा ने गत जून में रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित वरिष्ठ ग्रनुसंधान ग्रध्येतावृत्ति के विज्ञापन की ओर समिति का ध्यान ग्राकर्षित करते हुए बताया कि सूचना तो हिंदी में है पर फार्म का नमूना अंग्रेजी में है जबकि यूपीएससी ग्रादि भी ग्रपने फार्म नमूने द्विभाषिक ही प्रकाशित करते हैं। इस पर डॉ. सुशील कुमार प्रधान, एचग्रारडीजी ने भविष्य में फार्म के ऐसे सभी नमूने द्विभाषिक ही विज्ञापित कराने का ग्राश्वासन दिया।

4. लखनऊ रेल मण्डल राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48 वीं बैठक मंडल रेल प्रबंधक श्री कृष्णपाल सिंह की अध्यक्षता में गत 10 दिसम्बर को संपन्न हुई। सदस्यों को संबोधित करते हुए **मण्डल रेल प्रबन्धक ने कहा कि इस मण्डल में यद्यपि 95 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है किन्तु इसमें और भी बढ़ोत्तरी** की गुंजाइश शेष है। वर्ष की इस अंतिम बैठक को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से मंडल में

चल रहे चौदह हिंदी पुस्तकालयों का नामकरण सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। जिन पुस्तकालयों का नामकरण किया गया, वे इस प्रकार हैं :—

मंडल ग्रंथालय/लखनऊ	—महाकवि निराला
हिंदी पुस्तकालय/सीतापुर	—कृष्ण बिहारी मिश्र
हिंदी पुस्तकालय/लखीमपुर	—बंशीधर शुक्ल
हिंदी पुस्तकालय/मैलानी	—नरोत्तमदास
हिंदी पुस्तकालय/बहराइच	—रामकुार वर्मा
हिंदी पुस्तकालय/डीजल शेड—गोंडा	—भारतेंदु
हिंदी पुस्तकालय/संयुक्त कार्यालय गोंडा	—जी.पी. श्रीवास्तव
हिंदी पुस्तांालय/बस्ती	—रामचन्द्र शुक्ल
हिंदी पुस्तकालय/स्टेशन गोरखपुर	—कबीर
हिंदी पुस्तकालय/लोकोशेड—गोरखपुर	—प्रेमचन्द
हिंदी पुस्तकालय/आनन्द नगर	—गणेश शंकर विद्यार्थी
हिंदी पुस्तकालय/चारबाग-लोकोशेड-लखनऊ	—भगवती चरण वर्मा
हिंदी पुस्तकालय/कानपुर अनवरगंज	—बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'
हिंदी पुस्तकालय/बलरामपुर	—यशपाल

मंडल रेल प्रबंधक ने हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनेक प्रोत्साहन पुरस्कारों की घोषणा की। टंकण प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाले प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती सुषमा पांडेय ने मंडल में हिंदी में कामकाज की प्रगति की समीक्षा की तथा राजभाषा अधिकारी श्री जगतपति शरण निगम ने गत तिमाही की प्रगति रपट प्रस्तुत की। अंत में प्रवर मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री ए.एम.एन. इस्लाम ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

अमृतलाल नागर हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन

विगत 26 जनवरी, को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जं. स्टेशन पर एक नये हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक श्री कृष्णपाल सिंह ने किया। इस पुस्तकालय का नामकरण सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाशिल्पी स्वर्गीय अमृतलाल नागर के नाम पर किया गया। इस अवसर पर पुस्तकालय भवन में स्वर्गीय अमृतलाल नागर के चित्र का अनावरण किया गया और स्टेशन पर नागर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबधित परिचय पोरट्रेट भी लगाया गया।

5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

संस्थान, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22-3-91 को डा. पी. एन. तिवारी, परियोजना निदेशक नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला की अध्यक्षता में हुई।

हिन्दी पुस्तकालय के लिए पृथक स्थान व अतिरिक्त स्टाफ

इस मद पर विस्तृत चर्चा हुई तथा संयुक्त निदेशक (प्रशा.) ने सुझाव दिया कि हिंदी अनुभाग के पुस्तकालय के लिए निदेशालय के बन रहे समीप भवन में समुचित स्थान उपलब्ध जाए ताकि हिंदी पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

हिंदी कार्य के निरीक्षण के संबंध में हिंदी अधिकारी ने बताया कि संस्थान के विभिन्न संभागों/अनुभागों/क्षेत्रीय केन्द्रों से निरीक्षण के पहले कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली भेजी गयी थी जो अधिकांश संभागों, अनुभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त हो गयी है। हिंदी अनुभाग में इनकी जांच का कार्य चल रहा है जिसके पूरा होते ही निरीक्षण शुरू किया जाएगा।

हिंदी में कृषि विज्ञान से संबंधित मौलिक पुस्तकें एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखने वाले संस्थान के लेखकों के लिए पुरस्कार योजना के बारे में संपादक (हिंदी) ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि उपसचिव श्री बकोलिया ने उक्त पुरस्कार योजनाओं को परिषद् से शीघ्र मंजूरी दिलवाने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय ने संपादक (हिंदी) से कहा कि वे परिषद से संपर्क बनाए रखें तथा पुरस्कार योजनाओं को अविलम्ब अनुमोदित कराने का प्रयास करें।

संस्थान के पुस्तकालय में हिंदी भाषा की कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तकों की खरीद के बारे में संपादक (हिंदी) ने बताया कि पुस्तकालय को कृषि विज्ञान संबंधी हिंदी पुस्तकों की दो और अनुमोदित सूचियां भेजी गयी है। अध्यक्ष महोदय ने संपादक (हिंदी) से कहा कि वे अध्यक्ष, पुस्तकालय सेवाओं से संपर्क करके पता लगाएं कि सूची में उल्लिखित पुस्तकों को पुस्तकालय में उपलब्ध कराने की दिशा में क्या प्रगति हुई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जिन बैठकों में लगभग सभी हिन्दी जानने वाले हों तथा कई ऐसे हों जो अंग्रेजी नहीं जानते हों, ऐसी बैठकों की कार्रवाई हिन्दी में होनी चाहिए। इस सुझाव का सभी सदस्यों ने पूरा समर्थन किया तथा यह तय किया गया कि इस आशय का एक परिपत्र समिति की तरफ से सभी अनुभागों/संभागों/क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी किया जाएगा।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

संयुक्त सचिव, डेयर/सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 20-2-91 को महानिदेशक (भा.कृ.अ.प.) के समिति कक्ष में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। उपसचिव (सामान्य प्रशासन), ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के द्विभाषिक रूप में जारी किये जाने वाले कागजात और हिन्दी में पत्र-व्यवहार सबंधी रिकार्ड रखने के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति (नियम पुस्तिका) में निर्धारित शीर्षकों वाले डायरी एवं डिस्पैच रजिस्टरों को छपवाकर परिषद् के समस्त अनुभागों को वितरित कर दिया गया है, ताकि राजभाषा के प्रयोग संबंधी तिमाही—रिपोर्ट

के लिए सही आंकड़े प्राप्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आगे से सभी अनुभाग अधिकारी अपनी निगरानी में नये रजिस्टरों में सही आंकड़े दर्ज करायें।

तिमाही रिपोर्ट में दिये गये टाइपराइटरों की संख्या को देखकर डा. महेश चन्द्र गुप्त निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग ने आपत्ति करते हुए कहा कि अंग्रेजी के टाइपराइटरों की संख्या 407 है, जबकि हिंदी के केवल 28 टाइपराइटर हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजी के टाइपराइटरों के कुंजी पटल बदल कर अपेक्षित संख्या में हिंदी टाइपराइटर सुलभ किये जा सकते हैं। इस पर प्रति टाइपराइटर केवल 500-600- रु. का खर्च आयेगा। समिति के अध्यक्ष महोदय ने उपसचिव (सा.प्र.) से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया।

निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि यथासंभव प्रत्येक अनुभाग में हिंदी का एक टाइपराइटर उपलब्ध होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उपसचिव (सा.प्र.) से कहा कि जिन अनुभागों में अंग्रेजी के 3 या 4 टाइपराइटर हों, वहां कम से कम एक हिंदी टाइपराइटर की व्यवस्था की जाये।

निदेशक (वित्त) ने हिंदी टाइपिस्टों की सेवाएं बढ़ाने की दृष्टि से सुझाव दिया कि परिषद् में उपलब्ध अंग्रेजी के टाइपिस्टों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस पर निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग ने भी अपनी सहमति जतायी। प्रभारी, राजभाषा कार्य ने निवेदन किया कि इस दिशा में सरकारी नीति यही है। पर प्रशिक्षण के लिए नामित करने पर स्टाफ को कभी कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता और कभी स्टाफ की कार्य-व्यस्तता के कारण वे नहीं जा पाते। फिर भी इस दिशा में सभी सम्भव प्रयत्न किये जाएंगे। इस पर समिति के अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि प्रभारी, राजभाषा कार्य इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

संस्थानों आदि में राजभाषा विभाग द्वारा जारी न्यूनतम हिन्दी पदों के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम पदों की शीघ्र व्यवस्था के संबंध में समिति के अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि संस्थानों से हिन्दी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते ही उनकी यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।

न्यूनतम हिन्दी पदों के मापदण्डों से मुक्त कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थानों तथा अन्य शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी संस्थानों में एम. एस. सी; पी.एच. डी. आदि उच्च स्तर की शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विषय की उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के हिन्दी अनुवाद के लिए यथा आवश्यक उपनिदेशक (राजभाषा) की व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा करते हुए प्रभारी, राजभाषा कार्य ने बताया कि इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक आदि के संसदीय समिति के सामने साक्ष्य के समक्ष दिये गये आश्वासन के अनुसार उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों आदि के निर्माण कार्य के संचालन और निगरानी के लिए "क" और "ख" क्षेत्र के लगभग 40 संस्थानों में निदेशकों की अध्यक्षता में हिन्दी प्रकोष्ठ स्थापित हो गये हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पर ऐसी पुस्तकों के निर्माण का काम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भी अच्छा काम हो रहा है पर दैनिक पाठ्यक्रमों आदि का काम तो संस्थानों में ही होगा।

राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष से सम्पर्क साध कर उनकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के प्रशिक्षार्थियों से यह पूछा जाय कि क्या वे हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे तथा ऐसे प्रशिक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। यह भी पता लगाया जाय कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रसार कार्य संबंधी प्रशिक्षण में हिन्दी माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है और यह भी कि कितने लोग हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण चाहते हैं। शिक्षण संबंधी संस्थानों से पूछा जाय कि उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कितने लोगों ने हिन्दी माध्यम के विकल्प की मांग की और क्या हिन्दी में पी. एच. डी. की थीसिस प्रस्तुत करने पर कोई पाबन्दी है?

निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग ने परिषद् के राजभाषा कार्य संबंधी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए परिषद् में अलग से राजभाषा सेवा के गठन और परिषद् के राष्ट्रव्यापी संगठन के विस्तार की दृष्टि से समुचित स्तर और मात्रा में हिन्दी पदों की व्यवस्था संबंधी निर्णय के बावजूद इस मामले में देर हो रही है। इसके उत्तर में अध्यक्ष ने आदेश दिया कि प्रभारी, राजभाषा कार्य परिषद् के मुख्यालय में औचित्य के साथ न्यूनतम हिन्दी पदों के मानदण्डों के अनुसार 31 मार्च तक समुचित हिन्दी पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

बैठक के दौरान मुख्य सम्पादक (हिन्दी) प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग ने कहा कि शिक्षा विभाग में हिन्दी टाइपिस्ट न होने की वजह से काफी काम उनके अनुभाग में भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय ने उप सचिव (प्रशासन) से अनुरोध किया कि के. वी. के. अनुभाग को शीघ्र ही एक हिन्दी टाइपिस्ट देने की व्यवस्था की जाए।

चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चतुर्थ त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन विश्व साहित्य और संस्कृति संस्थान द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की सेवा में लगे अनेक विद्वानों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए प्रथम दिवसीय संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध हिंदी-तमिल विद्वान् श्री सुंदरम् ने की। समारोह में प्रस्ताविक भाषण श्री लल्लन प्रसाद व्यास, महासचिव, विश्व साहित्य और संस्कृति संस्थान ने दिया। समारोह में उद्घाटन भाषण विदेश मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल का हुआ, जो उनकी अनुपस्थिति में पढ़ा गया।

पुरस्कृत और सम्मानित विदेशी विद्वानों ने भारत संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्बन्ध में विशिष्ट उद्गार व्यक्त किए, जो इस प्रकार हैं :—

डा. वारान्निकोव (रूसी विद्वान) ने कहा कि हिंदी जैसी बोलते हैं वैसी ही लिखते हैं, किंतु रूसी भाषा अत्यन्त कठिन भाषा है। रूस में हजारों-लाखों लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, किंतु वहां केवल तीन शहरों में ही हिंदी सिखाई जाती है। उन्होंने जनसमुदाय को सूचित किया कि रूस में उन्होंने कमल क्लब की स्थापना की है, जिसके माध्यम से वे रूस के किसी भी भाग के निवासी को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हिंदी को भारत और रूस दोनों देशों की मैत्री-भाषा बताया।

प्रो. ब्रिस्की (पोलेन्ड) : प्रख्यात पत्रकार प्रोफेसर ब्रिस्की ने भारत विद्या संस्थान स्थापित किए जाने और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का पोलिश भाषा में अनुवाद किए जाने की सूचना दी, जिसका श्रोतागण ने हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने सम्मानित किए जाने के लिए बहुत आभार व्यक्त किया और कहा कि अंग्रेजी यदि हिंदी के लिए खिड़की है तो इसमें लगे हुए अंग्रेजी रूपी शीशों को भारतीय भाषाओं के हीरे द्वारा काटा जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अरुण (मॉरीशस) : अरुण जी ने मॉरीशस में हिंदी भाषा के विकास की गाथा प्रस्तुत की और सभी को वहां आने का निमंत्रण दिया।

डा. विवेकानन्द शर्मा (फीजी) : डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हिंदी को यूनेस्को की भाषा बनाने का प्रस्ताव फीजी और मॉरीशस की ओर से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि महत्मा गांधी जी ने हिंदी-भाषा और भारतीय संस्कृति को आजादी प्राप्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा के रथ पर आरूढ़ होकर ही भारतीय संस्कृति को फैलाय जा सकेगा। उन्होंने 24 अक्तूबर को राष्ट्रसंघ की स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी दिवस मनाने का आह्वान किया।

प्रो. ऑडोनल स्मेकल (चेकोस्लोवाकिया) : डॉ. ऑडोनल ने बताया कि 40—42 वर्ष पहले उन्होंने हिंदी का आश्रय लिया था और हिंदी ज्ञान का अमृत पान किया। उन्होंने अनेक चैक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है।

श्री ब्रहमदेव उपाध्याय (हालैण्ड) : श्री उपाध्याय ने बताया कि सूरीनाम में 120000 हिंदी भाषी रहते हैं और हिंदी भाषा का प्रचार आध्यात्म से जोड़कर किया जाना चाहिए।

श्री धर्मयश (इण्डोनेशिया) :—युवा हिंदी प्रेमी श्री धर्मयश ने कहा कि हिंदी पढ़कर वे अपात्र से सुपात्र बनेंगे। उन्होंने बताया कि इण्डोनेशिया में एक भी हिंदी की पुस्तक नहीं है और वे शीघ्र ही पुस्तक लिखेंगे। उन्होंने बताया कि अपना सब कुछ बेचकर ही उन्होंने हिंदी सीखने का यत्न किया है।

श्री मोदी बोकु (माले) : श्री बोकु ने बताया कि वे शाकाहारी हैं और चाहते हैं कि सारा संसार हिंदी बोले क्योंकि हिंदी में लिखना और पढ़ना एक जैसा ही है, जबकि अरबी में ऐसा नहीं है।

इस अवसर पर विशेष रूप से रचित स्मारिका का विमोचन, रूसी से हिंदी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध विद्वान श्री मदन लाल मधु ने किया।

संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुंदरम् ने बताया कि अनुवाद पुनः सृजन है, इसे कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दक्षिण भारत में हिंदी लेखकों के कार्य का सही मूल्यांकन आवश्यक है।

सभी सम्मानित विदेशी विद्वानों और अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ संगोष्ठी का प्रथम दिवसीय समारोह समाप्त हुआ।

संगोष्ठी के दूसरे दिन अर्थात् 27-1-991 प्रथम सत्र में विदेशों में हिंदी प्रचार की स्थिति का गंभीर विवेचन हुआ और अनेक वक्ताओं ने विचार प्रकट किए तथा बहुमूल्य सुझाव दिए। द्वितीय सत्र भारतीय प्रशासन में हिंदी की भूमिका को समर्पित था।

विचार गोष्ठी

भारतीय प्रशासन और हिन्दी

विचार गोष्ठी की अध्यक्षता श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने की। श्री जनेश्वर मिश्र, रेल मंत्री (भारत सरकार) मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। गोष्ठी का संचालन डा. महेश चन्द्र गुप्त ने किया।

सर्वप्रथम श्री कृष्ण चन्द्र भिक्खु पूर्व महानिदेशक (आकाशवाणी) ने मुख्य वक्तव्य में कहा कि डा. राममनोहर लोहिया ने हिन्दी की आवश्यकता को भली प्रकार से समझा था। उन्होंने ही मानसिक दासता पर सबसे कड़े प्रहार किए थे। श्री भिक्खु ने यह विचार भी प्रकट किया कि जब मानसिक दासता गहरी हो जाती है तो वह बौद्धिक दासता बन जाती है। प्रशासन के लोग आज भी इसी दासता को भोग रहे हैं और स्वाभिमान के बिना कोई राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह सकता। श्री भिक्खु ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासक को प्रबंधक बनना चाहिए। यदि प्रशासक प्रबंधक नहीं बन सका तो उसका जनता के साथ जुड़ाव नहीं हो सकेगा।

रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रहार करते हुए कहा कि अंग्रेजी भ्रष्टाचार का स्वरूप है। अंग्रेजी के मामूली डंडे से भैंस रूपी समाज को हांका जा रहा है।

राजभाषा का प्रश्न अनिश्चितता के माहौल में फंस गया है और कुछ प्रश्न चिह्न खड़े हो गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवर्तन अवश्य होगा और उसके लिए कोई फार्मूला भी बनाना होगा। केन्द्र की राजभाषा नीति के मामले पर हुए आन्दोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए आन्दोलनों के कारण अंग्रेजी 15 वर्षों के बाद भी केन्द्र में बनी रह गई। अंग्रेजी के बने रहने से अदालत, दफ्तर, प्रशासन आदि सभी पनपते हुए भ्रष्टाचार को ढकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि संसद में दिसम्बर, 1967 में पारित संकल्प अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसलिए संकल्प जमीन से लेना होगा और हिन्दी क्षेत्र के लोगों को त्याग भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री मिश्र के भाषण से पूर्व अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के अध्यक्ष डा. बलदेव बंशी ने कहा कि दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की छूट अविलम्ब उपलब्ध कराई जानी चाहिए और अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र भी संघ लोक सेवा आयोग से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जो दो बार संसद में पास किया गया हो परन्तु भाषा सम्बंधी संकल्प की 11 जनवरी, 91 को पुनः पुष्टि की गई, फिर भी संकल्प की भावना को लागू नहीं किया जाना जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

गोष्ठी के अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी ने गृह सचिव रहते हुए और राजभाषा सचिव का काम देखते हुए अपने पूर्व अनुभवों की पृष्ठ भूमि में यह बताया कि हिन्दी में कामकाज करने के लिए गृह मंत्रालय ने बहुत से कार्य किए हैं लेकिन राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण समुचित सफलता नहीं मिल सकी है। देश की जनता और प्रशासनवर्ग में अंग्रेजी के प्रति अवांछित मोह बना हुआ है और अंग्रेजी के प्रति उच्चता की भावना विद्यमान है। किसी भी स्वभामिन और स्वतंत्र देश के लिए यह अच्छा नहीं है।

राजनैतिक नेताओं को भी इस दिशा में आगे आकर दुविधा की स्थिति को शीघ्र समाप्त करना चाहिए। संविधान राजभाषा कानून और नियमों के अनुसार हिन्दी में कामकाज के लिए वातावरण बनाना चाहिए।

28 जनवरी, 1991

भारतीय प्रशासन में हिन्दी सम्बंधी विचार गोष्ठी 27 जनवरी के बाद भी जारी रही और अनेक वक्ताओं ने विचार प्रकट किए।

डा. विशान्त वशिष्ठ जो कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में कार्यरत हैं—प्रथम वक्ता थे। उन्होंने कहा कि जब ऊपर से हिन्दी में काम होगा तो नीचे अपने आप होगा, यह बात अब पूरी तरह फिट नहीं होती अब तो सभी तरफ से हिन्दी में काम होना चाहिए।

गोवा शिपयाड लि. के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री के. रोशय्या ने अगली अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी गोवा में रखे जाने का आग्रह किया और कहा कि हिन्दी के प्रचार को आगे बढ़ाने

के लिए स्वयं सेवक बनने चाहिएं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि कर्मचारियों और अधिकारियों से निरन्तर संपर्क करके वे स्वयं उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, जिसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के हिन्दी अधिकारी श्री पूर्णपाल ने कहा कि विज्ञान को जन-जन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा तो विज्ञान का सही-सही इस्तेमाल होगा। उन्होंने अनुसंधान परिषद् द्वारा हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन के लिए रखे गए पुरस्कारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश वैज्ञानिक अंग्रेजी में मौलिक लेखन नहीं कर सकते।

पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हिन्दी अधिकारी श्रीमती सविता चड्ढा ने स्वरचित कविता सुनाई और कहा कि वातावरण बनाने के लिए बैंकों में कई पुरस्कार योजनाएं चलाई गई हैं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा, निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड ने विशेष जोर देकर कहा कि "ग" क्षेत्र में योजना बनाकर काम किया जाए। हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी का उच्च स्तरीय ज्ञान जरूरी नहीं है।

हिन्दुस्तान प्रीफेब लि. में हिन्दी अधिकारी श्री मनोज कुमार ने भी निष्ठा और उत्साह से हिन्दी में कामकाज बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सब मिलकर प्रयत्न करेंगे तो काम निश्चित रूप से बढ़ेगा।

श्री सुनील मित्तल ने कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए लक्ष्य बनाकर काम करने पर बल दिया जाए और अपनी भाषा को सही ढंग से बढ़ाने के लिए यत्न किया जाए।

डा. आशा पाटनी ने जोकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इंदौर में हिन्दी का काम देखती हैं कहा कि "क" क्षेत्र से राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजों की अंग्रेजी में तैयार करने की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

लंदन में भारतीय हाईकमीशन में हिन्दी अधिकारी के नाते बहुत समय तक कार्य करने वाली सुश्री सरोज श्रीवास्तव ने बताया कि हिन्दी में कार्य करने में उन्हें कुछ कठिनाई अवश्य हुई लेकिन धीरे-धीरे सहयोग व स्नेह का वातावरण बनाकर हिन्दी में काम करने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की।

श्री प्रेम सिंह चौहान, प्रबंधक (राजभाषा) पंजाब नेशनल बैंक ने "भारतीय बैंकिंग प्रबन्धन और हिन्दी" पर संक्षिप्त आलेख पढ़ा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लाभप्रदता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। हिन्दी में काम करने से लाभ प्रदता बनी रहेगी।

डा. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि भारत के अनेक कार्यालयों में, बैंकों की हजारों शाखाओं में कामकाज हिन्दी में होने लगा है। लगभग एक हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों पर अधिकांश कामकाज हिन्दी में होता है। उनका यह मत था कि तकनीकी कामकाज भी बड़ी मात्रा में हिन्दी में होने की जानकारी मिली है। अहमदाबाद के पासपोर्ट कार्यालय, भारतीय कपास निगम, बम्बई और कई कार्यालयों में उल्लेखनीय मात्रा में हिन्दी का प्रयोग होता है। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि वास्तव में हमें अंग्रेजी नहीं आती है और जैसे-तैसे हम अंग्रेजी में काम करने का यत्न करते हैं।

श्री कैलाश चन्द्र मिश्र, नव परिमल के अध्यक्ष, ने कहा कि हिन्दी को रोजी-रोटी के साथ जोड़ा जाए और हिन्दी की सेवा में लगे लोगों को और लोगों से भी सहयोग लेना चाहिए ताकि हिन्दी में काम करने वाले लोगों में और उत्साह पैदा हो सके।

समापन करते हुए श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने कहा कि गोष्ठी को अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय बनाने के लिए विभिन्न कार्यालयों से आए अधिकारियों ने जो कहा है उससे लगता है कि यह गोष्ठी वास्तव में बहुत सफल रही है। उन्होंने अपनी यह राय व्यक्त की कि वे बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य अधिकारियों की वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ इससे बड़ी परिचर्चा के लिए रखेंगे। उन्होंने श्री मिश्र तथा वक्ताओं सहित सभी सहभागियों को हार्दिक धन्यवाद दिया।

आठवीं योजना में हिन्दी के विकास के आयाम

श्री असीम चटर्जी, सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग ने कहा कि योजना मंत्रालय की ओर से पिछले वर्ष हिन्दी दिवस के उपलक्ष में "नियोजित विकास में राजभाषा का महत्व" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में आज हम यहां "आठवीं योजना में हिन्दी के विकास के आयाम" विषय पर विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए एकत्र हुए हैं।

श्री भाग्ये गोवर्धन, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री ने संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज हम यहां एक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब जानते ही हैं कि देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। योजनाएं तैयार करते समय हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि योजना विशेष

के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक विचार-विमर्श कर लिया जाए। उसी क्रम में आज हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में हिन्दी के विकास की विभिन्न संभावनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इसके विकास की गति तेज करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में दो राय नहीं हो सकती। परन्तु हम यह भी जानते हैं कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई बार चाहते हुए भी पर्याप्त संसाधन जुटाना मुश्किल होता है। अतः हमारी कुछ सीमाएं हैं और हमें सीमाओं के अन्दर रहकर ही अपना कार्य करना है।

प्रो. लक्ष्मी नारायण दूबे ने कहा कि आठवीं योजना की दुंदुभि बज चुकी है। तुलसीदास के शब्दों में "मानहुं मदन दंदुभि दीन्हीं: मनसा विश्व विजय कह कीन्हीं" डंके की चोट पड़ चुकी है। भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) का दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत कर दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने नये जनादेश के अनुरूप, समाज परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, भारतीय जनता की उच्च प्रजातांत्रिक जागरूकता को सिर-आंखों पर लेते हुए राष्ट्रीय, आयोजना ढांचे के अन्तर्गत विकास के परिवर्तित तथा वर्तमान प्रासंगिक संदर्भगत मुद्दों को आठवीं योजना में रेखांकित किया है। पहली बार रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण के सामन राजभाषा हिन्दी को भी आठवीं योजना में नियोजित विकास के निमित्ति स्थान मिला है। यह अच्छी पहल और शुरुआत है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। योजना के विकेन्द्रीकरण ने अब, योजना को अवतार का स्वरूप न प्रदान कर, नर से नारायण बनने की स्थिति में उपस्थित किया है। इस मूलभूत मुद्दे का भी सीधा संबंध हिन्दी, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से है।

उच्च शिक्षा और प्रमुख केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के प्राण वायु की गंगोत्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। इसके लिए पृथक से हिन्दी सलाहकार समिति बनायी जानी चाहिए। आयोग को "तकनीकी हिन्दी में एम. फिल." का पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए और राजभाषा विभाग को वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों तथा विज्ञान-अनुवादकों की नियुक्ति में इस उपाधि को प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करनी चाहिए। आयोग के आठवीं योजना के तहत तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पी एच डी करने वाले शोधार्थियों को विशेष अध्येता-वृत्ति प्रदान करनी चाहिए। उच्च शिक्षा में हिन्दी माध्यम से अध्यापन हेतु हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों की अच्छी भूमिका रही है। आयोग द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के तरुण अध्यापकों के निमित्त अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय के उन्मुखीकरण और विशेष विषय के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में हिन्दी के तकनीकी वाङमय और पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी को भी इकाई को सम्मिलित करना चाहिए।

डा. वीरेन्द्र कुमार दूबे, ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में राष्ट्रीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया। संविधान के अनच्छेद 343 से 351 में केन्द्र सरकार की राजभाषा हिन्दी तथा राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा बनाने का प्रावधान किया था। जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग क्रमशः बढ़ रहा है।

भारत और भारत की संस्कृति को समझने के लिये हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन हेतु विश्व के शताधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 को आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री पी.वी. नरसिंराव ने की जिसमें उपस्थित सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिन्दी में भाषण को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने का सराहनीय कदम उठाया। नागरिकों का यह दायित्व है कि राजभाषा हिन्दी को व्यवहार में लायें।

श्री जगदीश सैनी ने स्पष्ट किया कि देश कम्प्यूटरीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटरों का जाल बिछाने का कार्य राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र को सौंपा गया है। केन्द्र ने पर्सनल कम्प्यूटर, मेन फ्रेम और टर्मिनल आदि जैसी मशीनें लगभग सभी बड़े केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में लगा दी है और उन पर काम भी होने लगा है। मंत्रालयों आदि में कम्प्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग शब्द संसाधक के रूप में किया जा रहा है। जो काम पहले मैनुअल टाइपराइटरों या इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर होता था उसका स्थान अब धीरे-धीरे पर्सनल कम्प्यूटर ले रहे हैं। सरकारी कामकाज में कम्प्यूटर प्रणालियों की लोकप्रियता आंकड़ा संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रत्यागमन (रिट्रीवल) की सुविधा के कारण थे। इस सुविधा का विस्तार अब राज्य सरकारों के कार्यालयों, जिला मुख्यालयों और कहीं-कहीं ब्लॉक स्तरों तक कर दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर जो डाटा संग्रहीत किया जाएगा, उसका उपयोग बिना विलम्ब शासन के उच्चतर स्तरों पर हो सकेगा। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि इन्सेट के माध्यम से निकनेट प्रणाली द्वारा डाटा या अन्य सामग्री तत्काल संप्रेषित हो सके। कहीं-कहीं मेन फ्रेम स्थापित करके उससे जुड़े टर्मिनल प्रत्येक प्रभाग में देकर सूचना समन्वय का एक सशक्त माध्यम तैयार कर दिया गया है।

श्री विजयकुमार मल्होत्रा, निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का निराकरण सुझाते हुए कहा कि भारत सरकार ने सन 1986 में आदेश जारी किए थे कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों और उपक्रमों में सभी प्रकार के यांत्रिक और इलैक्ट्रोनिक उपकरण द्विभाषिक रूप में ही खरीदे जाएं। किन्तु इन आदेशों का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। सरकारी आदेशों का अनुपालन न हो पाने के दो प्रमुख कारण

हैं, मानसिक अवरोध और तकनीकी अवरोध, जहां तक मानसिक अवरोध का प्रश्न है, इसे प्रेम और सौहार्द के अलावा प्रशासनिक दृढ़ता से भी दूर करने का संकल्प आवश्यक है। किन्तु तकनीकी अवरोधों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ-साथ अपेक्षित वित्तीय साधन जुटाना भी आवश्यक होगा और ये साधन आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित प्रावधान करके जुटाए जा सकते हैं।

यद्यपि इस संदर्भ में अनेक उपायों पर विचार किया जा जा सकता है, किन्तु मैं केवल तीन महत्वपूर्ण तकनीकी आयामों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। ये तीन आयाम हैं:— 1. शिक्षा; 2. कार्यालय स्वचालन (office automation) तथा 3. प्रकाशन।

1. शिक्षण

आज के युग में शिक्षा को रुचिपूर्ण और वैज्ञानिक बनाने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि कम से कम समय में बेहतर ढंग से कम खर्चीली शिक्षा का प्रसार किया जा सके। उपयुक्त और पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के स्तर को बेहतर और रुचिपूर्ण बनाना भी कठिन होता जा रहा है, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण विधियों को, विशेषकर, हिन्दी भाषा के शिक्षण को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जाएं। आज जब सारे विश्व में श्रव्य दृश्यात्मक उपकरणों और भाषा प्रयोगशालाओं के स्थान पर कम्प्यूटर साधित शिक्षण प्रणाली का प्रचार होने लगा है, हम अभी तक विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कैसेट और वीडियो भी तैयार नहीं कर सके हैं। वस्तुत: आज के युग में उक्त सभी विधियों की समन्वित प्रणाली की आवश्यकता सर्वाधिक अनुभव की जाने लगी है, किन्तु श्रव्य दृश्यात्मक विधियों के एनोलॉग पद्धति पर आधारित होने के कारण कम्प्यूटर जैसे डिजिटल उपकरण पर इनके समुचित उपयोग में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। अमरीका में एनोलॉग पद्धति को डिजिटल पद्धति में परिवर्तित करने की विधि का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत में भी इस विधि का यथाशीघ्र विकास किया जाए ताकि हिन्दी शिक्षण की विधियों को यथाशीघ्र अद्यतन बनाया जा सके। भारत सरकार के के ही एक उपक्रम सीएमसी और आई आई टी मद्रास में हिन्दी शिक्षण के लिए लेखन प्रणाली (आथरिंग सिस्टम) का विकास किया जा रहा है। यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो यह कार्य योजना की अवधि से पूर्व संपन्न किया जा सकता है।

3. कार्यालय स्वचालन

आज दफ्तरों में होने वाले दिन-प्रतिदिन के कामों को कम्प्यूटर की सहायता से सुगम बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कम्प्यूटर में हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से संसाधन की सुविधा उपलब्ध न कराई गई तो अंग्रेजी का वर्चस्व कार्यालयों में चिरस्थायी हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अनेक तकनीकों का विकास किया गया है। इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर, टैलीप्रिंटर, टैलेक्स मशीनों के अलावा कम्प्यूटर भी आज बाजार में द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होने लगे हैं, किन्तु बड़ी-बड़ी कम्प्यूटर प्रणालियों में आज भी अंग्रेजी का ही वर्चस्व बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश कम्प्यूटर आज भी भारत में विदेशों से आयातित किए जाते हैं। इन कम्प्यूटर प्रणालियों को हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से संसाधन करने योग्य बनाने के लिए दो स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। सर्वप्रथम इलैक्ट्रोनिकी विभाग, एन-आई.सी. जैसी संस्थाओं को स्पष्ट आदेश दिए जाएं कि वे सभी प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियों को द्विभाषिक रूप में कार्यक्षम बनाने के लिए हर संभव उपाय करें। दूसरे स्तर पर इस क्षेत्र में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाए जाएं। इस समय पर्सनल कम्प्यूटरों आदि को द्विभाषिक रूप में परिवर्तित करने के लिए आई आई टी कानपुर द्वारा विकसित "जिस्ट" प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाने लगा है किन्तु मिनी और मेनफ्रेम कम्प्यूटर पर जिस्ट प्रौद्योगिकी का इंटरफेस तैयार करने के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता है। यदि इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना में प्रावधान किया जाए तो कार्यालय स्वचालन के क्षेत्र में भी हिन्दी के माध्यम से सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।

3. प्रकाशन

हिन्दी की मुद्रण कला को आधुनिक बनाने के लिए डेस्कटॉप प्रकाशन प्रणाली को हिन्दी में लाना नितांत आवश्यक है। अंग्रेजी में इस प्रयोजन के लिए वेंचुरा, पेजमेकर, क्वार्क एक्सप्रेस आदि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी में भी वेंचुरा पर आधारित "प्रकाशक" आदि साफ्टवेयर आजकल बाजार में मिलने लगे हैं, लेकिन अंग्रेजी के उक्त सभी सोफ्टवेयरों का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि जिस्ट प्रौद्योगिकी का डीटीपी इंटरफेस भी तैयार किया जाए। ए.ई.एम., क्वार्क आदि निजी कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, लेकिन अब तक पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। स्कैनर के माध्यम से हिन्दी के पाठ को कम्प्यूटर के स्मृतिकोश में पहुंचाने के लिए अपेक्षित प्रकाशिक संप्रतीक अभिज्ञान (Optical Character Recognition OCR)— साफ्टवेयर भी आज हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। इस साफ्टवेयर के निर्माण के लिए देवनागरी लिपि के अक्षरों का मानकीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। पुणे का टाइपोग्राफिकल संस्थान इस क्षेत्र में सक्रिय है, किन्तु धनाभाव के कारण इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है।

इसी संदर्भ में तीसरी समस्या है, लेजर प्रिंटर के लिए अपेक्षित मानक अक्षरों का विकास। जब तक अंग्रेजी के समान हिन्दी के अक्षर भी लेजर प्रिंटर में स्थायी रूप से नहीं रखे जाते, तब तक हिन्दी के पाठ को छापने की गति तीव्र नहीं की जा सकती। इसलिए आवश्यक है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के समकक्ष डेस्क टॉप प्रकाशन प्रणाली के विकास के लिए देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों के अक्षरों को मानकीकृत करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि जिस्ट प्रौद्योगिकी का इंटरफ़ेस तैयार हो सके, हिन्दी में ओसीआर सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा सके और लेजर प्रिंटर में हिन्दी के अक्षरों को स्थायी रूप में रखा जा सके।

यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हिन्दी में उक्त सुझावों के माध्यम से तकनीकी बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो प्रौद्योगिकी स्तर पर एक महान क्रांति का सूत्रपात हो सकता है।

प्रो. राजकिशोर पांडेय ने राजभाषा कार्यान्वियन में धीमी गति पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि हिन्दी की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई राज्यों ने अंग्रेजी समाप्त करने की घोषणा की थी किन्तु अखिल भारतीय सेवाओं को देखते हुए पुनः अंग्रेजी शुरू कर दी गयी। जिन विश्वविद्यालयों में माध्यम उर्दू अथवा तेलुगू था। वहां भी अब पुनः अंग्रेजी का बर्चस्व है, एक ऐसा शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें हिन्दी को यथोचित स्थान मिले, अन्यथा आने वाले समय में विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बौना रह जाएगा।

अगर हमारी अपनी भाषा का विकास नहीं होगा तो जनतंत्र का विकास भी नहीं होगा। पश्चिमी लोगों द्वारा जो अनेक विष बोए गए, जैसे हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव इत्यादि, अंग्रेजी भी उन्हीं विष बीजों में से एक है। इस बीज को पेड़ बनने से रोकना होगा।

हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिन्दी को प्रतिष्ठित करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाना है। रूस, मारिशस, फिजी इत्यादि में हिन्दी प्रगति कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिन्दी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री हुताशन शास्त्री ने शिकवा किया कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा के रूप में अपना उचित स्थान नहीं बना पाई है। दवाइयों के नाम हिन्दी में नहीं लिखे जाते हैं केवल अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। हमें इस परम्परा को खत्म करना चाहिए तथा अपनी राष्ट्रभाषा को समुचित स्थान देकर देश की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए।

मैं योजना आयोग से निवेदन करता हूं कि वह हिन्दी में ही काम कराएं। देश में बहुत से अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं और पंजाब में सब लोग पंजाबी में बातें करते हैं पर उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं अपनी भाषा को ऊंचा उठाने से ही देश समृद्ध होगा और राष्ट्र एक होगा। हमें अपना सारा काम हिन्दी में करना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया, ने राजभाषा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा देश की आत्मा है। जब देश की आत्मा सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। हम सशक्त राष्ट्र देखना चाहते हम कोई वैभव की बात नहीं करते हैं। देश की एकता के लिए यह आवश्यक है। यह एकता के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। यह स्रोत सूख गया है। अब एक बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों पर आ गया है। इसको हमें पूरा करना है। यह पूर्ण रूप से उत्प्रेरक है और हमें प्रेरणा देता है।

इस समय हम राष्ट्रीयता और समाज को साम्यता और एकात्मस्वरूप की दृष्टि से तैयार कर रहे हैं। भाषा ही सारे संसार का माध्यम है। अगर हमारा माध्यम सशक्त होगा तो राष्ट्र अवश्य ही सशक्त होगा। भाषा हमारी संजीवनी शक्ति है। इसको करने के लिए विद्वजनों तथा श्रीमान जी का मार्गदर्शन मिला हुआ है।

श्री के.वी. शिव शर्मा, का मत था कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। साहित्यिक भाषा की अपेक्षा जनभाषा हिन्दी का ज्ञान अधिक आवश्यक है। सरकार द्वारा भी इसी दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। भविष्य में योजनाएं बनाते समय इसे ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जनता हिन्दी को स्वयंमेव स्वीकार करे। रेडियो, टेलीविजन में भी सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि क्लिष्ट हिन्दी लोगों को विमुख करती है।

दक्षिण के लोग हिन्दी खूब सीख रहे हैं। तमिलनाडु में विरोध के बावजूद हिन्दी सीखी जा रही है। दक्षिण में लोगों ने नौकरी पाने के लिए हिन्दी पढ़ी, उन्होंने लोगों को बताया और इस प्रकार वे प्रेरणा स्रोत बन गए। लेकिन केवल लाभ प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा जाए। ऐसा वातावरण तैयार करना होगा।

डा. रत्नागार गेडाम ने जोर देकर कहा कि कार्यालयों में अभी भी अंग्रेजी का बोलबाला है। इसे समाप्त करने के लिए ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए कि आयोजित की जाने वाली बैठकों में से कुछ में केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाए। अनुवाद के माध्यम से हिन्दी लाना उचित नहीं है। मूल कार्य हिन्दी में किया जाना चाहिए, हिन्दी को "Second rated" समझने की जो भावना है उसे दूर करना होगा। हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए। दीर्घकालिक योजनाओं में हिन्दी में काम किए जाने को महत्त्व दिया जाना चाहिए। काम शुद्ध हिन्दी में न होकर, सरल हिन्दी में होना चाहिए।

श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन, सदस्य, योजना आयोग ने भारतीय भाषाओं के बारे में स्थिति का जायजा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विदेशी लोगों ने हमारे दिमाग में कूट-कूट कर भर दिया है कि यहां अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग रस्मो-रिवाज हैं, अत: जब तक हम दिल से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला । आजादी से पहले हिन्दी खर्च या पैसे से नहीं, दिल से बढ़ी। सवाल परिव्यय का नहीं सरकारी अपव्यय का है, उस रास्ते पर चलने के लिए जो भी संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर सहयोग कर सकती हैं उनको भी आगे आना चाहिए ।

यह एक शुभ बात है कि लोग स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से हिन्दी सीख रहे हैं, उनकी संख्या एक लाख की जगह पांच लाख हो सकती है, उनके पास जो आते हैं, दिल से आ रहे हैं, वे जबरदस्ती नहीं बुलाए जा रहे हैं, इसका प्रचार सार्वजनिक आधार पर किया जाना चाहिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके रास्ते में कोई बाधा न आए, सभी यह चाहते हैं कि आठवीं योजना में इसको महत्त्व दिया जाना चाहिए।

श्री अरुण सिन्हा, संयुक्त सचिव, योजना आयोग ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि —

केन्द्र सरकार के राजभाषा विभाग तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र से आए अधिकारी-गण भी साधुवाद के पात्र हैं, इसके अलावा दूरदर्शन/आकाशवाणी के अधिकारियों के सहयोग के लिए भी हम उनके आभारी हैं ।

इससे पहले उन्होंने माननीय योजना राज्य मंत्री जी का धन्यवाद किया तथा हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने हिन्दी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

बेंगलूर में संपर्क अधिकारी सम्मेलन

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर द्वारा 28 नवम्बर, 1990 को संपर्क अधिकारी/लिपिक (हिन्दी) सम्मेलन क्षेत्रीय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया । श्री के.एस.शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने उद्घाटन भाषण में कहा कि वर्ष 1988 में उत्तम राजभाषा कार्यान्वियन के लिए आन्ध्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय बेंगलूर क्षेत्र को प्रथम शील्ड के लिए चुना गया था । उन्होंने राजभाषा कक्ष द्वारा किये जा रहे निष्ठावान प्रयासों की सराहना की ।

श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी ने उपरोक्त सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी मुख्य अतिथि को देते हुए कहा कि शाखा स्तर पर राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1987 में पहली बार संपर्क अधिकारी/लिपिकों को नामित किया गया है । वर्ष 1987 से अब तक बेंगलूर क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है। वर्ष 1989 में पहली बार उपरोक्त सम्मेलन आयोजित किया गया और अब दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ।

मुख्य अतिथि श्री एस. निवासन, उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वियन में आन्ध्र बैंक, बेंगलूर क्षेत्र का योगदान सराहनीय है। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी अपने निरीक्षण के दौरान बैंक में राजभाषा कार्यान्वियन सम्बन्धी स्थिति का जायजा लेते हैं।

सम्मेलन के दौरान सभी शाखाओं की समीक्षा की गयी और सहभागियों ने भविष्य में राजभाषा के सफल कार्यान्वियन के लिए अमूल्य सुझाव दिए। सम्मेलन के अन्त में श्री के.एस. शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने आशा व्यक्त की है कि चालू वर्ष में सभी शाखाओं में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग होगा और इसमें क्षेत्र के सभी कर्मचारियों का बराबर योगदान रहेगा ।

नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी

दिनांक 22 फरवरी, 1991 को नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव और हिन्दी परिषद की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष श्री महादेव सुब्रमणियन ने की।

महामंत्री श्री प्रेमचन्द धस्माना ने हिन्दी परिषद के कार्यकलापों का परिचय दिया और उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत किया ।

श्री महादेव सुब्रमणियन ने प्रारंभिक भाषण में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को, यदि वे हिन्दी में श्रुतलेख दें तो पुरस्कार देने का सुझाव दिया। उनका यह विचार था कि पुस्तक पठन संगोष्ठी रखी जाए क्योंकि हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें समुचित मात्रा में पढ़ी नहीं जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं ।

श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि संविधान के प्रावधानों और अधिनियमों एवं नियमों का पालन होने से हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ सकेगा। उनका यह विचार था कि पूरे देश में एक ही भाषा का प्रयोग वांछित होते हुए भी इसमें कुछ समस्याएं हैं।

भारत सरकार के न्यायाधिकरणों में हिन्दी में निर्णय न दिए जाने के मामले पर उन्होंने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है और न्यायाधिकरण केन्द्रीय कार्यालयों की श्रेणी में ही आते थे। विभिन्न न्यायाधिकरणों के अलग-अलग भाषा संबंधी प्रावधान हैं और कुछ ने अधिकरण की भाषा अंग्रेजी रखी हुई है। अधिकरणों की भाषा अंग्रेजी रखने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय की भाषा अभी तक अंग्रेजी ही है। उनका स्पष्ट मत था कि न्यायाधिकरणों में हिन्दी के विकल्प का प्रावधान किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दिशा में कार्य होना चाहिए और राजभाषा विभाग ने यह कार्य शुरू कर भी दिया है। चूंकि विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा कानूनों के प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसलिए अब विधिक कार्य हिन्दी में सहजता से हो सकते हैं।

परिषद के संस्थापक सदस्य श्री हरिबाबू कंसल, सेवा-निवृत्त उपसचिव (राजभाषा विभाग) ने विशेष रूप से हिन्दी में अधिकांश कामकाज किए जाने का उल्लेख, आदेशों की पृष्ठभूमि में किया। श्री कंसल का स्पष्ट मत था कि राजभाषा हिन्दी में काम करने के आदेश भी अन्य आदेशों की तरह ही हैं। हिन्दी में काम न करने और नियमों एवं आदेशों का पालन न किए जाने पर किसी को दंडित न किए जाने के मामले में चिन्ता न करने के लिए भी कंसल ने जोर दिया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) श्री जगदीश सेठ ने कहा कि हिन्दी में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो सका है और उस कार्य के लिए बने पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को काम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन के लिए काम के आंकड़े रखे जाने के लिए जोर देते हुए श्री सेठ ने प्रेरित किया कि अपनी बात मौके पर कही जाए और हमारे संदेश को छोटे से छोटे स्तर तक पहुंचाया जाए। श्री सेठ ने व्यक्तिगत संपर्क बनाने पर भी जोर दिया।

राजभाषा विभाग में उपसचिव (कार्यान्वयन) और आगरा में केन्द्रीय जल आयोग में कार्यपालक अभियन्ता के पद पर काम करते हुए संपूर्ण काम हिन्दी में करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत श्री भगवान दास पटैरया ने बताया कि सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस काम को सरकारी काम की तरह से न करके मिशनरीभाव से किया जाए।

उन्होंने यह विचार भी रखा कि कार्यालयों में जांच बिन्दु बनाकर उन्हें कारगर किया जाए और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सही प्रकार से उनमें हिन्दी में हुए कामकाज और न हुए कामकाज की भली प्रकार समीक्षा की जाए।

इस बीच श्री महादेव सुब्रमणियन ने कहा कि उन्होंने स्वयं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों को हिन्दी में भी अंग्रेजी के साथ-साथ प्रकाशित किए जाने का आग्रह किया है। यद्यपि उक्त संस्थान के अनेक सदस्य हैं किन्तु हिन्दी में रिपोर्टें कम ही छपती हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख (राजभाषा) श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि हिन्दी के मसले को देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और हिन्दी के प्रयोग की दशा अन्य परिप्रेक्ष्यों से बेहतर है चाहें वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या कोई भी अन्य परिप्रेक्ष्य क्यों न हो।

बैंकों में भी राजभाषा नीति के प्रति प्रतिबद्धता है, इस पृष्ठभूमि में शर्मा ने बताया कि बैंकों में हिन्दी में काम करने वाली शाखाएं चुनने का काम किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की अधीनस्थ परीक्षाओं में लगभग 80 प्रतिशत परीक्षार्थी हिन्दी माध्यम से परीक्षा में बैठते है और इतने ही प्रतिशत सफल हुए हैं। इस पर श्रोताओं ने हर्षध्वनि की। श्री शर्मा ने बताया कि उनके बैंक के मद्रास कार्यालयों ने यह मांग की है कि वहां के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि भारतीय बैंकर्स संस्थान की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से 35 से 40 प्रतिशत प्रत्याशी सफल हो रहे हैं जबकि अंग्रेजी माध्यम से 28 से 30 प्रतिशत ही सफल होते हैं।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक श्री वे. शेषन ने बताया कि उनके संस्थान में अधिकांश कार्मिक हिन्दी में ही बातचीत करते हैं और श्री मदनमोहन उपाध्याय जैसे अनेक इंजीनियर हैं जो अपना तकनीकी काम भी हिन्दी में ही करते हैं। उन्होंने सगर्व बताया कि वे भी अपना सारा तकनीकी काम हिन्दी में ही करते हैं।

संयोजक (राजभाषा) श्री जगन्नाथ ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल में कार्य करते हुए उन्होंने कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल की परीक्षाओं के सब फार्म घर ले जाकर उनका रूपान्तर किया किया और मंडल द्वारा बहुत पहले हिन्दी में चैक बनाने का काम शुरू किया गया।

श्री महादेव सुब्रमणियन ने हिन्दी से संबंधित पदों पर कार्य करने वाले कार्मिकों के वेतन बढ़ाने पर जोर दिया।

राजभाषा विभाग में निदेशक (अनुसंधान) डा. महेश चन्द्र गुप्त ने गोष्ठी में हुए भाषणों का सारांश प्रस्तुत किया और यह बताया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में यह व्यवस्था रही कि कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले को हिन्दी में आए किसी भी दस्तावेज या प्रलेख का अंग्रेजी अनुवाद नहीं दिया जाता था। डा. गुप्त ने बताया कि अनेक ऐसे लोगों ने हिन्दी में काम किया जिन्होंने कभी हिन्दी नहीं पढ़ी थी। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में बैंक के निजाम बाद क्षेत्र का उल्लेख किया, जहां 15-16 शाखाओं में 20 से 40 प्रतिशत तक काम हिन्दी में होता है उन्होंने अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 90-95 प्रतिशत काम हिन्दी में होने और पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अमेरिकन/ब्रिटिश दूतावासों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार किए जाने की जानकारी दी।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के उप-प्रधान और पूर्व संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल ने कहा कि केन्द्रीय अधिकरणों की की पत्रिकाएं हिन्दी में भी प्रकाशित की जाएं। श्री डंगवाल ने सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने गोष्ठी में मनोयोग से भाग लिया।

गोष्ठी के संयोजक श्री दर्शन सिंह तथा हिन्दी परिषद के अखिल भारतीय उप-प्रधान श्री पी. के. कुमारन् महानिदेशक (वायुसेना) ने भाग लेकर गोष्ठी को सफल बनाने में सहयोग दिया।

बंबई में कार्यपालकों की राजभाषा संगोष्ठी

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंबई के तत्वावधान में दिनांक 15 दिसंबर, 1990 को स्थानीय वैस्ट एंड होटल, बंबई में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों के लिए एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स, इंडियन बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। इसी अवसर पर समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी संपन्न हुआ। स्मारिका का प्रकाशन केनरा बैंक एवं कोर्पोरेशन बैंक की संयुक्त देख-रेख में हुआ।

संगोष्ठी में दो सत्र चर्चा के लिए रखे गये, जिनमें प्रमुख वक्ताओं के रुप में श्री जी. आर. शर्मा, महाप्रबन्धक "नाबार्ड" तथा श्री माधव अरविंद वरिष्ठ वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बंबई तथा संपादक, वैज्ञानिक एवं कथा बिंब को आमंत्रित किया गया। श्री शर्मा ने राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यपालकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उनके वक्तव्य के बाद कई अन्य बैंकों के कार्यपालकों ने भी इस विषय पर चर्चा में सक्रिय हिस्सा लिया। डा. अरविंद ने वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को लेकर मौजूदा स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया। इन दोनों सत्रों में विषय प्रवर्तन क्रमशः श्री जयंतीलाल जैन, उप-महाप्रबंधक, इंडियन बैंक तथा श्री बी. पी. चतुर्वेदी सहायक महाप्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया।

बैंक आफ महाराष्ट्र के उप-महाप्रबंधक तथा समिति के अध्यक्ष श्री चन्द्रकात कुलकुर्णी ने अध्यक्षीय भाषण में सभी स्तरों पर राजभाषा के व्यापक प्रयोग को आज-कल की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बताया।

समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रुप में श्री राहुल देव, संपादक "जनसत्ता" तथा राजभाषा विभाग से श्री कृष्णनारायण मेहता उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, डा. नागेन्द्रनाथ पांडेय भी उपस्थिति थे। श्री राहुलदेव ने राष्ट्रीय संदर्भ में राजभाषा के प्रश्न पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी की। श्री मेहता ने भी इस अवसर पर उपस्थित सहभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स के सहायक महाप्रबंधक श्री आर शर्मा ने किया। इसके बाद बैंक आफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक श्री एस वी कावकर ने प्रस्ताविक भाषण किया।

स्मारिका का विमोचन डा. सक्सेना ने किया तथा उसकी प्रति श्री राहुलदेव को और श्री मेहता को भेंट की गई।

कार्यक्रम का संचालन ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंधक (राजभाषा) श्री वीरेन्द्र याज्ञिक एवं इंडियन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक ने किया। संगोष्ठी में सभी बैंकों से बड़ी संख्या में कार्यपालक व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। राजभाषा अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में प्रेक्षक की भूमिका का निर्वाह किया।

मत्स्य शिक्षा संस्थान में हिंदी का प्रयोग

सन् 1967 से राजभाषा अधिनियम एवं नियम लागू होते ही संस्थान ने सरकारी कामों में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिए ।

संस्थान ने हिन्दी को समुचित बढ़ावा देने हेतु तीन विषयों को महत्व दिया—1. प्रकाशन क्षेत्र 2. शिक्षण/प्रशिक्षण माध्यम तथा 3. प्रशासनिक क्षेत्र ।

प्रकाशन/पुस्तकें:—प्रकाशन के क्षेत्र में यह संस्थान छोटे छोटे बुलेटिनों के साथ-साथ उच्चकोटि की वैज्ञानिक पुस्तकें भी प्रकाशित करने लगा है। संस्थान के निदेशक डा. विश्व रमण प्रसाद सिन्हा की हिन्दी में लिखी हुई तीन पुस्तकों (एक प्रकाशित, दो प्रकाशनाधीन) के साथ-साथ ही यहां के वैज्ञानिकों ने हिन्दी में छह पुस्तकें लिखी हैं । संस्थान ने अब तक 14 हिन्दी बुलेटिन प्रकाशित किए हैं । सांख्यिकी और अर्थशास्त्र विषयों में पुस्तकें लिखी जा रही है । मत्स्य की एक हिंदी शब्दावली तैयार की जा रही हैं । कई अन्य वैज्ञानिक भी हिन्दी में पुस्तकें लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अब कई वैज्ञानिक शोध पत्र/लेख आदि हिन्दी में ही लिख रहे हैं ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियां आसानी से जनता तक जनता की भाषा में पहुंच सकें ।

2. शिक्षण/प्रशिक्षण का माध्यम :—मत्स्य विज्ञान से संबंधित पुस्तकें हिन्दी में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अभी शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं है लेकिन अल्पकालीन प्रशिक्षण आदि हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में ही संचालित किए जा रहे हैं। छात्रों द्वारा शोध निबंध भी हिन्दी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

3. प्रशासनिक क्षेत्र :—संस्थान के "क" क्षेत्र में स्थित तीन उपकेन्द्रों में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगा है। मुख्यालय में भी लगभग अधिकतर कार्य हिन्दी में ही रहा है। संस्थान में कई वैज्ञानिक अधिकारी/कर्मचारी अपना लगभग समस्त कार्य हिन्दी में ही कर रहे हैं । प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

संस्थान में दिनांक 10 सितम्बर को "मत्स्य मेला" तथा 11 सितम्बर को "डा. अम्बेडकर जन्माशताब्दी" समारोह मनाया गया । मत्स्य मेला का कार्यक्रम मछुआरों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए किया गया था । इन दोनों कार्यक्रमों को पूरी तरह से हिन्दी और मराठी भाषा में संचालित किया गया ।

डा. अम्बेडकर जन्मशताब्दी समारोह के उपलक्ष में "संस्थान का परिचय" नामक एक हिन्दी फोल्डर का प्रकाशन भी किया गया । इसका विमोचन महाराष्ट्र सरकार के सचिव श्री जे.डी. जाधव ने किया । समस्त कार्यक्रमों की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डा. विश्व रमण प्रसाद सिन्हा ने की ।

प्रस्तुति : राजेश्वर प्रसाद उनियाल

राजभाषा भारती के लिए रचना/सामग्री भेजते समय कृपया ध्यान दें :–

- ☐ सभी प्रकार की रचनाएं दो प्रतियों में अच्छे कागज के एक ही ओर टंकित की हुई अथवा हाथ से साफ-साफ लिखी होनी चाहिए।
- ☐ विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/समारोहों/आदि की रिपोर्ट/आलेख एक/दो पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ☐ आलेख/विवरण के साथ एक या दो श्वेत-श्याम चित्र (फोटो) भेजें।
- ☐ फोटोग्राफ के कैपशन (स्थान कार्यालय, कार्यक्रम का उल्लेख तथा चित्र में दिखाई देने वाले महानुभावों के नाम आदि) अलग कागज पर लिखकर फोटो के पीछे गोंद से अवश्य चिपकाएं।
- ☐ चित्रों में सक्रियता की झलक होनी चाहिए।

भारतीय वायुसेना में हिन्दी के बढ़ते कदम

विश्व की चुनिंदा वायुसेनाओं में तो भारतीय वायुसेना ने अपना वर्चस्व स्थापित किया ही है, साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी वायुसेना निरन्तर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। पिछले कई वर्षों से बागडोगरा, अंडमान लक्षद्वीप जैसे दूर-दराज के इलाकों में स्थित भारतीय वायुसेना की यूनिटों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में उत्साहवर्द्धक प्रगति देखने को मिली है। इस क्रम में दक्षिण में स्थित भारतीय वायुसेना की यूनिटें भी किसी से कम नहीं रहीं। वस्तुतः बेंगलूर में स्थित, इस सेना का प्रशिक्षण कमान मुख्यालय पिछले चार वर्षों से लगातार प्रथम राजभाषा शील्ड प्राप्त कर रहा है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

(1) राजभाषा के प्रयोग में हुई प्रगति से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, भारतीय वायुसेना की तमाम बड़ी यूनिटों; कमान मुख्यालयों तथा वायुसेना मुख्यालय में हो चुका है। वर्ष 1990-91 के दौरान, वायुसेना मुख्यालय तथा उसकी निम्नलिखित विरचनाओं में गठित लगभग सभी यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में चार बार होती रही हैं। बैठकों में लिए गए निर्णयों तथा सुझावों के आधार पर हिन्दी के कामकाज में और अधिक सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए।

(2) गत वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने भारतीय वायुसेना के कई यूनिटों का निरीक्षण किया तथा राजभाषा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा भी इस सेना की कई स्थापनाओं का दौरा किया गया तथा सभी यूनिटों में हिन्दी की प्रगति संतोषजनक पाई गई।

(3) पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के क्षेत्र में भी भारतीय वायुसेना काफी आगे रही है। वर्ष 1990-91 के दौरान प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं में 50% सामग्री हिन्दी में प्रकाशित की गई। वायुसेना की लगभग 15 यूनिटों में तो हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हिन्दी में किया गया तथा 25 यूनिटों द्वारा पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में प्रकाशित की गई। वायुसेना द्वारा हिन्दी में प्रकाशित निम्नलिखित दो पत्रिकाओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा एक हजार के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया :—

(क) संचारिका (संचार प्रशिक्षण संस्थान)

(ख) प्रेरणा (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान)

(ग) भारतीय वायुसेना के तमाम पुस्तकालयों में हिन्दी की पुस्तकों में लगातार वृद्धि हो रही है।

राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए दिए गए प्रोत्साहन

हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने की तमाम प्रोत्साहन योजनाओं को भारतीय वायुसेना में भी लागू किया गया है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रोत्साहन देने शील्ड योजना को भारतीय वायुसेना में तीन स्त पर लागू किया है। ये तीन स्तर हैं :—

(1) अन्तर कमान शील्ड प्रतियोगिता

(2) अन्तर यूनिट शील्ड प्रतियोगिता

(3) अन्तर निदेशालय शील्ड प्रतियोगिता

अन्तर कमान शील्ड योजना के अंतर्गत हिन्दी में किए गए कार्य तथा हिन्दी की प्रगति के आधार पर निम्नलिखित कमान मुख्यालयों को भारतीय वायुसेनाध्यक्ष द्वारा सितम्बर 1990 को हुए वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में राजभाषा शील्डें प्रदान की गई :—

प्रशिक्षण कमान	स्वर्ण	(प्रथम)
अनुरक्षण कमान	रजत	(द्वितीय)
पश्चिमी कमान	कांस्य	(तृतीय)

अन्तर-यूनिट शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत, हर कमान मुख्यालय अपनी अधीनस्थ यूनिटों में से तीन बेहतरीन यूनिटों को उपर्युक्त शील्डें प्रदान करता है।

इसी तरह अन्तर निदेशालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत वायुसेना के तमाम निदेशालयों तथा वायुसेना मुख्यालय के सीधे अधीनस्थ यूनिटों में से, हिन्दी में किए गए सरकारी कामकाज तथा हिन्दी संबंधी निर्देशों के कार्यान्वयन के आधार पर उपर्युक्त तीन शील्डें प्रदान की जाती हैं।

मूल हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन की नकद पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग की इस प्रोत्साहन योजना को वायुसेना मुख्यालय, कमान मुख्यालयों तथा यूनिटों में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया है। गत वर्ष के दौरान इस योजना में शामिल होने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हुई। वायुसेना मुख्यालय के निम्नलिखित 9 कार्मिकों को इस योजना के अन्तर्गत 09 जनवरी 1991 को नकद पुरस्कार दिए गए :—

(क) श्री पृथ्वी राज, (ख) श्री बृजभान सिंह, (ग) श्री अमर नाथ, (घ) श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, (च) श्री गुरुवचन सिंह, (ख) श्री जे एन नैय्यर, (ज) श्री मदन सिंह, (झ) श्री महेश सहगल, (ट) श्री कृष्ण गोपाल भाटिया

विभिन्न यूनिटों में भी बहुत से कार्मिक इस योजना में शामिल हो रहे हैं।

हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

गत वर्ष वायुसेना मुख्यालय के अतिरिक्त 68 यूनिटों में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, स्व-रचित कविता पाठ प्रतियोगिता, हिन्दी टाइप प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार के अलावा पुस्तकें तथा राजभाषा लघु शील्डें वायुसेना के प्रशासन प्रभारी अफसर द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई।

वायुसेना मुख्यालय तथा निम्नलिखित विरचनाओं में जिन टाइपिस्टों/आशुलिपिकों ने अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइप/आशुलिपि का काम किया, उन्हें क्रमशः 40/60 रुपये का मासिक आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।

हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

रक्षा संबंधी पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाने पर, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस योजना में वायुसेना मुख्यालय के एयर वाइस मार्शल विश्वमोहन तिवारी को पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस योजना में पहले भी दो बार भारतीय वायुसेना को पुरस्कार प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हो चुका है।

हिन्दी शिक्षण

भारतीय वायुसेना में हिन्दी शिक्षण योजना को दो स्तरों पर लागू किया गया है। इस सेना के सिविलियन कर्मी गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अनेक केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वायुसेना के अफसरों तथा वायुसैनिकों के लिए भी हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। भारतीय वायुसेना की प्रारंभिक, माध्यमिक, तथा उच्च हिन्दी परीक्षाएं, गृह मंत्रालय के हिन्दी शिक्षण योजना की क्रमशः प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं के समानान्तर हैं। अच्छे अंक लेकर पास होने वाले अफसरों, वायुसैनिकों तथा सिविलियन कार्मिकों को पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण

गृह मंत्रालय के हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण के अंतर्गत गत वर्ष 76 टाइपिस्टों तथा 9 आशुलिपिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिन यूनिटों के नजदीक गृह मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, वहां अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

हिन्दी कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

वायुसेना मुख्यालय, कमान मुख्यालय तथा यूनिटों में हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। वायुसेना मुख्यालय में वर्ष 1990-91 में चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 76 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। तकनीकी विषयों पर हिन्दी में विचार-विमर्श के लिए, वायुसेना स्टेशन जालहल्ली तथा वायु सेना स्टेशन ताम्बरम् में हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

द्विभाषी प्रश्नपत्र

अब गैर-तकनीकी ट्रेडों के वायुसैनिकों को भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र भी हिन्दी तथा अंग्रेजी में होते हैं। यही नहीं, कार्पोरल पदोन्नति परीक्षा का गणित प्रश्नपत्र द्विभाषी हो रहा है तथा सार्जेन्ट पदोन्नति परीक्षा का सामान्य सैन्य ज्ञान तथा सामयिक विषय का प्रश्नपत्र भी द्विभाषी रहता है। वायुसैनिकों को पदोन्नति की प्रायोगिक परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प प्राप्त है।

अनुवाद कार्य

वायुसेना के अफसरों तथा वायुसैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण नोटों तथा वायुसेना आदेशों/अनुदेशों के अनुवाद का कार्य भी वायुसेना मुख्यालय में होता है। वायुसेना आदेश, वायुसेना अनुदेश तथा अन्य सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाते हैं।

भारतीय वायुसेना राजभाषा के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिए उठाए गए तमाम कार्यक्रमों को सार्थक रूप से लागू करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विश्वास है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में निरन्तर प्रगति होगी।

☐ प्रस्तुति : विंग कमाण्डर नन्दलाल जोतवाणी

हिंदी दिवस समारोह

तकनीकी उपक्रम/संस्थान

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापट्टणम

संगठन में दि. 14 से 20 सितंबर 1990 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया है। इस अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

1. हिन्दी प्रतियोगिताएं : 1. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता 2. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता तथा 3. हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता ।

2. हिंदी कार्यशाला: दि. 17-9-1990 से 21-9-1990 तक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 9 अधिकारियों और 15 स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया ।

दि. 25-9-1990 को हिन्दी समारोह आयोजित किया गया । उक्त समारोह में हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार, हिन्दी कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र और विभिन्न हिन्दी/हिन्दी टंकण परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। निदेशक (तकनीकी) श्री डी के वर्मा ने पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किए। उप महा प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) एवं राजभाषा अधिकारी श्री टी जी के अय्यर ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रख्यात पत्रकार श्री मानिकसिंह वर्मा समारोह में मुख्य अतिथि थे।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर

मुख्य कार्यालय एवं खदानों में दिनांक 14 सितंबर से 20 तक सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। 14 सितंबर, 90 को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस एवं हिंदी सप्ताह का शुभ आरंभ दिनांक 14 सितम्बर को संस्थान के व.प्र. प्रबंधक (स.एवं वि.) द्वारा दीप प्रज्जवलित किया गया। सप्ताह के दौरान विशेष कार्यशाला एवं विभिन्न आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जैसेकि सामान्य ज्ञान, निबंध प्रतियोगिता, नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथा पत्राचार प्रतियोगिता इत्यादि।

दिनांक 20 सितंबर को समापन दिवस आयोजित किया गया तथा इस अवसर पर सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री के. एल. लूथरा ने पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता नीचे दिए अनुसार हैं :—

(1) सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता :

	वर्ग	वर्ग-II
1	कु. एस. एन. वर्मा	श्री एल. ए. ड्रेझन
2	श्री के. गोपालकृष्णा	„ सुधीर कर्नेलियस
		„ के.के. मुखर्जी

(2) निबंध प्रतियोगिता :

श्री एन. डी. राजकमल	श्री एल. ए. ड्रेझन
श्री के० गोपालकृष्णा	श्रीमती मैथिली करु

(3) नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

श्री नुतलकंठी राव

श्री डो डी मुरकुटे

„ सी.यू. मालवी

कु. शर्ली मेक्वान

(2) पत्राचार प्रतियोगिता :

1. श्री एन. सी. संघी, 2 श्रीमती पी. कर्नेलियस, 3. श्री व्ही. नागराजन, 4. श्री एम. के. बरुआ, 5. श्री एन. सुब्रमणियम, 6. श्रीमती वैशाली कांटे, 7. श्री के. एल. उके, 8 श्री धनराज भिमटे, 9. श्री के. के. मुखर्जी, 10. श्री बी.जो वसुले, 11. श्री व्ही. वरदराजन, 12. श्री बी. बी. वरखेडे 13. डा. जे. के. माणकेश्वर 14. श्री पी. एम. राऊत

14. श्री ए. व्ही. दुर्गे 15. सुरेश बागेश्वर 16. श्री डी. के. साहनी 17. श्री जी. व्ही. मेश्राम

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के अलावा अंतर-विभागीय एवं अन्तर-खान पत्राचार प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 'ख' क्षेत्र में स्थित खदानों में सबसे अधिक हिन्दी में पत्राचार करने के लिए चिखला खान के व. प्रबंधक (खान), श्री पी. डी. शर्मा को रनिंग शील्ड पुरस्कृत किया गया तथा कान्द्री खान के व. प्रबन्धक (खान) श्री पी. के. बैनर्जी को प्रोत्साहन स्वरूप कप प्रदान किया गया। इसी तरह "क" क्षेत्र में स्थित बालाघाट खान को शील्ड से इस वर्ष भी सबसे अधिक हिंदी में पत्राचार करने के लिए अधीक्षक (खान), श्री पी. एम. रेड्डी के प्रतिनिधि श्री एल. एम. तेलंग, कल्याण अधिकारी को रनिंग शील्ड प्रदान की गई। मुख्य कार्यालय में सामग्री विभाग के प्रमुख श्री एन. एल. कलसी के प्रतिनिधि श्री ए. के. मेहरा को रनिंग शील्ड प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेताओं को उनकी सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि हिंदी पत्राचार को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयत्न जारी रखें।

श्रीमता ज्योति वधवा, राजभाषा अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा श्री एन. सी. संघी, व प्रबंधक (कार्मिक) ने आभार प्रकट किया।

भारत डायनामिक्स लि. हैदराबाद

भारत डायनामिक्स लि. में 23-8-90 से 14-9-90 तक हिंदी के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उद्यम के लगभग 250 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें से 42 प्रतिभागियों को 62 पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम "हिंदी दिवस" समारोह के अवसर पर हुआ।

"हिन्दी दिवस" हमेशा की तरह 14 सितम्बर को मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य-अतिथि दक्षिण मध्य रेलवे के महा-प्रबंधक तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के अध्यक्ष श्री मदन शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा बी.डी.एल. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एअर कमाडर आर. गोपालस्वामी, ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम. ने की। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती टी. यशोदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-गीत से हुई। श्री एन. वी. राम आनन्द, उप-महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) तथा राजभाषा प्रभारी ने मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि श्री मदन शर्मा ने बी.डी.एल. से राजभाषा कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

बी.डी.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर कमाडर आर. गोपालस्वामी, ने संतोष व्यक्त किया कि बी.डी.एल. में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन पूरी निष्ठा, सद्भावना विनम्रतापूर्वक होता है।

हिंदुस्तान ज़िंक लि. दरीबा (राज.)

राजपुरा दरीबा खान में हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14-9-1990 से 20-9-1990 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया।

अध्यक्षीय प्रवचन में इकाई के महाप्रबंधक श्री अशोक अग्रवाल ने आम बोलचाल की भाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने पर जोर दिया तथा कार्यालयीन कार्य में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर संतोष प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हिंदी सप्ताह मनाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम में हिंदी में कार्य करने का मन बनाकर यथासंभव हिंदी में कार्य करना शुरू करेंगे।

इस अवसर पर हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए तथा वर्ष 1989-90 में इकाई के विभिन्न विभागों में हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले निम्नलिखित 21 कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।

सम्मानित व्यक्तियों के नाम--1. श्री बी.एन. माथुर, 2. श्री चौथमल कोठारी, 3. श्री बाबू लाल अग्रवाल, 4. श्री चेतन डूंगरवाल, 5. श्री अशोक मेहता, 6. श्री चन्द्रेश खत्री, 7. श्री मूल शंकर आमेटा, 8. श्री के. सदाशिवन, 9. श्री पी. के. भारद्वाज, 10. श्री रमेश सोमानी, 11. श्री महेन्द्र गोखरू, 12. श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, 13. श्री गणपत लाल मेनारिया, 14. श्री नरेन्द्र कावड़िया, 15. श्री सत्यनारायण सेन, 16. श्री खेमराज चारण, 17. श्री जसवन्त सिंह, 18. श्री ज्ञान चन्द्र जैन, 19. श्री पी. के. नायर, 20. श्री एच. सी. शर्मा, 21. डॉ. आर. सी. एंडले।

वर्ष 1989-90 में हिंदी में सर्वाधिक पत्राचार के लिए राजभाषा-शील्ड प्रशासन विभाग को प्रदान की गई जिसे वाई. एन. सिंह वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने प्राप्त किया।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

परिषद् मुख्यालय में दिनांक 3–7 सितम्बर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :—

1. हिंदी टंकण, 2. हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन, 3. हिंदी निबंध लेखन तथा 4. हिंदी सप्ताह के दौरान सरकारी काम-काज हिंदी में करना।

14 सितम्बर को हिंदी दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर परिषद् के महानिदेशक डा. औतार सिंह पेंटल ने हिन्दी का ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का सुझाव दिया।

वित्त सलाहकार श्री प्रेम बहादुर सक्सेना ने कहा कि हमें गलत या टूटी-फूटी अंग्रेजी लिखने की बजाए सही और अच्छी हिंदी लिखने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर वाक् और कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

समारोह के अंत में परिषद् के अपर महानिदेशक डा. एस. पी. त्रिपाठी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

गलत या टूटी-फूटी अंग्रेजी लिखने के बजाए सही और अच्छी हिंदी लिखने पर ध्यान देना चाहिए।

—प्रेम बहादुर सक्सेना

भारतीय रासायनिक जीव-विज्ञान संस्थान, कलकत्ता

दि. 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। इसमें संस्कृत कालेज, कलकत्ता के भाषा विज्ञान के अध्यक्ष डॉ. सूर्यदेव शास्त्री मुख्य अतिथि थे। संस्थान के निदेशक ने कहा कि गांधीजी की प्रेरणा से काका कालेलकर ने गुजरात में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। हिंदी को जितना बल तथा समर्थन अहिंदी भाषियों से मिला उतना हिंदीवालों से नहीं। हिंदी की वकालत तो राजा राम मोहन राय, भूदेव मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, केशवचन्द्र सेन, काका कालेलकर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान पुरुषों ने की। हिंदी को इसी सर्वभारतीयता के कारण हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया।

मुख्य अतिथि डॉ. सूर्यदेव शास्त्री ने कहा कि हिन्दी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या सम्प्रदाय की भाषा नहीं है। उस पर सबका अधिकार है। उन्होंने हिंदी की सरलतम रूप को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी के माध्यम से ही जन-आकांक्षाओं को साकार किया जा सकता है।

इस क्रम में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेता प्रतियोगियों का विवरण इस प्रकार है :

हिन्दी टिप्पणी तथा मसौदा लेखन प्रतियोगिता

श्री प्रशांत कुमार दास, श्रीमती रत्नावली अधिकारी, डॉ. (श्रीमती) अंजना मजुमदार, डॉ. (श्रीमती) मैत्रेयी नाग

हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता

श्री प्रशांत कुमार दास, डॉ. (श्रीमती) मैत्रेयी नाग, श्रीमती रत्नावली अधिकारी, कुमारी पूर्णिमा सरकार

वाद-विवाद प्रतियोगिता

डॉ. सलिल चन्द्र दत्त, डॉ. आर. जी. महाजन, श्री अशोक पुटातुण्ड, श्री विष्णु लाल तिवारी

धन्यवाद ज्ञापन, संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. रवींद्र कुमार बनर्जी ने किया।

आर्डनेन्स फैक्टरी भंडारा,

आर्डनैन्स फैक्टरी भंडारा में दिनांक 14 से 20-09-90 तक बड़े उमंग, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान जो कार्यक्रम सुनिश्चित एवं सम्पन्न किए गए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

सभी अनुभाग प्रमुखों/अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी पत्रों/पत्रावलियों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करें और हिन्दी में ही अपनी टिप्पणियां लिखें, सभी परिपत्र, आदेश, नोटिस/सूचना, हाजिरी और छुट्टियों से सम्बंधित पत्राचार (करेसपांडेन्स) हिन्दी में ही करें।

हिन्दी चार्टों/पोस्टरों/आदर्श वाक्यों का प्रदर्शन

सुन्दर विचार-कणों एवं आदर्श वाक्यों के चार्ट/पोस्टर बनाकर हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी प्रमुख-स्थानों, फैक्टरी के मुख्यद्वार, व्याख्यान कक्षों और सभी अनुभागों में लगाए गए और उनका जोरदार प्रदर्शन किया गया।

राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन

प्रशिक्षण अनुभाग के व्याख्यान कक्ष में राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में हिन्दी में प्रकाशित कार्यालयीन विषयों से सम्बंधित पुस्तकों, शब्दावलियों, पत्रिकाओं, द्विभाषी यांत्रिक इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रनिक उपकरणों की जानकारी से सम्बंधित चार्टों, कार्यालयों में प्रयोग होने वाले नोटिंग चार्टों, हिन्दी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968 तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय

पर जारी किए गए राजभाषा नीति से सम्बंधित अनुदेशों, हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखने पर मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों/प्रोत्साहनों से सम्बंधित पोस्टरों/चार्टों आदि का प्रदर्शन किया गया।

हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन के पश्चात उप महाप्रबंधक/प्रशासन श्री बी. बी. वर्मा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लें तथा राजभाषा हिन्दी में कामकाज बढ़ाएं। उन्होंने हिन्दी सप्ताह की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर भी प्रकाश डाला।

निर्माणी और सम्बद्ध संस्थापनों में हिन्दी के प्रति और अधिक उत्साह बढ़ाने तथा हर क्षेत्र में राजभाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए आर्डनैन्स फैक्टरी भंडारा में 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 1990 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न-प्रकार है :—(क) हिन्दी कविता पाठ (ख) हिन्दी निबंध लेखन (ग) हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन (घ) हिन्दी नारा (च) हिन्दी टंकण (छ) वैयक्तिक पुरस्कार (ज) चल वैजयंती विजय श्री रोलिंग ट्राफी। (झ) पारिभाषिक शब्दावली तथा (ट) हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिता।

हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन

दिनांक 24-09-90 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन एवं विविध कार्यक्रम रखे गए। समापन समारोह में इस निर्माणी के प्रभारी अधिकारी (ओ. आई. सी.) श्री डी. के. देसरकर, उप महाप्रबंधक प्रशासन श्री बी. बी. वर्मा, राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सभी सदस्य, निर्णायकगण और इस निर्माणी तथा सम्बद्ध संस्थापनों के लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं स्टाफ उपस्थित थे। "क" वर्ग के विद्वानों ने "भारत की मौजूदा स्थिति में प्रजातांत्रिक प्रणाली उपयुक्त है" और "ख" वर्ग के विद्वानों ने "फिल्मों ने नई पीढ़ी को गुमराह किया है" इस विषय पर विचार व्यक्त किए। कविता पाठ में रुचि रखने वाले गायकों ने अपने सुमधुर कंठ से कविताएं पढ़कर सारे वातावरण को संगीतमय बना दिया। तद्नंतर राजभाषा पत्रिका का विमोचन किया गया।

आर्डनैन्स फैक्टरी भंडारा के विभिन्न अनुभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा उनमें स्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए सन 1984 में एक विशेष पुरस्कार योजना चालू की गई थी जो चल वैजयंती विजय श्री (रोलिंग ट्राफी) प्रतियोगिता के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न **अनुभागों से एक निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसे मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो अनुभाग वर्ष के दौरान अपना सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करते हैं उन्हें उपरोक्त ट्राफी से सम्मानित किया जाता है। समिति/निर्णायक मंडल के निर्णयानुसार, वर्ष, 1989-90 का यह सम्मान चिह्न इस फैक्टरी के अग्निशमन सेवा अनुभाग को प्रदान किया गया।**

मुख्य अतिथि श्री डी. के. देसरकार, प्रभारी अधिकारी ने कहा कि यह साक्षरता वर्ष चल रहा है। इसमें संगोष्ठियों, पढ़ाई व प्रशिक्षण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। साक्षरता वर्ष के दौरान हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग सुशिक्षित हो जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न हिन्दी आती है और न मराठी आती है, हम प्रशिक्षण अनुभाग (टी. जी.) द्वारा यह प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाकर कम से कम हस्ताक्षर करने योग्य बना दिया जाए। उन्होंने आर. बी. (राजभाषा) अनुभाग द्वारा संगोष्ठी व हिन्दी सप्ताह आयोजित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और इसे 'एक अच्छी शुरुआत' बताया।

हिन्दी के प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें।

—नरेन्द्र कुमार अग्रवाल

"हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह किसी जाति या वर्ग की भाषा नहीं। अतः हिन्दी के प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय अनुशासन समझा जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत जारी आदेशों के पालन में पूरी सजगता रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अवहेलना न की जाए।" —ये विचार थे श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अधिशासी निदेशक, आई. टी. आई. लिमिटेड, नैनी के थे, जो उन्होंने संस्थान के हिन्दी सप्ताह (8 से 14 सितम्बर, 1990) के समापन, तथा पुरस्कार-वितरण समारोह पर गत 14 सितम्बर, 1990 को व्यक्त किए। श्री अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों में हमारे संस्थान ने हिन्दी के व्यवहार में जो प्रगति की है उसे शीर्ष पर ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

सहायक प्रबन्धक-राजभाषा श्री सन्त कुमार टण्डन ने भविष्य की कुछ योजनाओं तथा वर्ष भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समान कार्यक्षेत्र की विशेष हिन्दी कार्यशालाएं लेखा और सम्प्रेषण विभाग के कर्मचारियों के लिए सफलतापूर्वक चलाई जा चुकी है, आगे ऐसी अनेक कार्यशालाओं के अन्तर्गत उन्होंने एक अनुवाद कार्यशाला संस्थान के राजभाषा अनुभाग द्वारा तथा कुशलता-उन्नयन योजना के अन्तर्गत संस्थान के प्रशिक्षण एवं विकास विभाग द्वारा हिन्दी टंकण तथा आशुलिपिक के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सूचना दी। यह कार्यक्रम दिनांक 27-9-90 से प्रारम्भ भी हो चुका है। इन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों में संस्थान के ही सुयोग्य अधिकारी/कर्मचारी अनुदेशक/संचालक का दायित्व निभाएंगे।

समारोह के प्रमुख वक्ताओं में उप-महाप्रबन्ध कार्मिक एवं प्रशासन श्री वीरेन्द्र कौशिक, अधिकारी संघ के सचिव श्री आर. बी. अवस्थी, मजदूर संघ के मंत्री श्री कृष्ण

कान्त तिवारी तथा राजभाषा अनुभाग के प्रधान सहायक श्री धीरेन्द्र शर्मा थे।

इस अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू विभिन्न पुरस्कार-योजनाओं तथा संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल अधिकारियों/कर्मचारियों तथा हिन्दी कार्यशाला में सफल प्रशिक्षणार्थियों को अधिशासी निदेशक ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी वितरित किए। अन्त में उप मुख्य अभियन्ता श्रीमती अंजली सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ।

जिला प्रबंधक (दूर संचार) नागपुर

दूर संचार जिला कार्यालय में 14 सितम्बर, 1990 से 20 सितम्बर, 1990 तक "हिन्दी सप्ताह" उत्साहपूर्वक मनाया गया।

15 सितम्बर, 1990 को हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दिए गये तीन विषयों में से किसी एक विषय पर एक घंटे की अवधि में हिन्दी में निबंध लिखना था। विषय थे – (1) जन-जन की भाषा हिन्दी – फिर वह कार्यालय की भाषा क्यों नहीं? (2) संयुक्त परिवार राष्ट्रीय एकता की प्रथम पाठशाला है। (3) दूरसंचार के बढ़ते कदम। कर्मचारियों ने काफी संख्या में इसमें भाग लिया।

दिनांक 17 सितम्बर, 1990 को हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा दिनांक 18 सितम्बर, 1990 को हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिनांक 19-9-90 को "हिन्दी प्रश्न मंच" का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 20-9-90 को समापन समारोह के अवसर पर जिला प्रबंधक द्वारा "हिन्दी सप्ताह" के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

1. हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता

(1) प्रथम श्री सुनील बांधकर, द्वितीय श्रीमती विमल सूर्यवंशी एवं मोहम्मद सलीम, तथा तृतीय श्री एस.एन. निर्मले।

2. हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता

श्री एन.टी. जयसिंघानी (प्रथम) श्रीमती सुनंदा तारेकर (द्वितीय) तथा श्रीमती रागिनी भट्टाचार्य (तृतीय)।

3. हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता

श्री बालक गजभिये (प्रथम), श्री एन. ई. हिंगणेकर (द्वितीय) तथा श्री सुनील बांधवकर (तृतीय)। निर्णायक थे श्री राम निवास शुक्ला, प्रभारी (हिन्दी) अनुभाग लघु उद्योग सेवा संस्थान।

"हिन्दी सप्ताह" का समापन करते हुए दूर संचार जिला प्रबंधक श्री आलोक कौल ने कहा कि हिन्दी हर दृष्टि से राजभाषा के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि हिन्दी सप्ताह के दौरान जागृत उत्साह आगे भी कायम रहना चाहिए। हिन्दी के काम करने के लिए हिन्दी दिवस का इंतजार किये बिना हर दिवस को हिन्दी दिवस समझते हुए कर्मचारी अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें।

आरम्भ में श्री एम. डी. बड़े राजभाषा अधिकारी ने स्वागत किया। हिन्दी अधिकारी श्री शरदचन्द्र पेंढारकर ने प्रास्ताविक भाषण दिया तथा हिन्दी अनुवादक श्री अशोक गुप्त ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इंडियन एयरलाइन्स, मुख्यालय, नई दिल्ली

इंडियन एयरलाइन्स, मुख्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए दिनांक 10-9-90 से 14-9-1990 तक हिन्दी सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया।

दिनांक 10-9-1990 को निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 10 कर्मचारियों ने भाग लिया।

निबन्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित तीन कर्मचारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहें :—

1. श्रीमती ज्योति तुलस्यानी, लेखा परीक्षा सहायक
2. श्रीमती सरोज प्रसाद, वरि. लेखा सहायक
3. श्री वी. पी. उपाध्याय, कार्यालय अधीक्षक तथा श्री अनिल कुमार भाटिया, लेखा सहायक को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया।

दिनांक 12-9-1990 को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को "हिन्दी में राजकाज क्यों।" विषय पर बोलने के लिए कहा गया। निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए चुना गया :—

1. कुमारी सरोज, लेखा परीक्षा सहायक
2. श्रीमती अर्चना सरीन, लेखा सहायक
3. श्री मोहिन्द्र पाल सिंह चग्गर, वरिष्ठ लेखा परीक्षा सहायक

इसी प्रकार दिनांक 14-9-1990 अर्थात् हिन्दी दिवस के दिन एक भव्य "कविता पाठ" का आयोजन किया गया। आयोजन में कुल 15 कर्मचारियों ने अपनी-अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। इस दिन नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य प्रो. शशि शेखर तिवारी एवं श्री हीरालाल शास्त्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथियों का स्वागत श्री एस.सी. रस्तोगी, प्रणाली निदेशक ने किया।

श्री गौरी शंकर शर्मा, उप कार्मिक प्रबंधक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हिन्दी दिवस के महत्व को बताया। प्रो. तिवारी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना उन्नति नहीं कर सकता। यदि हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें हिन्दी को स्वीकारना ही होगा।

कविता-पाठ प्रतियोगिता में प्रथम तीन आए कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. कुमारी सरोज, लेखा परीक्षा सहायक
2. श्री गोविन्द राम गोयल, लेखा सहायक
3. श्री जोगिन्द्र सिंह, लेखा सहायक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अकोला

क्षेत्रीय कार्यालय अकोला द्वारा सीताबाई आर्टस कालेज, अकोला सभागृह में दिनांक 15 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाओं के अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रा. भा. तलेकरजी ने की और प्रमुख अतिथि के रूप में श्री श्रीकांतजी शर्मा, प्राध्यापक, ल. रा. तो. वाणिज्य महाविद्यालय अकोला पधारे।

कार्यक्रम का शुभारंभ हिन्दी भाषण प्रतियोगिता से हुआ जिसका विषय था "भारतीय संविधान के शिल्पकार डा. बाबासाहेब आंबेडकर"। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार सौ. मंजूषा सोनटक्के, लिपिक, क्षे. का. अकोला, द्वितीय पुरस्कार श्री पी. जे. पाटील, लिपिक, गोरक्षण रोड शाखा अकोला तथा तृतीय पुरस्कार श्री के. के. बेहरे, उपलेखाकार, शेगांव शाखा को प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम का द्वितीय चरण अंत्याक्षरी प्रतियोगिता से आरम्भ हुआ। इसमें प्रथम पुरस्कार श्री बा. रा. निकम, लिपिक कापड बाजार शाखा, द्वितीय पुरस्कार श्री के. बी. भागवतकर शाखा प्रबंधक, लोहारा शाखा तथा तृतीय पुरस्कार श्री अनिल हरसुले, लिपिक, मालेगांव शाखा को प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम का अंतिम दौर हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता का था। इसमें प्रथम पुरस्कार सौ. मंजूषा सोनटक्के, लिपिक, क्षे. का. अकोला, द्वितीय पुरस्कार श्री रवि अभ्यंकर, शाखा प्रबंधक, मालेगांव शाखा तथा तृतीय पुरस्कार श्री राजेन्द्र नेमाडे, लिपिक, मुर्तिजापुर शाखा को प्राप्त हुआ।

सभी विजयी प्रतियोगियों को प्रमुख अतिथि प्रा. श्रीकांत शर्मा और कार्यक्रम के अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रा. भा. तलेकरजी के करकमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री कमलकिशोर तिवारी ने किया और आभार प्रदर्शन सौ. मंजूषा सोनटक्के ने किया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नई दिल्ली

मुख्यालय स्तर पर हिन्दी दिवस का आयोजन दिनांक 12 सितम्बर, 1990 को हुआ। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं की गई जिनमें मुख्यालय के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 6 प्रतियोगिताओं में 85 प्रतियोगियों ने भाग लिया। विजेता प्रतियोगियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए। श्री नेरन्द्र सिंह गुजराल, उप महाप्रबंधक ने बैंक में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री एम. एस. चहल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कार्मिकों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। उन्होंने द्विभाषी रूप में प्रकाशित अनुदेश पुस्तिका भाग 1 का विमोचन भी किया।

राजभाषा विभाग के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डा. प्रताप सिंह ने अध्यक्ष का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन श्री श्रीराम मेहरोत्रा, प्रबंधक (राजभाषा) ने किया।

प्रतियोगिता एवं विजेताओं के नाम.

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता :

   श्री मनमोहन सिंह, कु. नीलम धवन, श्री जी. पी. सिंह

2. हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता :

   श्री जे. पी. सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह कोचर, कु. परविन्दर कौर सेठी

3. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता :

   श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग, कु. नीलम रानी, श्री संजय पासी

4. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता :

   श्री जितेन्द्रपाल सिंह, कु. नीलम धवन, श्री इन्द्रजीत सिंह वेदी

5. हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता :

   श्री योगेश खन्ना, श्री सतीश गुलाटी, श्री जितेन्द्र सिंह धींगरा

6. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता :

   श्री जे. पी. सिंह, श्रीमती कुलवंत कौर नारंग, श्री जे. एस. धींगरा

भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ

भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ में राजभाषा मास के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पदमश्री अलंकृत श्रीमती शिवानी ने कहा कि मां की कई बेटियां हैं मगर सबसे बड़ी, मां की हमशक्ल और सबसे सुघड़ बेटी हिन्दी है। हम हिन्दी को मां की तरह पूजें और बच्चों में हिन्दी के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करें। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि "हमको डर अंग्रेजी से नहीं, भारतीय अंग्रेजों से है"। पुत्र का मां के प्रति जो कर्त्तव्य होता है ठीक वही कर्त्तव्य अपनी मातृभाषा के लिए भी है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए बैंक के महाप्रबंधक (योजना) श्री एस. एन. गोयल ने बताया कि हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य करने वाली शाखाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। श्री गोयल ने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ मण्डल को वर्ष 1987 तथा 1988 में केन्द्रीय कार्यालय द्वारा तथा वर्ष 1989 में भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया।

समारोह का शुभारम्भ "निराला" की सरस्वती वंदना से किया गया। दीप प्रज्ज्वलित करते हुए श्रीमती शिवानी ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

समारोह का संचालन करते हुए प्रबंधक (राजभाषा) श्री रमेश चन्द्र सक्सेना ने मुख्य अतिथि को विश्वास दिलाया कि हम हिन्दी को वही सम्मान देंगे जो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत को प्राप्त है। उन्होंने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष तथा उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर

दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को प्रधान कार्यालय सभाकक्ष में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ। इस की अध्यक्षता बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक श्री के. के. खण्डेलवाल ने की। समारोह में श्री राघव प्रकाश, उप निदेशक, हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं श्री कलानाथ शास्त्री निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने विचार क्रमशः "हिन्दी भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता", "हमारी राजभाषा और हमारा दायित्व" विषयों पर व्यक्त किए।

राजभाषा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 17-09-1990 को अंतर-अंचल आशुभाषण प्रतियोगिता हुई। जिसमें श्री सी. डी. मेड़तवाल प्रथम, श्री कृष्ण कुमार भाटिया द्वितीय एवं श्री अशोक कुमार मित्तल तृतीय रहे।

दिनांक 15-09-1990 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी टंकण प्रतियोगिता हुई जिसमें 30 प्रतियोगियों ने भाग लिया। विजेताओं में श्री रघुनन्दन वशिष्ठ प्रथम, श्री मनोहर लाल पोपली द्वितीय एवं श्री रामबाबू खण्डेलवाल तृतीय रहे।

दिनांक 19-09-1990 को भाषण प्रतियोगिता हुई जिसमें विषय "हिन्दी के प्रयोग में हिन्दी मानसेवी की भूमिका" रखा गया। विजेताओं में प्रथम श्री कुलभूषण शर्मा, द्वितीय श्री कान्ति प्रसाद सिंघल एवं तृतीय श्री विमल चन्द जैन रहे।

सप्ताह के दौरान अंतर-अंचल निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। निबन्ध का विषय "राष्ट्र की अखण्डता में हिन्दी का महत्त्व" रखा गया। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्री अनिल टॉक (पाली शाखा) एवं श्री चांदमल तोषणीवाल (औद्योगिक सम्पदा भीलवाडा) श्रीमती विजय लक्ष्मी (उदयपुर अंचल कार्यालयों) एवं श्री अशोक कुमार मित्तल (अमर कालोनी नई दिल्ली) रहे।

□

भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर

"हिन्दी की किसी प्रतियोगिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार उसके परिश्रम का मूल्य तो नहीं पर उसके आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य हो सकता है।"—राजभाषा मास 1990 में आयोजित प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण करते हुए उक्त उद्गार क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सन्तोष कुमार शर्मा ने व्यक्त किये। इसका आयोजन भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, कानपुर ने किया।

सर्वाधिक प्रतिष्ठा की निबन्ध प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री अजय कुमार मेहरोत्रा ने जीता जबकि द्वितीय एवं तृतीय श्री अनिल कुमार निगम एवं रविशंकर के पक्ष में रहे। अन्य प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे।

टंकण प्रतियोगिता	1. अशोक कुमार मिश्र
	2. अकबर अली अंसारी
	3. एस. यू. अहमद
अनुवाद प्रतियोगिता	1. कौशल किशोर मिश्र
	2. अशोक कुमार शुक्ल
	3. श्रीमती रमा मिश्रा
शब्द ज्ञान प्रश्नोत्तरी	1. अनिल कुमार ओमर
	2. अजयकुमार मेहरोत्रा
	3. अशोक कुमार मिश्र
पत्र लेखन/प्रारूप लेखन	1. अनिल कुमार ओमर
	2. अनिल कुमार निगम
	3. अशोक कुमार शैंक्ल

प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) श्री सतीशचन्द्र कपूर ने बताया कि यह प्रतियोगिता स्टेट बैंक की 181 शाखाओं के लगभग 5000 कर्मचारियों के मध्य आयोजित की गई थी इनका उद्देश्य स्टाफ में सुप्त प्रतिभाओं में गतिशीलता लाकर राजभाषा के प्रयोग को गति प्रदान करना है।

सरकारी कार्यालय

सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास-38

कारखाने में 14वां हिंदी सप्ताह समारोह 12 से 14 सितंबर, 1990 तक मनाया गया। 12-09-90 को सप्ताह का उद्घाटन, प्रशासन के महाप्रबंधक श्री वी. टी. भिण्डे ने किया। मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री वी. आर. सुब्रमणियन् समारोह के अध्यक्ष रहे। प्रशासन के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री आर. गोविंदन् ने आगंतुकों का स्वागत किया। महाप्रबंधक श्री वी. टी. भिण्डे ने राजभाषा की प्रगति से संबंधित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस बार भी उक्त प्रदर्शनी में दक्षिण रेलवे ने भाग लिया।

हिंदी सप्ताह के सिलसिले में कर्मचारियों के बीच वाक्, निबंध लेखन, प्रारूप–टिप्पण लेखन, स्मृति लेखन, सुलेखन, अनुवाचन, कहानी सुनाना, प्रश्न-मंच, सुगम संगीत तथा पेंटरों के लिए पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं चलाई गईं। कारखाने के कर्मचारियों के बच्चों के बीच भी कविता, अनुवाचन तथा कहानी सुनाने की प्रतियोगिताएं चलाई गईं।

13-09-90 की शाम को दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. आर. के. जैन, के संचालन में कवि गोष्ठी संपन्न हुई। उस में सवारी डिब्बा कारखाने और दक्षिण रलवे के कर्मचारी-कवियों के अलावा बाहर के कवियों ने भी भाग लिया। डॉ. वासवानी, क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने भी अपनी रचना सुनायी।

समापन समारोह 14-09-90 को हुआ। श्री बी. टी. भिण्डे, महाप्रबंधक, ने अध्यक्षता की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष श्री एस. वीर राघवन्, मुख्य अतिथि थे। प्रशासन के मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री वी. आर. सुब्रमणियन् ने आगंतुकों क स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कारखाने में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस परिस्थिति में हिन्दी हमारे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि गांधीजी दीर्घदर्शी थे और उन्हीं के वजह से दक्षिण में हिंदी का प्रचार होने लगा और हिंदी को उचित मर्यादा प्राप्त हुई।

हिंदी के प्रयोग-प्रसार में योगदान देने वाले तथा सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी निकले कर्मचारियों के बीच श्रीमती विलासिनी भिण्डे द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

राजभाषा अधीक्षक श्री एम. मुनिरत्तिनम के धन्यवाद समर्पण के साथ समारोह संपन्न हुआ।

मदुरै रेल मण्डल

मदुरै मंडल में दि. 10-12-90 से 14-12-90 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के प्रथम दिन 10-21-90 को अपर रेल मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48वीं त्रैमासिक बैठक हुई। इस बैठक में राजभाषा संबंधी प्रगति पर समीक्षा हुई। उसी दिन 10-12-90 को तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी आदि विविध भाषाओं में कविताएं, उनके रचनाकारों द्वारा सुनाई गयीं। इस कवि गोष्ठी में अपर मंडल रेल प्रबंधक संचालक थे तथा जिन्होंने कविताएं सुनायी वे सभी रेल कर्मचारी/अधिकारी थे।

समापन दिवस 14-12-90 को मदुरै मंडल में राजभाषा हिंदी की प्रगति पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी।

समापन समारोह की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक ने की। राजभाषा अधिकारी ने पिछले वर्ष में मदुरै मंडल में हुई राजभाषा की प्रगति पर प्रकाश डाला। श्रीमती मीना मणि, अध्यक्षा, द. रेलवे महिला संगठन, मदुरै ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार बांटे। पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या 132 तथा पुरस्कार राशि रु. 9120.00 थी।

प्रबोध वर्ग में पढ़ने वालों से लेकर प्राज्ञ स्तर तक के योग्यता वालों के लिए विविध प्रतियोगिताएं, हिंदी में टिप्पण व प्रारूप लेखन, हिंदी में प्रश्नोत्तरी, गान, नामपट्ट लिखना, पुस्तकालयों में उपलब्ध कतिपय पुस्तकों की समीक्षा, लेखक परिचय आदि अनेक प्रतियोगिताएं चलायी गयीं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में योगदान करने वाले, रुचि रखने वाले कर्मचारियों को किये गये अच्छे काम के उपलक्ष्य में पुरस्कार दिये गये। इसी दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें हिंदी में मिमिक्रि लघुनाटक, गान आदि शामिल थे।

नव मंगलूर पत्तन न्यास, पणबूर, मंगलूर

नव मंगलूर पत्तन न्यास में 14-1-91 से 19-1-91 तक हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया और इस क्रम में पत्तन न्यास के कर्मचारियों तथा हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में निबंध, भाषण, वाद-विवाद, अंत्याक्षरी, गीत-संगीत, कव्वाली जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

समापन समारोह दि. 19-1-91 को सायं पं. नेहरू जन्मशती भवन पणंबूर में आयोजित किया गया। पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री बी. महापात्र, भा. प्र. से, ने समारोह की अध्यक्षता की। मंगलूर अंचल ने वरिष्ठ डाकघर, अधीक्षक तथा हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी सु.श्री. शारदा भारद्वाज, समारोह की मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती सविता महापात्र ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए।

उप-सचिव श्री एच. सतीश नायक ने राजभाषा के प्रयोग में हुई प्रगति तथा प्रस्तावित उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सचिव श्री वाई. भद्राचलम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। श्री वचन प्रसाद ने कार्यक्रम का संचालन किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, पत्तन न्यास के कर्मचारियों द्वारा, तटीय कर्नाटक का विश्वविख्यात लोकनृत्य यक्षज्ञान "सुधन्वार्जुन" के हिंदी में मंचन के साथ, समारोह समाप्त हुआ। दिनांक 18-1-91 को अक्षता नाट्य संघ, मंगलूर के सहयोग से "विश्वमित्र मेनका" हिंदी गीत का एक नृत्य रूपक जन्मशती भवन में प्रदर्शित हुआ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद

दक्षिण मध्य सर्किल में हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस संदर्भ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। श्रीमती हेमलता तथा सुशीला के प्रार्थनागीत से शुरुआत हुई। समिति के सदस्यों एवं हिन्दी अनुवादक सचिव श्री वी. विद्या सागर ने हिन्दी दिवस सप्ताह के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के उद्देश्यों से अवगत कराया। निदेशक कर्नल वी. सु. जगन्नाथ ने एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करें। इस अवसर पर श्री आर. के. जेयवेलु, श्री भट्टाचार्य, श्री सुदर्शन, श्री तोरट तथा वाल्मीकी आदि ने विचार व्यक्त किए। बाद में निदेशक महोदय ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। श्रीमती सुशीला देवी के धन्यवाद समर्पण के साथ सभा समाप्त हुई।

खड़की छावनी मंडल

14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस मनाने के लिए हिन्दी समिति के अध्यक्ष श्री रविकान्त चोपड़ा, छावनी अधिशासी अधिकारी ने छावनी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में हिन्दी प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया :—

(1) कर्मचारियों को 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम से परिचित कराना।

(2) हिन्दी टाइप लेखन/आशुलिपि प्रशिक्षण

(3) देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद

(4) छावनी मंडल में जितने नाम पट्ट, साइन बोर्ड व सब द्विभाषी बनाए जाएं।

(5) हिन्दी पुस्तकों की खरीद :—हिन्दी कामकाज में गति लाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे कि शब्दकोश, शब्दावली तथा कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर जो हिन्दी पुस्तकें खरीदी जाएं।

(6) लोकमान्य तिलक हाई स्कूल के सुझाव पर गौर से विचार करके निर्णय किया गया कि :—

(1) एस. एस. सी. में हिन्दी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा।

(2) वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हिन्दी एकांकी रखा जाए तथा पाठशालाओं में हिन्दी वक्तव्य स्पर्धा आदि का आयोजन किया जाए।

(3) छात्रों के लिए हिन्दी राष्ट्रभाषा प्रसारिणी सभा की परीक्षाओं के आयोजन का प्रबन्ध किया जाएगा।

आकाशवाणी, धारवाड़

दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को आकाशवाणी, धारवाड़ के कार्यालय प्रांगण में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक महाविद्यालय की हिन्दी प्राध्यापिका डॉ. (श्रीमती) मंगला देसाई मुख्य अतिथि थीं। समारोह की अध्यक्षता श्री सी. राजगोपाल, केन्द्र निदेशक ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री डी. कुमार दास, विभागीय कलाकार के सरस्वती वंदना से हुआ।

मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए केन्द्र निदेशक, श्री सी. राजगोपाल ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की राजभाषा नीति का निष्ठा के साथ अनुपालन करें।

मुख्य अतिथि डॉ. (श्रीमती) मंगला देसाई ने हिन्दी के स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डाला और आह्वान किया कि लोग स्वेच्छा पूर्वक हिन्दी सीखने के लिए आगे आएं।

हिन्दी दिवस के सन्दर्भ में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए। जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता

श्रीमती के. गौरी, श्री राजेश्वर त्यागी, श्री चेतन नायक तथा श्री विश्वजीत ना. वान्द्रे।

3. हिन्दी भाषण प्रतियोगिता

श्री एम. एच. खान, श्रीमती के. गौरी, श्री चेतन नायक।

अंत में कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री जगदीश लाल ने आकाशवाणी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि तथा केन्द्र के कर्मचारियों को उनके निष्ठापूर्वक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

आयकर विभाग एवं न.रा.का.स. लुधियाना

हिन्दी दिवस के अवसर पर आयकर विभाग एवं लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 14-9-1990 को समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना, श्री एस. एस. भाटिया ने की। इस अवसर पर श्री बी. के. सिन्हा, आयकर मुख्य आयुक्त (प्रशासन) पटियाला मुख्य अतिथि थे। श्री जी. एस. सिद्धू, आयकर आयुक्त, पटियाला को समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। समारोह में आयकर विभाग एवं लुधियाना स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/बैंकों/निगमों इत्यादि के 600 के लगभग अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए।

श्री एस. एस. भाटिया ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। श्री बी. के. सिन्हा, आयकर मुख्य आयुक्त, (प्रशा.) पटियाला द्वारा लुधियाना नगर में कार्यालयों में वर्ष 1989-90 में हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए निम्नलिखित कार्यालयों अध्यक्षों को पुरस्कार वितरित किए गए :

श्री दलबीर सिंह, प्रथम पुरस्कार
आयकर उप-आयुक्त, रेंज-2, लुधियाना

श्री जे. के. बेदी, क्षेत्रीय प्रबंधक, द्वितीय पुरस्कार
पंजाब नैशनल बैंक, लुधियाना

श्री जी. एस. सिद्धू, आयकर आयुक्त, पटियाला ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के निम्नलिखित विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए :

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता :

श्री मंगतराम कपूर, आयकर विभाग
श्री जगमोहन सिंह, भारतीय स्टेट बैंक
श्रीमती सुलेक्षणा गुप्ता, भवि. निधि, कार्या.

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता :

कुमारी उषा गंभीर, दूर संचार कार्यालय
श्री सत्यपाल सौंधी, आयकर विभाग
कु. सुनीता रानी, न्यू इंडिया इंशोरेंस कंपनी

हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता :

श्री जय नारायण, आयकर विभाग
श्री गुरचैन लाल, आयकर विभाग
श्री मंगतराम कपूर, आयकर विभाग

श्री एस. एस. भाटिया, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना ने आयकर विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को वर्ष 1989-90 में हिन्दी में मूल रूप से कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार वितरित किए :

आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

1. श्रीमती मीना कुमारी, उ. श्रे. लि. — प्रथम
2. श्री गुरचैन लाल, कर सहायक — प्रथम
3. श्री फकीर चन्द बेदी, नि. श्रे. लि. — द्वितीय
4. श्री जय नारायण, नि. श्रे. लि. — तृतीय

आयकर उप-आयुक्त (केन्द्रीय) रेंज-1, लुधियाना

1. श्री बूटा राम खोसला, कर सहायक — प्रथम
2. श्री रघवीर सिंह, कर सहायक — प्रथम
3. श्री रिसाल सिंह, नि. श्रे. लि. — द्वितीय
4. श्री बलवन्त सिंह, नि. श्रे. लि. — द्वितीय

आयकर उप-आयुक्त (केन्द्रीय) रेंज-2, लुधियाना

1. श्रीमती पुष्पा शाही, उ. श्रे. लि. — प्रथम
2. श्री जोगिन्द्र पाल बाहरी पर्यवेक्षक — प्रथम
3. मंगतराम कपूर, नि. श्रे. लि. — द्वितीय
4. श्री सतीश कुमार, नि. श्रे. पेलि. — तृतीय

पासपोर्ट कार्यालय भोपाल

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरुकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में दिनांक 14 सितंबर, 1990 को हिन्दी दिवस तथा दिनांक 14-9-90 से 21-9-90 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री देवमन हेड़ाऊ सचिव (राजभाषा) ने किया।

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 में हिन्दी में किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित विवरण श्री एस. आर. चौधरी कार्यालयाध्यक्ष ने पुरस्कृत किया।

श्री देवमन हेड़ाऊ	प्रथम पुरस्कार (I)	400.00
श्री गोपाल गनेश रेड्डी	प्रथम पुरस्कार (II)	400.00
श्री किशोर परिहार	द्वितीय पुरस्कार (I)	200.00
श्री शरद कुमार	द्वितीय पुरस्कार (II)	200.00
कुमारी वंदना सक्सेना	द्वितीय पुरस्कार (III)	200.00
श्री मोह. जावेद अनवर	तृतीय पुरस्कार (I)	150.00
श्री हरिनारायण	तृतीय पुरस्कार (II)	150.00
श्री शैलेन्द्र सिंह	तृतीय पुरस्कार (III)	150.00

संसदीद कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

मंत्रालय में दिनांक 14 से 20 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन श्री पी. उपेन्द्र संसदीय कार्य मंत्री ने 14 सितम्बर, 1990 को किया। उन्होंने राजभाषा के बारे में सरकार की नीति और निर्णयों का पालन करने का सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया।

मंत्री महोदय ने मंत्रालय के 4 कर्मचारियों 1. श्री सोहन चन्द्र भगत, 2. श्री जसबीर सिंह कोचर, 3. श्रीमती सत्या अरोड़ा तथा 4. श्री पुरुषोत्तम कुमार को हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए।

मंत्रालय के श्री सोमदत्त थपलियाल, श्रीमती राजरानी सिडाना और श्री जसबीर सिंह कोचर को टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार पुस्तकों के रूप में मंत्री महोदय द्वारा प्रदान किए गए।

...जारी पृष्ठ 92 पर...

हिंदी कार्यशालाएं

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी

दिनांक 14 से 16 मार्च, 1991 तक केन्द्र में हिन्दी कार्यशाला का गहन पाठ्यक्रम चलाया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. दुलानथंगा निदेशक दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी द्वारा किया गया।

दिनांक 16-3-91 को हिन्दी कार्यशाला के समापन समारोह का आयोजन किया गया, इस अवसर पर कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

भारतीय कपास निगम लि., कोयम्बत्तूर

18 और 19 मार्च, 1991 को शाखा कार्यालय में श्री पी.एन. नारायणन्, शाखा प्रबन्धक की अध्यक्षता में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला चलाई गई।

प्रारम्भ में श्री सुरेश कालगीकर, हिंदी अनुवादक ने सभी का स्वागत किया तथा हिन्दी में किए गए प्रगति से अवगत कराया।

क. शब्द लेखन प्रतियोगिता (विजेता)

(1) श्री मदन मोहन—प्रथम
(2) श्री आर. एस. सेल्वराज—द्वितीय
(3) श्रीमती कल्याणी पुरुषोत्तम —तृतीय
(4) श्रीमती मोहना नागराजन् —सांत्वना

ख. नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता (विजेता)

(क) श्री वी पुरुषोत्तम—प्रथम
(2) श्रीमती पी. आर. लक्ष्मी —द्वितीय

हिन्दी परीक्षाओं में अच्छे अंक से पास करने के निम्न कर्मचारियों को नगद पुरस्कार दिए गए।

(1) श्री आर. एस. सेल्वराज को 68.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रवीण परीक्षा पास करने के लिए 300 रुपयों का नगद पुरस्कार दिया गया।

(2) श्रीमती कल्याणी पुरुषोत्तम को 57.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्राज्ञ परीक्षा पास करने के लिए 150 रुपयों का नगद पुरस्कार दिया गया।

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

दि. 22 से 23 जनवरी, 1991 तक क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस का उद्घाटन श्री के. एस. शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने किया। उन्होंने कहा कि बेंगलूर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन उत्साह वर्धक है। सभी कर्मचारियों के सहयोग से हमारा बैंक काफी प्रगति कर पाया है।

उद्घाटन से पहले श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला में पढ़ाये जाने वाले विषयों की जानकारी दी।

अन्त में लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:—

प्रथम—श्री वी. सी. शानभोग, अधिकारी,

द्वितीय—श्रीमती जे.वी.एस. लक्ष्मी,

तृतीय—कुमारी जी. के. अन्नपूर्णा,

श्रीमती सावित्री महेश, प्रबन्धक (योजना व विकास) ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

नौसैनिक ब्यूरो, बम्बई

नौसैनिक ब्यूरो, चीता कैम्प, मानखुर्द, बम्बई में 11 से 25 मार्च 1991 तक चले हिंदी कार्यशाला के समापन के अवसर पर लेफ्टीनेंट कमांडर संदीपन बनर्जी ने कहा कि सरकार कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके हम हिंदी की प्रतिष्ठा करें। हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं अपितु राष्ट्रभाषा भी है। इसमें श्रीमती निर्मला, द्विवेदी, श्री कृष्ण कुमार वर्मा, श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी, अवधेश पांडेय, श्री आर. बी. मिश्र, श्री धर्म दास आदि ने भाषण दिए। कार्यशाला का आयोजन व संयोजन डॉ. कैलाश नाथ पांडेय ने किया।

आन्ध्र बैंक मंगलूर

दि. 4. से 5 फरवरी, 1991 तक मंगलूर में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निम्नलिखित शाखाओं से कर्मचारी उपस्थित हुए:—कालिकट, त्रिवेन्द्रम, मुट्टकाड मंगलूर, शिमोगा, बल्लारी, गंगावती, गुलबर्गा, हुबली, रायचूर।

उद्घाटन श्री के. एन. प्रभु, प्रबन्धक, आन्ध्र बैंक ने किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन में मंगलूर शाखा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंगलूर शाखा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर ने अब तक दो सम्मान-पत्र प्रदान किए हैं और आन्ध्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 1989-90 में मंगलूर शाखा को सम्मान-पत्र प्रदान किया गया।

कार्यशाला के अन्त में लिखित परीक्षा आयोजित की गई और विजेताओं के नाम इस प्रकार है:—

प्रथम—जार्ज जोसफ, उप प्रबन्धक त्रिवेन्द्रम शाखा

द्वितीय—सेबास्टियन थामस, उप प्रबन्धक, कालिकट

तृतीय—आर. सभापति राव, लिपिक, बल्लारी शाखा

इंडियन एयर लाइन्स, हैदराबाद

इंडियन एयरलाइंस हैदराबाद में दि. 18 से 22 फरवरी 1991 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 17 कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि श्री पी. के. सिन्हा ने सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा हिंदी का प्रयोग अपने दैनंदिन कार्य में करें।

कार्यशाला के सभी नियम काफी लाभकारी और भावात्मक बताए गए। सभी वक्ताओं ने अभ्यास की ओर अधिक ध्यान दिया। अंतिम दिन पर परीक्षा ली गई, जिनके लिए समापन समारोह में श्री एस. गौरीशंकरन उप प्रबंधक कार्मिक सेवाएं, हैदराबाद द्वारा पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें निम्न प्रतिभागियों को प्रदान की गई।

1. श्री के. बालसुब्रमण्यम स्टाफ अध्यापक हैदराबाद — प्रथम
2. श्री एम. ए. कुरैशी वरि. भंडार सहायक हैदराबाद — द्वितीय
3. श्री आदम शरीफ़ टंकक हैदराबाद — तृतीय
4. श्री एस रामनाथन तकनीकी सहायक मद्रास — प्रोत्साहन
5. श्रीमती रामीम घोष वरि. यातायात सहा. हैदराबाद — प्रोत्साहन
6. श्री डी. वेंकटेश्वर राव द्विभाषी टंकक बेंगलूर — विशेष

गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा

"हिंदी मात्र भाषा नहीं, एक समृद्ध संस्कृति की परिचायक है। इस संस्कृति का श्रीगणेश आर्यों के आगमन के साथ हुआ। यह धीरे-धीरे फलती फूलती गई और इसका विस्तार समूचे भारत में हो गया। इस प्रकार हिंदी की संस्कृति विश्व की एक अनूठी संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र के विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे देश के संदर्भ में हिंदी ने इस कमी को काफी हद तक पूरा किया है।"—यह विचार हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मासंवि प्रबंधक श्री ए. वी. मेहता ने व्यक्त किए। वे हिंदी अनुभाग, गुजरात रिफाइनरी द्वारा आयोजित उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। 4, 5 व 6 फरवरी, 1991 तीन दिवसीय इस हिंदी कार्यशाला में विभिन्न विभागों के बीस कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बंबई के उप निदेशक श्री कृष्ण नारायण मेहता ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में शोधपरक व्याख्यान दिया। श्री मेहता के अलावा कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा की राजभाषा प्रबंधक श्रीमती सुधा जावा, सिंडीकेट बैंक के संकाय सदस्य श्री मकवाना, एनआईडी की हिंदी अधिकारी डॉ. प्रणव भारती ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए।

आंतरिक व्याख्याता के रूप में श्री बी. डी. पाठक, श्री राजीव सक्सेना एवं डॉ. माणिक मृगेश तथा नवोदित फैकल्टी श्री महेश शुक्ल ने व्याख्यान दिए। गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामकुमार गुप्त द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित करने के साथ हिंदी कार्यशाला संपन्न हुई।

चण्डीगढ़ में संयुक्त हिन्दी कार्यशाला

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णय के संदर्भ में चंडीगढ़ स्थित सभी बैंकों के अधिकारियों के लिए संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र सैक्टर 8सी, चंडीगढ़ में किया गया। इसका उद्घाटन समिति अध्यक्ष एवं पंजाब नेशनल बैंक के उपमहा-प्रबंधक श्री आर. वी. शास्त्री ने किया। उन्होंने चंडीगढ़ शहर में प्रथम बार इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित होने पर हर्ष व्यक्त किया तथा आशा प्रकट की कि कार्यशाला उपयोगी सिद्ध होगी। पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक श्री यशपाल सेठी ने राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहन देते हुए सभी उपस्थितों एवं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कार्यशाला में "राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है" विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम एवं तृतीय स्थान ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के क्रमशः श्री प्रदीप वाजपेयी एवं श्री राकेश शर्मा ने तथा द्वितीय स्थान विजया बैंक की श्रीमती कंचन माला अवस्थी ने प्राप्त किया।

कार्यशाला का समापन भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के प्रबंधक एवं संयुक्त मुख्य अधिकारी श्री ए. एम. नेरकार ने किया। उन्होंने उपस्थित समूह का आह्वान किया कि वे अपने कामकाज में तथा अपनी संस्था में राजभाषा की प्रगति को बढ़ाने हेतु भरपूर उपाय करें तथा अपने राष्ट्र की पहचान बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा को पूरा महत्व दें।

श्री नेरकर ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुस्तकों के रूप में पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भागीदारी के प्रमाणपत्र भी दिए गए।

श्री वी. पी. रंगन, प्रशिक्षण प्रबंधक ने भी कार्यशाला के आयोजन के समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए तथा हिंदी के प्रयोग हेतु बल दिया।

कार्यशाला का संयोजन चंडीगढ़-बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सदस्य सचिव डॉ. शैलेंद्र द्वारा किया गया। संयोजन में आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षण प्रबंधक एवं उनके स्टाफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास

हिंदी कार्यशाला के ग्यारहवें सत्र के शुभारम्भ के समय भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक कार्य विभाग के श्री के. जी. गोयल ने बताया चूंकि हिंदी देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए सरकार ने इसे राजभाषा का दर्जा देकर सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग पर बल दिया है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के संयुक्त सचिव श्री डी. सुब्बाराव ने बैंक नोट मुद्रणालय की राजभाषा विषयक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि हिंदी को मजबूत बनाने की सभी सरकारी कर्मचारियों की एक विशेष जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सरकारी तार देवनागरी में भेजने का सुझाव देते हुए बताया कि इससे सरकारी खर्च में चालीस से पचास प्रतिशत की न केवल बचत की जा सकती है बल्कि राजभाषा नियमों का पालन भी होता है। संयुक्त सचिव (करेंसी) ने बी.एन.पी. के अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि करेंसी डिवीजन के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में बैंक नोट मुद्रणालय हिंदी अपनाने में अग्रणी है और इस मुद्रणालय ने इस क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में आपकी यह लगन, यह उत्साह इसी तरह बना रहना चाहिए और आप हमेशा नम्बर एक रहने का प्रवास करते रहें।

मुद्रणालय में दिनांक 12 अप्रैल 1991 को आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुद्रणालय के उपमहाप्रबन्धक श्री जे सी गुलाटी ने इस की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए जानकारी दी कि मुद्रणालय के कर्मियों ने कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर राजभाषा नीति को व्यापक विस्तार देकर अपने संवैधानिक दायित्व का वहन किया है। प्रारम्भ में मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री एम. एन. रंगनाथन ने हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला।

संयुक्त सचिव श्री सुब्बाराव ने इस अवसर पर कार्यशाला के दसवें सत्र के सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन हिंदी अधिकारी डॉ आलोक कुमार रस्तोगी ने किया।

चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक रोड

वर्ष 1991 की प्रथम हिंदी कार्यशाला का आयोजन दि. 8-3-91 से 3-4-91 तक किया गया, इसमें कुल 18 प्रशिक्षणार्थियों को नामित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दि. 18-3-91 को मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री गं. रा. कहाते के करकमलों से सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण तथा दीपप्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को मुद्रणालय की कार्य-प्रणाली को संक्षेप में बताया और कहा कि हम हिंदी का प्रयोग कहां और कैसे कर सकते है।

मुद्रणालय के उप महाप्रबंधक तथा अध्यक्ष (राजभाषा कार्यान्वय समिति) श्री बी.एस. लालचंदानी ने मुद्रणालय में अब तक हुई हिंदी प्रगति की जानकारी संक्षेप में दी तथा इस प्रगति के लिए अब तक मिलें पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। समारोह में आभार प्रदर्शन कार्यप्रबंधक श्री गंगा प्रकाश ने किया तथा समारोह का संचालन, मुद्रणालय के हिन्दी अधिकारी, डॉ राजेन्द्र कुमार गुप्त ने किया।

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड नई दिल्ली

मुद्रणालय में सरकार की राजभाषा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार से आयोजन किए जाते रहते हैं। वर्ष 1990 में सितंबर में "हिंदी सप्ताह" दिनांक 14-9-90 से 20-9-90 तक उत्साह से मनाया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जैसे:—

1. हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता,
2. हिंदी निबंध प्रतियोगिता
3. हिंदी टाइपलेखन प्रतियोगिता।

प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा सांत्वना (अहिंदी भाषी के लिए) पुरस्कार भी वितरित किए गए।

चमेरा परियोजना, बनीखेत (हि.प्र.)

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की चमेरा परियोजना में 29 अप्रेल, 1991 से 03 मई, 1991 तक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं के उद्घाटन भाषण में सर्वश्री जगमोहन सिंह जवाल, मुख्य अभियंता (पी.एस.), श्री एच. एस. ढिल्लों, वरिष्ठ प्रबंधक तथा श्री मुरारी लाल, मुख्य अभि. ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारे जन-संपर्क का एक सशक्त साधन है। हमें हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए अधिक से अधिक करना चाहिए।

कार्यशालाओं में व्याख्यान देने हेतु श्री डी.डी. नौटियाल, सचिव, वै. त.श.आ., भारत सरकार तथा श्री सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा उप-संपादक राजभाषा विभाग को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इन कार्यशालाओं में 38 कार्यपशालकों तथा 64 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। वक्ताओं ने प्रतिभागियों

को हिंदी भाषा का मानकीकरण, देवनागरी में तार तथा राजभाषा नीति आदि से अवगत कराया। हिंदी में टिप्पण व प्रारूप लेखन, नियुक्ति, तैनाती, टेंडर आदि विषयों पर सरल हिंदी में लिखने का अभ्यास भी कराया गया।

हिंदुस्तान जिंक लि. राजपुरा दरीबा (राज.)

राजपुरा दरीबा खान में दिनांक 30-8-1990 को कर्मचारियों के लिए कार्यशाला दो सत्रों में संपन्न हुई। प्रथम सत्र में दरीबा इकाई के डॉ. जयप्रकाश शाकद्विपीय ने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग की जानकारी दी।

डॉ. स्वयं प्रकाश भटनागर, द्वारा टिप्पणी, पत्र, तार, इत्यादि के मसौदे तैयार करने का अभ्यास कराया गया।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डॉ. रमेश कुमार शर्मा, डॉ. नवल किशोर शर्मा तथा डॉ. हेमेन्द्र पानेरी सहायक आचार्य हिंदी विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा कार्यालय कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में विचार प्रकट किए।

श्री हेमन्त कुमार मिश्रा ने अपना कार्य हिंदी में करने की अपील की।

वायुसेना (मुख्यालय); नई दिल्ली

वायुसेना मुख्यालय के वायुभवन स्थित हिन्दी कक्ष में चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन दिनांक 5-3-90 से 9-3-90, 25-6-90 से 29-6-90, 6 अगस्त 1990 से 10 अगस्त 90 तथा 22 अक्तूबर 90 से 26 अक्तूबर 90 तक किया गया। कार्यशालाओं में स्टॉफ के अलावा कई वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों (सैनिक एवम् असैनिक) ने भी भाग लिया। सभी कार्यशालाओं का विधिवत् आयोजन तथा उद्घाटन विंग कमांडर नन्दलाल जोतवाणी, उपशिक्षा निदेशक (राजभाषा) ने किया। उन्होंने सभी भाग लेने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यशाला में प्रशासनिक तथा वायुसेना शब्दावली, हिन्दी नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग, नेमी कार्यालय टिप्पणियां, सैन्य नोट, सैन्य पत्र, अनुस्मारक, पावती, सरकारी कामकाज संबंधी बातचीत तथा हिन्दी के प्रयोग की प्रोत्साहन योजनाएं तथा हिन्दी संबंधी रिपोर्ट आदि विषय शामिल थे। कार्यशाला के पाठ, संघ की राजभाषा, वायुसेना शब्दावली तथा प्रशासनिक शब्दावली को संदर्भ साहित्य के रूप में दिया गया।

इन कार्यशालाओं का समापन एयर कमोडोर वी.के. सरीन, संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने अधिकारियों के उत्साह की सराहना करते हुए अपेक्षा की कि वे अपने हिन्दी ज्ञान का प्रदर्शन कार्यालय में प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक; नई दिल्ली

उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कक्ष, नई दिल्ली द्वारा फरवरी 7 एवं 8 1991 को प्रशिक्षण केन्द्र में वर्ष की चतुर्थ उन्नत हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शाखा कार्यालयों के 18 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उदघाटन श्री जी.वी. गुप्ता, महाप्रबंधक ने किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें हिन्दी का प्रयोग अपने कार्यों के अछूते क्षेत्रों में भी आरम्भ करना चाहिए और स्वयं इसका अभ्यास करने से बेहतर प्रशिक्षण और कोई नहीं हो सकता।

कार्यशाला के मूल्यांकन सत्र में डॉ. जी.पी. मुकर्जी, प्रबन्धक ने सहभागियों से चर्चा की। कुछ प्रतिभागियों ने कार्यशाला की अवधि बढ़ाने का सुझाव भी दिया जिसके संबंध में उन्हें बताया गया कि उनका वास्तविक कार्य-क्षेत्र ही अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान है और वहीं वे प्रयास करेंगे तो इस कार्यशाला की सार्थकता सिद्ध होगी।

□

पृष्ठ 88 का शेष

हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 19 कर्मचारियों को भी श्री जगदीप धनखड़ उप मंत्री महोदय द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

17 सितम्बर, 1990 को हिन्दी सप्ताह के आयोजन के अन्तर्गत ही उप-सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें अनुभाग अधिकारी के स्तर तक के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, एवं अनुदेशों के बारे में चर्चा की गई तथा अधिकारियों को उस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

दि. 19 और 20 सितम्बर, 1990 को मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण दौरा किया। निरीक्षण दौरे के दौरान हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के साथ-साथ पाई गई कमियों को बताया गया।

चित्र समाचार-I

कार्यक्रम की एक झलक (73)

हिंदी कवयित्री सुश्री मधु बेन चोकसी के सम्मान समारोह का एक दृश्य (94)

मदुरै रेल मंडल में आयोजित हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए डॉ. एम. मणि (86)

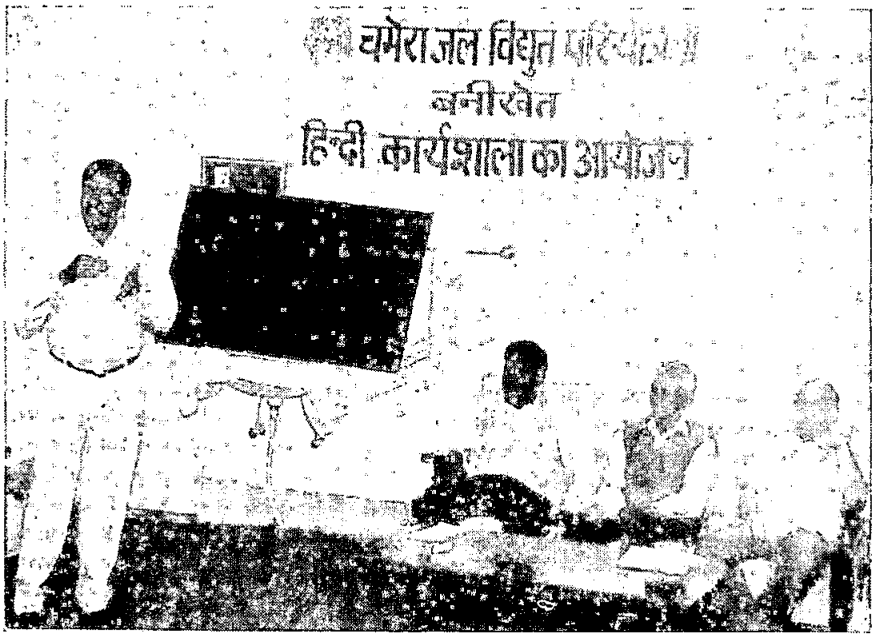

कार्यक्रम की एक झलक (91)

भारतीय वायुसेना के उप शिक्षा निदेशक विंग कमांडर आनन्द लाल, जोतवाणी राजभाषा पुरस्कार विजेताओं के साथ (77)

कार्यक्रम की एक झलक (84)

उद्घाटन भाषण देते हुए महाप्रबन्धक श्री बी.ट.भिड़े (85)

अध्यक्ष एवं सह-प्रबन्धक निदेशक श्री के.एल. लूथरा का स्वागत करते हुए श्री ए.एस. मल्होत्रा (79)

बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय कार्यान्वयन उप निदेशक श्री कृष्ण नारायण मेहता (52)

राजपुरा दरीबा खान में कार्यक्रम की एक झलक (92)

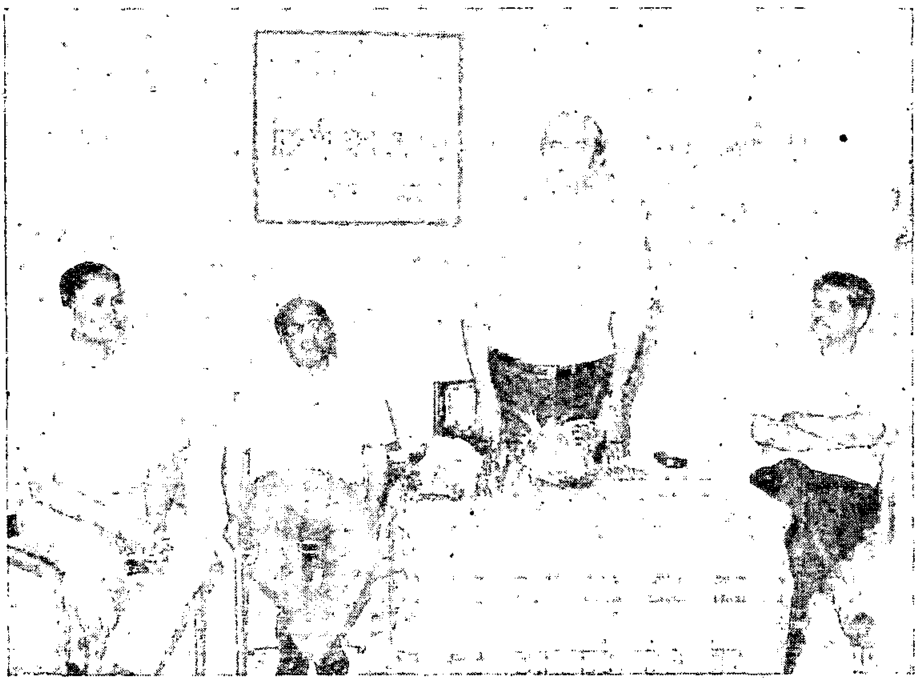

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए मुद्रणालय के महाप्रबन्धक श्री गं.रा. कहाते (91)

कार्यक्रम की एक झलक (84)

अहमदाबाद : आकाशवाणी केन्द्र के अधीक्षक अभियंता श्री रावल से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री विष्णु त्रिवेदी (95)

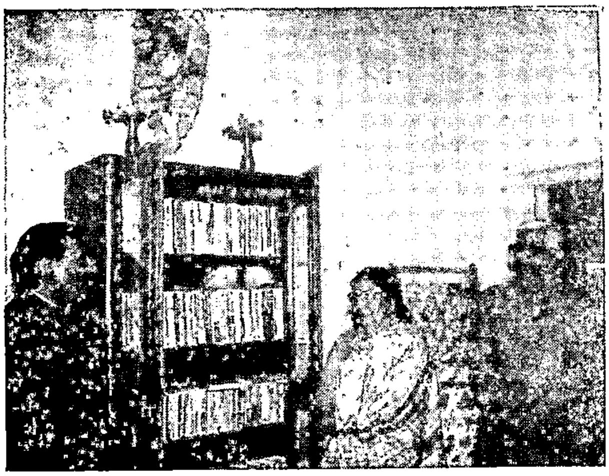

अमृतलाल नागर हिंदी पुस्तकालय उद्घाटन समारोह में (दाएं से) मं.रे.प्र. श्री के.पी. सिंह, श्रीमती सिंह तथा राजभाषा अधिकारी श्री जगपतिशरण निगम (65)

हैदराबाद : कविता पाठ करते हुए मुख्य अतिथि श्री गुण्टूरी शेषेन्द्र शर्मा (95)

सम्बोधित करते हुए केन्द्र निदेशक श्री सी. राजगोपाल (87)

कानपुर : आयुध निर्माणी की पत्रिका "आवन्ती" का विमोचन करते हुए महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्र राममूर्ति (95)

सम्बोधित करते हुए मंगलूर पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री बी. महापात्र (32)

नई दिल्ली : सम्बोधित करते हुए श्री प्रेम बहादुर सक्सेना, वित्त सलाहकार तथा अन्य अधिकारीगण (81)

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, (तकनीकी कक्ष)

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की दिनांक 4-1-1991 की बैठक में हुई चर्चानुसार राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण सत्र तकनीकी कक्ष में दिनांक 6, 7 व 8 मई, 1991 को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी, कम्प्यूटर पर देवनागरी लिपि में कार्य करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी उनका वास्तविक प्रयोग, देवनागरी लिपि में प्रोग्राम की जानकारी तथा इस प्रकार उन्हें अपने-अपने कार्यालयों में कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के बारे में स्वयं जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम करना है।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री ओम प्रकाश वर्मा, निदेशक, दूरसंचार मंत्रालय
2. श्री शिव कुमार मदान, उप निदेशक, व्यय विभाग,
3. श्री वेदप्रकाश चोपड़ा, उप निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग
4. श्री जतिन लाल सूद, उप निदेशक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
5. श्री प्रेम किशन गोरावर, उप निदेशक, श्रम मंत्रालय

श्रद्धांजलि

हिंदी सेवी वरिष्ठ साहित्यकार डॉ० प्रभाकर माचवे

इंदोर से प्रकाशित दैनिक "चौथा संसार" के सम्पादक एवं भारतीय भाषाओं के ज्ञाता और प्रबल समर्थक डॉ० प्रभाकर माचवे का दिनांक 17 जून 1991 को देहावासान हो गया।

राजभाषा भारती परिवार की ओर से माचवे जी की पुण्यस्मृति को हार्दिक नमन।

—गु ब

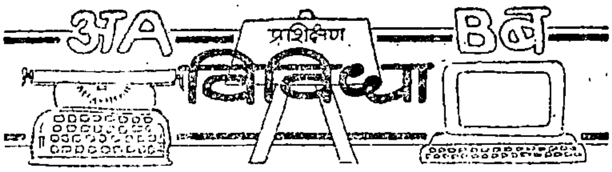

भारत सरकार

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्रवेश सूचना

दिनांक 2 मई, 1991

विषय :—पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी टाइप लेखन का प्रशिक्षण-दूसरा सत्र।

भारत सरकार के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और उसके उपक्रमों/निगमों आदि के सभी अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों के लिए सेवाकालीन हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण अनिवार्य है। दूरदराज के स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी टाइपलेखन का प्रशिक्षण समाचार पाठ्यक्रम द्वारा देने के लिए दूसरा सत्र केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 01 अगस्त, 1991 से प्रारम्भ किया जा रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह की होगी।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस पाठ्यक्रम के ब्योरों के बारे में अपने-अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सभी उपक्रमों, निगमों, उद्यमों, निकायों और अभिकरणों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराएं। पाठ्यक्रम के 01 अगस्त, 1991 से प्रारम्भ होने वाले दूसरे सत्र में प्रवेश के लिए पात्र कर्मचारियों के नाम व आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों/विभागों के प्रशासनिक कार्यालय निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर यथाशीघ्र दिनांक 15 जून, 1991 तक, उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम-हिन्दी टाइपलेखन), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 को भेज दें।

बी.बी.सी. के हिंदी श्रोता

37 भाषाओं में रेडियो प्रसार करने वाली दुनिया में सबसे बड़ी संस्था बी.बी.सी. के साढ़े बारह करोड़ श्रोताओं में सबसे ज्यादा हिन्दी भाषी श्रोता हैं, यह विवरण नई दिल्ली में आयोजित बी.बी.सी. हिन्दी श्रोता सभा में हिन्दी और तमिल कार्यक्रमों के संचालक कैलाश बुधवार ने दिया।

हिन्दी के विरुद्ध याचिका खारिज

हिंदी विरोधी एवं पेशे से वकील श्री एम. एन. रामचंद्रन की याचिका मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। श्री रामचंद्रन ने याचिका में कहा था कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत हिन्दी प्रादेशिक भाषा है;–राष्ट्रीय भाषा नहीं जैसा कि संविधान में कहा है। "खड़ी बोली" हिन्दी, दिल्ली और आसपास के इलाकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सरकार ने देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाओं में से इसे चुना था लेकिन सरकार इसे पूरे देश में विकसित नहीं कर पाई। अतः राजभाषा अधिनियम, 1963 में संविधान के तहत दिए गये मूल अधिकारों का हनन होता है। संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद में काफी सुविधाएं दी गयी हैं। न्यायमूर्ति मोहन ने इन सभी तर्कों को नामंजूर करते हुए हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति ने हिन्दी भाषा को प्रादेशिक भाषा नहीं माना है, ऐतिहासिक कारणों और संवैधानिक प्रावधानों के कारण अंग्रेजी अभी बनी हुई है। परन्तु हिन्दी का अपना अलग स्थान है। यह भारत की सरकारी राजभाषा है और संविधान में कहा है कि हिन्दी को धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान लेना है। अंग्रेजी की रिट खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 16 और 21 को बढ़ावा देने में उल्लंघन नहीं होता है।

राजधानी दिल्ली में हिन्दी समाचार पत्र अधिक लोकप्रिय

देश के प्रमुख प्रकाशकों और विज्ञापन एजेन्सियों की पहल पर इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो और मीडिया रिसर्च ने राजधानी के समाचार पत्रों के पाठकों का चौथा राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण हाल ही में कराया था। उसके आधार पर "भाषा" नाम की प्रसिद्ध समाचार एजेन्सी ने जो समाचार जारी किया है उसके अनुसार राजधानी से प्रकाशित हिन्दी, दैनिक अखबार लोकप्रियता में अंग्रेजी समाचार पत्रों की तुलना में काफी अधिक आगे है। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 7 वर्षों में हिन्दी दैनिकों के पाठकों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अंग्रेजी समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या लगभग वहीं खड़ी है जहां 6–7 वर्ष पहले थी। किन्तु हिन्दी दैनिकों के पाठकों की संख्या 18 लाख 64 हजार तक पहुंच गई है।

हिन्दी के समाचार-पत्रों में "नवभारत टाइम्स", "सांध्य टाइम्स", "हिन्दुस्तान", "जनसत्ता" तथा "पंजाब केसरी" की पाठक संख्या सम्मिलित है। प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों की पाठक संख्या केवल 10 लाख 63 हजार ही है। अकेले "नवभारत टाइम्स" को प्रति दिन 11 लाख 3 हजार पाठक पढ़ते हैं जबकि अंग्रेजी के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की पाठक संख्या मात्र 5 लाख 39 हजार है। हिन्दी दैनिकों में दूसरा स्थान "पंजाब केसरी" का है जिसकी पाठक संख्या 6 लाख 17 हजार है।

इन तथ्यों से यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि राजधानी के बुद्धिजीवियों में अंग्रेजी अधिक लोकप्रिय है।

सौजन्य : श्री जगन्नाथ, के. स. हि. प.

क्रिकेट अब हिन्दी में भी

प्रायः यह समझा जाता है कि क्रिकेट का जन्म लगभग 1300 ई. में हुआ। किन्तु गान्धार (पेशावर के निकट, जो पाकिस्तान में है) में खुदाई से निकली एक पीतल की प्लेट के अनुसार, जिस पर एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की आकृतियां बनी हुई है, क्रिकेट लगभग 2500 वर्ष पूर्व खेली जाती थी। यह मान्यता प्रसिद्ध खेल लेखक विकास लूथरा ने अपनी हिंदी पुस्तक "क्रिकेट प्रश्नावली (क्वीज)" में प्रतिपादित की है। हिन्दी की इस पुस्तक में लगभग 2000 प्रश्नोत्तर तथा क्रिकेट खेल के विषय में अत्यन्त विस्तृत जानकारी दी गई है।

गुजरात रिफाइनरी द्वारा हिंदी कवयित्री सम्मानित

गुजरात की हिंदी कवयित्री सुश्री मधुबेन चौकसी को गुजरात रिफाइनरी, बड़ोदरा द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान की रस्म गुजरात रिफाइनरी की उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमती कृष्णा चौधरी ने सुश्री चौकसी को शॉल एवं स्मृति उपहार भेंट करके पूरी की। ज्ञात है कि सुश्री चौकसी 14 वर्ष की अल्पायु से ही विकलांगता की स्थिति में जी रही हैं। उनका छायावादी गीति संकलन "भाव निर्झर" एक अनुपम कृति है। उन्होंने ब्रज भाषा के छंद, सवैया और काव्य को लेकर एक खण्ड काव्य "सुजान की पाती" भी लिखा है।

खनन भारती का उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन

डॉ. आम्बेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिनिधि हिन्दी पत्रिका 'खनन भारती' के डॉ. आम्बेडकर विशेषांक का विमोचन महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के कर-कमलों द्वारा उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

में हुआ। इस अवसर पर डॉ. शर्मा ने कहा कि ऊर्जा की स्रोत कोल इंडिया लिमिटेड ने ऊर्जा पुरुष डॉ. आम्बेडकर पर शानदार कृति निकालकर सराहनीय कार्य किया है। डॉ. शर्मा ने आगे कहा कि डॉ. आम्बेडकर समता व न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध उन्होंने अनवरत संघर्ष हेतु समाज को नई दिशा दी है। ज्ञात रहे खनन भारती के डॉ. आम्बेडकर विशेषांक में बाबा साहब पर केन्द्रित लगभग 385 दुर्लभ चित्र व रेखाचित्रों के साथ आम्बेडकर के व्यक्तित्व पर लेख, निबंध, कविता, जीवन प्रसंग, संस्मरण आदि प्रकाशित किए गए हैं।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग के सचिव श्री रमेशचन्द्र जैन, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक श्री सत्यप्रकाश वर्मा, वेस्टर्न कोल फील्ड के निदेशक कार्मिक श्री गौतमराज भंडारी, खनन भारती के संपादक श्री राजेन्द्र पटोरिया, उप कार्मिक प्रबंधक, बाबा रॉक, कोल इंडिया के सर्वश्री एस. पी. अरोरा, दिलीप कपूर आदि उपस्थित थे।

हैदराबाद में बहुभाषी कवि सम्मेलन

भारत डायनमिक्स लि० हैदराबाद में दिनांक 8-9-90 एक विशाल "बहुभाषी कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया जिसमें आन्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कवि श्री गुण्टूरि शेषेन्द्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। उपक्रम के तकनीकी निदेशक कमाडोर एस. राव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री एस. वेंकटेश्वर राव, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष तथा कविगण का मंच पर आह्वान किया। और श्री एन. वी. राम आनन्द, उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने उन्हें पुष्पहार पहनाये। इस बहुभाषी कवि सम्मेलन में बी. डी. एल. तथा नगरद्वय के कवियों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं।

मुख्य अतिथि श्री गुण्टूरि शेषेन्द्र शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि "इतनी वैविध्यपूर्ण कविताओं से युक्त काव्य-गोष्ठी के इस वातावरण में गद्य भाषण की अपेक्षा कविता के माध्यम से ही मैं अपनी बात कहूं यह समयोचित होगा।" कवि सम्मेलन का संयोजन उद्यम के राजभाषा अधिकारी श्री नरहर देव ने किया।

हिंदी प्रकाशनों की प्रदर्शनी

कलकत्ता में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर दिनांक 11 जनवरी, 1991 को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा हिंदी प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री विमल मित्र के अतिरिक्त सम्मेलन में पधारे। सभी महानुभावों ने इस प्रदर्शनी की सराहना की।

हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए आकाशवाणी, अहमदाबाद सम्मानित

दिनांक 27-11-90 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद ने केन्द्रीय सरकार के उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1990 का प्रथम पुरस्कार आकाशवाणी, अहमदाबाद को प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति की अध्यक्षता राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशक (अनुसंधान) डा. महेश चन्द्र गुप्त ने की। केन्द्र की इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए केन्द्र के हिंदी अधिकारी श्री हेमेन्द्र शर्मा और उनका अनुभाग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने न केवल हिंदी में उत्तरोत्तर कार्य के लिए स्वयं विशेष प्रयास किए बल्कि केन्द्र के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा दी।

आयुध निर्माणी कानपुर में पत्रिका विमोचन

आयुध निर्माणी कानपुर में हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 से 21 सितम्बर, 90 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया एवं विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह की अध्यक्षता निर्माणी के महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्र राममूर्ति ने की और मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन केन्द्र के अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित हिन्दी-साहित्यकार श्री गिरिराज किशोर ने हिन्दी के प्रयोग पर विशेष बल दिया।

महाप्रबंधक श्री रामचन्द्र राममूर्ति ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में प्रकाशित राजभाषा-पत्रिका "श्रावन्ती" के तृतीय अंक का विमोचन भी किया और प्रतियोगियों को नकद-पुरस्कार प्रदान किया।

हिन्दी कार्यशाला सहायिका का लोकार्पण

गुजरात रिफाइनरी, हिन्दी अनुभाग द्वारा हिन्दी कार्यशाला से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर लिखी गई पुस्तक "कार्यशाला सहायिका" का गुजरात रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक ने एक सादे समारोह में लोकार्पण किया पुस्तक के लेखक वरि. हिन्दी अधिकारी डा. माणिक मृगेश हैं। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक श्री चौधरी ने आशा व्यक्त की कि पुस्तिका न केवल कार्यशालाओं के प्रतिभागियों के लिए बल्कि व्याख्याताओं के लिए उपयोगी रहेगी। इस पुस्तक में सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें पन्द्रह भाषाओं की लिपि का देवनागरी लिपि के साथ तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

श्री पी. के. सिंहसन आकाशवाणी केन्द्र, गुवाहाटी के निदेशक हैं। वे इतिहास विषय में एम.ए. हैं। कुछ समय पूर्व इनसे हुई भेंट के दौरान उन्होंने पूर्वांचल में हिन्दी की स्थिति के बारे में कुछेक महत्त्वपूर्ण तथ्य बताए, जोकि 'राजभाषा भारती' के पाठकों को अवश्य ही रुचिकर लगेंगे।

श्री सिंहसन ने बताया कि उनकी मातृभाषा मिजो है और यह रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है किंतु उन्हें हिन्दी से विशेष लगाव है। जब उनसे पूछा गया कि हिन्दी की शिक्षा किस स्तर तक उन्होंने ग्रहण की है तो उन्होंनें स्पष्ट किया कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान किसी विद्यालय से ग्रहण नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों से ही हिन्दी सीखी है और अब वे बातचीत तथा दस्तखत आदि हिन्दी में सुविधा से कर लेते हैं।

"हम लोगों को मालूम हो गया है कि राष्ट्रीय धारा में मिलकर चलने के लिए हिन्दी सीखे बिना काम नहीं चलेगा।"

—पी. के. सिंहसन

हिन्दी सीखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली—मेरे प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि जिन दिनों दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक का प्रसारण हो रहा था तो वे बीच-बीच में अपने बच्चों से पूछते थे कि अमुक पात्र क्या कर रहा है? तो बच्चे झट से जवाब देते थे कि पापा! यह प्रश्न हमसे बाद में करना, अब हमें रामायण देखने दीजिए। मेरे पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि "उनका बच्चा लोग तो पक्का हिन्दी बोलता है, इसलिए वे अपने बच्चों से ही हिन्दी पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं।"

जब मैंने श्री सिंहसन से यह पूछा कि आपने पहले हिंदी क्यों नहीं पढ़ी तो उन्होंने बताया कि हम बस्ती के रहने वाले हैं। हमारे यहां ईसाई धर्म का अधिक प्रचार-प्रसार होता रहा है और **हमें यह बताया जाता था कि हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट भूत-प्रेत का रूप है। हिंदी पढ़ने से हिंदू बन जाएगा, इसलिए हमारे यहां ऐसे भ्रामक प्रचार के कारण लोग हिंदी सीखने से कतराते रहे हैं, किंतु अब स्थिति एकदम बदल गई है। हम लोगों को मालूम हो गया है कि राष्ट्रीय धारा में मिलकर चलने के लिए हिंदी सीखे बिना काम नहीं चलेगा।"**

यही कारण है कि पिछले एक-दो दशक से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रचारक मिजोरम के विभिन्न कस्बों, गांवों में हिंदी कक्षाएं ले रहे हैं और अब मिज़ोवासी चाव से हिंदी सीख रहे हैं। श्री सिंहसन ने बताया कि जब-तब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वे अपने सगे-सम्बन्धियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।

☐ प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज

प्रेरणा-पुंज

पूर्वांचल की हाट बाजार की भाषा हिंदी

शिलांग में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में मंच से एक मिजोभाषी महिला फर्राटे से हिंदी बोल रही थी। उसके हिंदी के शुद्ध उच्चारण और धारा-प्रवाह भाषण ने मुझे बांध लिया। मैंने उस विदुषी (डॉ. सी. ई. जीनी) को अपना परिचय दिया तो वे 'राजभाषा भारती' के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गई।

श्रीमती जीनी सन् 1987 से केन्द्रीय हिंदी संस्थान, शिलांग में रीडर एवं प्रभारी हैं। विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एम. ए. और "पूर्वांचल में हिंदी भाषा का साहित्य" विषय पर पीएच. डी. हैं। वर्तमान नियुक्ति से पूर्व वे पांच वर्ष तक मिज़ोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज में प्राध्यापिका थीं।

डॉ. जीनी ने बताया कि उनकी मातृभाषा तो मिजो है और बी. ए. तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा है। किंतु हिंदी के प्रति बचपन से ही उनका विशेष लगाव रहा है। हिंदी के इतने शुद्ध उच्चारण के बारे में उन्होंने बताया कि उनके पिता सरकारी सेवा में थे, अतः बम्बई, लखनऊ आदि में शिक्षा-दीक्षा होने के कारण उन्हें हिंदी में बातचीत करने का पर्याप्त अभ्यास हो गया है।

केन्द्रीय हिंदी संस्थान शिलांग में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए नवीनीकरण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस तरह केन्द्र प्रभारी होने के नाते डॉ. जीनी पूर्वांचल में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने बताया कि ईसाइयत के प्रभाव के कारण आजादी से पहले मिजोरम, नागालैंड आदि में लोग हिंदी कम सीखते थे, किन्तु आजादी के बाद धीरे-धीरे लोग हिंदी की ओर आकर्षित हुए हैं। अब तो पूर्वांचल की हाट बाजार की भाषा हिंदी बन गई है। हिंदी के बारे में विभिन्न प्रकार के विषैले प्रचार का प्रभाव समाप्त हो रहा है और लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए हिंदी पढ़ने को उत्सुक हैं।

श्रीमती जीनी ने दुःख के साथ कहा कि पूर्वांचल में लोग हिंदी सीखने से वंचित रहे हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं बल्कि यह पूर्वांचलवासियों का दुर्भाग्य था। अब मिज़ोरम और नागालैंड के दूर-दराज के इलाकों के कम पढ़े-लिखे लोग भी अपने सार्वजनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की भाषा तो हिंदी ही है। डॉ. जीनी महसूस करती हैं कि पूर्वांचल में हिंदी के लिए हिंदीभाषी प्रदेशों वाला वातावरण नहीं है। **उनका केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों खासतौर से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से जुड़े लोगों से आग्रह है कि वे पूर्वांचल प्रदेशों के निवासियों को हिंदी सिखाएं।**

प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज ☐

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 24-4-91 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/3/91 रा. भा. (ख-I)

विषय :—हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए "इन्दिरा गांधी पुरस्कार" (वर्ष 1990-91)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/2/85-रा. भा. (क-2) दिनांक 30 जुलाई, 1986 [आदेशों का संकलन पृ. 95/96] के द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इन्दिरा गान्धी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों/बैंकों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भाग लेने के पात्र हैं। वे सेवा निवृत्त कर्मचारी भी पात्र समझे जाएंगे जो 1990-91 में सेवा निवृत्त हुए हैं। उक्त वर्ष के लिए कर्मचारियों द्वारा विचारार्थ भेजी जाने वाली पुस्तकें उनके द्वारा किए जा रहे सरकारी काम से संबंधित होनी चाहिए तथा उनकी रचना/प्रकाशन अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के बीच का होना चाहिए। संबंधित कर्मचारी के विभाग द्वारा ऐसी कृतियों की विधिवत् सिफारिश भी होनी चाहिए। सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :—

(1) पुस्तक एक मौलिक रचना होनी चाहिए।

(2) पुस्तकें 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1991 के बीच में लिखी हुई अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए।

(3) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रम, बैंक आदि के अधिकारी/कर्मचारी ही होने चाहिए।

(4) पुस्तक का विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित होना चाहिए।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से केवल दो प्रविष्टियां संलग्न प्रोफार्मा में इस विभाग को भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियां भेजी जाएं। सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों, बैंकों के कर्मचारियों तथा उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, जो मार्च, 1990 में या उसके बाद वर्ष 1990-91 में सेवा निवृत्त हुए हैं, प्रविष्टियां भी संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।

4. इस योजना के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :—

1. प्रथम पुरस्कार रु. 10,000
2. द्वितीय पुरस्कार रु. 8,000
3. तृतीय पुरस्कार रु. 5,000

पुरस्कारों का निर्णय एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।

5. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचारित कर दें। प्रविष्टियों को इस विभाग में भेजने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 1991 रखी गई है।

□

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय

हिन्दी में लिखित विधि (कानून) की पुस्तकों को पुरस्कार

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी में लिखी गई विधि की उत्कृष्ट पुस्तकों पर उनके लेखकों को पुरस्कार दिये जाते हैं। इन पुस्तकों पर एक लाख लाख रुपये तक विभिन्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। वर्ष 1991 की प्रतियोगिता के लिए 1990 में लिखी गई पाण्डुलिपियां या प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं जो 31 मई, 1991 तक स्वीकार की जाएंगी। पूर्ण और विहित प्रवेश-पत्र के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर लिखें :—

सहायक संपादक (पुरस्कार एकक) विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग), विधि और न्याय मंत्रालय, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

प्रशिक्षण/भर्ती परीक्षाएं और हिंदी

पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के प्रोफेशनल कोर्सों की प्रवेश परीक्षा हिन्दी में

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत समिति पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली ने अपने 21-3-93 के पत्र संख्या 5-40/90 आर. सी.-95 के द्वारा संयोजक, राजभाषा कार्य को सूचित किया है कि इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में वस्तु-निष्ठ प्रकार का होगा, जिसका उत्तर केवल कांटा लगाकर दिया जा सकेगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश में हिन्दी माध्यम।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिन्दी व्यवहार संगठन के महामंत्री को सूचित किया है कि उस मंत्रालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान करने का निश्चय किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की सत्र 1992 की प्रवेश परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम के विकल्प प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है।

सहायक कमांडेन्ट आदि—परीक्षा में हिन्दी माध्यम

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली ने अपने 7-12-90 के पत्र सं. 15/16/एसी/90–भर्ती सीसुबल/76 द्वारा सूचित किया है कि सहायक कमांडेंट उप पुलिस महानिरीक्षक, कम्पनी कमाण्डर आदि पदों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा में हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाया जा सकता है।

रेलवे में प्रोबेशनरी सहायकों की परीक्षा में हिन्दी

रेलवे भर्ती बोर्ड, मण्डल कार्यालय, क्षेत्र बम्बई सेन्ट्रल ने अपने 29-11-90 के पत्र सं. रे.भ.बो./85–90/जी.ई. हिंदी (नीति) द्वारा सूचित किया गया है कि रेलवे में प्रोबेशनरी सहायकों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जिसमें प्रश्नपत्र वस्तु-परक प्रकार के हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपेंगे। साक्षात्कार में भी हिन्दी का विकल्प रहेगा।

नौ सेना में भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र हिन्दी में भी होंगे

नौ सेना मुख्यालय के 7 सितम्बर, 1990 के पत्र संख्या ओ.एफ./0821/हिन्दी के अधीन सूचित किया गया है कि भारतीय नौ सेना की विभिन्न सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापे जाते हैं और परीक्षार्थी अपने उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं।

कम्पनी सचिव परीक्षा का माध्यम भी हिन्दी

नई दिल्ली, 27 नवंबर (वार्ता) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेट्रीज की सभी परीक्षाओं में हिंदी को वैकल्पिक भाषा बना दिया गया है। इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 1990 से होने वाली सभी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम चुना जा सकेगा। परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने की दिशा में कंपनी ला एंड प्रैक्टिस के हिंदी अनुवाद का काम शुरू हो चुका है।

"सेल" की प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों (प्रशासन) की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

संयोजक, राजभाषा कार्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से अनुरोध किया था कि वे प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों (प्रशासन) की अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली लिखित परीक्षा में हिन्दी माध्यम से उत्तर देने का विकल्प दें। अब इस कम्पनी ने अपने 26-7-90 के पत्र संख्या का./07/90—हिन्दी द्वारा आगामी परीक्षा में हिन्दी का विकल्प दिए जाने की बात मान ली है।

(क) वित्त एवं लेखा अधिकारियों तथा (ख) प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा में हिन्दी का विकल्प

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के दि. 11 अगस्त, 1990 के "रोजगार समाचार" में छपे विज्ञापन के अनुसार उक्त मण्डल द्वारा (क) वित्त एवं लेखा अधिकारियों तथा (ख) प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो परीक्षा ली जाएगी उसमें 1000 अंकों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से भी दिए जाने का विकल्प होगा और प्रश्न पत्र हिन्दी में भी छपेंगे।

उक्त मण्डल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि मंत्रालय का अंग है।

पुस्तक समीक्षा

राजभाषा हिंदी—संघर्षों के बीच

लेखक—हरिबाबू कंसल

प्रकाशक—सुधांशु बन्धु
ई-9/12, बसंत विहार,
नई दिल्ली-110057

मूल्य—रु. 80- पृष्ठ 336

भारत के संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। सरकारी कार्यों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह जारी रखा जाना एक संक्रमण कालीन व्यवस्था के रूप में ही संविधान में रखा गया था। विडम्बना की स्थिति यह है कि आजादी की अर्धशती पूरी होने को आ रही है और इस संक्रमण कालीन व्यवस्था की समाप्ति का कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है। क्या इसका कारण इस बारे में संघ के सरकारी प्रयत्नों में कमी है? अथवा क्या यह इस कार्य के अन्तर्गत लगे अधिकारियों की पराधीन मानसिकता का परिणाम है? अथवा क्या यह सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का द्योतक है? ये सभी सवाल आज हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं और वर्तमान भविष्य के आगे जवाबदेह है कि ऐसा क्या कारण है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद संविधान प्रदत्त व्यवस्था को लागू करने में कई पीढ़ियां गुज़र जायें। हमीं हैं कातिल, हमीं हैं मकतूल और हमीं हैं फरियादी —यह कथन इस स्थिति में सरकारी तन्त्र की भूमिका पर सटीक बैठता है। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसका निदान किस प्रकार संभव है, इस सब का विवेचन करने के लिए लेखक श्री हरि बाबू कंसल से उपयुक्त व्यक्ति शायद ही कोई हो। श्री कंसल भारत सरकार में वर्ष 1941 से 1979 तक कार्यरत रहे। सेवा-निवृत्ति के समय श्री कंसल राजभाषा विभाग में उपसचिव पद पर कार्यरत थे। इस काल में अधिकतर समय श्री कंसल ने राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने का ही प्रत्यन किया और इस सिलसिले में वे स्वदेश व विदेश में अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे।

प्रस्तुत पुस्तक में राजभाषा संबंधी संवैधानिक व सरकारी प्रावधानों की पृष्ठभूमि तथा व्यवस्था संबंधी तथ्यों को कानूनी, व्यावहारिक व सम्भावित दिशा के दृष्टिकोण से विवेचित करने का यत्न किया है। स्वयं श्री कंसल इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि "मैं न निराशावादी हूं और न अतिआशावादी। मैं व्यवहारवादी हूं।·····कई बार स्थिति में विरोधाभास दिखाई पड़ेगा, कहीं आशा की किरण नज़र आएगी और कहीं निराशा दिखाई पड़ेगी, कहीं अवरोध मिलेंगे तो कहीं संतोषजनक प्रगति भी" वास्तव में राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के सिलसिले में अपने खट्टे-मीठे अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में, श्री कंसल विषय के साथ पूर्ण न्याय कर पाए हैं तथा उन्होंने हिन्दी से संबंधित तथ्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत किया है। वे इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं।

प्रस्तुत कृति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष इसका द्वितोय अध्याय है जिसमें श्री कंसल ने संविधान सभा द्वारा राजभाषा संबंधी निर्णय की पृष्ठभूमि देने का यत्न किया हैं। इससे अनेक "क्यों व क्या" के प्रश्नों व शंकाओं का समाधान होता है। दूसरी ओर श्री कंसल के व्यावहारिक कार्य कौशल व दूरदृष्टि का परिचय इसके तोस से तैंतीसवें अध्यायों में मिलता है। आमतौर पर उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए व्यक्तियों में अपने कार्यकलापों की दुन्दुभि बजाने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है और इस प्रकार के आत्मकथ्य भविष्य के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। श्री कंसल इसके अपवाद हैं। उन्होंने राजभाषा नीति से वर्षों जुड़े रहने के बावजूद पुस्तक में सिर्फ अपने अनुभवों व प्रज्ञाजन्य विश्लेषण को ही समायोजित किया है और अपनी भूमिका को गौण रूप से वर्णित किया है। यह दूसरी बात है कि एक विवेकशील पाठक पुस्तक के पठन मात्र से राज-भाषा नीति के कार्यान्वियन में श्री कंसल के महत योगदान से भलीभांति परिचित हो जाता है।

पुस्तक की साज-सज्जा अच्छी है। भाषा सर्वसुलभ है। यह पुस्तक स्वातंत्रयोत्तर भारत में राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के सिलसिले में किए गए प्रयासों के बारे में जिज्ञासु के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ की भूमिका अदा करेगी।

—श्रीमती माला प्रकाश
जे-68, साकेत, नई दिल्ली

कार्यालयीन हिन्दी

लेखक : डा. केशरी लाल वर्मा,

प्रकाशक : ग्रोम प्रकाशन,

टूरी हटरी, रायपुर,

पृष्ठ 254, मूल्य : एक सौ पचास रुपए

प्रसन्नता का विषय है कि राजभाषा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता और आवश्यकता के परिणाम-स्वरूप कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली हिन्दी, हिन्दी में किए जाने वाले अनुवाद तथा पारिभाषिक शब्दावली आदि के संबंध में इधर विश्वविद्यालयों में भी शोध होने लगा है। देखना यह है कि इस प्रकार के शोध ग्रंथ हिन्दी के कार्यालयीन स्वरूप को संवारने और रेखांकित करने में किस सीमा तक सहायक हो सकते हैं?

शोधकर्ता डॉ. वर्मा ने कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली या अपेक्षित भाषा के प्रसंगों पर विचार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों, यथा विश्वविद्यालय, आकाशवाणी, विक्रय, आयकर, सहकारिता आदि से संबंधित क्षेत्रों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति पर विचार किया है। परन्तु विषय की व्यापकता और विशाल प्रयोगकर्ता-वर्ग की विविधता को देखते हुए शोधकर्ता के मानस में उसकी सम्पूर्ण और स्पष्ट अवधारणा का अभाव परिलक्षित होता है। सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से बहुत-सा कच्चा माल बाज़ार में मौजूद होने के बावजूद सुगढ़, स्पष्ट, सुनियोजित प्रयोग कौशल के अभाव के कारण कार्यालयीन हिन्दी संपूर्ण देश के लिए एक अजूबा बनाकर रख दी गई है, हालांकि ऐसा है नहीं। कार्यालयीन हिन्दी एक ओर तो संस्कृतनिष्ठ हिन्दी है, मगर दूसरी ओर सरल, सहज भाषा—जिसमें अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को देवनागरी में लिखने की सुविधा प्राप्त है—भी कार्यालयीन हिन्दी के अन्तर्गत ही आती है। शोधकर्ता ने इस पुस्तक में उस हिन्दी का उल्लेख नहीं किया है।

हालांकि डा. केशरी लाल वर्मा ने अपने शोध ग्रंथ को संपूर्ण करने में काफी परिश्रम किया, मगर वे और उनके शोध निर्देशक ने "केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय" संस्था की खोज कहां और कैसे की, यह जानना-समझना हमारे वश की बात नहीं है। शायद केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् (पृष्ठ 75) नाम की संस्था को उन्होंने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और शब्दावली आयोग के समकक्ष मान लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग-अलग संस्थाएं नहीं है और उनके द्वारा शब्दावली का निर्माण अलग-अलग नहीं किया गया है। खैर।

डा. वर्मा द्वारा प्रस्तुत उक्त शोधग्रंथ को देखने से कार्यालयीन हिन्दी जैसे विषय की व्यापकता का बोध निश्चय ही हो जाता है और इसी व्यापकता के कारण कई प्रकार की भूलें एवं गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। मगर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कतिपय भूलों के बावजूद इस ग्रंथ में शोधकर्ता का परिश्रम और भाषा वैज्ञानिक ज्ञान स्पष्ट दिखाई देता है।

भविष्य में इस प्रकार के प्रयत्नों से हम कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी को ज्यादा गहराई से समझने लगेंगे क्योंकि तब उसका सुचारु प्रयोग शोधकर्ताओं का मार्ग निर्देशन करने में सार्थक भूमिका निभायेगा।

—डा. शेरजंग गर्ग

जी. 261-ए, सेक्टर-22 नौएडा-201301

□

द्वीप दर्पण

लेखक : आनन्द वल्लभ शर्मा 'सरोज'

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य-कला परिषद्

पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान-निकोबार)

मूल्य रु. 10/-

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-पुंज जिसे आजादी से पहले 'काला पानी' की क्रूर संज्ञा अंग्रेजों ने दी। इस निर्जन प्रदेश के सघन और भयावह वन-प्रान्त में सर्वप्रथम देश के शातिर अपराधियों और कातिलों को जंगली जानवरों की भांति लाकर छोड़ दिया गया। भारत-माता की दासता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे स्वाधीनता-सेनानी और देश भक्त कैदी के रूप में यहां लाए गए और इन्हें पीड़ित करने के लिए ओछे हथकण्डे अपनाए जाते रहे हैं।

अण्डमान द्वीप को बस्ती गृह बनाने के लिए हजारों भारत-वासियों को सारा जीवन समर्पित करना पड़ा। हजारों भारतवासी समुद्र में डूब मरे, वहां के आदिवासियों के आंतक का शिकार बने, अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण पंगु बने। एक दर्दनाक कहानी है।

इसी वन्य प्रदेश के बारे में प्रस्तुत कथा-काव्य पुस्तक में श्री आनन्द वल्लभ शर्मा 'सरोज' द्वारा लिखित यहां की गौरव-गाथा को काव्येतर रूप में समग्र इतिहास की प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में समेट कर पद्य-बद्ध किए जाने का हिंदी जगत में यह प्रथम प्रयास है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को उभारा है। इसकी भाषा भी सहज-सरल है। घटना क्रम को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वर्ष का उल्लेख भी किया गया है।

—शांति कुमार स्याल

ई-43, सेक्टर-15, नौएडा-201301

भारतीय अंक पद्धति की कहानी

लेखक : गुणाकर मुले

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन,
1-बी, नेता जी सुभाष मार्ग,
नई दिल्ली-110002

पृष्ठ : –106 मूल्य : :रु. 45

आज विश्व में जो अंक पद्धति लगभग सभी जगह इस्तेमाल हो रही है वह भारतीय अंक पद्धति के ही अलग-अलग रूप हैं। स्वयं भारतीय भाषाओं में भी ये "हिन्दसे" या अंक अपने अलग-अलग स्वरूपों में देखे जाते हैं। भले ही कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न हो, शून्य पर आधारित तथा एक से नौ तक के अंकों में सीमाबद्ध यह पद्धति उस संख्या को बखूबी प्रदर्शित कर सकती है।

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ज्ञान विज्ञान पुस्तक माला के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है। भारतीय अंक पद्धति कैसे अस्तित्व में आई तथा आज अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने से पहले किन-किन रास्तों से गुजरी—यह एक अत्यंत गूढ़ परन्तु रुचिकर विषय है। प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय अंक पद्धति की इसी लम्बी यात्रा को वर्णित करने का एक सफल प्रयास किया गया है। किसी वैज्ञानिक विषय के क्रमिक विकास को कालक्रम की सीमाओं में बांध कर लिपिबद्ध करना एक कठिन कार्य अवश्य है परन्तु यह भी एक वास्तविकता है कि विकास क्रम की पहचान के बिना कुछ लक्ष्यों की पृष्ठभमि समझना व समझाना एक दुष्कर कार्य है। इस पुस्तक में श्री मुले यह कार्य बखूबी कर पाए हैं। एक छोटी सी पुस्तक में इतने अधिक तथ्यों का रुचिकर विवेचन इस पुस्तक का एक प्रशंसनीय पक्ष है।

पुस्तक को पांच भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में विदेशों की प्राचीन सभ्यताओं की अंक पद्धतियों की पृष्ठभूमि देकर दूसरे भाग में प्राचीन भारतीय अंक पद्धतियों का विवेचन किया गया है। तीसरे भाग में नई अंक पद्धति का तथ्यपरक वर्णन किया गया है। चौथे व पांचवें भाग में भारतीय अंक पद्धति का अरब देशों में तथा यूरोप में प्रचलित अंक पद्धति पर प्रभाव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया है। कुल मिलाकर भारतीय अंक पद्धति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी इस छोटी सी पुस्तक में मिलती है।

अपने आकार और साज-सज्जा की दृष्टि से यह पुस्तक अच्छी बन पड़ी है तथा पाठक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने की क्षमता रखती है।

—श्रीमती माला प्रकाश,
जे—68 साकेत, नई दिल्ली-110017

राजभाषा कोश-द्वितीय भाग

(मुहावरा एवं कहावत कोश)

लेखक–डा. नरेश कुमार

मूल्य– रुपये 120/– पृष्ठ –352

प्रकाशक–इण्डो-विजन प्रा. लि.; गाजियाबाद

प्रायः सभी विषयों के कोश अब हिंदी में उपलब्ध हैं परन्तु मुहावरा एवं कहावत कोश बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे कोशों में अनेक कमियां मिलती हैं जैसे मुहावरों/कहावतों का अर्थ केवल अंग्रेजी में, अर्थ का वाक्यों में प्रयोग न दिखाया जाना, वर्णानुक्रम का न होना आदि जिसके कारण विद्यार्थियों, अध्यापकों, शोध-छात्रों, अनुवादकों, साहित्यकारों आदि को कठिनाई होती है और ऐसे में अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से राजभाषा कोश तथा अन्य विषयों के कोशों के निर्माण में डॉ. नरेश कुमार योगदान कर रहे हैं। उनके प्रयासों और अनुभव के फलस्वरूप ही उपर्युक्त कोश सामने आया है। हालांकि इसे राजभाषा कोश कहना तर्कसंगत नहीं होगा फिर भी उनका यह कोश राजभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार-प्रसार में लगे कर्मियों के लिए सहायक हो सकता है।

उपर्युक्त कोश में लेखक ने वर्णानुक्रम में अंग्रेजी से हिन्दी में मुहावरों एवं कहावतों के अर्थ और कहीं-कहीं पर उनके अंग्रेजी में सरलार्थ भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त कोश में अंग्रेजी मुहावरों एवं कहावतों के हिन्दी पर्याय भी हैं।

यदि कोश में मुहावरों एवं कहावतों को अलग-अलग देकर वाक्य प्रयोग भी दिया होता तो अर्थ और इनमें अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाता।

यह कोश संभवतः राजभाषा तथा हिन्दी साहित्य से जुड़े सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

कंवर सिंह,
बी-13 और 14 विश्वास पार्क,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

आदेश-अनुदेश

राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय), का दिनांक 25 अप्रैल, 1991 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/6/91-रा.भा.(घ)

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तैनात करने के बारे में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/46/89-रा.भा. (घ) दिनांक 20 जून, 1989 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को कुछ समय के लिए हिन्दी भाषी जगहों पर तैनात करने हेतु गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 31-3-1989 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये सुझाव की व्यवहारिकता पर विचार कर निर्णय लें तथा जहां तक संभव हो अपने संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रशिक्षण के उपरांत स्थानान्तरित करने के आवश्यक निदेश जारी करें।

2. अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रशिक्षण के उपरांत स्थानान्तरित करने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सुविधाएं जैसे स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता मंजूरी तथा आवासीय सुविधा आदि प्रदान की जाएं।

3. कृपया इस संबंध में अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को उचित निदेश दें।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 25-4-91 का कार्यालय ज्ञापन सं. 9/5/90-रा.पा. (भ.)

विषय :—भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों व उपक्रमों में हिन्दी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास/उपाय करना।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 13-11-90 के समसंख्यक का. ज्ञा. के द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों व उपक्रमों आदि में हिन्दी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करने के बारे में विचार करें तथा जहां-जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाये तथा जहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अवसर कम हो और संवर्ग बनाना संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अवसरों की जांच की जाए और यदि वे अपर्याप्त पाए जाएं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय किए जायें। इस विषय में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. उपरोक्त उल्लेखित अनुदेशों को जारी किए हुए पांच मास से ऊपर समय बीत गया है अभी तक मंत्रालयों/विभागों के द्वारा इस विषय में वास्तविक रूप से की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत नहीं कराया गया है जिससे इस विभाग को यह पता नहीं चल पा रहा है कि हिन्दी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं।

अतः वित्त मंत्रालय आदि से पुनः अनुरोध है कि इस विषय पर की गई कार्यवाही या की जा रही कार्यवाही से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें। जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा अगर कोई कार्यवाही अभी तक शुरु नहीं की गई है, वे भी इस विषय पर कार्यवाही जल्द ही शुरु करके इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 22-4-1991 का कार्यालय ज्ञा सं -12011/1/91-रा भा (ख-1)

विषय : — मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गान्धी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 1990-91

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II 12013/2/85-रा.भा. (क-2) दिनांक 30-7-1986 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मंत्रालयों/विभागों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना परिचालित की गई थी। इस विभाग के अन्य कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/4/89-रा.भा. (ख-1) दिनांक 2-6-1989 के द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर दिए जाएंगें।

2. तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 1990-91 की चारों तिमाही रिपोर्टें, यदि अभी तक नहीं भेजी गई हैं तो, शीघ्रातिशीघ्र 30-6-1991 तक अवश्य इस विभाग को भेज दी जाएं ताकि उन पर पुरस्कार योजना में विचार किया जा सके। जिन मंत्रालयों/विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होती हैं, उनको इस पुरस्कार योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

3. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

□

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) का दिनांक 22-4-91 का कार्यालय ज्ञा० संख्या 12024/1/91-रा भा /(ख-2)

विषय : — राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

देश के विभिन्न नगरों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इस समय पूरे देश में ऐसी 120 समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। इन समितियों की बैठकें कारगर ढंग से आयोजित कराने एवं स्वस्थ्य स्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से, उन समितियों को जो हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करती हैं, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार समितियों की बैठकें समय पर आयोजित कराने, उनमें परिणामपरक चर्चा कराने, बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई कराने एवं हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए उचित वातावरण तैयार करने आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दिए जाने वाले इन पुरस्कारों को निर्धारण करने के संबंध में निम्नलिखित मानदण्ड नर्धारित किए गए हैं :—

क्र.सं.	मानदण्ड	अंक
1.	समिति द्वारा बैठकों का आयोजन कैलैन्डर के अनुसार नियमित रूप से वर्ष में दो बैठकें	15
2.	कार्यसूची (राजभाषा विभाग मुख्यालय के निदेशानुसार) पर चर्चा	10
3.	कार्यवृत्त समय पर जारी करना	10
4.	बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा (रिपोर्टों की संख्या/कार्यालयों की संख्या तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में विचार-विमर्श)	15
5.	बैठकों में सदस्य कार्यालयों/प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति	20
6.	कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई	10
7.	समिति द्वारा दिए गए अन्य कार्यकलाप जैसे हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी दिवस समारोह आदि का आयोजन और पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि	20
	कुल अंक	100

उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार अंकों की गणना हेतु विस्तृत विवरण अनुलग्न में दिया गया है। यह सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जा रहा है। अनुरोध है कि इन मानदण्डों से समिति के सभी सदस्य कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

अनुलग्नक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों/सचिवों को क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में मानदण्ड

क्र सं	मानदण्ड	अंक
1.	**समिति द्वारा बैठकों का आयोजन :**	
(क)	वर्ष में दोनों बैठकें विभाग द्वारा जारी कैलेन्डर के अनुसार करना	15
(ख)	वर्ष में दोनों बैठकें करना जिसमें एक बैठक कैलेन्डर के अनुसार हो	13
(ग)	वर्ष में सिर्फ एक बैठक करना जो कि कैलेन्डर के अनुसार हो	08
(घ)	वर्ष में एक बैठक करना जो कैलेन्डर के अनुसार न हो	05

2. **कार्यसूची मुख्यालय पर राजभाषा विभाग) के निदेशानुसार चर्चा :**

(क) विभाग के 22-9-1988 के का. ज्ञा. सं. 12027/39/88—रा. भा. (ख-2) के अनुसार कार्यसूची तैयार करके उस पर विचार/चर्चा — 05

(ख) सभी मदों पर परिणामपरक चर्चा — 05

3. **कार्यवृत्त जारी करना :**

(क) बैठक के 15 दिन के अन्दर जारी करना — 10

(ख) 16 से 30 दिन के अन्दर जारी करना — 08

(ग) 30 दिन के बाद जारी करना — 05

4. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा :**

(क) 80% से अधिक कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा — 15

(ख) 50% से 80% कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा — 10

(ग) 50% से कम कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा — 05

5. **सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति :**

(क) 80% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति जिनमें कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति आधे से अधिक हो — 20

(ख) 80% से अधिक सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति जिनमें प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति आधे से कम हो — 15

(ग) सदस्यों की उपस्थिति 70% से 80 के बीच — 14

(घ) सदस्यों की उपस्थिति 60% से 70% के बीच — 12

(ङ) सदस्यों की उपस्थिति 50% से 60% के बीच — 10

(च) सदस्यों की उपस्थिति 50% से कम होने पर — 06

6. **कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई :**

(क) सभी मदों पर अगली बैठक से पूर्व अनुवर्ती कार्रवाई पूर्ण करने पर पूर्णांक दिए जाएंगे ।

यदि कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है तो उसी अनुपात में अंक कम कर दिए जाएंगे।

उदाहरणार्थ: यदि चार मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित थी और तीन मदों पर पूरी हुई है तो $\frac{3}{4}\times10=7.5$ अंक दिए जाएंगे।

7. **समिति द्वारा किए गए कार्यकलाप :**

(क) सदस्य कार्यालयों द्वारा हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह का आयोजन (यदि 80% से अधिक कार्यालयों द्वारा यह मनाया गया तो 5 में से 5 अंक और 80% से कम के लिए 3 अंक) — 05

(ख) समिति द्वारा लेख प्रतियोगिता, टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, संयुक्त कार्यशाला आदि का आयोजन — 05

(ग) समिति द्वारा वार्षिक समारोह, वार्षिक कार्यक्रम या नगर स्तर पर किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन एवं पत्रिका का प्रकाशन — 05

(घ) समिति द्वारा राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का आयोजन — 05

कुल अंक — 100

राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश-अनुदेश

संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सांविधिक, विविध उपबन्ध, राजभाषा विषयक अधिनियम संकल्प तथा उनके अंतर्गत सन 1952 से 1988 तक सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए विभिन्न आदेश-अनुदेश "हिंदी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का संकलन' (अप्रैल, 1986 तक) तथा इसके बाद जारी आदेश-अनुदेश "हिंदी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का अनुपूरक संकलन" (मई 1986 से दिसम्बर, 1988 तक) में संपादित है। इसी तरह "हिंदी शिक्षण योजना सम्बन्धी आदेशों का संकलन में हिन्दी, हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि के पाठ्यक्रम, सुविधाएं/प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं आदि का पूरा विवरण दिया गया है।

हिन्दी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में मुद्रित बड़े आकार के ये संकलन इस प्रकार हैं :—

1. **हिंदी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का संकलन (अप्रैल 1986 तक)**
2. **हिंदी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का अनुपूरक संकलन (मई, 1986 से दिसम्बर, 1988 तक)।**
3. **हिंदी शिक्षण योजना से सम्बन्धी आदेशों का संकलन।**

ये तीनो संकलन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली से या उनके प्राधिकृत पुस्तक विक्रेताओं से समूल्य प्राप्त किया जा सकते हैं।

बिक्री केन्द्र का पता—प्रबन्धक, किताब महल, बाबा खड़गसिंह मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

कलकत्ता : क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री विमल मित्र तथा अन्य (पृ॰ 25)

उद्घाटन भाषण देते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. विश्वरमन प्रसाद सिन्हा (पृ 76)

श्रद्धा सुमन

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी

नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष 1988 में 16 सितम्बर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राजभाषा हिन्दी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि "हिन्दी देश भर में बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग बोलते हैं। बहुत से इलाकों में जहां हिन्दी भाषा आम लोग नहीं बोलते हैं वहां भी लोग हिन्दी को आज समझने लग गए हैं। हिन्दी भारत की यद्यपि दूसरी भाषाओं के साथ सम्बन्ध रखती है और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लोग आसानी से समझ सकते हैं और हमने देखा है कि नई किताबों के साथ खासकर विज्ञान और टैक्नोलाजी की किताबों के साथ हिन्दी बहुत अलंकृत हुई है। इसलिए हमारे सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी से अच्छी और कोई भाषा नहीं हो सकती: हिन्दी का प्रचार करना है लेकिन जैसे मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति हमारे सामने रखी उसी नीति पर हमें आगे बढ़ना है।"

और

हिन्दी को जन-जन की भाषा बनाने के क्रम में उन्होंने सुझाव दिया कि "एक तरफ तो हमें देखना है कि हिन्दी राजभाषा बने, सरकार की भाषा बने। दूसरी तरफ उतना ही हमें देखना है कि हिन्दी लोगों की भाषा बने। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक असलियत में हिन्दी का प्रचार देश के कोने-कोने तक नहीं हो पाएगा।"

और

श्री राजीव गांधी न केवल हिन्दी को देश की राजभाषा तक सीमित रखना चाहते थे, बल्कि उन्हें तो हिन्दी के विश्व भाषा के रूप में विकसित होने की आशा थी, इसी आशय से उन्होंने कहा था कि "पिछले सालों में हमने देखा कि हिन्दी खाली राजभाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा और एक विश्वभाषा भी बनने लग रही है।

हमारी उम्मीद है कि इस रास्ते से हम हिंदी के लिए विश्व में एक अच्छी जगह बनाकर रखेंगे और हिंदी के इस प्रचार से खाली हिंदी नहीं, भारत की प्राचीन परम्पराएं, भारत की पुरानी विचारधाराएं दुनिया में फैलेंगी और पूरी दुनियां में एक नई भावना आएगी, एकता की प्रगति की और विकास की।

10वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार अभियान के क्रम में तमिलनाडू प्रदेश के श्री पैराम्बुदूर में दिनांक 21 मई, 1991 की रात्रि में जब श्री राजीव गांधी मंच की ओर बढ़ रहे थे तो लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर रहे थे। इसी बीच बम विस्फोट हुआ और देखते-ही-देखते श्री राजीव गांधी कुछ अन्य लोगों के साथ शून्य में विलीन हो गए।

राजभाषा भारती परिवार की ओर से श्री राजीव गांधी को हार्दिक श्रद्धांजलि।

□ गु. ब.

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डॉ० गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित। 1991